फ़त्हुल मुईन फ़ी तक़रीब -ए-
मन्हजिस्सालिकीन व तौज़ीहिल फ़िक़्हि फ़िद्दीन

लेखक:
अब्दुर्रहमान बिन नासिर सअदी

व्याख्या:
शैख़ हैसम बिन मुहम्मद सरहान
पूर्व शिक्षक अल-हरम शिक्षण संस्थान, मस्जिद -ए- नबवी
व महा प्रबंधक "मअहद अल् सुन्नह"
http://www.alsarhaan.com

अल्लाह हमारे शैख़, उनके माता-पिता तथा जिन्होंने इस पुस्तक को मूर्त रूप देने में उनकी सहायता की, सब को क्षमा करे

अनुवादः
साबिर हुसैन पुत्र मुहम्मद मुजीबुर रहमान

प्रथम संस्करण

निम्नांकित ईमेल पर संपर्क करें:

islamtorrent@gmail.com

sabirhussainzamanwi@gmail.com

فسح وزارة الإعلام

ح هيثم محمد سرحان ، ١٤٤٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

سرحان ، هيثم محمد جميل عبدالغني
كتاب فتح المعين في تقريب : منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. / هيثم محمد جميل عبدالغني سرحان .- الرياض ، ١٤٤٣هـ

١٧٢ ص ؛ ..سم

ردمك: ٤-٩٤٢٣-٠٣-٦٠٣-٩٧٨

١- الفقه الحنبلي أ.العنوان
ديوي ٢٥٨,٤ ١٤٤٣/٢٧١٩

رقم الإيداع: ١٤٤٣/٢٧١٩
ردمك: ٤-٩٤٢٣-٠٣-٦٠٣-٩٧٨

व्याख्याता का प्राक्कथन

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسِنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله ﷺ، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ۝٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا﴾.

प्रशंसा एवं स्तुतिगान के पश्चातः यह पुस्तक "मन्हजुस्सालिकीन व तौज़ीहुल फ़िक़्हि फ़िद्दीन, अर्थातः चलने वालों के लिए विस्तृत मार्ग एवं धर्म में फ़िक़्ह (न्यायशास्त्र) का स्पष्टीकरण", फ़िक़्ह के व्यापक सारांशों में से एक है जिसका उद्देश्य फ़िक़्ह के मसलों में राजेह़ (सटीक, सर्वोत्तम, वरीय) का उल्लेख करना तथा क़ुरआन और सुन्नत से उनके तर्कों का वर्णन करना है। लेखक महोदय ने इसमें विवेकशीलता का बेहतर परिचय देते हुए बड़े उत्तम ढ़ंग से गागर में सागर भर दिया है, अतः नौसिखिए छात्रों के लिए हमने इसे नवीन शैली में मसलों एवं मुद्दों को विभाजित कर के प्रकाश में लाने का निर्णय किया, तथा उन मसलों में लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट किया है। इस पुस्तक में हमारी कार्यप्रणाली संक्षिप्त रूप से निम्नानुसार हैः

- मत्न (टेक्सट, पाठ्य भाग, मूल पुस्तक) को सही रूप में रखने का प्रयास तथा इसका ध्यान रखना।
- मत्न को सूची के प्रारूप में नीले रंग की पृष्ठभूमि में रखा गया है।
- मत्न के संदर्भ में व्याख्याता द्वारा जो वृद्धि की गई है, उसे इस प्रकार के कोष्ठक [...] में रखा गया है, मत्न के मध्य में इस वृद्धि को काले रंग में तथा शीर्षकों के बीच इसे नीले रंग में रखा गया है।
- लेखक ने जो उल्लेख किया है उसमें कुछ स्पष्टीकरण और परिशिष्ट व पूरक जोड़ा गया है, जैसे कि कुछ सीमाएँ निर्धारित करना तथा अध्यायों के आरंभ में आवश्यकतानुसार तालिकाओं के रूप में सारांश प्रस्तुत करना।

अधिकांश परिवर्धन में हमने लेखक के होनहार शिष्य अल्लामा मुह़म्मद बिन स़ालेह़ उस़ैमीन (अल्लाह तआला दोनों को क्षमा करे) की तरजीह़ (वरीयता) पर भरोसा किया है, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी दो पुस्तकों "अल-शर्ह़ अल-मुम्तेअ अला ज़ाद अल-मुस्तक़्नेअ" तथा "फ़त्ह़ु ज़िल जलालि वल इकरामि बि शर्ह़ बुलूग़िल मरामि" में किया है। अल्लाह से प्रार्थनारत हूँ कि वह हमारे इस कार्य को स्वीकार कर ले, तथा विशुद्ध रूप से अपनी प्रसन्नता के लिए इसका चयन कर ले, और पाठक एवं नौसिखिए दोनों के लिए इसे उपयोगी बनाए, निस्संदेह वह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है।

[लेखक की प्रस्तावना]

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

तथा अल्लाह से ही हम सहायता चाहते हैं

الْحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-.

यह फ़िक़्ह की एक संक्षिप्त पुस्तक है, जिसमें मैंने मसलों एवं दलीलों को एकत्रित कर दिया है। तथा इसमें केवल उन महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चीज़ों का उल्लेख किया है जो इस विषय के लिए अत्यंत ज़रूरी थीं, तथा हुक्म (आदेश) स्पष्ट होने की स्थिति में अधिकांशतः केवल नस़्स़ (मूल बात, श्लोक, छंद, प्रमाण) का वर्णन किया है, ताकि नौसिखियों के लिए इसे याद करना तथा समझना सरल हो, क्योंकिः

इल्म (विद्या) कहते हैं: ह़क़ व सत्य को प्रमाण के साथ जानने को।

फ़िक़्ह (न्यायशास्त्र) कहते हैं: उप-शरिया नियमों को उनके तर्कों: क़ुरआन, ह़दीस़, इज्माअ एवं स़ह़ीह़ क़यास, के साथ जानने को।

लंबाई से बचने के लिए मैंने केवल प्रसिद्ध तर्कों का ही उल्लेख किया है, और विवादास्पद मुद्दों में शरीयत के तर्कों के आलोक में, मैंने स्वयं को केवल उसी कथन का उल्लेख करने तक सीमित कर दिया है जो मुझे सबसे उपयुक्त कथन लगा है।

महत्वपूर्ण प्रश्न: हम फ़िक़्ह (न्यायशास्त्र) क्यों पढ़ते हैं?

उत्तर: इबादत व पूजा उस समय तक स्वीकार्य नहीं होती, जब तक उसमें दो चीज़ों शामिल न हों:

इख़्लास़ (निष्ठा):
अर्थातः शिर्क (बहुदेववाद) एवं रियाकारी (पाखण्ड) की मिलावट के बिना केवल एक अल्लाह को प्रसन्न करने हेतु इबादत व उपासना करना, अतः इसीलिए हम तौह़ीद को पढ़ते हैं।

इत्तेबाअ (अनुसरण):
अर्थात उस शरीअत (धर्म) का अनुसरण करना जिसको लेकर मुह़म्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आए थे, अतः हम इसीलिये फ़िक़्ह पढ़ते हैं।

शरई (धार्मिक) आदेश के दो प्रकार हैं:

[1] अह़काम [-ए- तकलीफ़िय्यह] पाँच हैं:

हुक्म	परिभाषा	स्वरूप एवं विशिष्टता	अन्य नाम
[क] **वाजिब**	जिसके करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है [अनुपालन करने के कारण] तथा छोड़ने वाले को दण्ड दिया जाता है [उसका पात्र होने के कारण]	शारेअ (विधान निर्माता) ने जिसको अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया है।	फ़र्ज़/ फ़रीज़ा/ ह़त्मी/ लाज़िमी (अनिवार्य)
[ख] **ह़राम**	इसका विलोम [अर्थातः वाजिब का विलोम]	शारेअ (विधान निर्माता) ने जिसको अनिवार्य रूप से छोड़ने का आदेश दिया है।	मुह़र्रम/ ममनूअ (वर्जित)
[ग] **मकरूह**	जिसके छोड़ने वाले को पुण्य प्राप्त होता है [अनुपालन करने के कारण] जबकि इसके करने वाले को दण्ड नहीं दिया जाता है	शारेअ (विधान निर्माता) ने जिससे रोका तो है परंतु अनिवार्य रूप से छोड़ने का आदेश नहीं दिया है।	मुबग़्ग़ज़ (घृणित)
[घ] **मसनून**	इसका विलोम [अर्थातः मकरूह का विलोम]	शारेअ (विधान निर्माता) ने जिसके करने का आदेश तो दिया है परंतु अनिवार्य रूप से नहीं।	सुन्नत/ मुस्तह़ब/ नफ़्ल/ मन्दूब/ रग़ीबह/
[ङ] **मुबाह़**	जिसका करना तथा न करना दोनों एक समान है।	जिससे न तो कोई अम्र (आदेश) संबद्ध है तथा न ही उससे रोका गया है।	ह़लाल/ जायज़ (वैध)

[2] अह़काम -ए- वज़इय्यह (संकेतात्मक प्रावधान): इनमें से कुछ निम्नांकाति हैं:

[1] स़ह़ीह़	**[2] फ़ासिद (बेकार)**	**[3] सबब**	**[4] शर्त**	**[5] मानेअ (रोक)**

मुकल्लफ़ अर्थात जवाबदेह व्यक्ति [इससे अभिप्राय व्यस्क एवं बुद्धि रखने वाला व्यक्ति है] के ऊपर अनिवार्य है कि वह अपनी इबादत (पूजा) एवं मामलों (व्यवहार) इत्यादि में उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करे जिनकी उसे आवश्यकता है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन हैः “**अल्लाह तआला जिसके साथ भलाई करने का इरादा करता है उसे धर्म की समझ प्रदान करता है**”। बुख़ारी व मुस्लिम।

पुस्तक की सामग्री:

प्रथम: इबादात (उपासना)	**द्वितीय: मामाला (व्यवहार)**
इसके द्वारा आरंभ इसलिए किया जाता है, क्योंकि यह अधिक सम्माननीय है, जोकि इस्लाम का आधारस्तंभ है, फिर जिहाद है: अध्याय का विवरण निम्नांकित है: ❖ किताबुत्तहारत ❖ किताबुस्सलात ❖ किताबुलजनायज़ ❖ किताबुज़्ज़कात ❖ किताबुस्सियाम ❖ किताबुलहज्ज ❖ किताबुलजिहाद (लेखक ने संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए इस अध्याय को छोड़ दिया है)	क्योंकि मुकल्लफ़ (जवाबदेह व्यक्ति) को इसकी आवश्यकता पड़ती है, और यह आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, लोगों को खाने-पीने की आवश्यकता होती है, तथा यह खरीदने और बेचने से प्राप्त होता है, और भोजन करके जब वह तृप्त होगा तो उसे विवाह की इच्छा होगी, तथा जब विवाह करेगा तो तलाक़ देने की नौबत भी आ सकती है, जिसके बाद इद्दत (शोक) का मामला है, अहंकार एवं अभिमान से चूर हो कर कोई किसी पर अत्याचार भी कर सकता है जिसको रोकने के लिए कड़ाई की आवश्यकता होगी, अतः क़िसास, हुदूद एवं क़ज़ा.... इत्यादि का उल्लेख किया है। अध्याय का विवरण निम्नांकित है: ❖ किताबुल बुयूअ ❖ किताबुलमवारीस़ ❖ किताबुन्निकाह़ ❖ किताबुस्सदाक़ ❖ किताबुत्तलाक़ ❖ किताबुलइदद वल-इस्तिबरा ❖ किताबुत्तलाक़ ❖ किताबुल जिनायात ❖ किताबुलहुदूद ❖ किताबुलक़ज़ा, व दआवी, व बय्यिनात व अनवाइश्शहादात

फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) अपनी पुस्तकों का आरंभ किताबुत्तहारत से क्यों करते हैं?

क्योंकि इसका संबंध इस्लाम के मूलाधारों में सबसे पहला मूलाधार से है, अतः बाहरी शुद्धता से पहले आंतरिक शुद्धता आवश्यक है।	क्योंकि उपासना करने के पूर्व आत्मा की शुद्धि आवश्यक है।	क्योंकि इबादत उसी समय स्वीकार्य है जब उसमें इख़्लास़ (निष्ठा) एवं मुताबअत (अनुसरण) हो।	क्योंकि यह नमाज़ की शर्तों में से है, तथा यह नमाज़ से पहले आवश्यक है।

फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) अपनी पुस्तकों का अंत किस अध्याय पर करते हैं?

इक़रार का अध्याय: (तथा यह उत्तम है)	**आज़ादी का अध्याय:**
तौह़ीद पर अपने अंत का शकुन लेते हुए।	नरक से अपनी मुक्ति का का शकुन लेते हुए।

छात्रों की सुविधा के लिए पुस्तकों की व्यवस्था प्रथागत विशिष्ट परिभाषिका के रूप में इस प्रकार से होती है:

[1] पुस्तक का विभाजन किताब के आधार पर।	[2] पुस्तक का आयोजन अबवाब के आधार पर।	[3] अबवाब का विभाजन फ़ुसूल के आधार पर।	[4] फ़ुसूल का विभाजन मसाइल के आधार पर।

[शहादतैन का] पाठ

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**इस्लाम का आधार पाँच चीज़ों पर है: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ स्थापित करना, ज़कात (दान) देना), काबा का हज्ज करना तथा रमज़ान के रोज़े रखना**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

۞ "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही का अर्थ है: भक्त का इस बात को जानना, आस्था रखना तथा इस बात का पालन करना कि इबादत व पूजा के योग्य अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं, वह अकेला एवं अद्वैत है तथा उसका कोई साझीदार नहीं है।

इससे बंदे पर यह अनिवार्य हो जाता है कि: वह अपनी समस्त उपासनाओं को अल्लाह तआला के लिए ख़ालिस़ व निश्छल करे, उसकी दृश्य एवं अदृश्य सभी उपासनाएं केवल एक अल्लाह के लिए हों, तथा धर्म के सभी मामलों में किसी को भी अल्लाह का साझीदार न बनाए।

जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ﴾ (आपसे पहले भी जो रसूल हमने भेजा उनकी ओर यही वह्य (आकाशवाणी) की कि मेरे सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं, अतः तुम सब मेरी ही पूजा करो)।

۞ "मुहम्मदुर् रसूलुल्लाह" की गवाही का अर्थ है: बंदा यह आस्था रखे कि अल्लाह तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को स़क़लैन (इंसानों एवं जिन्नातों) की ओर शुभ सूचना देने वाल तथा डराने वाला बना कर भेजा, जो उन्हें अल्लाह के एक व अद्वैत होने तथा उसका आज्ञापालन करने का आमंत्रण देते हैं, आपके द्वारा दी गई सूचनाओं की पुष्टी की जाये, आपके आदेशों का पालन किया जाए तथा आपके द्वारा वर्जित किये गये कार्यों से बचा जाये, लोक परलोक की सफलता व सौभाग्य आप पर ईमान लाने एवं आपका अनुसरण करने के द्वारा ही संभव है, तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रेम करने को स्वयं अपने आप पर, संतान पर एवं समस्त लोगों से प्रेम पर वरीयता दे।
तथा यह भी आस्था रखे कि अल्लाह तआला ने आप की रिसालत (दूतत्व) को प्रमाणित करने के लिए मोअजज़ह (चमत्कार) के द्वारा आपकी सहायता की, तथा अल्लाह तआला ने आपको समस्त प्रकार के ज्ञान एवं उच्च आचरण से अनुग्रहीत किया तथा आपका लाया हुआ धर्म मार्गदर्शन, सत्य एवं लोक परलोक के कल्याण पर आधारित है।
आपकी सबसे बड़ी निशानी: पवित्र व महान क़ुरआन है जिसमें सत्य सूचनाएं, आदेश तथा वर्जनाएं हैं। वल्लाहु आलम (अल्लाह सर्वाधिक बेहतर जानता है)।

दीन (इस्लाम धर्म) की तीन श्रेणियां हैं:

[1] इस्लाम: इसका अर्थ है, तौह़ीद अपनाते हुए अल्लाह के समक्ष नतमस्तक हो जाना, अनुपालन के द्वारा उसके सामने झुक जाना तथा शिर्क व मुश्रिकीन से अलगाव दर्शाना, और इसके पाँच स्तंभ हैं।

[2] ईमान: इसके छह अरकान (स्तंभ) हैं: अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आख़िरत के दिन पर तथा अच्छे व बुरे भाग्य पर ईमान रखना।

[3] एह़सान: इसका एक ही रुक्न (स्तंभ) है और वह यह कि: आप अल्लाह की उपासना ऐसे करें मानो आप उसे देख रहे हैं, तथा यदि आप उसे नहीं देख रहे हैं तो निस्संदेह वह आपको देख रहा है।

[किताबुत्तहारत (पवित्रता के मसले)]

<table>
<tr><th colspan="6">तहारत (पवित्रता) के प्रकार:</th></tr>
<tr><td rowspan="3">[1] तहारते मअनविय्यह (आंतरिक पवित्रता):
शिर्क, बिद्अत एवं पापों से।</td><td colspan="5">[2] तहारते हिस्सिय्यह (बाह्य पवित्रता):</td></tr>
<tr><td colspan="3">[क] ख़बस़ (नजासत, दृश्य अपवित्रता) से पवित्रता:</td><td colspan="2">[ख] ह़दस़ (अदृश्य अपवित्रा) से पवित्रता:</td></tr>
<tr><td>स्थान से।</td><td>कपड़ा से।</td><td>शरीर से।</td><td>महा अपवित्रता से (स्नान द्वारा)</td><td>लघु अपवित्रता से: वुज़ू द्वारा।</td></tr>
</table>

ह़दस़	शरीर की ऐसी स्थिति जिसके कारण नमाज़ पढ़ना वर्जित होता है या नमाज़ ही के समान अन्य इबादत जिसके लिए तहारत (शुद्धता) शर्त है।
नजासत	सभी वास्तविक और प्रत्यक्ष अशुद्धता जिससे शुद्धिकरण अनिवार्य है, जैसे: मानव मूत्र और मल।

<table>
<tr><th colspan="3">तहारत (पवित्रता) प्राप्त होगी:</th></tr>
<tr><td colspan="2">[1] पानी के द्वारा (जोकि असल व मूल है): तथा इसके प्रकार हैं :</td><td rowspan="2">[2] मिट्टी से (तयम्मुम के द्वारा जो पानी का बदला है):
पानी न होने अथवा पानी का प्रयोग करने में अक्षम होने की स्थिति में यह महा अपवित्रता एवं लघु अपवित्रता दोनों से पवित्र कर देता है।</td></tr>
<tr><td>[क] पवित्र पानी:
इससे तहारत प्राप्त करना सही है।</td><td>[ख] अपवित्र पानी
इससे तहारत प्राप्त करना सही नहीं है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">मल-मूत्र त्याग के पश्चात दो कार्य एक साथ करना मशरूअ (उचित) है -परंतु किसी एक का प्रयोग भी पर्याप्त है-:</th></tr>
<tr><td>[1] इस्तिंजा (जल का प्रयोग)
यह केवल जल के द्वारा होगा।</td><td>[2] इस्तिज्मार (पत्थर इत्यादि का प्रयोग)
यह तीन पत्थरों अथवा इन जैसी अन्य वस्तुओं के द्वारा होगा जो सामान्यत: अपवित्र स्थान को साफ कर दे।</td></tr>
</table>

नजासत कहते हैं: सभी वास्तविक और प्रत्यक्ष अशुद्धता को जिससे शुद्धिकरण अनिवार्य है, तथा इसको दूर करने के आधार इसके निम्न प्रकार हैं:

[1] भीषण: यह कुत्ते की अपवित्रता है, बर्तन में जब कुत्ता मुँह डाल दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे सात बार धोने का आदेश दिया है जिसमें पहली बार मिट्टी से धोना है।

[2] हलका: इसे निचोड़े बिना केवल पानी के छींटे मारने के द्वारा दूर किया जायेगा, यह उस बालक के मूत्र के लिए होगा जिसने अभी भोजन करना आरंभ नहीं किया हो, तथा मज़ी एवं वीर्य से, यद्यपि वीर्य पवित्र है परंतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गीला होने की स्थिति में उस पर पानी छिड़कते थे तथा सूखा होने की स्थिति में उसे खुरच देते थे।

[3] माध्यामिक: इसे धो कर साफ़ किया जायेगा, अर्थात पानी का छींटा मार कर निचोड़ते हुए, तथा यह प्रत्येक उस गंदगी में होगा जो भीषण एवं हलका के बीच हो, जैसे महिला एवं पुरुष का पेशाब इत्यादि जैसी गंदगी।

फ़ित्री अर्थात नैसर्गिक सुन्नतों में से हैं:

[1] ख़त्ना करना: यह उस त्वचा को काटना है जो शिश्न को ढकता है, ताकि उसमें मैल जमा न हो, तथा मूत्र विसर्जन के पश्चात उसे साफ किया जा सके, यह पुरुषों के लिए वाजिब है, तथा जिस महिला को इसकी आवश्यकता हो उसके लिए सुन्नत।

[2-5] मूँछ काटना, नाख़ुन काटना, काँख का बाल उखाड़ना, तथा नाभि के नीचे के बालों को काटना:
नाख़ुन काटना इसलिए क्योंकि इसके नीचे गंदगी एकत्रित हो जाती है, **काँख का बाल उखाड़ना** इसको मूंड कर अथवा किसी अन्य ढंग से भी दूर किया जा सकता है ताकि स्वच्छता प्राप्त हो एवं दुर्गंध दूर हो, **नाभि के नीचे के बालों को मूंडना** इसको हेयर रिमूवर क्रीम के द्वारा भी दूर किया जा सकता है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि: "**मूँछे काटने, नाख़ुन काटने, काँख का बाल उखाड़ने एवं नाभि के नीचे के बालों को साफ करने हेतु हमारे लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि हम उन्हें चालीस दिन से अधिक न छोड़ें**"। मुस्लिम। अतः चालीस दिन से अधिक तक इन चीज़ों को छोड़ना उचित नहीं है।

[6] दाढ़ी बढ़ाना: इसका बढ़ाना वाजिब है तथा इसका मूंडना हराम है।

[7] ख़त्ना करना: यह दाँत साफ करने के लिए पीलू की टहनी अथवा इस जैसी किसी अन्य वस्तु के प्रयोग को कहते हैं, तथा यह सुन्नत है।
यह हर समय सुन्नत है, परंतु वुज़ू के समय, नमाज़ के समय, घर में प्रवेश करते समय, क़ुरआन का पाठ करते समय, निद्रा से जाग्रत होने के पश्चात, मृत्यु शय्या पर एवं मुँह का स्वाद बदल जाने पर अधिक ज़रूरी हो जाता है।

[8-10] नाक में पानी डालना, पोरों को धोना, तथा पानी बहाना: पोर से अभिप्राय उँगली के पोर एवं जोड़ हैं, तथा पानी बहाना से अभिप्राय मूत्र त्याग के पश्चात जल का प्रयोग करना है, और इसकी दलील स़ह़ीह़ मुस्लिम में वर्णित आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली ह़दीस़ है।

[त़हारत (पवित्रता) के प्रकार] से संबंधित पाठ

नमाज़ से पूर्व: कुछ शर्तें हैं जो उसके पहले वांछित हैं, उन्ही में से एक त़हारत है: जैसाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “**अल्लाह तआला बिना त़हारत के नमाज़ स्वीकार नहीं करता है**”। बुख़ारी व मुस्लिम। **जो व्यक्ति पवित्रता नहीं अपनाता है:**

[1] नजासत (गंदगी) से	[1] ह़दस़ -ए- अकबर एवं ह़दस़ -ए- अस़्ग़र (महा अपवित्रता एवं लघु अपवित्रता) से

= तो उसकी नमाज़ नहीं हुई। तथा त़हारत (शुद्धता) के दो प्रकार हैं:

[1] **प्रथम:** जल के द्वारा पवित्रता की प्राप्ति। यह मूल है।	[2] मिट्टी के द्वारा पवित्रता, यह पूरक है।

पानी के प्रकार: (सही बात यही है कि पानी के केवल दो प्रकार हैं: पवित्र एवं अपवित्र)

[1] आसमान से बरसने वाला सभी पानी, अथवा चश्मा (जलधारा) का पानी, पवित्र है, जो दृश्य एवं अदृश्य अशुद्धि से शुद्ध करता है, यद्यपि कोई पवित्र वस्तु मिलने के कारण उसका रंग, स्वाद अथवा गंध बदल चुकी हो, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “**पानी पवित्र करने वाला होता है उसको कोई वस्तु अपवित्र नहीं करती है**”। इसे अहले सुनन ने रिवायत किया है, तथा यह ह़दीस़ स़ह़ीह़ है।	[2] यदि गंदगी मिलने के कारण उसका कोई गुण [अर्थात: स्वाद, रंग अथवा गंध] बदल चुका हो तो वह अपवित्र है, जिससे बचना अनिवार्य है।

वस्तुओं में मूल बात यह है कि: वो पवित्र एवं जायज़ होती हैं, अत:

[1] किसी मुसलमान को पानी, कपड़ा अथवा स्थान इत्यादि के अपवित्र होने का संदेह भर हो तो, तो वह त़ाहिर व पवित्र है।	[1] या स्वयं अपने आप के शुद्ध होने का विश्वास तो हो परंतु अशुद्ध होने का संदेह हो जाये तो वह त़ाहिर एवं शुद्ध है।

क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है जो नमाज़ की स्थिति में किसी चीज़ के निकलने के संदेह में पड़ जाये तो: “**वह उस समय तक नमाज़ न तोड़े जब तक वह आवाज़ न सुन ले अथवा गंध न पा ले**”। बुख़ारी व मुस्लिम।

इसका समर्थन उस मुज्मअ अलैह फ़िक़्ही क़ायदा (सर्वसम्मत न्यायशास्त्रीय नियम) द्वारा भी होता है कि: (**विश्वास संदेह के कारण समाप्त नहीं होता है**), इसका अर्थ यह है कि जो वस्तु यक़ीन के द्वारा प्रमाणित हो वह यक़ीन के द्वारा ही समाप्त होगी, अत: उससे तुच्छ वस्तु जैसे संदेह अथवा भ्रम द्वारा वह समाप्त नहीं होगी। तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने समुद्र के विषय में फ़रमाया: “**उसका जल पवित्र करने वाला तथा उसका मृतक ह़लाल है**”। (इसे चारों सुनन वालों ने रिवायत किया है)।

[बरतन का अध्याय]

तहारत वाले अध्याय में बरतनों का उल्लेख करने का क्या कारण है?

जल एक तरल पदार्थ है जिसे केवल पात्रों में ही रखा जा सकता है। इसी कारणवश पानी से संबंधित खण्ड के पश्चात बरतनों से संबंधित खण्ड का उल्लेख करते हैं, तथा यह सर्वज्ञ है कि यदि दो चीज़ों का आपस में पारस्परिक संबंध हो तो उसे पहले स्थान पर उल्लेखित करना श्रेयस्कर है, तथा द्वितीय स्थान पर उसका हवाला दे दे, क्योंकि इसे यदि दूसरे स्थान तक के लिए विलंबित किया जाये तो पहले स्थान पर इसका लाभ छूट जायेगा, किंतु यदि इसका उल्लेख पहले स्थान पर कर दिया जाये तो दूसरे स्थान पर इसका लाभ बरकरार रहता है।

सोना चाँदी तथा जिसमें इन दोनों का उपयोग किया गया हो उसको छोड़ कर, सभी प्रकार के बर्तनों का प्रयोग वैध है, किंतु आवश्यकतानुसार बर्तनों में थोड़ी सी चाँदी का प्रयोग वैध है। [आसिम कहते हैं किः मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का प्याला अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास देखा है, वह फट गया था तो उन्होंने उसे चाँदी से जोड़ दिया था]।

बरतन में चाँदी के प्रोयग के जायज़ (वैध) होने की शर्तें:

[1] यह जोड़ के रूप में हो	[2] थोड़ा हो	[3] चाँदी हो	[4] इसकी आवश्यकता हो।

क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः **"सोने-चाँदी के बरतनों में न पियो, न ही इसके बरतनों में खाओ, क्योंकि यह उन (काफ़िरों) के लिए संसार में है तथा तुम्हारे लिए आख़िरत में है"**। बुख़ारी व मुस्लिम।

काफ़िरों के बरतन का प्रयोग करने का हुक्म:

[1] जिसका पवित्र होना हमें ज्ञात होः तो वह पवित्र है तथा उसका प्रयोग करना वैध है।	[2] जिसका अपवित्र होना हमें ज्ञात होः तो वह अपवित्र है तथा उसका प्रयोग करने के पूर्व उसे धोना अनिवार्य है।	[3] जिसके बारे में हमें संदेह होः उसके संबंध में हम अस़ल व मूल का पालन करेंगे, जो कि उसकी पवित्रता है।

काफ़िरों द्वारा प्रयोग किये गये वस्त्र का हुक्म:

[1] जिसके बारे में हमें ज्ञात हो कि वह अशुद्धता से नहीं बचता है, जैसे ईसाई = तो उत्तम यह है उसके वस्त्र से बचा जाये।	[2] तथा जिसके बारे में ऐसा प्रसिद्ध न हो = तो उसका वस्त्र प्रयोग करना हमारे लिए वैध है।

दबाग़त दिये (कच्चे चमड़े को पका कर साफ़ किये) गये चमड़े का हुकम:

नमक अथवा इस प्रकार के किसी अन्य पदार्थ के द्वारा चमड़ा में मौजूद गंदगी एवं मैल की सफाई करने को दबाग़त कहा जाता है।	प्रत्येक वह जानवर जिसका मांस खाना ह़लाल है, उसका चमड़ा दबाग़त के द्वारा पाक व पवित्र किया जा सकता है।

मल-मूत्र त्याग के शिष्टाचार का अध्याय

जब शौचालय अथवा मूत्रालय में प्रवेश करे तो उसके लिए मुस्तहब (उचित) यह है कि:

[1] बायां पाँव पहले रखे, और:	[2] यह दुआ पढ़े: «بِسْمِ اللهِّ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (बिस्मिल्लाहि, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल ख़ुबुसि वल-ख़बाइस़)

तथा जब उससे बाहर निकले तो:

[1] दाहिना पाँव पहले बाहर निकाले, फिर:	[2] यह दुआ पढ़े: «غُفْرَانَكَ»، «الْحَمْدُ للهِّ الذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي» (ग़ुफ़रानका, अल-हम्दु लिल्लाहि अल-लज़ी अज़्हबा अन्नी अल-अज़ा व आफ़ानी)

टिप्पणी: (अल-ह़म्दु लिल्लाहि...) दुआ वाली ह़दीस़ ज़ईफ़ (कमज़ोर) है, अतः इस दुआ को पढ़ना उचित नहीं है। (तथा अल्लाह के पास ही सही व सटीक ज्ञान है)।

बैठने में अपने बाएं पाँव पर अपना भार रखे तथा दाहिने पाँव को खड़ा रखे (अथवा जिस प्रकार से बैठना सहज हो, बैठे)।
तथा [अनिवार्य रूप से] किसी दीवार इत्यादि से पर्दा करे, और यदि खुले स्थान पर हो तो दूर चला जाये।

धरती से निकट होने के पहले अपना कपड़ा न खोले।

निम्नांकित स्थानों पर मल-मूत्र का त्याग करना जायज़ नहीं (अनुचित) है:

[1] मार्ग में	[2] लोगों के बैठने के स्थान में	[3] फलदार वृक्ष के नीचे	[4] ऐसे स्थान पर जो लोगों के लिए कष्ट का करण बने	[5] ठहरे हुए पानी में

मल-मूत्र त्याग के समय क़िब्ला की ओर मुख करके अथवा पीठ करके न बैठे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: "**जब तुम शौच के लिए आओ तो पेशाब-पाख़ाना के समय क़िब्ला की ओर मुख करके न बैठो, किंतु पूरब या पश्चिम की ओर हो जाओ**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

तथा उसके लिए ह़लाल (वैध) नहीं है कि:
- अपने लिंग को दाहिने हाथ से छूए, अथवा इसका प्रयोग पेशाब धोने के लिए करे।
- किसी ऐसी वस्तु को लेकर शौचालय में प्रवेश करे जिसमें अल्लाह का वर्णन हो, अतः उस पर अनिवार्य है कि शौचालय के अंदर रहते हुए अल्लाह का ज़िक्र (जाप) न करे।

उसके लिए मकरूह (अनुचित) है: मल-मूत्र त्याग कर लेने के बाद भी शौचालय में बैठे रहना।

मल-मूत्र त्याग के पश्चातः

[1] तीन पत्थरों अथवा इन जैसी किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करे जो गंदगी वाले स्थान को साफ कर दे।

[2] इसके बाद पानी से उसको धोए।

तथा दोनों (पत्थर इत्यादि एवं जल) में से केवल किसी एक का प्रयोग करना भी पर्याप्त है।

तथा इस्तिज्मार के रूप में (मल-मूत्र त्याग वाले स्थान की सफ़ाई के लिए) प्रयोग नहीं किया जायेगाः

[1] गोबर अथवा हड्डी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस से रोका है।

[2] इसी प्रकार से प्रत्येक हराम (वर्जित) वस्तु।

इस्तिज्मार (मल-मूत्र त्याग के पश्चात पत्थर या मिट्टी इत्यादि प्रयोग करने) की शर्तें:

[1] यह तीन अथवा तीन से अधिक बार हो, अतः एक ही स्थान से एक से अधिक बार न पोछे।

[2] यह साफ करने योग्य हो, तथा सफाई इस प्रकार से मानी जायेगी कि पत्थर या टिश्यु पेपर सोखने की योग्यता रखते हों।

[3] इस्तिज्मार किसी अपवित्र अथवा सम्माननीय वस्तु जैसे भोजन के द्वारा न हो, और न ही गोबर अथवा हड्डी के द्वारा हो।

खड़े हो कर पेशाब करने का हुक्मः ऐसा करना दो शर्तों के साथ जायज़ (वैध) हैः

[1] पेशाब के छींटों के शरीर एवं कपड़ा पर पड़ने का अंदेशा न हो।

[1] बेपर्दा होने का भय न हो।

हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ में है किः "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का गुज़र एक समुदाय के कूड़ा-करकट के ढ़ेर पर से हुआ तो आप ने खड़े हो कर पेशाब कया**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

मल-मूत्र त्याग एवं मोबाइल से संबंधित कुछ चेतावनियां:

[1] ऐसा रिंगटोन न रखें जिसमें सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का वर्णन हो, चाहे वह आयात हों अथवा अज़ान या दुआ, इस भय से कि कहीं आप शौचालय में हो तथा आपके मोबाइल का ऐसा ज़िक्र वाला रिंगटोन बज उठे।

[2] शौच करते समय मोबाइल का प्रयोग करना, क्योंकि यह शौचालय में अधिक समय तक बैठने का कारण बनता है, जोकि मकरूह (अवांछनीय, अप्रिय) है।

[3] मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ न हो जिसके अंदर अल्लाह का ज़िक्र (जाप) हो, क्योंकि यह उसी के समान है जिसमें अल्लाह का ज़िक्र हो, ज़िक्र यदि स्क्रीन पर दिखाई दे तो ऐसा करना भी सही नहीं है, किंतु यदि यह बाहर नहीं दिखाई देता हो अथवा छुपा हुआ हो तो आपत्ति की कोई बात नहीं है, किंतु मोबाइल को बाहर छोड़ना ही उत्तम है, परंतु यदि (चोरी इत्यादि का) भय हो तो ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

[गंदगी एवं गंदी चीज़ों को दूर करने के विषय में] पाठ

शरीर, वस्त्र, स्थान अथवा किसी भी वस्तु से सभी प्रकार की गंदगी को धोने के लिए काफी है = कि दिखने वाली उस गंदगी को उसके स्थान से समाप्त कर दिया जाये, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुत्ते की गंदगी को छोड़ कर किसी अन्य गंदगी के लिए किसी विशेष संख्या का निर्धारण नहीं किया है, परंतु हाँ, कुत्ते की गंदगी को धोने के लिए सात की संख्या निर्धारित की है जिसमें एक बार मिट्टी से धोना शामिल है, [जैसाकि बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस़ में वर्णित है]।
तथा नजिस अर्थात गंदी चीज़ें ये हैं:

[1] मनुष्य का पेशाब।	[2] तथा उसका पाख़ाना	[3] और रक्त, परंतु रक्त यदि अल्प मात्रा में हो तो माफ है, तथा इसी के समान है: जिस जानवर का मांस खाना हलाल है उसका बहा हुआ रक्त, किंतु जो रक्त मांस एवं रगों में बाकी रह जाये तो वह माफ है, [तथा माहवारी का रक्त नापाक (अशुद्ध) है]।

[4] मज़ी: यह ऐसा पानी होता है जो बिना रंग के होता है, तथा चुंबन अथवा आलिंगन के समय लिंग से निकलता है।	[5] वदी: यह गाढ़ा सफेद पानी होता है जो, मूत्र विसर्जन के पश्चात निकलता है।

जिसे मज़्य अथवा वद्य लग जाये वह अपने लिंग को धोए तथा वुज़ू करे, स्नान करना उस पर वाजिब नहीं है।

तथा नजासतों अर्थात गंदगियों में से है:

[6] प्रत्येक वह पशु जिसका मांस खाना हराम है, उसका मल एवं मूत्र।	[7] सभी प्रकार के दरिंदे नापाक हैं।	[8] इसी प्रकार से सभी मुर्दे नापाक हैं, सिवाय: इंसानी मुर्दे के, तथा जिसके अंदर बहने वाला नफ़्स न हो [अर्थात जिसके अंदर रक्त न हो] इसके अतिरिक्त मछली एवं टिड्डी, क्योंकि ये दोनों पाक हैं।

अल्लाह तआला फ़रमता है: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ﴾ (हराम किये गये हैं तुम पर मुर्दार एवं रक्त)। आयत के अंत तक।

- हर प्रकार की गंदगियों की अल्प मात्रा माफ है।
- गंदगियों की थोड़ी सी मात्रा को उससे बचना कठिन होने के कारण माफ़ किया गया है तथा इसका एक उदाहरण यह है कि: जिसे सलिसुल बौल अर्थात मूत्र अनियंत्रण (Incontinence urine) का रोग हो उसके लिए मूत्र की अल्प मात्रा माफ है।
- वुज़ू के बाद अथवा नमाज़ की स्थिति में यदि किसी को पेशाब इत्यादि निकलने का भ्रम हो तो उसके लिए यह जानना अनिवार्य है कि यह केवल भ्रम एवं संशय भी हो सकता है जिसकी कोई वास्तविकता न हो, अतः इसके बारे में अधिक न सोचे और इसे अपने मन से निकाल दे, तथा इससे बचने हेतु अल्लाह की शरण माँगे, ताकि अल्लाह उसके मन से इस प्रकार के भ्रम को दूर कर दे।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “**मोमिन नापाक नहीं होता है, न तो जीवित और न ही मृत**”।
और फ़रमाया: “**हमारे लिये दो मुर्दार एवं दो प्रकार के रक्त हलाल किये गये हैं, जहाँ तक दो मुर्दार की बात है: तो वह मछली एवं टिड्डी हैं, जबकि दो प्रकार के रक्त: जिगर (कलेजी) एवं तिल्ली हैं**”।
और जहाँ तक बात है:

[1] जिसका मांस खाया जाता है उस जानवर के गोबर एवं पेशाब की: तो ये पाक हैं।

[2] मनुष्य का वीर्य पाक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसके गीला होने की स्थिति में धोते थे तथा सूखा होने पर इसे खुरच देते थे।

छोटा बच्चा जो भूख मिटाने के लिए न खाता हो, उसके पेशाब के लिए: केवल पानी का छींटा मारना पर्याप्त है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है: “**लड़की के पेशाब को धोया जायेगा तथा लड़के के पेशाब पर छींटा मारा जायेगा**”। इसे अबू दावूद एवं नसई ने रिवायत किया है।
जब किसी (नापाक) वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाये तो वह पाक माना जायेगा, तथा रंग अथवा गंध के मौजूद रहने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उस फ़रमान के कारण जो उन्होंने माहवारी के रक्त के बारे में ख़ौलह (रज़ियल्लाहु अन्हा) से कहा था: “**पानी से धो लेना तेरे लिए काफी है, तथा उसके प्रभाव का बाकी रहना तुझे कोई हानि नहीं पहुँचायेगा**”।

वुज़ू के ढ़ंग का अध्याय

वुज़ू की शर्तें दस हैं:

[1] मुसलमान होना।

[2] बुद्धि का होना।

[3] अच्छे बुरे में अंतर करने की क्षमता का होना।

[4] निय्यत करना।

[5] वुज़ू के आरंभ से लेकर अंत तक वुज़ू की निय्यत का बाकी रहना।

[6] ऊँट का मांस खाते हुए अथवा पेशाब करते हुए वुज़ू न करना, अपितु अनिवार्य रूप से वुज़ू करने के पूर्व वुज़ू भंजक चीज़ों से फ़ारिग़ हो जाना।

[7] वुज़ू करने के पूर्व पानी अथवा मिट्टी इत्यादि का प्रयोग कर लेना, किंतु यदि पाद निकलने, निद्रा से जाग्रत होने अथवा ऊँट का मांस खाने के कारण वुज़ू कर रहा हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है।

[8] वुज़ू का पानी पाक व जायज़ होना।

[9] वुज़ू किये जाने वाले स्थानों से उस वस्तु को दूर करना जो पानी को चमड़ा तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करते हों।

[10] जो बार-बार अपवित्र हो जाने के रोग से पीड़ित हो उसके लिए नमाज़ का समय होना।

वुज़ू के फ़राएज़ छह हैं (चार तो वही जो वुज़ू वाली आयत में वर्णित हैं, इसके साथ क्रम एवं निरंतरता)

[1] मुख को धोना, तथा इसी में शामिल है: कुल्ली करना एवं नाक में पानी डालना।

[2] दोनों हाथ कोहनियों सहित धोना।

[3] पूरे सिर का मस्ह करना, तथा इसी में शामिल है: दोनों कान।

[4] दोनों पाँवों को टख़नों सहित धोना।

[5] तरतीब अर्थात क्रमवार ढ़ंग से करना।

[6] मुवालात अर्थात निरंतरता का अर्थ यह है कि: वुज़ू करने वाला व्यक्ति किसी अंग को धोने में इतना विलंब न करे कि उससे पहले वाला अंग सूख जाये।

तथा यह [अर्थात वुज़ू] **इस प्रकार से करे:**

[1] अपवित्रता दूर करने की, अथवा नमाज़ के लिए वुज़ू की या इसी जैसी किसी चीज़ की निय्यत करे, तथा निय्यत (इरादा): सभी अमल (कर्म) के लिए शर्त है, चाहे वह पवित्रता हो अथवा कुछ और, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “**अमल (कर्म) का आधार निय्यतों पर है, तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए वही है जो उसने निय्यत की**”। बुख़ारी व मुस्लिम।

[2] फिर «بِاسْمِ اللهِ» (बिस्मिल्लाह) कहे।

[3] और अपनी हथेली को तीन बार धोए।

[4] तत्पश्चात तीन चुल्लू से तीन बार कुल्ली करे एवं नाक में पानी डाले।

[5] फिर तीन बार अपने मुख को धोए।

[6] और दोनों हाथों को कोहनियों तक धोए।

[7] तत्पश्चात अपने दोनों हाथों से एक बार अपने सिर के आरंभिक भाग का मस्ह करते हुए गुद्दी तक ले जाए, फिर उसी स्थान पर वापस ले आए जहाँ से आरंभ किया था।

[8] इसके बाद अपनी तर्जनी ऊँगलियों को दोनों कानों के छेद में घुसाए एवं अंगूठा से कान के बाहरी भाग का मस्ह करे।

[9] इसके बाद अपने दोनों पाँवों को टख़नों सहित धोए।

यह पूर्ण वुज़ू है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अंजाम दिया है, किंतु इस संबंध में फ़र्ज यह है:

[1] वुज़ू के अंगों को कम से कम एक बार धोना।

[2] उसको उसी क्रमवार ढ़ंग से करना जिस प्रकार से अल्लाह ने अपने इस फ़रमान में उल्लेख किया है: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ (हे ईमान वालो! जब नमाज़ के लिए खड़े हो तो (पहले) अपने मुँह तथा हाथों को कोहनियों तक धो लो, और अपने सिरों का मस्ह कर लो तथा अपने पाँवों टख़्नों तक (धो लो))।

[3] दो अंगों को धोने के मध्य इतना अंतर न रखे जो सामान्य आदत के विपरीत हो अर्थात दोनों अंगों को धोने में अधिक विलंब न करे।

[मोज़ों एवं पट्टियों पर मस्ह करने] का पाठ

यदि किसी व्यक्ति ने मोज़ा अथवा उस जैसी कोई चीज़ पहन रखी हो, तो उन पर मस्ह करना जायज़ है, यदि उनकी इच्छा हो तो इसकी मुद्दत (समय सीमा):

[1] रहवासी (मुक़ीम) के लिए एक दिन और एक रात।

[2] यात्री के लिए तीन दिन एवं तीन रात।

निम्नांकित शर्तों के साथ:

[1] उन मोज़ों को तहारत की हालत में पहना हो।

[2] केवल हदस -ए- अस़ग़र (लघु अपवित्रता) की स्थिति में ही उन पर मस्ह किया जायेगा।

[3] दोनों मोज़े पाक (पवित्र) हों।

[4] मोज़े पाँव के अधिकांश भाग को ढाँपे हुए हों।

[5] मस्ह करने की जो निर्धारित समय सीमा है उसी के अंदर मस्ह किया जायेगा (रहवासी के लिए 24 घंटा तथा यात्री के लिए 72 घंटा)।

अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि: “**जब तुम में से कोई वुज़ू करे तथा वह मोज़ा पहने हुए हो तो उसे चाहिए कि उस पर मस्ह करे तथा मोज़ों में ही नमाज़ पढ़े, और उन्हें न उतारे, सिवाय इसके कि जुनुबी (अपवित्र) हो जाये**”। इस ह़दीस़ को ह़ाकिम ने रिवायत किया है तथा इसे स़ह़ीह़ कहा है।

यदि उसके वुज़ू वाले अंगों पर प्लास्टर हो, अथवा घाव पर मलहम हो, जिसे धोने से हानि होने का अंदेशा हो तो ह़दस़ -ए- अकबर एवं ह़दस़ -ए- अस़ग़र (महा अपवित्रता एवं लघु अपवित्रता) दोनों ही स्थितियों में उस समय तक उस पर मस्ह करेगा जब तक वह ठीक न हो जाये।

इस पर मस्ह करने (हाथ फेरने) का तरीका निम्नलिखित है:

[1] मोज़ों पर: इसके अधिकांश भागों पर किया जायेगा।

[1] पट्टियों पर: इसके समस्त भागों पर किया जायेगा।

	मोज़े:	**पट्टी:**	**इमामा/दुपट्टा**
पहनने का स्थान:	दोनों पाँव।	समस्त शरीर।	सिर।
मस्ह करने की मुद्दत:	रहवासी के लिए 24 घंटे यात्री के लिए 72 घंटे।	जब तक ठीक न हो जाये।	कोई समय सीमा नहीं है।
मस्ह करने का ढ़ंग:	ऊपरी भाग पर मस्ह करेगा।	पूरे भाग पर मस्ह करेगा।	सिर पर मस्ह करेगा।
कब मस्ह करेगा:	ह़दस़ -ए- अस़ग़र से।	ह़दस़ -ए- अकबर एवं ह़दस़ -ए- अस़ग़र से।	ह़दस़ -ए- अस़ग़र से।

वुज़ू भंजक चीज़ों का अध्याय

नवाक़िज़ -ए- वुज़ू अर्थात वुज़ू भंजक या वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें निम्नांकित हैं:

[1] मल-मूत्र त्याग वाले स्थान से किसी भी चीज़ का निकलना।	[2] अत्यधिक रक्त या इस जैसी किसी चीज़ का निकलना।	[3] नींद इत्यादि के कारण बुद्धि का समाप्त हो जाना।	[4] ऊँट का मांस खाना।
[5] कामवासना से वशीभूत हो कर महिला को छूना।	[6] गुप्तांगों को छूना।	[7] मृतक को स्नान कराना।	[8] रिद्दत अर्थात इस्लाम धर्म त्याग देना: यह समस्त कर्मों को चौपट कर देता है।

टिप्पणी: सही बात यह है कि अत्यधिक रक्त का निकलना, महिला को छूना, गुप्तांग छूना एवं मृतक को स्नान कराना = वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में से नहीं हैं।

क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ (अथवा तुम में से कोई शौच से आये या तुमने स्त्रियों को स्पर्श किया हो)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया गया: क्या हम ऊँट के मांस से वुज़ू करें? तो आपने फ़रमाया: "**हाँ**"। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

तथा मोज़ा के संबंध में फ़रमाया: "**किंतु मल, मूत्र एवं नींद से**"। इसे नसई एवं तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है तथा तिर्मिज़ी ने इसे स़ह़ीह़ कहा है।

जिन चीज़ों से स्नान अनिवार्य होता है तथा स्नान के ढ़ंग का अध्याय

निम्नांकित चीज़ों के कारण स्नान अनिवार्य होता है:

[1] जनाबत के कारण, तथा इसका अर्थ है:		[2] माहवारी एवं प्रस्वोत्तर रक्तस्राव होना।	[3] शहादत के अलावा स्थिति में मरना।	[4] काफ़िर व्यक्ति का इस्लाम स्वीकार करना।
[क] संभोग इत्यादि के कारण वीर्य स्खलन होना।	[ख] दो गुप्तांगों का मिल जाना।			

अल्लाह का कथन है: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟﴾ (यदि तुम जनाबत (अपवित्रता) की स्थिति में हो तो स्नान कर लो)। और एक स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ﴾ (तथा जब तक वह पवित्र न हो जायें उनके निकट न जाओ, हाँ जब वह पाक हो जायें तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें अनुमति दी है)। अर्थात पाक होने के बाद जब वो स्नान कर लें।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मृतक को स्नान कराने वाले को स्नान करने का आदेश दिया है। तथा जो व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार करता आप उसे स्नान करने का आदेश देते।

जनाबत से (वीर्यस्खलन पश्चात) स्नान करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ढ़ंग निम्नांकित है:

[1] सर्वप्रथम आप अपना गुप्तांग धोते।	[2] फिर पूर्णरूपेण वुज़ू करते।	[3] इसके बाद अपने सिर पर तीन चुल्लू पानी डालते तथा उसे बाल की जड़ तक पहुँचाते।	[4] उसके बाद अपने समस्त शरीर पर पानी बहाते।	[5] फिर वहाँ से हट कर अपने पाँव धोते।

स्नान में निम्नलिखित चीज़ें फ़र्ज़ (अनिवार्य) हैं:

[1] समस्त शरीर को धोना।	[1] हल्के एवं घने बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाना।

वल्लाहु आलम (अल्लाह सर्वाधिक जानने वाला है)।

तयम्मुम का अध्याय

यह तहारत (पवित्रता) का दूसरा प्रकार है:
यह पानी का बदला है अर्थात इसके स्थान पर उस समय उपयोग में लाया जाता है, जब सम्पूर्ण शरीर अथवा तहारत वाले कुछ अंगों पर पानी का प्रयोग करना कठिन हो, निम्नांकित कारणों से:

[1] पानी की अनुपस्थिति में।	[2] अथवा इसका प्रयोग करने पर हानि पहुँचने का भय हो।

तो ऐसा स्थिति में पानी के स्थान पर मिट्टी का प्रयोग सही होगा, इस प्रकार से कि:

[1] अशुद्धता दूर करने की निय्यत (इरादा) करे।	[2] इसके बाद «بِاسْـــــــــمِ الله» (बिस्मिल्लाह) कहे।	[3] फिर अपने हाथ को एक बार ज़मीन पर मारे।	[4] तथा दोनों हाथों से अपने पूरे मुख एवं हथेली का मसह करे (हाथ फेर)।

यदि अपने हाथों को दो बार धरती पर मारे तो भी आपत्ति की कोई बात नहीं है।

टिप्पणी: सही बात यह है कि जान बूझ कर दो बार धरती पर हाथ मारना जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सहीह सनद से प्रमाणित नहीं है, तथा मूल बात यह है कि इबादत (पूजा) को किसी कमी-बेशी के बिना उसी प्रकार से अंजाम दिया जाये जिस प्रकार से वह प्रमाणित है। वल्लाहु आलम (सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह सर्वाधिक जानने वाला है)।

अल्लाह तआला फ़रमाता है: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (तुम्हें पानी न मिले तो पवित्र मिट्टी से तयम्मुम कर लो, उसे अपने चेहरों पर तथा हाथों पर मल लो, अल्लाह तुम पर किसी प्रकार की तंगी नहीं डालना चाहता, बल्कि उसका इरादा तुम्हें पवित्र करने एवं तुम्हें अपनी भरपूर नेअमत (अनुग्रह) देने का है, ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो)।

जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**मुझे पाँच चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझ से पहले किसी नबी को नहीं दी गई: एक महीना की दूरी पर रोब के द्वारा मेरी सहायता की गई है, मेरे लिए समस्त धरती मस्जिद एवं पवित्र करने वाली बनाई गई है, अतः कोई व्यक्ति जहाँ भी नमाज़ का समय पा ले, नमाज़ पढ़ ले, तथा मुझे महा सिफ़ारिश प्रदान की गई है, (मुझ से पहले) नबी विशेषतः अपने समुदाय के लिए भेजे जाते थे जबकि मैं समस्त लोगों की ओर (नबी व रसूल बना कर) भेजा गया हूँ।**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

जो ह़दस़ -ए- अस़ग़र (लघु अपवित्रता) की स्थिति में हो, उसके लिए ह़लाल नहीं है, कि वह:

[1] नमाज़ पढ़े। [2] काबा का त़वाफ़ करे। [3] तथा क़ुरआन छूए।

जो ह़दस़ -ए- अकबर (महा अपवित्रता) की स्थिति में हो, उसके लिए उपरोक्त चीज़ों के साथ-साथ निम्नांकित चीज़ें भी ह़लाल नहीं हैं:

[1] क़ुरआन के किसी भी अंश का पाठ करना। [2] बिना वुज़ू के मस्जिद में ठहरना।

माहवारी एवं प्रस्वोत्तर रक्तस्राव वाली महिला के लिए उपरोक्त चीज़ों के साथ-साथ निम्नलिखित चीज़ों की भी वृद्धि की जायेगी।

[1] वो रोज़ा न रखें। [2] उनसे संभोग न किया जाये। [3] और न उसे त़लाक़ दिया जाये।

किंतु उसके लिए क़ुरआन पढ़ना जायज़ है। यदि ह़ज्ज तथा उमरह कर लेने के पश्चात एवं अपने देश के लिए प्रस्थान करने के पूर्व माहवारी आ जाये और यह माहवारी यात्रा के दिन तक बाकी रहे तो उनसे त़वाफ़ -ए- वदाअ (विदाई परिक्रमा) माफ़ हो जायेगा, अतः वह त़वाफ़ -ए- वदाअ किये बिना ही अपने देश प्रस्थान कर जायेंगी, क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ह़दीस़ है कि: "**लोगों को इस बात का आदेश दिया गया था कि उनका अंतिम काम काबा का त़वाफ़ हो, परंतु माहवारी वाली महिला को इससे छूट दी गई है**"।

हैज़ (माहवारी) का अध्याय

वह रक्त जो महिलाओं को निकलता है, उसके विषय में असल व मूल बात यही है कि वह माहवारी है। जिसकी कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है: न तो वर्ष की, न मात्रा की एवं न ही पुनरावृत्ति की।

किंतु यदि महिला को निरंतर रक्त निकलता रहे, अथवा थोड़े समय के लिए रुके, तो ऐसी स्थिति में वह मुस्तहाज़ा (Menorrhagia, अत्यार्तव वाली महिला) मानी जायेगी, तथा ऐसी महिलाओं को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आदेश दिया है कि वह अपनी आदत के दिनों को माहवारी में गिनें (और बाकी दिनों को इस्तिहाज़ा), यदि पिछली आदत न हो तो रंगों के मध्य अंतर करे, यदि रंगों के मध्य अंतर करना भी संभव न हो तो सामान्य महिलों के दिनों का अनुसरण करे: छह दिन अथवा सात दिन।

माहवारी	निफ़ास	इस्तिहाज़ा (Menorrhagia, अत्यार्तव)		
इसकी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है: न तो वर्ष की, न मात्रा की एवं न ही तकरार अर्थात पुनरावृत्ति की।	निफ़ास से अभिप्राय वह रक्त है जो महिलाओं को: प्रसव के समय अथवा उसके पूर्व या पश्चात निकलता है। इसका हुक्म: माहवरी के ही समान है।	यह वह रक्त है जो महिलाओं को निरंतर निकलता रहता है, अथवा अल्प समय के लिए उससे रुकता है, तथा मुस्तहाज़ा की तीन स्थितियां होती हैं:		
		जिसकी आदत हो: जिसे अपनी आदत पता हो, तो वह उन दिनों में न नमाज़ पढ़ेगी एवं न ही रोज़ा रखेगी।	**जो अंतर कर सकती हो:** जिसे अपनी आदत तो पता न हो, परंतु रंग, गंध, घनत्व एवं जमने के आधार पर माहवारी एवं अन्य रक्त में अंतर कर सकती हो।	**जो हैरान हो:** जिसे न तो अपनी आदत पता हो, तथा न ही वह अंतर करने में सक्षम हो, तो ऐसी महिला अपने परिवार की महिलाओं के हिसाब से हिज्री मास के आरंभ एवं अंत में नमाज़ एवं रोज़ा नहीं अदा करेगी।

- निफ़ास की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, न तो न्यूनतम की एवं न ही अधिकतम की, अतः यदि कोई महिला चालीस दिन के बाद भी वह रक्त देखेगी तो उसे निफ़ास ही माना जायेगा। (इफ़्ता की स्थायी कमीटि के निकट निफ़ास की अधिकतम मुद्दत चालीस दिन है तथा यही ह़ंबली मत वालों के निट मान्य मत है)।
- माहवारी वाली महिला यदि नमाज़ के समय पवित्र हो जाती है तो उसके ऊपर वाजिब है कि वह अति शीघ्र स्नान करे ताकि नमाज़ को समय पर अदा कर सके, इसी प्रकार से यदि किसी महिला को सूर्यास्त होने बाद एक रक्अत पढ़ने की मात्रा के बराबर समय गुज़र जाने के पाश्चात माहवारी आती है, तो उसके ऊपर वाजिब है कि पवित्र होने का बाद मग़रिब की नमाज़ की क़ज़ा (भरपाई) करे, क्योंकि उसने माहवारी आने के पूर्व उसकी एक रक्अत पढ़ने के समान समय पा लिया था।

तहारत (पवित्रता) के अध्याय से प्रश्न

गलत	सही	प्रश्नः
☐	☐	❁ तहारत (पवित्रता) के दो प्रकार हैं: हदस एवं ख़बस से पवित्रता अपनाना।
☐	☐	❁ अपवित्र बरतन का प्रयोग किसी भी रूप में हराम (वर्जित) है।
☐	☐	❁ सोने के बर्तनों का उपयोग किसी भी रूप में हराम है।
☐	☐	❁ सोने चाँदी के बर्तनों में खाना-पीना केवल पुरुषों के लिए हराम है, महिलाओं के लिए नहीं।
☐	☐	❁ आवश्यकतानुसार बर्तनों को थोड़े से सोना का प्रयोग करते हुए जोड़ना जायज़ है।
☐	☐	❁ बिना किसी शर्त के काफ़िरों के बर्तन का प्रयोग करना जायज़ है।
☐	☐	❁ सोने एवं चाँदी के बर्तनों का प्रयोग करते हुए पवित्रता प्राप्त करना सही है।
☐	☐	❁ नजासत (दृश्य अपवित्रता) का हुक्म दूसरों तक भी पहुँचता है यद्यपि उसका प्रभाव दूसरों तक नहीं पहुँचता है।
☐	☐	❁ जीवित जानवर में से जो काटा जाये वह ऐसे ही है जैसे उसके मृत से काटा गया हो।
☐	☐	❁ हर वह पशु जिसका मांस नहीं खाया जाता है वह अपवित्र है।
☐	☐	❁ यदि तहारत से संबंधित किसी मामला में मुवालात (निरंतरता) छूट जाये तो वुज़ू बातिल (बेकार) है, तथा यदि वुज़ू से संबंधित किसी मामले में मुवालात छूट जाये तो वुज़ू सही है।
☐	☐	❁ पट्टी के नीचे का घाव ठीक हो जाने की स्थिति में पट्टी की तहारत समाप्त हो जायेगी।
☐	☐	❁ घाव यदि ढका हुआ हो तथा वह ऐसे स्थान पर हो जिसका ढांकना जायज़ हो तो उस पर मस्ह ही किया जायेगा, तथा यदि उस पर मस्ह करना हानिकारक हो तो ढके होने की स्थिति में ही उस पर मस्ह किया जायेगा, जिस प्रकार से खुले होने की स्थिति में उस पर तयम्मुम किया जाता है।
☐	☐	❁ प्रत्येक वह चीज़ जिसके निकालने में अमामा (पगड़ी) के समान कठिनाई होती हो तो उसका हुक्म भी अमामा ही के समान होगा।
☐	☐	❁ हर वह चीज़ जिससे स्नान अनिवार्य होता है उससे वुज़ू भी अनिवार्य होता है।
☐	☐	❁ निय्यत करते समय चुपके से निय्यत करना सही है न कि ज़ोर से।
☐	☐	❁ शरीर को तीन-तीन बार धोना सुन्नत है।
☐	☐	❁ समय समाप्त हो जाने के बाद तयम्मुम समाप्त हो जाता है।
☐	☐	❁ घाव पर तयम्मुम करने के लिए न तो पानी की अनुपलब्धता शर्त है और न ही तरतीब और न मुवालात।
☐	☐	❁ तयम्मुम अनिवार्य पवित्रता के लिए वैध है न कि मुस्तहब (निवार्य) पवित्रता के लिए।
☐	☐	❁ मनुष्यों का सारा मल-मूत्र अशुद्ध होता है।

☐ ☐ ❁ माहवारी का मसला फ़िक़्ह के सबसे कठिन मसलों में से है।

☐ ☐ ❁ गर्भावस्था में माहवारी नहीं आती है।

☐ ☐ ❁ महिलाओं के संबंध में असल व मूल बात माहवारी का होना है न कि पवित्रता का।

☐ ☐ ❁ इबादत समाप्त कर लेने के पश्चात उसकी निय्यत समाप्त कर लेना उसको प्रभावित नहीं करता है, इसी प्रकार से इबादत से फ़ारिग हो जाने के बाद संदेह प्रभाव नहीं डालता है सिवाय इसके कि विश्वास हो जाये।

☐ ☐ ❁ प्रत्येक वह चीज़ जिसके करने का कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में पाया गया तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नहीं किया तो वह सुन्नत नहीं हो सकती।

☐ ☐ ❁ सुन्नत का अनुसरण करना अधिक कर्म करने से उत्तम है।

☐ ☐ ❁ अरबी भाषा का शब्द यद् (हाथ) जब बोला जाये तो उससे अभिप्राय हथेली होती है।

☐ ☐ ❁ यदि लघु अपवित्रता के कारण तयम्मुम किया गया है तो वुज़ू भंजक चीज़ों के कारण वुज़ू टूट जायेगा, तथा यदि महा अपवित्रता के कारण तयम्मुम किया गया है तो स्नान को अनिवार्य करने वाली चीज़ों के द्वारा तयम्मुम समाप्त हो जायेगा।

☐ ☐ ❁ हर प्रकार की गंदगी में उसकी अल्प मात्रा माफ है।

☐ ☐ ❁ माहवारी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का निर्धारण करना सही नहीं है, अतः महिला जब भी वह रक्त देखेगी जो गंदगी हो तो उसे माहवारी माना जायेगा।

☐ ☐ ❁ गर्भवती महिला यदि निरंतर उस प्रकार का रक्त देखे जो उसे आदत के दिनों में आता है तो वह माहवारी है, परंतु इद्दत के दिनों में उसको महत्व नहीं दिया जायेगा

☐ ☐ ❁ अल्लाह तआला यदि निय्यत किये बिना कर्म करना हमारे लिए अनिवार्य कर देता तो यह हमारे बस के बाहर होता।

☐ ☐ ❁ सिर की तहारत में कुछ छूट दी गई है।

☐ ☐ ❁ मल-मूत्र त्याग के स्थान से निकलने वाली वस्तु वुज़ू भंजक नहीं है, चाहे कम हो या ज़्यादा, सिवाय मल-मूत्र के।

❁ मासिक धर्म वाली महिला के लिये ह़राम है: ☐ रोज़ा रखना ☐ नमाज़ पढ़ना ☐ दोनों ❁ माहावारी वाली महिला के पति पर ह़राम है: ☐ उसे त़लाक़ देना ☐ उससे संभोग करना ☐ दोनों ❁ त़हारत विभाजित होता है: ☐ दो प्रकार में ☐ तीन प्रकार में ❁ त़हारत का अध्याय अर्थात: ☐ दृश्य पवित्रता ☐ अदृश्य पवित्रता ❁ पानी विभजाति होता है: ☐ दो प्रकार में ☐ तीन प्रकार में ❁ पानी अशुद्ध होता है: ☐गंदगी मिल जाने के कारण ☐ किसी भी कारण से उसके अंदर परिवर्तन आने पर ❁ जब शुद्ध एवं अशुद्ध के मध्य भ्रम हो जाये तो: ☐ दोनों से बचे ☐ खोजबीन करे ☐ दोनों को मिला दे ❁ तीन विषम पत्थरों से इस्तिज्मार करना: ☐ मुस्तहब है ☐ वाजिब है

❖ सूरज ढ़लने के बाद रोज़ेदार का दतवन करना: □ मकरूह है □ जायज़ है
❖ मस्ह़ की समय सीमा आरंभ होगी: □ पहनने के बाद अपवित्र हो जाने के पश्चात □ मस्ह़ करने के बाद से ❖ अमामा (पगड़ी) पर मस्ह़ कर लेने के बाद यदि पेशानी दिख जाए तो, पेशानी पर मस्ह़ करना □ वाजिब है □ सुन्नत है
❖ जब मस्ह़ की मुद्दत मुकम्मल हो जाये तो: □ फिर से पाकी हासिल करे □ उसका वुज़ू बात़िल हो जायेगा □ उस पर मस्ह़ करना बात़िल हो जायेगा
❖ घाव यदि खुला हुआ हो तो उसे पानी से धोना वाजिब है, यदि पानी से धोना कठिन हो तो मस्ह़ करे, तथा यदि मस्ह़ करना भी दुष्कर हो तो तयम्मुम करे, तथा ऐसा करने में उसे: □ चयन करने का अधिकार है □ क्रमवार करना अनिवार्य है
❖ जिसे पवित्रता का विश्वास हो तथा अपवित्रता में संदेह हो जाये अथवा इसके विपरीत, तो: □ विश्वास को आधार बनायेगा □ उत्तम यह है कि वुज़ू कर ले।
❖ नींद: □ सामान्य रूप से वुज़ू भंजक है □ सामान्य रूप से वुज़ू भंजक नहीं है □ इसमें अपवित्रता हो जाने का भय रहता है
❖ महिला को छूना: □ वुज़ू को तोड़ने वाला है □ वुज़ू को तोड़ने वाला नहीं है
❖ तयम्मुम: □ अपवित्रता को दूर करता है □ जिसे पानी की आवश्यकता हो उसके लिए वैध है
❖ सुवर की अपवित्रता: □ हल्की है □ □ संगीन है □ माध्यमिक है
❖ मनुष्य का रक्त: □ पवित्र है □ अपवित्र है □ अल्प मात्रा माफ है □ जो मल-मूत्र त्याग वाले स्थान से न निकले वह पवित्र है
❖ माहवारी में अंतर करने के प्रतीक हैं: □ एक □ दो □ तीन
❖ निफ़ास की अधिकतम सीमा है: □ 40 दिन □ 60 दिन
❖ निफास की स्थिति में त़लाक़ देना: □ बिद्अत है □ सुन्नत है

❖ **इब्ने सअदी रहि़महुल्लाह की कुछ पुस्तकों का उल्लेख करें:**

....

....

....

....

❖ **दाहिनी तालिका में से जो बाईं तालिका के उप्युक्त हो उसका मिलान करें:**

ह़दस़ -ए- अस़ग़र	निद्रा की स्थिति में वीर्यपात का होना, कहलाता है
माहवारी का रक्त	हर वह चीज़ जो स्नान को अनिवार्य करे, उसे कहा जाता है
निफ़ास का रक्त	हर वह चीज़ जो वुज़ू को अनिवार्य करे, उसे कहा जाता है
ह़दस़ अकबर	प्रसव के समय महिलाओं को निकलने वाला रक्त, कहलाता है
स्वप्नदोष	व्यस्क होने का पश्चात महिलाओं को निकलने वाला रक्त कहलाता है

किताबुस्सलात (नमाज़ के मसले)

नमाज़ कहते हैं: (ऐसी इबादत व उपासना को जो कथनों एवं कर्मों पर आधारित है, जिसका आरंभ तकबीर (अल्लाहु अकबर कहने) से एवं अंत सलाम फेरने पर होता है)

तथा इसके दो प्रकार हैं:

[1] फ़र्ज़: यह समस्त मुसलमान, व्यस्क, बुद्धि रखने वाले पर वाजिब है, माहवारी एवं प्रस्वोत्तर रक्तस्राव वाली महिला को छोड़ कर।

सात वर्ष की आयु वाले बच्चे को इसका आदेश दिया जायेगा तथा दस वर्ष के बच्चों को इसे छोड़ने पर मारा जायेगा।

यह दिन-रात में पाँच वक़्त फ़र्ज़ है।

[1] **फज्र:** दो रक्अत।	[2] **ज़ुहृ:** चार रक्अत।	[3] **अस्र:** चार रक्अत।	[4] **मग़्रिब:** तीन रक्अत।	[5] **इशा:** चार रक्अत।

[2] नफ़्ल: यह वाजिब (अनिवार्य) नहीं बल्कि मुस्तहब (वांछनीय) है।

यह बहुद ज़्यादा हैं, तथा इसके दो प्रकार हैं:

[1] अनिर्धारित नफ़्ल: जिसको वर्जित समय छोड़ कर दिन या रात में बंदा जब चाहे पढ़ सकता है।	**[2] निर्धारित नफ़्ल:** ये वो नमाज़ें हैं जिनके लिए कोई निश्चित समय या कारण हो, उन्ही में सुनन - ए- रवातिब हैं।

[नमाज़ की शर्तें]

नमाज़ शर्तें नौ (9) हैं:		
[1] मुसलमान होना।	[2] बुद्धि होना।	[3] भले-बुरे में अंतर करने की क्षमता होना।
[4] हृदस़ (अपवित्रता) दूर करना।	[5] नजासत (गंदगी) दूर करना।	[6] गुप्तांगों को छिपाना।
[7] नमाज़ का समय होना।	[8] क़िब्ला की ओर होना।	[9] निय्यत करना।

❂ पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि तहारत हासिल (पवित्रता प्राप्त) करना नमाज़ की शर्तों में से है।

❂ तथा नमाज़ की शर्तों में से है: समय का होना।

इसकी दलील जिब्रील वाली हदीस़ है जिसमें वर्णित है कि: उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इमामत प्रथम एवं अंतिम दोनों समय में कराई तथा कहा: "**हे मुहम्मद! नमाज़ का समय इन्ही दो समयों के बीच है**"। इसे अहमद, नसई एवं तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

[1] ज़ुहर का समय: सूर्य ढ़ल जाने से लेकर [अर्थात सूरज जब बीच आसमान से पश्चिम की ओर चलना आरंभ कर दे], मानव की छाया उसके कद के समान हो जाने तक है, जब तक कि अस्र का समय न हो जाये।	[2] अस्र का समय: [ज़ुहर का समय समाप्त होने से लेकर], सूर्य के पीला होने तक रहता है।	[3] मग़्रिब की नमाज़ का समय: [सूर्यास्त होने से लेकर], शफ़क़ [क्षितिज की लालिमा] समाप्त होने तक रहता है।	[4] इशा की नमाज़ का समय: [शफ़क़ की लालिमा समाप्त होने से लेकर] आधी रात तक रहता है।	[5] सुबह की नमाज़ का समय: [द्वितीय] फ़ज्र के निकलने से लेकर सूर्योदय होन तक रहता है। इस हदीस़ को मुस्लिम ने रिवायत किया है।

किसी ने नमाज़ की एक रक्अत को समय रहते पा लिया तो मानो उसने नमाज़ को उसके समय में पा लिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: "**जिसने नमाज़ की एक रक्अत पा ली उसने नमाज़ पा ली**"। इस हदीस़ को बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

नमाज़ को विलंब कर के पढ़ना जायज़ नहीं है, तथा न ही किसी विवशता इत्यादि के कारण किसी नमाज़ को विलंबित करके पढ़ना जायज़ है, सिवाय इसके कि दूसरी नमाज़ के साथ मिला कर पढ़ने के लिए विलंब करे तो, यह: यात्रा, वर्षा, रोग अथवा इन जैसे किसी अन्य कारण की वजह से जायज़ है। उत्तम यह है कि नमाज़ को उसके प्रथम समय में अदा किया जाये, सिवाय:

[1] इशा के, यदि ऐसा करने में कठिनाई न हो तो।	[2] भीषण गर्मी के दिनों में ज़ुहर की नमाज़ के।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**जब भीषण गर्मी पड़ रही हो तो नमाज़ को ठंडे समय में पढ़ो, क्योंकि गर्मी की भीषणता जहन्नम की अग्नि की भाप से होती है**"।

जिस किसी की नमाज़ छूट जाये तो उसके ऊपर अतिशीघ्र क्रमवार उस नमाज़ को अदा करना वाजिब है।

यदि क्रम भूल जाये, अथवा वह इससे अनभिज्ञ हो, या उसे दूसरी नमाज़ छूट जाने का भय हो तो = उस छूटी हुई नमाज़ एवं उस समय उपस्थित नमाज़ के मध्य क्रम का ध्यान रखना माफ हो जायेगा।

नमाज़ का समय हो जाने के बाद मशरूअ (धार्मिक प्राधान) है:

[1] अज़ान:

❁ **इसका हुक्म:** यह पाँचों नमाज़ों के लिए गाँव एवं नगर में पुरुषों के ऊपर फ़र्ज़ -ए- किफ़ाया है।

❁ **इसका स्थान:** वक़्त होने के समय, लोगों को सूचना देने एवं उन्हें जमाअत के संग नमाज़ पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु।

❁ **इसका वचन:** (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु अन् ला इलाहा इल्लल्लाहु, अश्हदु अन् ला इलाहा इल्लल्लाहु, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर् रसूलुल्लाहि, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर् रसूलुल्लाहि, ह़य्या अलस़्सलाति, ह़य्या अलस़्सलाति, ह़य्या अललफ़लाहि, ह़य्या अललफ़लाहि, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह)।

मुअज़्ज़िन के सिवा के लिए मुस्तहब रूप से यह करना मशरूअ है:

❁ मुअज़्ज़िन जो कहे उसको दोहराना, मुअज़्ज़िन जिस प्रकार से कहे वह भी वैसे ही कहे, किंतु मुअज़्ज़िन जब "ह़य्या अलस़्सलाति, ह़य्या अललफ़लाहि" कहे, तो उन दोनों के उत्तर में: "ला ह़ौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहि" कहे, तथा अल्लाह से सहायता माँगते हुए जमाअत में उपस्थित होने का दृढ़ निश्चय करे।

❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद भेजे।

❁ **अज़ान के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ पढ़े:** अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहिद् दअ्वतित् ताम्मति, वस़्सलातिल क़ाइमति, आति मुहम्मदन् अल-वसीलता वल फ़ज़ीलता, वब्अस़्हू मक़ामम महमूदा निल्लज़ी वअत्तहू

❁ अज़ान एवं इक़ामत के मध्य जो चाहे दुआ करे।

[2] इक़ामत:

❁ **इसका हुक्म:** सुन्नत है।

❁ **इसका स्थान:** तकबीर -ए- तह़रीमा के द्वारा नमाज़ आरंभ करने के, कुछ देर पूर्व।

❁ **इसका वचन:** (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु अन् ला इलाहा इल्लल्लाहु, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर् रसूलुल्लाहि, ह़य्या अलस़्सलाति, ह़य्या अललफ़लाहि, क़द क़ामतिस़्सलातु, क़द क़ामतिस़्सलात, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह)।

❁ **नमाज़ की शर्तों में से है: सतर (मनुष्य का ढका रहने वाला अंग) को ढ़ाँपना:** जायज़ कपड़े से जो शारीरिक संरचना को प्रदर्शित न करता हो।
तथा सतर अर्थात शर्मगाह के तीन प्रकार हैं:

[1] मुग़ल्लज़ह (संगीन): यह: स्वतंत्र महिला का सतर है, उसके मुख को छोड़ कर, नमाज़ के दौरान उसका समस्त शरीर पर्दा एवं छुपाने की चीज़ है।

[2] मुख़फ़्फ़ह (हल्का): यह: सात वर्ष से दस वर्ष तक के बच्चों का सतर है, जोकि गुप्तांग है।

[3] मुतवस्सितह (माध्यामिक): यह: उनके सिवा लोगों का सतर है, जोकि नाभि से लेकर घुटना तक है।

अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ (हे आदम के पुत्रो! प्रत्येक नमाज़ के समय अपनी शोभा धारण करो)।

❁ उन्ही शर्तों में से एक: क़िब्ला की ओर मुख कर के खड़ा होना है:

अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ﴾ (और आप जहाँ से भी निकलें, अपना मुख मस्जिदे ह़राम की ओर फेर लें)।

परंतु किसी रोग इत्यादि के कारण क़िब्ला की ओर मुख करना असंभव हो तो यह शर्त माफ हो जायेगी, जिस प्रकार से विवशता के कारण अन्य शर्तें माफ हो जाती हैं, अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ (यथा संभव अल्लाह से डरो)। तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी सवारी पर नफ़्ल नमाज़ पढ़ा करते थे, चाहे सवारी का मुँह किधर भी हो जाता। बुख़ारी व मुस्लिम। एक ह़दीस़ के शब्द यों हैं: "**परंतु फ़र्ज़ नमाज़ (सवारी पर) नहीं पढ़ा करते थे**"।

❁ नमाज़ की शर्तों में से एक है: नियत (इरादा) करना [तथा इसका स्थान हृदय है, अतः ज़ुबान से नियत करना बिद्अत है]।

सभी स्थानों पर नमाज़ पढ़ना सही है, सिवाय:

[1] अपवित्र स्थान में।	[2] या अतिक्रमण की हुई ज़मीन में।	[3] या क़ब्रिस्तान में।	[4] या स्नानागार में।	[5] अथवा ऊँट बांधने के स्थान में।

सुनन तिर्मिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन वर्णित है कि: "**समस्त धरती नमाज़ पढ़ने का स्थान है, सिवाय: क़ब्रिस्तान (शमसान घाट) एवं स्नानगृह के**"।

नमाज़ के ढंग का अध्याय

मुस्तह़ब यह है कि नमाज़ के लिए आते समय [शब्द एवं गति में] शांति तथा [दशा व हालत में] गरिमा के साथ आए।

मस्जिद में प्रवेश करते समय यह कहे: "बिस्मिल्लाहि, वस़्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि, अल्लाहुम्मा इग़्फ़िर ली ज़ुनूबी व इफ़्तह़ ली अब्वाबा रह़मतिका"। तथा पहले आगे बढ़ाए:

[1] मस्जिद में प्रवेश करते समय दाहिने पाँव को।	[2] मस्जिद से निकलते समय बाएं पाँव को।

टिप्पणी: मस्जिद में प्रवेश करते एवं निकलते समय वाली दुआ में "अस़्सलातु" का शब्द किसी भी स़ह़ीह़ ह़दीस़ में वर्णित नहीं है।

तथा (निकलते समय) पूर्वोक्त दुआ पढ़े, परंतु यह कहे: "**व इफ़्तह़ ली अब्वाबा फ़ज़्लिका**" जैसाकि अह़मद तथा इब्ने माजह द्वारा वर्णित ह़दीस़ में यह शब्द मौजूद है।
जब नमाज़ के लिए खड़ा हो तो: "अल्लाहु अकबर" कहे, एवं अपने दोनों हाथों को उठाए [ऊँगलियों को मिलाए हुए इस स्थिति में कि हथेली का भीतरी भाग क़िब्ला की ओर हो]:

[1] अपने कंधों के बराबर।	[2] अथवा अपने कानों की लौ (कर्णपाली) के बराबर।

चार स्थानों पर:

[1] तकबीर -ए- तह़रीमा के समय।	[2] रुकूअ के समय।	[3] रुकूअ से सिर उठाते समय।	[4] तथा प्रथम तशह्हुद से खड़े होते

एवं अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखे [अथवा अपनी दाहिनी हथेली के भीतरी भाग से अपने बाएं हाथ के ऊपरी भाग, अथवा कलाई या हाथ को पकड़े] नाभि के ऊपर या नीचे अथवा सीने पर।

टिप्पणी: सुन्नत यही है कि हाथ को सीने पर रखा जाये, तथा इसके सिवा कुछ और (नाभि के ऊपर या नीचे हाथ रखना) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित नहीं है।

अपनी दृष्टि सज्दे करने के स्थान पर रखे, और इधर-उधर न देखे।

तथा: "**सुब्ह़ानका अल्लाहुम्मा व बिह़म्दिका व तबारका इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा ग़ैरुका**" पढ़े, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित कोई भी दुआ -ए- इस्तिफ़्ताह़ (नमाज़ के आरंभ में पढ़ी जाने वाली दुआ) पढ़े [केवल प्रथम रक्अत में] फिर तअव्वुज़ [अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैत़ानिर्रजीम] एवं बसमलह [बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रह़ीम] पढ़े, और इसके बाद सूरह फ़ातिह़ा पढ़े।
तथा इसके साथ [तअव्वुज़ के बिना मुस्तहब तौर पर] चार और तीन रक्अत वाली नमाज़ों की पहली दो रक्अतों में सूरह मिलाए, जोकि निम्नानुसार हों:

[1] फ़ज्र में त़िवाल -ए- मुफ़स़्स़ल से।	[2] मग़रिब में क़िस़ार -ए- मुफ़स़्स़ल से।	[3] बाकी नमाज़ों में औस़ात -ए- मुफ़स़्स़ल से।

मुफ़स़्स़ल का विभाजन निम्न है:

त़िवाल -ए- मुफ़स़्स़ल: सूरह क़ाफ़ से सूरह मुरसलात तक।	**औस़ात -ए- मुफ़स़्स़ल:** सूरह नबा से सूरह लैल तक।	**क़िस़ार -ए- मुफ़स़्स़ल:** सूरह ज़ुह़ा से सूरह नास तक।

नमाज़ में क़िरात (क़ुरआन पाठ) का तरीका:

[1] रात्रि की नमाज़ में जहरी (उच्च ध्वनि से) क़िरात होगी।

[2] तथा दिन वाली नमाज़ में सिर्री (चुपके से मन में) क़िरात होगी, सिवाय, जुमुआ, ईद की नमाज़, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की नमाज़ के, क्योंकि इनमें जहरी क़िरात होगी।

फिर रुकूअ के लिए तकबीर अर्थातः अल्लाहु अकबर कहेः
तथा अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखे [एवं अपनी कोहनियों को मोड़े नहीं]।
तथा अपने सिर को अपनी पीठ के बराबर रखे।
एवं [कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से] कहेः "**सुब्ह़ाना रब्बियल अज़ीम**" एवं [मुस्तहब रूप से] इसकी तकरार व पुनरावृत्ति करे।
और इसके साथ-साथ यदि रुकूअ एवं सज्दा में यह कहेः "**सुब्ह़ानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिह़म्दिका, अल्लाहुम्मा इग़्फ़िर ली**" = तो उत्तम है।
फिर "**समिअल्लाहु लिमन ह़मिदहु**" कहते हुए अपने सिर को उठाए, चाहेः इमाम हो या अकेला नमाज़ पढ़ने वाला।
[जब शांति के साथ खड़ा हो जाये तो] हर व्यक्ति यह कहेः "रब्बना व लका अल्ह़म्दु, ह़म्दन कसीरन तैय्यिबन् मुबारकन फ़ीहि, मिलअस्समाइ, वमिलअलअर्ज़ि, वमिलआ मा शिअता मिन शैइन् बअदु"।
फिर अपने सातों अंगों पर सज्दा करे, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हैः "**मुझे सात हड्डियों पर सज्दा करने का आदेश दिया गया हैः ललाट -तथा आपने अपनी नाक की ओर इशारा किया-, दोनों हथोलियों पर, दोनों घुटनों पर एवं दोनों पाँवों की ऊँगिलियों पर**"। इस ह़दीस़ को बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

बगलों के बीच, पेट एवं रान के मध्य तथा रान एवं पिंडली के दरम्यान दूरी रखे, और अपने बाज़ुओं को ज़मीन से उठा कर रखे।

तथा "**सुब्ह़ाना रब्बियल आला**" कहे [कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से, तथा मुस्तह़ब यह है कि इसकी तकरार व पुनरावृत्ति करे, तथा इसके सिवा जो भी अज़्कार व जाप प्रमाणित हैं उन्हें पढ़े]।
फिर तकबीर कहे और अपने बाएं पाँव पर बैठे तथा दाहिने पाँव को खड़ा रखे, इसी को **इफ़्तिराश** कहते हैं।
और ऐसा नमाज़ की सभी बैठने की स्थितियों में करे, सिवाय अंतिम तशह्हुद के, क्योंकि इसमें **तवर्रुक** करे, अर्थातः धरती पर बैठे और बाएं पाँव को दाहिने पाँव के नीचे से निकाल ले।
तथा यह दुआ पढ़ेः "**रब्बिग़्फ़िर ली, वर्ह़म्नी, वह्दिनी, वर्ज़ुक़्नी, वज्बुर्नी, वआफ़िनी**"।
फिर पहले सज्दा की तरह दूसरा सज्दा करे।
तत्पश्चात -अल्लाहु अकबर कहते हुए- अपने पाँव के अग्र भाग पर भार देते हुए खड़ा हो जाये।
तथा प्रथम रक्अत के समान ही दूसरी रक्अत पूर्ण करे [किंतु इसमें दुआ -ए- इस्तिफ़्ताह़ न पढ़े]।

फिर पहले तशह्हुद के लिए बैठे, और यह पढ़े: "अत्तह़िय्यातु लिल्लाहि, वस़्सलवातु वत़्तैयिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन्नबिय्यु व रह़मतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस़्सालिह़ीना, अश्हदु अन् ला इलाहा इल्लल्लाहु, व अश्हदु अन्ना मुह़म्मदन अब्दुहु व रसूलुहु"।

फिर तकबीर कहे, एवं शेष नमाज़ों को हर रक्अत में सूरह फ़ातिहा पढ़ने के साथ अदा करे।

फिर अंतिम तशह्हुद के लिए बैठे एवं उपरोक्त तशह्हुद (की दुआ) को पढ़े, एवं इस पर निम्नांकित दुआओं की वृद्धि करे:

[1] "अल्लाहुम्मा स़ल्ले अला मुह़म्मद, व अला आले मुह़म्मद, कमा स़ल्लैता अला इब्राहीमा इन्नका ह़मीदुम मजीद, व बारिक अला मुह़म्मद, व अला आले मुह़म्मद, कमा बारक्ता अला इब्राहीमा, इन्नका ह़मीदुम मजीद"।

[2] "अऊज़ुबिल्लाहि मिन अज़ाबि जहन्नमा, व मिन अज़ाबिल क़ब्रि, व मिन फ़ित्नतिल मह़्या वल ममाति, व मिन फ़ित्नतिल मसीह़िद्दज्जालि"।

[3] और जो चाहे अल्लाह से दुआ करे [उत्तम यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित दुआओं के द्वारा दुआ करे]।

फिर "**अस्सलामु अलैकुम व रह़मतुल्लाहि**" कहते हुए अपने दाईं एवं बाईं ओर सलाम फेरे, जिसकी दलील वाइल बिन हुज्र की वह ह़दीस़ है, जिसे अबू दावूद रह़िमहुल्लाह ने रिवायत किया है।

उपरोक्त अफ़आल (कार्यों) में से कथन से संबंधित अरकान (स्तंभ) हैं: तकबीर -ए- तह़रीमा, इमाम के पीछे नमाज़ न पढ़ने वाले व्यक्ति का सूरह फ़ातिहा पढ़ना, अंतिम तशह्हुद एवं सलाम फेरना।

तथा शेष अफ़आल कर्म से संबंधित अरकान हैं, सिवाय: प्रथम तशह्हुद के [एवं उसके लिए बैठने के] क्योंकि यह नमाज़ के वाजिबात (अनिवार्य कार्यों) में से है।

नमाज़ के अरकान (आधार स्तंभ) चौदह हैं:

[1] सक्षम होने की स्थिति में खड़ा होना।

[2] तकबरी -ए- तह़रीमा।

[3] सूरह फ़ातिहा पढ़ना।

[4] रूकूअ करना।

[5] रुकूअ के बाद इत्मीनान के साथ खड़ा होना।

[6] सात अंगों पर सज्दा करना।

[7] सज्दा से सिर उठाना।

[8] दोनों सज्दों के मध्य बैठना।

[9] सभी कार्य इत्मीनान के साथ करना।

[10] समस्त अरकान को क्रमवार अंजाम देना।

[11] अंतिम तशह्हुद।

[12] अंतिम तशह्हुद के लिए बैठना।

[13] नबी पर दुरूद भेजना।

[14] दोनों सलाम फेरना।

नमाज़ के वाजिबात (अनिवार्य कार्य) आठ हैं:

[1] पहला तशह्हुद।

[2] इसके लिए बैठना।

[3] तकबीरे तह़रीमा के सिवा सभी तकबीरें।

[4] रुकूअ में "**सुब्ह़ाना रब्बियल अज़ीम**" कहना।

[5] तथा सज्दा में कम से कम एक बारः "**सुब्ह़ाना रब्बियल आला**" कहना।

[6] दो सज्दों के मध्य कम से कम एक बार "**रब्बिग़्फिर ली**" कहना, जबकि एक से अधिक बार कहना सुन्नत है।

[7] इमाम एवं अकेले नमाज़ पढ़ने वाले का "**समिअल्लाहु लिमन ह़मिदहु**" कहना।

[8] और दोनों का हीः "**रब्बना व लकल्ह़म्दु**" कहना।

ये वाजिबात (अनिवार्य कार्य) सह्व (भूल) एवं अज्ञानता के कारण माफ हो जाते हैं, तथा इसकी भरपाई सज्दा -ए- सह्व के द्वारा हो जाती है।

जब्कि अरकान किसी भी स्थिति में माफ नहीं होते, न तो भूल की वजह से एवं न ही अज्ञानता के कारण तथा न ही जान-बूझ कर छोड़ने से।

इसके सिवा अन्य कथन एवं कर्म सुन्नत हैं, जो नमाज़ को पूर्ण बनाते हैं।

तथा नमाज़ के अरकान में से हैः नमाज़ के सभी अरकान को इत़्मीनान के साथ अंजाम देना।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**जब नमाज़ के लिए खड़े हुआ करो तो पहले पूर्णरूपेण वुज़ू किया करो, फिर क़िब्ला की ओर मुँह कर के तकबीर (-ए- तह़रीमा) कहो, इसके बाद क़ुरआन में से जो तुम्हारे लिए सरल हो वह पढ़ो, फिर रुकूअ करो तथा जब रुकूअ की स्थिति में बराबर हो जाओ तो सिर उठाओ, जब सीधे खड़े हो जाओ तो फिर सज्दा में जाओ, जब सज्दा पूर्ण कर लो तो सिर उठाओ और अच्छी तरह बैठ जाओ, यही कार्य अपनी प्रत्येक रक्अत में करो**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**उसी प्रकार से नमाज़ पढ़ो जिस प्रकार से तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

जब नमाज़ पूरी कर ले तो तीन बार इस्तिग़्फ़ार पढ़े, और यह दुआ कहेः

[1] "**अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु, व मिन्कस्सलामु, तबारक्ता या ज़लजलालि वल इकरामि**"।

[2] "**ला इलाहा इल्लल्लाहु, वह़्दहू ला शरीका लहू, लहुल् मुल्कु, व लहुल ह़म्दु, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला ह़ौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु, व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु, लहुन्निअमतु व लहुल फ़ज़्लु व लहुस् स़नाउल ह़सनु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़्लिस़ीना लहुद्दीना व लौ करिहल काफ़िरूना**"

[3] "**सुब्ह़ानल्लाहि, अल्ह़म्दुलिल्लाहि और अल्लाहु अकबर**" तैंतीस बार पढ़े, और फिर यह कहेः "**ला इलाहा इल्लल्लाहु, वह़्दहू ला शरीका लहू, लहुल् मुल्कु, व लहुल ह़म्दु, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर**" और इस तरह सौ पूर्ण हो गये।

फ़र्ज़ नमाज़ों से संबंधित रवातिब -ए- मुअक्कदा अर्थात सुनन -ए- मुअक्कदा दस हैं, जोकि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ह़दीस़ में वर्णित है, वह कहते हैं कि: **"मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दस रक्अतें याद की हैं:**

[1] **दो रक्अतें ज़ुह्र से पहले तथा दो रक्अतें ज़ुह्र के बाद।**

[2] **दो रक्अतें मग़्रिब के बाद अपने घर में।**

[3] **दो रक्अतें इशा के बाद अपने घर में।**

[4] **तथा दो रक्अतें फ़ज्र से पहले"।** बुख़ारी व मुस्लिम।

रवातिब: को रवातिब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह फ़राएज़ के फौरन बाद मुरत्तब एवं व्यवस्थित होती हैं।

नमाज़	फ़ज्र	ज़ुह्र	मग़्रिब	इशा
रक्अतों की संख्या	2	2 या 4	2	2
नमाज़ से पहले	2	2 या 4	0	0
नमाज़ के बाद	0	2	2	2

सुनन -ए- रवातिब की ह़िक्मत (तत्वदर्शिता):

- बंदों की ओर से फ़र्ज़ नमाज़ों में जो कोताही होती है उसकी भरपाई।
- ईमान में वृद्धि, क्योंकि आज्ञापालन के द्वारा ईमान में वृद्धि होती है जबकि अवज्ञा से इसमें कमी आती है।

सबसे मुअक्कद रातिब: फ़ज्र की सुन्नत है, जो अनेक आधार पर शेष रवातिब से अलग है, जिनमें से कुछ निम्न हैं:

[1] **इसकी फ़ज़ीलत व प्रधानता:** नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: **"फ़ज्र की दो रक्अतें संसार एवं संसार में जो कुछ है, उन सब से उत्तम है।"।**

[2] **हल्का करके पढ़ना:** अरकान में कमी किये बिना, आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं: **"जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़ज्र की अज़ान सुनते तो दो रक्अतें नमाज़ पढ़ते, एवं उन्हें हल्की पढ़ते"।**

[3] **निरंतरता:** इसे न तो रहवास में छोड़ा जायेगा एवं न ही यात्रा में।

[4] **क़िरात:** इसकी विशेष क़िरात है, जोकि सूरह काफ़िरून एवं सूरह इख़्लास़ का पढ़ना है।

[5] **इसके बाद लेट जाना:** जिसने रात्रि में नफ़्ल नमाज़ पढ़ी हो, उसके लिए इसे पढ़ने के बाद घर में दाहिने करवट लेट जाना सुन्नत है।

सज्दा -ए- सह्व, सज्दा -ए- तिलावत एवं सजदा -ए- शुक्र का अध्याय

सज्दा -ए- सह्व मशरूअ (निर्धारित) है उस समय, जबः

[1] नमाज़ में वृद्धि करेः ऐसा चाहे रुकूअ में, या सज्दा, या क़याम या क़ुऊद (खड़े या बैठने की स्थिति) में भूलवश करे।	[2] अथवा उपरोक्त चीज़ों में से किसी में कमी कर देः तो उसे अदा करने के बाद सज्दा -ए- सह्व करे।	[3] या नमाज़ के वाजिबात में से किसी वाजिब को भूलवश छोड़ दे।	[4] अथवा कमी एवं वृद्धि में उसे भ्रम हो जाये।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि, आपः

[1] पहले तशह्हुद में (बैठे बिना) खड़े हो गए थे, तो आपने सज्दा -ए- सह्व किया।	[2] आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़ुह या अस्र की नमाज़ दो रक्अत पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया था, फिर लोगों ने याद दिलाया तो उसे मुकम्मल कर के आपने सज्दा -ए- सह्व किया।	[3] आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़ुह की नमाज़ पाँच रक्अत पढ़ी, तो आप से कहा गयाः क्या नमाज़ में वृद्धि की गई है? आपने पूछाः क्या हुआ? लोगों ने कहाः आपने पाँच रक्अत नमाज़ पढ़ी है, तो आपने सलाम फेर लेने के बाद दो सज्दा किया"। बुख़ारी व मुस्लिम।	[4] और आपने फ़रमायाः "जब तुम में से किसी को नमाज़ में संदेह हो जाये कि उसने कितनी रक्अत नमाज़ पढ़ी हैः तीन पढ़ी है अथवा चार पढ़ी है? तो संदेह को छोड़ कर यक़ीन को आधार बनाए, तथा सलाम फेरने के पूर्व दो सज्दा कर ले, यदि उसने पाँच रक्अत पढ़ी होगी तो यह उसे जोड़ा बना देगा, और यदि उसने मुकम्मल (चार) पढ़ी है तो शैतान के अपमान का कारण होगा"। अहमद व मुस्लिम।

उसे सलाम फेरने से पहले या सलाम फेरने के बाद सज्दा -ए- सह्व करने में चयन का अधिकार प्राप्त है। तथा सुन्नत हैः

[1] सज्दा -ए- तिलावत करनाः नमाज़ के अंदर एवं नमाज़ के बाहर पढ़ने एवं सुनने वाले, दोनों के लिए।	[2] इसी प्रकार से यदि इंसान को कोई नियामत प्राप्त हो अथवा कोई विपदा दूर हो जाये, तो अल्लाह के समक्ष सज्दा -ए- शुक्र अदा करे।

तथा सज्दा -ए- शुक्र का हुक्म सज्दा -ए- तिलावत ही के समान है [अर्थातः सुन्नत है]।

कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के किस्सा में साबित है कि जब उनके पास यह ख़ुशख़बरी आई कि अल्लाह तआला ने उनकी तौबा को स्वीकार कर लिया है तो उन्होंने सज्दा -ए- शुक्र अदा किया।

सज्दा -ए- सह्व के कारण तीन हैं:

[1] **वृद्धि:**	[2] **कमी:**	**संदेह:**			
जैसे कोई व्यक्ति रुकूअ, या सज्दा, या क़याम अथवा क़ुऊद (खड़े होने एवं बैठने की स्थिति) में वृद्धि कर दे।	जैसे कोई नमाज़ के वाजिबात में से किसी वाजिब में कमी कर दे तथा उस (को दोहराने) का स्थान समाप्त हो चुका हो।	**जैसे इस बात में दुविधा हो जाये कि कितनी नमाज़ पढ़ी, तीन पढ़ी है अथवा चार?**			
		इबादत के अंदर संदेह हो जाना: तथा इसका हुक्म:			**इबादत से फ़ारिग़ हो जाने के बाद उत्पन्न होने वाला संदेह:**
		यदि बहुत अधिक संदेह हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।	यदि कम मात्रा में संदेह हो तो जिस पर विश्वास हो उसको आधार बनायेगा।	यदि संदेह एवं विश्वास दोनों बराबर हों तो विश्वास (कम) को आधार बनायेगा।	इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा यहाँ तक कि पूर्ण विश्वास न हो जाये।

नमाज़ के मुफ़्सिदात एवं मकरूहात का अध्याय

नमाज़ फ़ासिद अर्थात व्यर्थ व बेकार हो जाती है:

[1] किसी रुक्न अथवा शर्त को सामर्थ्य रखने के बावजूद जान-बूझ कर, या भूलवश अथवा अज्ञानतावश छोड़ देने से तथा उसकी भरपाई नहीं करने से।	[2] किसी वाजिब को जानबूझ कर छोड़ देने से।	[3] जानबूझ कर बात करने से [यदि इस बात का ज्ञान हो तथा यह याद हो]।	[4] क़हक़हा लगाने से [अर्थात: ज़ोर से हंसने से] बाहर पढ़ने एवं सुनने वाले दोनों के लिए।	[5] बिना किसी आवश्यकता के सामान्य से अधिक निरंतर व्यर्थ हरकत करना, क्योंकि पहले वाले में उस चीज़ को छोड़ना है जिसके बिना इबादत पूर्ण नहीं होती, तथा यहाँ वर्जित कार्य को अंजाम देना है।

तथा मकरूह अर्थात अप्रिय है:

[1] नमाज़ में इधर-उधर देखना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नमाज़ में इधर-उधर देखने के संबंध में प्रश्न किया गया, तो आपने फ़रमाया: "**यह तो उचक लेना है शैतान आदमी की नमाज़ उचक लेता है**"। बुख़ारी।	[2] व्यर्थ कार्य करना भी मकरूह है।

[3] कूल्हे पर हाथ रखना।	[4] एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में घुसाना।	[5] उंगली चटकाना।	[6] नमाज़ में कुत्ते के समान इक़्आ करना [अपने दोनों पाँवों को खड़ा कर के दोनों के बीच बैठना तथा चूतड़ को धरती से लगाए रखना]।	[7] अपने सामने ऐसी चीज़ रखना जो नमाज़ से उसका ध्यान भटकाए [जैसे महिला एवं टेलीविज़न]।

[8] अथवा वह नमाज़ तो आरंभ करे परंतु उसका हृदय कहीं और व्यस्त हो:		[9] नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों को सज्दे के दौरान अपने बाज़ू को बिछा कर रखने से मना किया है।
मल-मूत्र को रोकने में।	या ऐसा भोजन उपस्थित होते हुए जिसको खाने की इच्छा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए जब खाना सामने हो अथवा मल-मूत्र त्याग की इच्छा हो**"।	

नमाज़ में हरकत पर पाँचों अह़काम लागू होते हैं:

[3] **ह़राम:** जो अत्यधिक हो, जैसे बिना किसी आवश्यकता के निरंतर कोई बेकार कार्य करना, जैसे खाना खाना।	[3] **मकरूह:** जो कम हो, जैसे बिना किसी आवश्यकता के थोड़ी हरकत करना।	[3] **मुबाह़:** यह आवश्यकता के तहत हरकत करना है, जैसे ढाढ़ी खुजाना।	[3] **मुस्तहब:** यह वह हरकत है जो नमाज़ पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो, जैसे हरकत करते हुए स़फ्फ मुकम्मल करना।	[3] **वाजिब:** यह वह है जिस के बिना नमाज़ सही नहीं होती हो, जैसे गंदगी को दूर करना।

शर्त	रुक्न (स्तंभ)	वाजिब	सुन्नत
जो इबादत के स्वरूप से बाहर हो	जो इबादत के स्वरूप के अंदर हो		
तमाम इबादत के दौरान जारी रहती है	यह केवल इबादत के कुछ भागों तक सीमित होता है		
इसमें अज्ञानता एवं भूल-चूक माफ नहीं है।		इसमें अज्ञानता एवं भूल माफ है, परंतु जानबूझ कर नहीं।	इसमें अज्ञानता, भूल अथवा जान बूझ कर करना भी माफ है।
सज्दा -ए- सह्व के द्वारा इसकी भरपाई नहीं हो सकती।		सज्दा -ए- सह्व से इसकी भरपाई हो सकती है।	इसके लिए सज्दा -ए- सह्व की ज़रूरत नहीं है।

[सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की नमाज़ के विषय में खण्ड]

इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्णः सूर्य ग्रहण की नमाज़ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किया है तथा इसका आदेश दिया है।

इसके पढ़ने का तरीका आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ह़दीस़ में वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नेः "**सूर्य ग्रहण की नमाज़ में उच्च ध्वनि से क़िरात (क़ुरआन का पाठ) किया तथा चार रुकूअ एवं चार सज्दों के साथ दो रक्अत नमाज़ पढ़ी**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

❁ **इसका ढंग यह हैः** आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है, वह कहती हैं किः "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवनकाल में सूर्य ग्रहण हुआ, तो आप मस्जिद की ओर निकले, तथा लोग आपके पीछे पंक्तिबद्ध हो गये, आपने तकबीर कही एवं बड़ी लम्बी क़िरात की (क़ुरआन का पाठ किया), फिर आपने एक लम्बा रुकूअ किया, तत्पश्चात आपने "समिअल्लाहु लिमन ह़मिदहु" कहा, इसके बाद आप बिना सज्दा किये हुए खड़े हो गये, और बड़ी लम्बी क़िरात की परंतु यह पहली क़िरात से छोटी थी, फिर आपने तकबीर कही और लम्बा रुकूअ किया किंतु यह पहले रुकूअ से छोटा था, फिर आपने "समिअल्लाहु लिमन ह़मिदहु" "रब्बना व लक् अल-ह़म्दु" कहा, इसके बाद आपने सज्दा किया, फिर आपने पहली रक्अत के समान ही दूसरी रक्अत पढ़ी, इस तरह से आपने चार रुकूअ एवं चार सज्दे पूर्ण किये, सूर्य आपके फ़ारिग़ होने से पहले ही साफ हो गया था**"।

❁ इमाम के लिए सुन्नत यह है कि नमाज़ के बाद लोगों को उपदेश दे, उन्हें अधिकाधिक दुआ करने, क्षमा याचना करने एवं दान करने का आदेश दे, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया।

[वित्र की नमाज़ के विषय में खण्ड]

वित्र की नमाज़ सुन्नत -ए- मुअक्कदा है, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रहवास एवं यात्रा दोनों ही स्थिति में इसको पढ़ा है, और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया है।

[1] **इसकी न्यूनतम मात्राः** एक रक्अत है।	[2] **तथा अधिकतम मात्राः** ग्यारह रक्अत है।	[3] **इसका समयः** इशा की नमाज़ के बाद से भोर तक रहता है।	[4] **उत्तम यह है किः** यह रात्रि की अंतिम नमाज़ हो।

जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हैः "**वित्र को रात्रि की अंतिम नमाज़ बनाओ**"। इस ह़दीस़ को बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**जिसको यह भय हो कि रात्रि के अंतिम भाग में नहीं जाग पायेगा तो वह रात्रि के प्रथम भाग में वित्र पढ़ ले, तथा जिसको आशा हो कि अंतिम पहर में जाग जायेगा तो उसे चाहिए कि रात्रि के अंतिम भाग में वित्र पढ़े क्योंकि रात्रि के अंतिम भाग में पढ़ी जाने वाली नमाज़ ऐसी है कि उसमें फ़रिश्ते उपस्थित होते हैं तथा वह उत्तम है**"। इस ह़दीस़ को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है।

[इस्तिस्क़ा की नमाज़ से संबंधित खण्ड]

जब लोग वर्षा न होने के कारण परेशान हो जायें तो ऐसी स्थिति में इस्तिस्तक़ा की नमाज़ पढ़ना सुन्नत है। तथा इसे सहरा व खुले मैदान में ईद की नमाज़ की तरह अदा किया जायेगा।

और इसके लिए निकला जायेगा: विनम्रता, अधीनता, पश्चात्ताप एवं पछतावा का भाव धारण किये हुए।

[1] अतः दो रक्अत नमाज़ पढ़ेगा।

[2] फिर एक ख़ुत्बा (भाषण) देगाः

[क] ख़ुत्बा में अधिकाधिकः इस्तिग़्फ़ार करे तथा जिन आयतों में इसका आदेश है उनका पाठ करे।

[ख] गिड़गिड़ा कर दुआ करे।

[ग] दुआ स्वीकार्य होने में अधीरता का प्रदर्शन न करे।

इस्तिस्क़ा की नमाज़ के लिए निकलने के पूर्व उन माध्यमों को अपनाना चाहिए जो बुराई को दूर करे तथा अल्लाह की दया के अवतरण का कारण बने, जैसेः

[1] इस्तिग़्फ़ार (क्षमा याचना)।

[2] तौबा।

[3] अत्याचार से रुक जाना।

[4] जीव पर उपकार करना।

[5] तथा इन जैसे अन्य माध्यमों को अपनाना जो अल्लाह की दया के अवतरण का कारण बनें और उसके क्रोध को दूर करें। वल्लाहु आलम (अल्लाह सर्वाधिक जानने वाला है)।

[नमाज़ के वर्जित समय से संबंधि खण्ड]

मुतलक़ (सामान्य) नफ़्ल नमाज़ अदा करने के वर्जित समय निम्न हैं:

[1] फ़ज्र के बाद से सूरज के एक नेज़ा के बराबर ऊपर होने तक।

[2] अस्र की नमाज़ के बाद से सूर्यास्त तक।

[3] सूरज के आसमान के बीच में होने से लेकर ढ़ल जाने तक।

नमाज़ के वर्जित समय में निम्न नमाज़ें अदा की जा सकती हैं:

[1] फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ना।

[2] सबब वाली नमाज़ पढ़ना, जैसेः वुज़ू की सुन्नत, तहिय्यतुल मस्जिद, तवाफ़ के बाद की दो रक्अतें, ग्रहण वाली नमाज़ एवं इस्तिख़ारा की नमाज़।

नफ़्ल एवं फ़र्ज़ नमाज़ों के मध्य अंतर करने वाली बातें:

नफ़्ल	फ़र्ज़	संख्या
इस्लाम के अन्य सभी प्रावधानों की तरह है।	मेराज वाली रात में आसमान में फ़र्ज़ की गई	1
बिना किसी उज़्र के बाहर निकलना ह़राम नहीं है	बिना किसी उज़्र के इससे बाहर निकलना ह़राम है	2
इसको छोड़ने वाला पापी नहीं है	इसको छोड़ने वाला पापी है	3
इसकी संख्या असीमित है	इसकी संख्या सीमित है	4
इसे घर में पढ़ना उत्तम है, सिवाय उसके जिसको इससे अलग किया गया है	इसके लिए जमाअत अनिवार्य है तथा यह मस्जिद में पढ़ी जायेगा	6-5
बिना किसी आवश्यकता के भी इसे सवारी पर पढ़ना जायज़ है	बिना किसी आवश्यकता के इसे सवारी पर पढ़ना जायज़ नहीं है	7
कुछ के लिए समय निर्धारित है तो कुछ के लिए नहीं	सभी के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित है	8

इसके लिए यात्रा में क़िब्ला की ओर मुख करना अनिवार्य नहीं है	इसके लिए हर हाल में क़िब्ला की ओर मुख करना अनिवार्य है	9
फ़र्ज़ नमाज़ को अनिर्धारित नफ़्ल में परिवर्तित करना जायज़ है, परंतु इसके विपरीत नहीं		10
इसको छोड़ने वाला सर्वसम्मति से काफिर नहीं है	सही कथन के अनुसार सुस्ती करते हुए इसे छोड़ने वाला काफ़िर है	11
नफ़्ल नमाज़ें फ़र्ज़ नमाज़ों की पूरक हैं, जबकि इसके विपरीत सही नहीं है		12
क़याम रुक्न नहीं है, तथा एक सलाम भी काफी है	इसमें क़याम (खड़ा) होना रुक्न है, तथा एक सलाम काफी नहीं है	14-13
भागे हुए दास से अस्वीकार्य है	भागे हुए दास से भी स्वीकार्य है	15
इसके लिए अज़ान व इक़ामत सामान्य रूप से मशरूअ नहीं है	इसके लिए अज़ान व इक़ामत मशरूअ है	16
यात्रा में इसको क़स्र नहीं किया जायेगा	यात्रा में इसको क़स्र (कम करके) पढ़ा जायेगा	17
विवश होने की स्थिति में माफ है, तथा जो इसे पढ़ने का आदी हो उसके लिए पुण्य लिखा जाता है	यह किसी भी हाल में माफ नहीं है, तथा जो इसे पढ़ने का आदी हो परंतु किसी विवशता के कारण इसे न पढ़ पाये तो उसके लिए पूर्ण पुण्य लिखा जाता है।	18
इनमें से केवल कुछ के लिए नमाज़ के बाद ज़िक्र प्रमाणित है	सभी के बाद ज़िक्र (जाप) मशरूअ है	19
काबा के बीच में सही है	कहा गया है कि: काबा के अंदर इसे पढ़ना सही नहीं है, जबकि सही बात यह है कि यह काबा के अंदर भी सही है	20
इसको एक साथ जमा करके पढ़ना सही नहीं है	इसको एक साथ जमा करके पढ़ना सही है	21
इसका पुण्य कम है	इसका पुण्य अधिक है	22
इसके दौरान थोड़ा पानी पीना सही है	इसके दौरान पानी पीना सही नहीं है	23
इसमें एक रक्अत वाली नमाज़ भी है	इसमें कोई नमाज़ एक रक्अत नहीं है	24
रहमत अथवा अज़ाब वाली आयत के निकट माँगना एवं शरण चाहना मशरूअ (उचित) है	रहमत अथवा अज़ाब वाली आयत के निकट माँगना एवं शरण चाहना जायज़ है	25
बच्चा के पीछे व्यस्क का यह नमाज़ पढ़ना सही है	कहा गया है कि: इसमें व्यस्क का बच्चे के पीछे पढ़ना सही नहीं है, जबकि सही बात यह है कि बच्चा के पीछे व्यस्क का यह नमाज़ पढ़ना सही है	26
फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे नफ़्ल पढ़ना सही है	कहा गया है कि: फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे नफ़्ल पढ़ना सही है	27
कुछ की क़ज़ा उसी ढ़ंग पर की जायेगी तथा कुछ को अन्य ढ़ंग पर पढ़ा जायेगा, जैसे वित्र की नमाज़	प्रत्येक की क़ज़ा उसी ढ़ंग पर की जायेगी, जुमुआ को छोड़ कर जिसे ज़ुह्र के रूप में पढ़ा जायेगा	28
रात की नफ़्ल नमाज़ में ज़ोर से अथवा चुपके से क़िरात करने के मध्य चयन का अधिकार है	रात की फ़र्ज़ नमाज़ में ज़ोर से क़ुरआन की तिलावत की जायेगी	29
कंधे को ढंकना वाजिब नहीं है	कंधे को ढंकना वाजिब है (दो मतों में से एक के अनुसार)।	30
इनमें से कुछ यात्र के दौरान माफ है	इनमें से कुछ भी माफ नहीं है	31

जमाअत एवं इमामत के साथ नमाज़ पढ़ने का अध्याय

रहवास एवं यात्रा में पुरुषों के ऊपर पाँच वक़्त की नमाज़ें जमाअत के साथ अदा करना फ़र्ज़ -ए- ऐन (प्रत्येक व्यक्ति पर विशिष्ट रूप से अनिवार्य) है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: **"मेरा दृढ़ निश्चय हुआ कि नमाज़ पढ़ने का आदेश दूँ तथा उसके लिए इक़ामत कही जाये, फिर एक आदमी को आदेश दूँ कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ाए, तथा मैं कुछ ऐसे लोगों को लेकर, जिनके साथ लकड़ियों का गट्ठर हो, उन लोगों के पास जाऊँ जो नमाज़ में उपस्थित नहीं होते हैं, और उनके घर को आग लगा दूँ"**। इस हदीस़ को बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।
इसकी न्यूनतम मात्रा है: एक इमाम एवं एक मुक़्तदी का होना, तथा भीड़ जितनी अधिक होगी वह अल्लाह के निकट उतनी ही प्रिय होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: **"समूह के संग नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से सत्ताईस गुना उत्तम है"**। बुख़ारी व मुस्लिम।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: **"जब तुम अपने ठिकानों में नमाज़ पढ़ चुको, फिर मस्जिद में आओ जहाँ जमाअत हो रही हो, तो तुम उनके संग दोबारा नमाज़ पढ़ लिया करो, यह तुम्हारे लिए नफ़्ल (सुन्नत) हो जायेगी"**। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णन करते हैं कि: **इमाम इसलिए बनाया गया है ताकि उसका अनुसरण किया जाये**, **अतः**

[1] जब वह तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, तथा तुम उस समय तक तकबीर न कहो जब तक वह तकबीर न कहे।	[2] जब वह रुकूअ करे तो रुकूअ करो, तथा उस समय तक रुकूअ न करो जब तक वह रुकू में न चला जाए।	[3] जब वह "समिअल्लाहु लिमन ह़मिदहु" कहे तो तुम "अल्लाहुम्मा रब्बना व लक् अलह़म्द" कहो।	[4] जब वह सज्दा करे तो सज्दा करो, तथा उस समय तक सज्दा न करो जब तक वह सज्दा में न चला जाये।	[5] जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम सब बैठ कर नमाज़ पढ़ो"।

तथा उचित है कि:

[1] इमाम आगे रहे।	[2] मुक़्तदी पंक्ति में मिल कर खड़े हों।	[3] अगली पंक्तियों को पूण करते चलें।

[4] महिलाएं पुरुषों के पीछे खड़ी होंगी।

तथा जो पंक्ति के पीछे बिना किसा विवशता के अकेले एक रक्अत नमाज़ भी पढ़ ले तो उसे वह रक्अत लौटानी होगी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि: **"मैंने एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी तथा आपके बाईं ओर खड़ा हो गया, तो आपने पीछे से मेरे सिर को पकड़ा तथा मुझे दाहिनी ओर कर दिया"**। बुख़ारी व मुस्लिम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: **"जब तुम इक़ामत की आवाज़ सुनो तो शांति एवं गरिमा धारण किये हुए नमाज़ के लिए निकलो, तथा अधीरता का प्रदर्शन करो, जो नमाज़ तुम पा लो उसे पढ़ लो और जो छूट जाए उसे पूर्ण करो"**। बुख़ारी व मुस्लिम। तथा तिर्मिज़ी की एक रिवायत में है कि: **"तुम में से कोई जब नमाज़ के लिए आए तथा इमाम किसी विशेष स्थिति में हो तो वह वैसे ही करे जैसे इमाम करता है"**।

उज़्र (विवशता) वालों की नमाज़ का अध्याय

[रोगी की नमाज़ से संबंधित खण्ड]

रोगी को जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने से छूट दी गई है। यदि खड़े होकर नमाज़ पढ़ने के कारण रोग बढ़ जाने का भय हो तो बैठ कर नमाज़ पढ़े, तथा यदि उसकी भी शक्ति न हो तो पहलू के बल लेट कर नमाज़ पढ़े, इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से कहे गये नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फ़रमान के कारण: "**खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, यदि इसका सामर्थ्य न हो तो बैठ कर पढ़ो, तथा यदि इसकी भी क्षमता न हो तो पहलू के बल नमाज़ पढ़ो**"। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है। यदि प्रत्येक नमाज़ के समय ऐसा करना कठिन हो तो उसके लिए नमाज़ जमा करके पढ़ने की अनुमति है: ज़ुहृ एवं अस्र एक साथ तथा मग़रिब एवं इशा एक साथ = दोनों नमाजों में से किसी एक नमाज़ के समय में।

[यात्री की नमाज़ से संबंधित खण्ड]

इसी प्रकार से यात्री के लिए जमा करके नमाज़ पढ़ना जायज़ है [ज़ुहृ एवं अस्र एक साथ तथा मग़रिब एवं इशा एक साथ, दोनों नमाज़ों में से किसी एक नमाज़ के समय में, या तो दूसरी नमाज़ को पहली नमाज़ के समय में ही एक साथ अदा करे अथवा पहली नमाज़ को दूसरी नमाज़ के समय में एक साथ अदा करे]। उसके लिए चार रक्अत वाली नमाज़ों को क़स्र (संक्षिप्त) कर के दो रक्अत पढ़ना सुन्नत है। उसके लिये रमज़ान में इफ़्तार करना जायज़ है [तथा उसकी क़ज़ा (भरपाई) रमज़ान के बाद करेगा]।

[ख़ौफ़ (भय) की नमाज़ से संबंधित खण्ड]

ख़ौफ़ की नमाज़ हर उस ढंग से पढ़ना जायज़ है जिस ढंग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे पढ़ा है। उनमें से एक स़ालेह़ बिन ख़व्वात की हदीस़ है जिन्होंने ज़ात -ए- रिक़ाअ के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ी थी, कि:

"एक समूह ने नबी के साथ नमाज़ पढ़ी तथा एक समूह शत्रुओं के सामने थी	**जो लोग आपके साथ थे आपने उनके साथ एक रक्अत नमाज़ पढ़ी**	**फिर आप खड़े रहे तथा उन लोगों ने स्वयं नमाज़ मुकम्मल**	**तत्पश्चात वो लोग लौट कर शत्रु के सामने खड़े हो गये**	**फिर दूसरा समूह आया तथा आपने उनके संग दूसरी शेष रक्अत पढ़ी**	**फिर आप बैठे रहे और उन लोगों ने अपनी नमाज़ पूर्ण की**	**फिर आपने उन लोगों के साथ सलाम फेरा"।** बुख़ारी व मुस्लिम।

जब अधिक भय हो तो: चलते हुए अथवा सवारी की स्थिति में ही क़िब्ला की ओर मुँह करके या किसी अन्य दिशा में मुख करके नमाज़ पढ़ लेंगे, तथा इशारा के द्वारा रुकूअ एवं सज्दा करेंगे।

इसी प्रकार से प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपने ऊपर भय खाता हो, वह अपनी यथा स्थिति में ही नमाज़ पढ़ेगा, तथा आवश्यकतानुसार सभी कार्य करेगा, जैसे दौड़-भाग करना इत्यादि। नबी ने फ़रमाया: "**जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का आदेश दूँ तो यथासंभव उसका पालन करो**"।

जुमुआ की नमाज़ का अध्याय

प्रत्येक वह व्यक्ति जिस पर जमाअत के संग नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है, उस पर जुमुआ पढ़ना अनिवार्य है, यदि वह किसी मकान का रहवासी हो, और इसकी शर्तों में से है:

[1] इसको समय पर अदा करना। [2] यह बस्ती में हो। [3] इससे पहले दो ख़ुत्बा दिया जायेगा।

जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब ख़ुत्बा (भाषण) देते तो:

[1] आपकी आँखें लाल हो जातीं, आवाज़ ऊँची हो जाती तथा जोश बढ़ जाता, जैसे किसी सेना से डरा रहे हों: **"शत्रु की सेना तुम्हारे पास भोर को पहुँची या सांझ को?"।**

[2] और फ़रमाते: **"स्तुतिगान के पश्चात! सर्वोत्तम बात अल्लाह की किताब है तथा सर्वश्रेष्ठ ढंग मुहम्मद का ढंग है। कार्यों में सबसे बुरा कार्य नये (बिद्अत के) कार्य हैं तथा हर बिद्अत पथभ्रष्टता है"।** मुस्लिम।

[3] मुस्लिम ही की एक रिवायत के शब्द यों हैं: **"जुमुआ के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़ुत्बा होता था, आप अल्लाह की प्रशंसा करते फिर उसके बाद (अपनी बात) कहते और आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती"।**

[4] मुस्लिम की एक रिवायत में है: **"जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, तथा जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता"।**

[5] और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: **"व्यक्ति का नमाज़ को लम्बा करना तथा ख़ुत्बा को छोटा करना उसके बुद्धिमान होने का प्रतीक है"।** मुस्लिम।

मुस्तहब यह है कि मिम्बर (मंच) पर चढ़ कर भाषण दे, तथा जब मिम्बर पर चढ़े तो लोगों को संबोधित करके सलाम करे। फिर बैठ जाये, और मुअज़्ज़िन अज़ान दे, फिर खड़े हो कर ख़ुत्बा दे, फिर बैठ जाये और फिर खड़े हो कर दूसरा ख़ुत्बा दे। इसके बाद नमाज़ की इक़ामत कही जाए, और ज़ोर से क़ुरआन का पाठ करते हुए वह लोगों को दो रक्अत नमाज़ पढ़ाए, पहली रक्अत में: "सूरह आला" तथा दूसरी रक्अत में "सूरह ग़ाशियह" अथवा "सूरह जुमुआ" एवं "सूरह मुनाफ़िक़ून" पढ़े।
जुमुआ की नमाज़ के लिए आने वालों के लिए मुस्तहब है कि, वह:

[1] स्नान करे। [2] इत्र लगाए। [3] उत्तम वस्त्र धारण करे। [4] जुमुआ के लिए जल्दी करे।

[5] अधिकाधिक नबी पर दुरूद भेजे। [6] उस दिन सूरह कहफ़ पढ़े।

[7] दुआ के स्वीकार किये जाने वाले समय को पाने का प्रयास करे तथा उसमें अधिकाधिक दुआ करे।

बुख़ारी व मुस्लिम में है कि: **"यदि तुमने जुमुआ के दिन इमाम के ख़ुत्बा देने के समय अपने साथी से कहा: चुप रह, तो तुमने व्यर्थ कार्य किया"**।

एक बार जुमुआ के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुत्बा दे रहे थे कि इसी दौरान एक आदमी आया तो आपने उससे पूछा: **"क्या तुमने नमाज़ पढ़ी?"** उसने उत्तर दिया: नहीं, तो आपने फ़रमाया: **"खड़े हो और दो रक्अत नमाज़ पढ़"**। बुख़ारी व मुस्लिम।

नमाज़ पढ़ने के लिए आने वाले व्यक्ति पर ख़ुत्बा के दौरान हराम (वर्जित) है:

[1] बातचीत करना, परंतु इमाम को संबोधित करना जायज़ है।	[2] लोगों की गर्दन फलांगना।

ईद उल फ़ित्र एवं ईद उल अज़्हा की नमाज़ का अध्याय

"नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों को ईद एवं बकरीद की नमाज़ के लिए बाहर निकलने का आदेश दिया है, यहाँ तक कि व्यस्क युवतियों एवं माहवारी वाली महिलाओं को भी, वह ख़ुत्बा एवं मुसलमानों की दुआ में उपस्थित हों, परंतु माहवारी वाली महिलाएं नमाज़ पढ़ने के स्थान से दूर रहेंगी"। इस हदीस़ को बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

तथा इसका समय है: सूरज के एक नेज़ा के समान बुलंद होने से लेकर सूरज ढ़लने तक।

तथा इस संबंध में सुन्नत है:

[1] इसको सहरा व खुले में अदा करना।	[2] ईद उल अज़्हा की नमाज़ में जल्दी करना।	[3] ईद उल फ़ित्र में देर करना।	[4] ईद उल फ़ित्र में विशेष रूप से नमाज़ के पूर्व विषम संख्या में कुछ खजूर खाना।	[5] सफ़ाई सुथराई करना एवं सुगंध लगाना।	[6] उत्तम वस्त्र धारण करना।	[7] एक मार्ग से जाना तथा दूसरे मार्ग से लौटना।

इमाम बिना अज़ान एवं इक़ामत के लोगों के साथ दो रक्अत नमाज़ पढ़े, पहली रक्अत में: तकबीर -ए- तहरीमा के साथ सात तकबीरें कहे, और दूसरी रक्अत में: क़याम वाली तकबीर को छोड़ कर पाँच तकबीरें कहे, हर तकबीर के साथ हाथों को उठाए, प्रत्येक दो तकबीरों के मध्य अल्लाह का स्तुतिगान करे तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद भेजे, फिर सूरह फ़ातिहा पढ़े और उसके साथ कोई सूरह मिलाए तथा दोनों रक्अतों में ऊँची आवज़ से क़िरात करे।

सलाम फेरने के बाद जुमुआ के ख़ुत्बा के समान दो ख़ुत्बा दे, तथा दोनों ख़ुत्बों में वर्तमान स्थिति के अनुसार उचित बातों की ओर लोगों का मार्गदर्शन करे।

निम्नांकित तरीके से तकबीर कहना मुस्तहब (वांछनीय) है:

[1] **तकबीर -ए- मुतलक़:** ईद उल अज़्हा एवं ईद उल फ़ित्र की रातों में तथा ज़िलहिज्जा के सभी दस दिनों में।	[2] **तकबीर -ए- मुक़य्यद:** प्रत्येक फ़र्ज़ नमाज़ के बाद, अरफ़ा के दिन फ़ज्र की नमाज़ के बाद से तश्रीक़ के अंतिम दिन के अस्र के समय तक।

तकबीर यों कही जायेगी: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, व लिल्लाहिल ह़म्द

किताबुस्सलात से संबंधित प्रश्न

गलत	सही	प्रश्नः
☐	☐	जो यक़ीन के द्वारा प्रमाणित हो वह यक़ीन के द्वारा ही समाप्त होगा
☐	☐	फ़र्ज़ -ए- ऐन फ़र्ज़ -ए- किफ़ाया से श्रेष्ठ है
☐	☐	आदमी को चाहिए कि जो उपासनाएं विभिन्न ढ़ंगों से प्रमाणित हैं उन्हें उन विभिन्न ढ़ंगों पर ही अंजाम देना चाहिए
☐	☐	प्रत्येक वह नमाज़ जिसमें जल्दी करना सुन्नत है, उस नमाज़ में बेहतर यह है कि अज़ान एवं इक़ामत के मध्य मुद्दत लम्बी न हो
☐	☐	अज़ान फ़र्ज़ -ए- ऐन (व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य) है
☐	☐	यात्री के लिए इक़ामत कहना मशरूअ नहीं है
☐	☐	अज़ान मदीना में सन एक (1) हिज्री में मशरूअ की गई
☐	☐	इक़ामत सुनने वाले के लिए मुस्तहब (वांछनीय) यह है कि जो मुअज़्ज़िन कहे उसे दोहराए
☐	☐	अस्र का समय ज़ुह्र के समय से लम्बा होता है
☐	☐	बाह्य रूप से काफ़िरों की नकल करना आंतरिक रूप से उनकी नकल करने की ओर ले जाता है
☐	☐	गंदगी का उसके मूल स्थान में पाये जाने में आपत्ति की कोई बात नहीं है
☐	☐	जिन नफ़्ल नमाज़ों के लिए जमाअत मशरूअ है वह दूसरी नफ़्ल नमाज़ों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं
☐	☐	सुरीली आवाज़ वाले इमाम की खोज में मस्जिद-मस्जिद घूमना सही है
☐	☐	इमाम के विलंब करने की स्थिति में इक़ामत कहना सही है जबकि उससे संपर्क करना संभव हो
☐	☐	जो गंदगी दूर करना भूल जाए उसकी नमाज़ व्यर्थ है
☐	☐	ऐसे व्यक्ति के पीछे नमाज़ पढ़ना जो क़ुरआन पढ़ने में ऐसी गलती करता हो जिससे अर्थ बदल जाये, सही है
☐	☐	नमाज़ की इमामत करने में रहवासी एवं यात्री दोनों बराबर हैं
☐	☐	बच्चे पुरुषों की पंक्ति के पीछे खड़े होंगे
☐	☐	प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका नमाज़ पढ़ना सही हो उसके लिए इमामत करना सही है यदि कोई वर्जना न पाई जाये तो
☐	☐	स्थिति के अनुसार लम्बा ख़ुत्बा देना ख़तीब के बुद्धिमान न होने का प्रतीक है
☐	☐	ऐसा नहीं है कि हर वह जिससे लड़ाई करना जायज़ है उसे क़त्ल करना भी जायज़ है
☐	☐	पशु से तुलना करना केवल निंदा के लिए होता है

गलत	सही	प्रश्नः
☐	☐	इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं: "मिम्बर (मंच) बन जाने के बाद किसी और चीज़ पर टेक लगा कर ख़ुत्बा देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित नहीं है"।
☐	☐	मुक़ातला (लड़ाई) अनिवार्य होने से यह सिद्ध नहीं होता है कि लड़ने वाला काफ़िर ही हो
☐	☐	फ़ित्र की नमाज़ जल्दी तथा अज़्हा की नमाज़ विलंब करके पढ़ना सुन्नत है
☐	☐	पहली रक्अत में : तकबीर -ए- तहरीमा के साथ छः तकबीरें तथा दूसरी रक्अत में क़याम वाली तकबीर के साथ पाँच तकबीरें कही जायेंगी
☐	☐	ग्रहण के नमाज़ की हिकमतः अल्लाह का अपने बंदों को भयभीत करना है
☐	☐	ग्रहण क नमाज़ के लिए जमाअत शर्त है
☐	☐	हर वह इबादत जो किसी सबब के कारण अदा जाती हो तो सबब समाप्त हो जाने की स्थिति में उसका मशरूअ होना भी समाप्त हो जायेगा
☐	☐	ग्रहण की नमाज़ केवल वर्जित समय में ही अदा की जायेगी
☐	☐	इस्तिस्क़ा की नमाज़ के लिए जमाअत शर्त है
☐	☐	पहली बारिश में आदमी के लिए खड़ा होना तथा सवारी करना सुन्नत है
☐	☐	एक रक्अत में एक से अधिक सूरह पढ़ना जायज़ है

- ज़ुह्र का समय हैः ☐ प्रत्येक वस्तु की छाया उसके बराबर होने तक ☐ उसके दो गुणा होने तक ☐ सूरज ढ़लने तक
- अस्र की नमाज़ को जल्दी पढ़नाः ☐ मुस्तहब है ☐ मकरूह है ☐ वाजिब है
- नमाज़ की शर्तें होती हैं: ☐ नमाज़ के पूर्व ☐ नमाज़ के पश्चात ☐ नमाज़ के दौरान
- काफ़िरों की नकल करने के लिये निय्यत कीः ☐ आवश्यकता नहीं है ☐आवश्यकता है
- मुहर्रमात (वर्जनाओं) को वैध करती है, केवलः ☐ ज़रूरत ☐ हाजत
- जो इमाम के साथ जुमुआ की एक रक्अत पा जाये वह उसे पूर्ण करेगा (☐ जुमुआ के रूप में ☐ ज़ुह्र के रूप में), तथा यदि एक रक्अत से कम पाये तो वह उसे पूर्ण करेगा (☐ जुमुआ के रूप में ☐ ज़ुह्र के रूप में ☐ ज़ुह्र के रूप में यदि उसने ज़ुह्र की निय्यत की थी तो)
- जुमुआ के ख़ुत्बा में ख़ुत्बा के दौरान ख़तीब बैठेगाः ☐ एक बार ☐ दो बार
- अलग-अलग स्थान पर जुमुआ की नमाज़ पढ़ने के लिए इमाम (शासक) की अनुमति की शर्त आधारित हैः ☐ धर्म पर ☐ देश के नियम पर ☐ दोनों पर
- ईद उल अज़्हा एवं ईद उल फ़ित्र की नमाज़, किसी चीज़ की निस्बत उसके ☐ समय ☐ कारण ☐ प्रकार, की ओर करने के अध्याय से है
- इस्लाम में ईद की संख्या हैः ☐ तीन ☐ दो ☐ अत्यधिक

- वो त्योहार जो विजय-पराजय के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती हैं, उसका हुक्म यह है कि वो: ☐ जायज़ हैं ☐ हराम हैं
- अज़्हा एवं फ़ित्र की नमाज़: ☐ फ़र्ज़ -ए- किफ़ाया है ☐ फ़र्ज़ -ए- ऐन है ☐ सुन्नत है
- हर कारण वाली नमाज़ का जब कारण छूट जाये तो: ☐ उसकी क़ज़ा नहीं की जायेगी ☐ उसकी क़ज़ा की जेयगी
- ईद उल फ़ित्र में सुन्नत पर अमल हो जायेगा: (☐ एक भी खजूर खा लेने से ☐ तीन अथवा तीन से अधिक खजूर खाने से), तथा यह होगा ईद की नमाज़ (☐ के बाद ☐ से पूर्व) तथा इसकी हिकमत है (☐ सुन्नत का अनुसरण करना ☐ फ़र्ज़ एवं नफ़्ल के मध्य अंतर करना ☐ दोनों)
- ग्रहण की नमाज़, किसी वस्तु की निस्बत, उसके: ☐ समय ☐ कारण ☐ प्रकार की ओर करने के अध्याय से है
- उत्तम यह है कि लोगों को ग्रहण की: (☐ सूचना दे ☐ सूचना न दे)
- यदि खगोलशास्त्री कहते हैं कि ग्रहण होगा तो: ☐ हम उस समय तक नमाज़ नहीं पढ़ेंगे जब तक प्राकृतिक रूप से हम उसे अपनी आँखों से न देख लें ☐ हम ग्रहण की नमाज़ पढ़ेंगे यद्यपि हम उसे अपनी आँखों न भी देखें
- ग्रहण की नमाज़ का हुक्म है: ☐ फ़र्ज़ -ए- ऐन ☐ फ़र्ज़ -ए- किफ़ाया ☐ सुन्नत
- ग्रहण की नमाज़ के लिए ख़ुत्बा: ☐ मश्रूअ नहीं है ☐ सुन्नत है ☐ वाजिब है
- जब समाप्त हो जाने के बाद ग्रहण के विषय में पता चले तो: ☐ उसकी क़ज़ा (भरपाई) की जायेगी ☐ उसकी क़ज़ा नहीं की जायेगी
- जब ग्रहण की नमाज़ के दौरान फ़र्ज़ नमाज़ का समय हो जाये तो वह उस नमाज़ को: ☐ तोड़ देगा ☐ हल्की पढ़ेगा ☐ उस समय तक पढ़ेगा जब तक फ़र्ज़ नमाज़ का समय समाप्त हो जाने का भय न हो
- जब ग्रहण के कारण सूरज पूर्णरूपेण लुप्त हो जाये तो ग्रहण की नमाज़ पढ़ना: ☐ मशरूअ है ☐ मशरूअ नहीं है
- पहले रुकूअ के बाद वाली चीज़: ☐ रुक्न है ☐ सुन्नत है
- इस्तिक़ाअ की नमाज़, किसी वस्तु की निस्बत, उसके: ☐ समय ☐ कारण ☐ विधि, की ओर करने के अध्याय से है
- इस्तिस्क़ाअ की नमाज़ के लिए आवाज़ लगाना: ☐ सुन्नत है ☐ बिद्अत है
- अज़ान का हुक्म है: ☐ सुन्नत ☐ फ़र्ज़ -ए- किफ़ाया ☐ फ़र्ज़ -ए- ऐन
- नमाज़ के अरकान व वाजिबात एक चीज़ में एक जैसे हैं, जोकि है: ☐ अज्ञानता ☐ भूल ☐ जान-बूझ कर करना
- नफ़्ल नमाज़ें जो वर्जित समय में पढ़ी जायेंगी, वह हैं: ☐ मुतलक़ नमाज़ें ☐ मुक़य्यद नमाज़ें
- नमाज़ में हाथ उठाया (रफ़उल यदैन किया) जायेगा: ☐ चार स्थानों पर ☐ तीन स्थानों पर
- वह व्यक्ति जो हर समय बेहोश रहता हो, वह: ☐ नमाज़ की क़ज़ा करेगा ☐ नमाज़ की क़ज़ा नहीं करेगा
- नमाज़ में आँख भींचने का हुक्म: ☐ ऐसा करना जायज़ है ☐ ऐसा करना जायज़ नहीं है

[किताबुल जनायज़ (जनाज़ा के मसले)]

मुसलमान की मृत्यु के समय निम्नांकित चीज़ें मशरूअ (वांछित) हैं:		
[1] मृत्यु के पूर्व: कुछ चीज़ों मशरूअ हैं, जैसे: रोगी को देखने जाना, उसे तौबा की याद दिलाना, वसीयत करना, रोगी के लिये पवित्रता प्राप्त करने एवं नमाज़ की कैफियत बयान करना, रोगी पर दम करना विशेषत: जब उसे इसकी इच्छा हो, मृत्युशय्या पर पड़े व्यक्ति को: "ला इलाहा इल्लल्लाहु" कहने को प्रेरित करना।	**[2] मृत्यु के समय**: कुछ चीज़ें मशरूअ हैं, जैसे: आँखों को बंद करना तथा दाढ़ी को बाँध देना।	**[3] मृत्यु के के बाद**: कुछ चीज़ों मशरूअ हैं, जैसे: उसको स्नान कराना, कफ़न पहनाना, जनाज़ा की नमाज़ पढ़ना, दफ़न करना, उसके धन का बंटवारा करना, उसकी पत्नी का इद्दत गुज़ारना, उसके घर वालों को सांत्वना देना तथा उसके क़ब्र की ज़ियारत करना।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**अपने मृतकों को "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहने की तलक़ीन (प्रेरित) करो**"। मुस्लिम। [तीन बार इसकी तलक़ीन की जायेगी]। इसके अतिरिक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**अपने मृतकों के पास सूरह यासीन का पाठ किया करो**"। इसे नसई एवं अबू दावूद ने रिवायत किया है।

टिप्पणी: अधिकांश विद्वानों का कहना है कि (मृतकों पर) यासीन पढ़ने वाली ह़दीस़ ज़ईफ़ (कमज़ोर) है, जिसको आधार नहीं बनाया जा सकता, अत: सही बात यह है कि मृतकों के पास सूरह यासीन पढ़ना मशरूअ (सही) नहीं है।

मृतक को तैयार करना, निम्नांकित कार्यों के द्वारा होगा:

[1] स्नान करा कर।	[2] कफ़न पहना कर।	[3] उसके जनाज़ा की नमाज़ पढ़ कर।	[4] उसको उठा कर।	[5] उसको दफ़ना कर।

तथा ऐसा करना = फ़र्ज़ -ए- किफ़ाया है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**जनाज़ा लेकर जल्दी चला करो यदि वह नेक है तो तुम उसको भलाई के निकट करते हो, तथा यदि नेक नहीं है तो बुरे को अपनी गर्दन से उतारते हो**"। तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**व्यक्ति की जान उसके क़र्ज़ के साथ लटकी रहती है यहाँ तक कि उसकी ओर से उसे अदा कर दिया जाये**"। इसे अह़मद एवं तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

कफ़न में वाजिब है: ऐसा वस्त्र जो समस्त को शरीर ढाँप ले, सिवाय: मुह़रिम के सिर एवं उसके मुख के।

मृतक के जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने का ढ़ंग निम्नांकित है:

[1] खड़ा हो, तकबीर कहे तथा सूरह फ़ातिहा का पाठ करे।

[2] फिर तकबीर कहे एवं नबी पर दुरूद भेजे।

[3] तत्पश्चात तकबीर कहे, एवं निम्नांकित दुआओं के द्वारा मृतक के लिए दुआ करे:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» (अल्लाहुम्म् इग़्फ़िर लि ह़य्यिना व मय्यितिना, व स़ग़ीरिना व कबीरिना, व शाहिदिना व ग़ाइबिना, व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अह़यैतहु मिन्ना फ़अह़यिहि अलल इस्लामि, व मन तवफ़्फ़ैतहु फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमानि)।

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ» (अल्लाहुम्म् इग़्फ़िर लहु, वर्ह़म्हु, व आफ़िहि, वअफ़ु अन्हु, व अकरिम नुज़ुलहु, ववस्सिअ मदख़लहु, वग़्सिल्हु बिलमाइ वस़्सल्जि वलबरदि, व नक़्क़िहि मिनज़्ज़ुनूबि कमा युनक़्क़स़्सौबुल अब्यज़ु मिनद्दनसि, अल्लाहुम्मा ला तह़रिम्ना अज्रहु, व,ला तफ़तिन्ना बअदहु, वग़्फ़िर लना व लहु)।

यदि छोटा बच्चा हो तो आम दुआ करने के पश्चात यह दुआ करे: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ، وَذُخْرًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ» (अल्लाहुम्म् इज्अल्हु फ़रत़न लिवालिदैहि, व,ज़ुख़्रन, व,शफ़ीअन मुजाबन, अल्लाहुम्मा स़क़्क़िल बिहि मवाज़ीनहुमा, व आअज़िम बिहि उजूरहुमा, वज्अल्हु फ़ी कफ़ालति इब्राहीमा, व,क़िहि बिरह़मतिका अज़ाबल जह़ीमि)।

[4] इसके बाद तकबीर कहे और सलाम फेर दे [चाहे एक सलाम फेरे अथवा दो सलाम फेरे]।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो मर जाये तथा उसके जनाज़ा की नमाज़ ऐसे चालीस लोग पढ़ें जो अल्लाह के साथ किसी प्रकार का भी शिर्क (बहुदेववाद) न करते हों तो उनकी सिफ़ारिश उसके उसके बारे में स्वीकार न हो**"। (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है)। तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है:

[1] जो जनाज़ा में उपस्थित होकर नमाज़ पढ़े उसके लिए एक क़ीरात है।

[1] तथा जो उसके दफ़न तक उपस्थित रहे उसके लिए दो क़ीरात है।

पूछा गयाः दो क़ीरात से क्या अभिप्राय है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "दो महान पहाड़ के समान (पुण्य)"। बुख़ारी व मुस्लिम।
तथा नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने रोका है कि:

[1] क़ब्र को पक्का किया जाये।

[2] उस पर बैठा जाये।

[3] उस पर भवन बनाया जाये। मुस्लिम।

[4] उस पर कुछ लिखा जाये।

[5] क़ब्रों पर दीप जलाया जाये।

[6] तथा मस्जिद बनाई जाये।

[7] क़ब्र पर खड़े हो कर अथवा क़ब्र की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाये।

चेतावनी: क़ब्रों के संबंधों में मूल बात यह है कि ये आबादी के बाहर हों ताकि ये शिर्क का माध्यम न बनें, तथा उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत के अनुसार बराबर रखा जाये, अर्थातः उन्हें एक बित्ता से अधिक ऊँचा न किया जाये तथा उन पर एक या दो पत्थर रख दिया जाये।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मय्यत को दफ़न कर लेते तो क़ब्र के पास खड़े हो जाते और फ़रमाते किः "**अपने भाई के लिए क्षमा की एवं दृढ़ता की दुआ करो क्योंकि अब इससे प्रश्न किया जायेगा**"। इसे अबू दावूद ने रिवायत किया है तथा हाकिम ने सहीह कहा है।

मृतक के घर वालों को सांत्वना देना मुस्तहब (वांछनीय) है [एक बार, किसी निश्चित स्थान अथवा खाने पर इकट्ठा हुए बिना]।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मृतक पर रोये भी हैं, और फ़रमाया किः "**यह दया है**", जब्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "**मातम करने वाली एवं सुनने वालियों पर लानत भेजी है**"।

क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करने वाले को यह कहना चाहियेः (अस्सलामु अलैकुम अहला दार क़ौमिम मुअमिनीना, व इन्ना इन शा अल्लाहु बिकुम लाहिक़ून, व यर्हमल्लाहु अल-मुस्तक़दिमीना मिन्कुम व अल-मुस्तअख़िरीना, नस्अलुल्लाहा लना व लकुम अल-आफ़ियता, अल्लाहुम्मा ला तह्रिम्ना अज्रहुम,व ला तफ़्तिन्ना बअदहुम, वग़्फ़िर लना व लहुम, नस्अलुल्लाहा लना व लकुम अल-आफ़ियता)।

क़ब्रों की ज़ियारत (भ्रमण) के प्रकारः

[1] शरईः इसके द्वारा आख़िरत (परलोक) को याद करने का इरादा रखे, इसके लिए यात्रा न करे, प्रमाणित दुआओं के द्वारा अपने लिये एवं मृतक के लिए दुआ करे, तथा ऐसा कार्य न करे जो शरीअत के विरुद्ध हो।	[1] बिदईः क़ब्रों के पास अल्लाह से दुआ करने का इरादा करे।	[1] शिर्कियहः क़ब्र वाले से अपने लिये दुआ की निय्यत करे।

टिप्पणियां:

۞ सुन्नत यह है कि पुरुष के सिर के पास तथा महिला के बीच धर के पास, इमाम खड़ा हो। ۞ महिलाओं को क़ब्रिस्तान की ज़ियारत नहीं करनी चाहिये, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "**क़ब्रिस्तान की बहुधा ज़ियारत (भ्रमण) करने वाली महिलाओं पर धिक्कार भेजा है**", इसलिए कि उनके भ्रमण के कारणः उपद्रव तथा उनके सब्र एवं धैर्य न रख पाने तथा घबराहट का प्रदर्शन करने का भय है। ۞ इसी प्रकार से क़ब्रिस्तान तक जनाज़ा के पीछे जाना भी उनके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें ऐसा करने से रोका है। ۞ जहाँ तक मस्जिद में अथवा मुसल्ला में मृतक पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने की बात है, तो यह महिला एवं पुरुष दोनों के लिए मशरूअ (वैध) है। ۞ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मृत्यु की इच्छा करने से रोका है, आपने फ़रमायाः "**तुम में से किसी को उस कष्ट एवं विपदा के कारण जो उस पर उतरी हो कदापि मृत्यु की इच्छा नहीं करनी चाहिए तथा यदि मृत्यु इच्छा आवश्यक ही हो तो फिर इस प्रकार से कहना चाहियेः अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल ह़यातु ख़ैरल ली, व तवफ़्फ़िनी इज़ा कानतिल वफ़ातु ख़ैरल ली** (अर्थातः ऐ अल्लाह! जब तक जीना मेरे लिए उत्तम हो मुझे जीवित रख तथा जब मृत्यु मेरे लिए उत्तम हो तो मुझ मृत्यु दे दे)"। ۞ आदमी हर समय मृत्यु को याद रखे ताकि उसके लिए तैयारी कर सके, तथा ऐसा करना चिंता को नहीं बढ़ाता है अपितु उसके लिए तैयारी करने को प्रेरित करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**इच्छाओं को कम करने वाली चीज़ मृत्यु को अधिकाधिक याद करो**"। इसे कुछ सुनन वालों ने रिवायत किया है।

किताबुल जनायज़ से प्रश्न

सही	गलत	प्रश्नः
☐	☐	۞ मरीज़ से यह पूछना कि वह अपनी नमाज़ एवं तहारत (पवित्रता) किस प्रकार से अदा करता है उन मामलों में दख़लअंदाज़ी करना है जिनसे उसका कोई संबंध नही है
☐	☐	۞ रोगी की अयादत (हाल-चाल पूछने) में निकट एवं दूर के लोगों के मध्य अंतर नहीं किया जायेगा
☐	☐	۞ यात्रा से आने वाले लोगों की प्रतीक्षा करते हुए मृतक के कफ़न-दफ़न में विलंब करना जायज़ है
☐	☐	۞ जब तक उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाये ख़लीफ़ा को दफ़न करने में विलंब करना जायज़ है
☐	☐	۞ मृतक को स्नान कराने एवं विवाह के मामले में मूल उत्तराधिकारी को निर्मूल पर वरीयता दी जायेगी, विरासत में नहीं
☐	☐	۞ आत्महत्या करने वाले की जनाज़ा की नमाज़ इमाम नहीं पढ़ायेगा
☐	☐	۞ यदि गंदा होने का भय न हो तो मय्यत के जनाज़ा की नमाज़ मस्जिद में अदा की जायेगी
☐	☐	۞ मृतक पर रोना जायज़ है
☐	☐	۞ मुर्दा को उसकी क़ब्र में क़िब्ला की ओर रूख़ कर के लिटाया जायेगा
☐	☐	۞ कोई भी नेक कार्य कर के उसका पुण्य मृत अथवा जीवित मुस्लिम को उपहार स्वरूप दे देने से उसका लाभ उसको मिलता है

۞ वह मरीज़ जिसको अयादत की ज़रूरत है: ☐ प्रत्येक मरीज़ ☐ जिसे उसका रोग बाहर निकलने से रोक दे ۞ मृतक की ओर से ऋण को अदा करना: ☐ वाजिब है ☐ सुन्नत है ☐ जायज़ है ۞ मृत्यु शय्या पर पड़े हुए व्यक्ति को (कलिमा के लिए) तलक़ीन (प्रेरित) करना ☐ वाजिब है ☐ मुस्तहब है ☐ हराम है ۞ नम्रता के साथ नज़अ की स्थिति वाले व्यक्ति को तलक़ीन करना: ☐ वाजिब है ☐ मुस्तहब है ☐ जायज़ है ☐ यदि तीन बार से अधिक न हो तो मुस्तहब है ۞ नज़अ (प्राणांत) की स्थिति वाले व्यक्ति को दोबारा तलक़ीन की जायेगी: ☐ सदा ☐ यदि यह तीन बार की सीमा के अंदर हो ☐ जब वह पहली तलक़ीन के बाद बात कर लेखक: ۞ नज़अ की हालत में पड़े व्यक्ति को (कलिमा की) तलक़ीन करने का अर्थ है: ☐ तलक़ीन करने वाला उससे कहे कि: "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहो ☐ "कहो" कहे बिना उसके पास कलिमा शहादत पढ़े ☐ "कहो" कहे बिना उसको कलिमा -ए- शहादत की याद दिलाए ۞ मृतक को दफ़न करना: ☐ वाजिब है ☐ सुन्नत है ☐ फ़र्ज़ -ए- किफ़ाया है ۞ गर्भपात यदि चार मास के बाद हुआ हो तो: ☐ न तो उसे स्नान कराया जायेगा एवं न ही उसके जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी जायेगी ☐ उसे नहाया नहीं जायेगा परंतु उसके जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी जायेगी ☐ स्नान भी दिया जायेगा तथा जनाज़ा की नमाज़ भी पढ़ी जायेगी ۞ मृतक को स्नान कराने में सहायता न करने वाले व्यक्ति का वहाँ उपस्थित रहना: ☐ हराम है ☐ जायज़ है ☐ मकरूह है

किताबुज़्ज़कात (ज़कात के मसले)

ज़कात (दान) के अनेक प्रकार हैं:

[1] **फ़र्ज़ ज़कात:** तथा इसके दो प्रकार हैं:

① **धन की ज़कात:** इसकी शरई परिभाषा: (विशेष तबका अथवा विशेष इकाई के लिए एक विशिष्ट राशि का शरीअत के अनुरूप अनिवार्य भाग निकाल कर सर्वशक्तिमान अल्लाह की इबादत करना)। यह इस्लाम के स्तंभों में तीसरा स्तंभ है, तथा इसके चार प्रकार हैं:

[क] नक़्दैन:	[ख] साइमह:	[ग] धरती से निकलने वाली वस्तुएं:	[घ] व्यापार का सामान:
अर्थात: सोना, चांदी एवं अन्य मुद्राएं जो उनके विकल्प हैं। सोने का निसाब 20 मिस्क़ाल (85 ग्राम) तथा चाँदी का निसाब 200 दिरहम (595 ग्राम) है।	अर्थात: वो पशु जो साल भर अथवा साल के अधिकांश भाग में आम चरागाहों में चरते हों, तथा बहीमतुल अन्आम से अभिप्राय है: ऊँट, गाय एवं बकरी।	जैसे अनाज एवं फल।	इससे अभिप्राय प्रत्येक वह सामान है जो क्रय-विक्रय के लिए तैयार किया जाये।

② **शरीर की ज़कात:** तथा इससे अभिप्राय ज़कात -ए-फ़ित्र है, जो प्रत्येक मुसलमान पर वाजिब है, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, बड़ा हो, छोटा हो, दास हो अथवा स्वतंत्र।

[2] **नफ़्ल ज़कात:** यह हर वह ज़कात है जो आदमी अपने धन से केवल अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए निकालता है।

व्यक्तिगत और सामूहिक ज़कात (दान) के फायदे और उसके नियम इस प्रकार हैं:

[1] बंदे के इस्लाम का पूर्ण होना। [2] यह ज़कात निकालने वाले के सच्चे ईमान का प्रमाण है। [3] ज़कात निकालने वाले के अख़लाक़ (आचरण) का पवित्र होना। [4] धन की शुद्धि। [5] दिल को शांति प्राप्त होना। [6] इंसान पूर्ण मोमिनों में शामिल हो जाता है। [7] जन्नत में दाखिल होने का कारण है। [8] यह पापों को मिटाती है। [9] यह इस्लामी समुदाय को एक परिवार की तरह बना देती है [10] यह निर्धनों के अंदर से विरोध भावना को समाप्त करती है। [11] वित्तीय अपराधों को रोकती है। [12] क़यामत के दिन की गर्मी से बचाएगी [13] बुरी मौत से बचाती है। [14] इंसान को अल्लाह और उसके शरीअत की सीमाओं से अवगत कराती है। [15] यह ख़ैर व भलाई के अवतरण का कारण है। [16] यह अल्लाह के क्रोध को कम करती है। [17] यह आने वाली आपदाओं से लड़ती है, तथा उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है।

[धन के ज़कात से संबंधित पाठ]

यह वाजिब है प्रत्येक [अतः ज़कात बच्चे एवं पागल के धन में भी अनिवार्य है]:

[1] मुसलमान।	[2] स्वतंत्र।	[3] तथा निस़ाब वाले पर।

किसी भी धन में उस समय तक ज़कात नहीं है जब तक उस पर एक [हिज्री]वर्ष न गुज़र जाये, सिवाय:

[1] धरती से निकलने वाली चीज़ के।	[2] तथा जो मूल के अधीन हो, जैसे निस़ाब की वृद्धि, या व्यापार का लाभ तो = उसका ह़ौलान -ए- ह़ौलान (एक वर्ष का बीतना) भी मूल का ह़ौलान -ए- ह़ौलान के समान है।

तथा ज़कात केवल चार प्रकार की चीज़ों में वाजिब है:

[1] बहीमतुल अन्आम (चौपायों) में से आम चरागाह में चरने वाले।	[2] धरती से निकलने वाली चीज़।	[3] नक़दी (वित्त)।	[4] तथा व्यापार का सामान।

चौपायों में ज़कात के वाजिब होने की दलील अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ है, कि अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको लिखा कि: "**यह ज़कात वह फ़र्ज़ है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ करार दिया है तथा रसूल को अल्लाह तआला ने इसका आदेश दिया था**"।

- चौबीस अथवा उससे कम <u>ऊँटों</u> में हर पाँच ऊँट पर एक बकरी देनी होगी।
- जब ऊँटों की संख्या पच्चीस तक पहुँच जाये तो पच्चीस से पैंतीस तक बिंते मख़ाज़ अर्थात एक वर्ष की ऊँटनी अनिवार्य होगी, तथा यदि बिंते मख़ाज़ उपलब्ध न हो तो एक नर इब्ने लबून अर्थात दो वर्ष का ऊँट निकाला जाये (ज़कात में)।
- जब ऊँटों की संख्या छत्तीस पहुँच जाये तो (छत्तीस से) पैंतालीस तक एक बिंते लबून अर्थात दो वर्ष की मादा ऊँटनी वाजिब होगी।
- जब संख्या छियालीस तक पहुँच जाये (तो छियालीस से) साठ तक में ह़िक्क़ह अर्थात तीन वर्ष की ऊँटनी अनिवार्य होगी जो गर्भधारण के योग्य हो।
- जब संख्या इकसठ तक पहुँच जाये तो पचहत्तर तक जज़अह यानी चार वर्ष की मादा अनिवार्य होगी।
- जब संख्या छिहत्तर तक पहुँच जाये (तो छिहत्तर से) नब्बे तक दो वर्ष की ऊँटनियां अनिवार्य होंगी।
- जब संख्या इक्यानवे तक पहुँच जाये तो (इक्यानवे से) एक सौ बीस तक ह़िक्क़ह अर्थात तीन वर्ष पूर्ण कर चुकी दो ऊँटनियां अनिवार्य होंगी जो गर्भधारण के योग्य हों।
- यदि संख्या एक सौ बीस से अधिक हो जाये प्रत्येक चालीस पर बिंते लबून अर्थात दो वर्ष की ऊँटनी अनिवार्य होगी तथा प्रत्येक पचास पर ह़िक्क़ह अर्थात तीन वर्ष की।
- और यदि किसी के पास चार ऊँट से अधिक नहीं है तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं है किंतु यदि उसका स्वामी अपनी इच्छा से कुछ दे दे तो और बात है।

- तथा उन ग़नम [बकरी एवं भेड़] की ज़कात जो (वर्ष के अधिकांश समय जंगल अथवा मैदान में) चर कर गुज़ारा करती हैं:
  - यदि उनकी संख्या चालीस तक पहुँच गई हो तो (चालीस से) एक सौ बीस तक एक बकरी अनिवार्य होगी।
  - और जब एक सौ बीस से संख्या बढ़ जाये (तो एक सौ बीस से) से दो सौ तक एक बकरी अनिवार्य होगी।
  - यदि दो सौ से भी संख्या बढ़ जाये (तो दो सौ एक से) तीन सौ तक तीन बकरियां अनिवार्य होंगी।
  - तथा जब तीन सौ से भी संख्या आगे बढ़ जाये तो अब हरेक सौ पर एक बकरी वाजिब होगी (अर्थात 399 तक तीन बकरी ही अनिवार्य होगी, चार सौ की संख्या पूर्ण होने पर चार बकरियां वाजिब होंगी)।

  यदि किसी व्यक्ति की चरने वाली बकरियों की संख्या चालीस से एक भी कम हो तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी परंतु अपनी इच्छा से उसका स्वामी कुछ देना चाहे तो दे सकता है।

  ज़कात (की वृद्धि) के भय से अलग धन को एकत्र तथा एकत्र धन को अलग नहीं किया जाये।

  जब दो सहयोगी हों तो वह अपना हिसाब बराबर कर लें। ज़कात में बूढ़ा [जिसके दांत गिर चुके हों] एवं दोषी [ऐबदार एवं रोगी] जानवर न निकाले।
- तथा दो सौ दिरहम **चाँदी** की ज़कातः में चालीसवां भाग अनिवार्य है, किंतु यदि किसी के पास एक सौ नब्बे (दिरहम) से अधिक नहीं है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, परंतु उसका मालिक यदि अपनी इच्छा से कुछ देना चाहे तो कोई बात नहीं।

जिसके ऊँटों की संख्या जज़अह (चार वर्ष की मादा ऊँटनी) तक पहुँच जाये तथा वह जज़्अह उसके पास न हो बल्कि हिक़्क़ह (तीन वर्ष पूर्ण करके चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी ऊँटनी) हो तो उससे ज़कात में हिक़्क़ह ही लिया जायेगा किंतु उसके साथ दो बकरियां भी ली जायेंगी, यदि इस प्रकार से देने में उसे आसानी हो तो, अथवा यदि उसके पास दो बकरी न हो तो बीस दिरहम लिया जायेगा। तथा यदि किसी पर ज़कात में हिक़्क़ह अनिवार्य हो और हिक़्क़ा उसके पास न हो बल्कि जज़्अह हो तो उससे जज़्अह ही लिया जायेगा तथा ज़कात वसूल करने वाला ज़कात देने वाले को बीस दिरहम या दो बकरियां देगा। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

- और मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः **"उन्हें आदेश दिया कि हर तीस गाय बैल में एक साल का बछड़ा अथवा बछिया वसूल करें, तथा प्रत्येक चालीस गाय में दो बछिया"**। इसे सुनन वालों ने रिवायत किया है।
- तथा जहाँ तक **नक़्दी की** ज़कात की बात है तो पूर्व में यह उल्लेख किया जा चुका है कि दो सौ दिरहम से कम में कोई ज़कात नहीं है, और दो सौ दिरहम हो जाने पर उसका चालीसवां भाग अनिवार्य है।
- धरती से निकलने वाली चीज़ें जैसे अनाज एवं फल की ज़कात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है किः **"पाँच वसक़ से कम में कोई ज़कात नहीं है"**। बुख़ारी व मुस्लिम। तथा एक वसक़ साठ साअ का होता है, तो नबवी साअ के आधार पर अनाज एवं फल का निस़ाब तीन सौ (300) साअ है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः **"जिस धरती की सिंचाई आकाशीय बारिश एवं नहर व सरिता से होती हो अथवा वह सदा भीगी रहती हो, तो उसमें दसवां भाग ज़कात है, तथा जो ज़मीन पानी खींच कर सींची जाती हो उसमें बीसवां भाग ज़कात है"**। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

सह्ल बिन ह़स्मा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वह कहते हैं किः **"जब तुम (खजूर या अंगूर की मात्रा का) अंदाज़ा लगाओ तो अंदाज़ा से एक तिहाई की मात्रा कम कर दिया करो, यदि एक तिहाई न छोड़ सको तो चौथाई छोड़ दिया करो"**। इसे सुनन वालों ने रिवायत किया है।

- जहाँ तक **व्यापार के सामान** की बात है तो इससे अभिप्रायः प्रत्येक वह वस्तु है जो लाभ के लिए बेचा एवं खरीदा जाता हो, जब उस पर एक वर्ष बीत जाये तो निर्धनों के लिए जो अधिक लाभदायक हो सोना अथवा चाँदी में से उस आधार पर उसका अंदाज़ा लगाया जायेगा, तथा उसमें: चालीसवां भाग अनिवार्य है।

- जिसका किसी के ऊपर **क़र्ज़** तथा ऐसा धन हो जिसकी अदायगी की संभावना कम हो, जैसे टाल मटोल करने वाले के ऊपर ऋण हो अथवा ऐसे निर्धन के ऊपर जो चुकाने में असमर्थ हो, तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं है, [किंतु जब वह धन उसे मिल जाये तो उसी साल एक बार ज़कात निकाल दे] अन्यथा वाजिब है।
- ज़कात में मध्यम वर्ग का माल निकालना अनिवार्य है, घटिया माल निकालना पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन सर्वोत्तम माल भी ज़कात के रूप में निकालना जरूरी नहीं है, सिवाय इसके कि माल के स्वामी की इच्छा हो कि वह अपना सर्वोत्तम माल ज़कात के रूप में निकालेगा तो कोई बात नहीं।
- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ में है कि: "**रिकाज़ (गड़े हुए धन) में पाँचवां भाग है**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

गड़े हुए धन में से यदि कुछ ऐसा मिलता है, जो हो:

[1] जाहिलिय्यत युग का: (इस्लाम से पूर्व का) तो यही वह रिकाज़ है जिसमें ज़कात वाजिब है, इसे पाने वाला इसका पाँचवां भाग निकालेगा।	[2] मुसलमानों का: (इस्लाम के बाद का) तो यह लुक़्ता है, तथा इसकी व्याख्या लुक़्ता वाले अध्याय में की जायेगी।

ज़कातुल फ़ित्र का अध्याय

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि: "**रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़कात -ए- फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है:**

[1] एक स़ाअ (एक प्रकार का माप) खजूर या एक स़ाअ जौ।	**[2] दास, स्वंतत्र, पुरुष, महिला, छोटे एवं बड़े सभी मुसलमानों पर।**	**[3] तथा यह आदेश दिया है कि इसे ईद की नमाज़ के लिए निकलने के पूर्व अदा कर दिया जाये।**

तथा यह वाजिब है:

अपनी ओर से, एवं जिसके खर्च की जिम्मेवारी उसके ऊपर है, उसकी ओर से।	यदि वह चीज उसके एक दिन एवं एक रात के खाने से अधिक हो।	एक स़ाअ: खजूर, या जौ, या पनीर, या किशमिश या गेहूँ।

इसमें सबसे उत्तम वह है जो: सर्वाधिक लाभदायक हो।

इसे ईद के दिन के बाद तक विलंब करना जायज़ नहीं है। तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे फ़र्ज़ करार दिया है: **"रोज़ेदार को बेहूदगी एवं अश्लील बातों से पवित्र करने के लिए तथा मोहताजों के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए"।**

[1] अत: जिसने इसे ईद की नमाज़ के पूर्व अदा किया तो वह स्वीकार्य ज़कात है।	[2] और जिसने इसे नमाज़ के बाद अदा किया तो मानो वह आम ज़कातों में से एक ज़कात (दान) है। इसे अबू दावूद एवं इब्ने माजह ने रिवायत किया है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “**सात व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तआला क़यामत के दिन अपने अर्श की छाया में स्थान देगा जबकि उस दिन उसके अर्श की छाया के सिवा और कोई छाया नहीं होगी**”।

[1] न्यायप्रिय शासक	[2] वह युवक जिसने अपने रब की पूजा जवानी में की। [3] ऐसा व्यक्ति जिसका दिल हर समय मस्जिद में लगा रहता है।	[4] दो ऐसे व्यक्ति जो अल्लाह के लिए एक-दूजे से प्रेम करते हैं, उनके मिलने एवं जुदा होने का आधार यही है।	[5] वह व्यक्ति जिसे किसी सम्मानित सुंदर महिला ने व्यभिचार के लिए बुलाया तो उसने कहा किः मैं अल्लाह से डरता हूँ।	[6] वह व्यक्ति जिसने सदक़ा किया तो इतना छिपा कर किया कि बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया।	[7] वह व्यक्ति जिसने एकांत में अल्लाह को याद किया तो उसकी आँखों से आँसू जारी हो गये।	

ज़कात देने एवं लेने वाले का अध्याय

ज़कात केवल उन्हीं आठ लोगों को दी जायेगी, जिनका उल्लेख अल्लाह ने अपने इस कथन में किया हैः ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (ज़कात (देय, दान) केवल फ़क़ीरों, मिस्कीनों और कार्यकर्ताओं के लिये, तथा उनके लिये जिनके दिलों को जोड़ा जा रहा है, और दास मुक्ति, तथा ऋणियों (की सहायता) के लिए, और अल्लाह की राह में तथा यात्रियों के लिये है, अल्लाह की ओर से अनिवार्य (देय) है, और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है)। उपरोक्त में से केवल किसी एक प्रकार को ही ज़कात देना भी जायज़ है, मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कहे गये नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फ़रमान के कारणः “**यदि वो लोग तुम्हारी बात मान लें, तो उन्हें बताना किः अल्लाह ने उन पर सदक़ा फ़र्ज़ किया है जो उनके धनवानों से लेकर उनके निर्धनों को लौटा दिया जाता है**”। बुख़ारी व मुस्लिम। तथा ज़कात देना हलाल नहीं हैः

[1] धनवान को।	[2] कमाने वाले स्वस्थ को।	[3] न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के परिवार को, जोकि बनू हाशिम एवं उनके स्वतंत्र किये हुए दास हैं।	[4] न उस को जिसके ऊपर खर्च करना ज़कात देने वाला पर अनिवार्य है।	[5] तथा न काफ़िर को।

जहाँ तक नफ़्ली (निवार्य) सदका की बात है तो यह उपरोक्त लोगों एवं उनके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी दिया जा सकता है। किंतु यह जितना उतना अधिक लाभदायक होगा -लाभ आम हो या खास- उतना ही अधिक पूर्ण माना जायेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “**जो व्यक्ति धनवान बनने के लिये लोगों से उनका धन माँगता है, वह आग के अंगारे माँगता है, कम (इकट्ठा) कर ले अथवा अधिक कर ले**”। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा थाः “**(सुनो!) जो माल भी तुम्हें बिना लालच एवं बिन मांगे मिले तो उसे स्वीकार करो, तथा जो न मिले उसके पीछे न पड़ो**”। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

ज़कात लेने योग्य आठ लोग हैं जिनका उल्लेख अल्लाह तआला ने सूरह तौबा में किया है:

[1] फ़क़ीर:
ये वे जरूरतमंद लोग हैं जो कुछ भी नहीं पाते या जो उनके लिये पर्याप्त हो उसका थोड़ा सा भाग पाते हैं।

[2] मिस्कीन:
ये वे लोग हैं जो अपनी पर्याप्तता (खर्च) का अधिकांश या आधा भाग पाते हैं, यदि हम इनका वार्षिक व्यय 100000 मानें तो फ़क़ीर वह है जिसके पास 50,000 से कम है और मिस्कीन वह है जिसके पास 50,000 या उससे अधिक हो किंतु 100000 न हो, अतः उन्हें उतना दिया जाएगा जो उनके वार्षिक खर्चों के लिए पर्याप्त हो, क्योंकि अनिवार्य ज़कात का भुगतान वर्ष में केवल एक बार किया जाता है।

[3] ज़कात वसूल करने वाले:
ये वे लोग हैं जो इसे जमा करते हैं, इसके संरक्षक हैं, और जिन को इसे वितरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये वही हैं जिन्हें शासक नामित करता और जिम्मेदारी सौंपता है, और इन लोगों का ज़कात का माल लेने के लिए फ़क़ीर होना शर्त नहीं है, बल्कि उन्हें ज़कात ही में से (मजदूरी के रूप में) दिया जायेगा, भले ही वे हों अमीर क्यों न हों।

[4] दिल रखने के लिये:
ऐसा व्यक्ति जिसके ईमान लाने अथवा उसकी बुराई से बचने अथवा उसके कारण ईमान को बल मिलने की आशा हो।

[5] गर्दन छुड़ाने में, और ये लोग हैं:
- मुस्लिम क़ैदी
- मुस्लिम दास आज़ाद कराना।
- मुस्लिम मुकातबः यह वह दास है जिसने अपने स्वामी से स्वतंत्रता खरीद रख हो

इसमे वह दास शामिल नहीं है जिसे उसके स्वामी ने स्वतंत्र कर दिया हो, फिर भी वह स्वयं को ज़कात लेने योग्य समझे, ऐसा करना

[6] क़र्ज़दार, ये लोग हैं:
- लोगों के मध्य सुलह कराने के लिए क़र्ज़ लेने वाले
- अपनी खातिर क़र्ज़ लेने वाले

क़र्ज़दार निर्धन के क़र्ज़ को ज़कात की निय्यत से छोड़ देना जायज़ नहीं है।

[7] अल्लाह के मार्ग में:
इसमें जिहाद करने वाले तथा जिन हथियारों की उन्हें आवश्यकता है, सब शामिल हैं।

[8] यात्री:
इससे अभिप्राय यात्रा में फंसा वह यात्री है जिसका दाना-पानी समाप्त हो चुका हो, अतः उसे उतना दिया जायेगा जो उसे घर तक पहुँचने के लिए पर्याप्त हो।

सिंचाई के प्रकार मय ज़कात की मात्रा:

[1]जो परिश्रम लगाकर सिंचित होता है: उसमें बीसवां भाग है।

[1] जो बिना परिश्रम के सिंचित होता है: उसमें दसवां भाग है।

[3]जो दोनों रूप से सिंचित होता है: उसमें 7.5% है।

[3] जो अलग-अलग रूप से सिंचित होता है: उसमें सर्वाधिक लाभदायक का ध्यान रखा जायेगा।

[3] जो अलग-अलग रूप से सिंचित होता है परंतु सर्वाधिक लाभदायक का हमें ज्ञान न हो तोः उसमें दसवां भाग है।

[संलग्न]

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ:		
ऊँट से संबंधित	बिंते मख़ाज़	जिस ऊँटनी का एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो, और इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी माता गर्भवती होती है।
	बिंते लबून	जिस ऊँटनी का दो वर्ष पूर्ण हो चुका हो, और इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी माता दूध वाली होती है।
	हिक़्क़ह	जिस ऊँटनी का तीन वर्ष पूर्ण हो चुका हो, और इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह गर्भधारण करने के योग्य हो जाती है।
	जज़्अह	जिस ऊँटनी का चार वर्ष पूर्ण हो चुका हो, और इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके दूध वाले अगले दांत गिर चुके होते हैं।
गाय से संबंधित	तबीअह	जिस गाय का एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो।
	मुसिन्नह	जिस गाय का दो वर्ष पूर्ण हो चुका हो।

ज़कात की मात्रा:

माल	हौल (वर्ष का होना)	निसाब	ज़कात की मात्रा:
चौपाया	शर्त है	विवरण आ रहा है	शीघ्र ही इसका विवरण आ रहा है
धरती से निकलने वाला	शर्त नहीं है	300 साअ	दसवां भाग (10%): वह खेत जो आकाश, नदी, झरना अथवा धरती की नमी से सिंचित होता है। बीसवां भाग (5%): जिसकी सींचाई पशुओं के द्वारा की गई हो। पंद्रह्वां भाग (7.5%): जो इन दोनों से सिंचित होता है।
नक़दी	शर्त है	85 ग्राम सोना या 595 ग्राम चाँदी	चालीसवां भाग (2.5%):
व्यापारिक सामान	शर्त है	सोना एवं चाँदी में से निर्धनों के लिए जो अधिक लाभदायक हो उस आधार पर।	चालीसवां भाग (2.5%):

बहीमतुल अन्आम (चौपायों) में से बाहर चरने वाले जानवरों की ज़कात का निसाब एवं उसकी मात्रा:

गाय एवं भैंस

उसकी ज़कात	मात्रा	
	से	तक
एक तबीअ या तबीअह	30	39
मुसिन्नह	40	59
दो तबीअ या तबीअह (नर एवं मादा दोनों का हुक्म एक समान है)	60	69
फिर: प्रत्येक 30 में एक तबीअ तथा हरेक 40 में मुसिन्नह		

एक या दो कोहान वाला ऊँट

उसकी ज़कात	मात्रा	
	से	तक
एक बकरी	5	9
दो बकरियां	10	14
तीन बकरियां	15	19
चार बकरियां	20	24
बिंते मख़ाज़	25	35
बिंते लबून	36	45
हिक़्क़ह	46	60
जज़अह	61	75
दो बिंते लबून	76	90
दो हिक़्क़ह	91	120
तीन बिंते लबून	121	129
फिर हरेक चाली में एक बिंते लबून एवं हर पचास में एक हिक़्क़ह, तथा वक़्स कहते हैं 9 या उससे कम को (जो दो फ़र्ज़ संख्याओं के बीच होता है		

ग़नम: भेड़ एवं बकरियां

उसकी ज़कात	मात्रा	
	से	से
एक बकरी	40	120
दो बकरियां	121	200
तीन बकरियां	201	300
फिर प्रत्येक 100 में एक बकरी		

ज़कात में नहीं लिया जायेगा: ऐसा नर जो बकरियों को गर्भधारण कराने के लिये रखा गया हो और बूढ़ा, दोषपूर्ण जानवर एवं घटिया माल।
ज़कात में नहीं लिया जायेगा: दुबला, गर्भवती अथवा पेटू (या जिसे खिला पिला कर ज़ब्ह़ करने के लिए मोटा किया गया हो) तथा सर्वोत्तम धन।

ज़कात उल फ़ित्र का हुक्मः		
मुस्तहब है:	**वाजिब है:**	
गर्भाशय में पल रहे शिशु की ओर से।	हर उस मुसलमान पर जिस पर रमज़ान के अंतिम दिन का सूर्य अस्त हुआ होः चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पुरुष हो अथवा महिला, दास हो या स्वतंत्र।	तथा ईद के दिन एवं उसकी रात्रि में, उसके एवं परिवार वालों के भोजन एवं उसकी बुनियादी ज़रूरतों से एक स़ाअ अधिक हो।

स़दक़ा -ए- फ़ित्र को मशरूअ (विधान) करार देने की ह़िकमत (तत्वदर्शिता):	
रोज़ेदार को बेहूदगी एवं अश्लील बातों से पवित्र करने के लिए।	निर्धनों एवं भिक्षुकों को ईद के दिन मांगने से निश्चिंत करने के लिए।

ज़कात उल फ़ित्र निकालने का समयः		
जायज़ समयः	**मुस्तहब समयः**	**ह़राम समयः**
ईद से एक या दो दिन पूर्व।	फ़ज्र के बाद एवं ईद की नमाज़ के पूर्व।	ईद की नमाज़ के बाद।

ज़कात उल फ़ित्र में क्या निकालना पर्याप्त होगाः	
जिस अनाज को मनुष्य सामान्य रूप से खाता है उसमें से एक स़ाअ निकालना, तथा उन्नत गेहूँ के एक स़ाअ का वज़न अनुमानतः दो कीलो चालीस ग्राम होता है, तथा हर अनाज का वज़न उसके हिसाब से कम या अधिक होता है।	नक़दी निकालना काफी नहीं होगा।

वज़न के आधार पर प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों की ज़कात -ए- फ़ित्र की मात्राः		
चावलः 2300 ग्राम।	सूजीः 2000 ग्राम।	आटाः 1400 ग्राम।
चनाः 2000 ग्राम।	मसूरः 2100 ग्राम।	गेहूँ: 2040 ग्राम।
किशमिशः 1640 ग्राम।	खजूरः 1800 ग्राम।	फलियां: 2060 ग्राम।

प्राप्तकर्ता एवं मात्रा के आधार पर ज़कात के प्रकारः		
[1] जिसमें भुगतानकर्ता एवं प्राप्तकर्ता का उल्लेख किये बिना भुगतान की जाने वाली वस्तु का निर्धारण किया गया है, जैसे स़दक़ा -ए- फ़ित्र।	[2] जिसमें भुगतान की जाने वाली वस्तु एवं प्राप्तकर्ता का निर्धारण किया गया है, जैसेः पीड़ा (अज़ा) का फ़िदयाः "**छह निर्धनों को खाना खिलाओ, प्रत्येक निर्धन को आधा स़ाअ**"।	[3] जिसमें भुगतानकर्ता एवं प्राप्तकर्ता का निर्धारण किया गया है, परंतु भुगतान की जाने वाली वस्तु का नहीं, जैसे क़सम का कफ़्फ़ारा।

किताबुज़्ज़कात से प्रश्न

गलत	सही	प्रश्न
☐	☐	❖ यदि कोई व्यक्त मर जाये तथा उस पर ज़कात वाजिब हो तो विरासत के बंटवारे से पूर्व उसके माल से ज़कात निकाली जायेगी
☐	☐	❖ बकरी का निसाब एक सौ बीस है
☐	☐	❖ छिहत्तर (76) ऊँट में एक बिंते लबून वाजिब है
☐	☐	❖ उपयोग के लिये तैयार किये गये ज़ेवर में कोई ज़कात नहीं है
☐	☐	❖ सोना या चाँदी में से निधर्नों के लिये जो अधिक लाभदायक हो उसके आधार पर साल बीतने पर व्यापारिक सामान में से ज़कात निकाली जायेगी
☐	☐	❖ बहीमतुल अन्आम में ऊँट, गाय, भैंस एवं बकरी शामिल हैं
☐	☐	❖ फलों में कोई ज़कात नहीं है
☐	☐	❖ जब मिस्कीन का उल्लेख किया जाये तो फ़क़ीर उसमें शामिल होता है
☐	☐	❖ दिल जोड़ने वाले में वह काफ़िर भी शामिल होगा जिसके ईमान लाने की आशा न हो
☐	☐	❖ स्वामी यदि अपने दास को स्वतंत्र कर दे तो उसे भी ज़कात में से दिया जायेगा
☐	☐	❖ एक धनवान किसी निर्धन से अपना ऋण मांगता है, तथा फिर उसे छोड़ कर उसे ज़कात में गिन लेता है, तो उसका ऐसा करना सही है
☐	☐	❖ "फ़ी सबीलिल्लाह" में भलाई के सभी कार्य शामिल हैं, जैसे मस्जिद निर्माण करना
☐	☐	❖ सोना चाँदी की ज़कात को चालीस से भाग करके हिसाब लगाया जाता है
☐	☐	❖ बहीमतुल अन्आम में से आम चरागाहों में चरने वाले जानवर पर ज़कात वाजिब है, जबकि घर में काम काज के लिये रखे गये या जिन्हें घर में खिलाया पिलाया जाता हो उन पशुओं में ज़कात वाजिब नहीं है
☐	☐	❖ अनाज एवं फल में ज़कात उसी समय वाजिब है जब वह निसाब को पहुँच जायें, तथा यह उसी समय होगा जब अनाज ठोस एवं मजबूत हो जाये तथा फल पक जाये
☐	☐	❖ अनाज एवं फल जिसके सींचने में परिश्रम लगता हो उसमें बीसवां भाग है
☐	☐	❖ सोना जब निसाब को पहुँच जाये तो उसमें ज़कात वाजिब है तथा उसकी मात्रा 20 मिस्क़ाल है
☐	☐	❖ तबीअ उस गाय को कहते हैं जिसकी आयु दो वर्ष हो चुकी हो
☐	☐	❖ रहने के लिये तैयार किये गये घर में ज़कात वाजिब है
☐	☐	❖ प्रत्येक यात्री को ज़कात दी जायेगी क्योंकि वह "इब्नुस्सबील" में शामिल है
☐	☐	❖ उत्तम यह है कि ज़कात देने वाला अपनी ज़कात स्वयं बांटे

❖ कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद धन को वर्ष पूरा होने के पूर्व इसलिये खत्म कर लेता है ताकि उस पर ज़कात वाजिब न हो तोः ☐ उसके इरादे के विपरीत उसको दण्ड दिया जायेगा तथा उससे ज़कात ली जायेगी ☐ उसका ऐसा करना जायज़ है

❖ किसी व्यक्ति ने साइमह (चरने वाले जानवर) के बदले व्यापारिक सामान खरीद लिया तथा साल बीतने को आधार नहीं बनाया तोः ☐ उसका ऐसा करना सही है ☐ उसका ऐसा करना सही नहीं है

❖ किसी वस्तु को निजी प्रयोग के लिये रखे हुआ था, फिर उसमें तिजारत का इरादा कर लिया तो ☐ उसमें ज़कात है ☐ उसमें ज़कात नहीं है

❖ किसी महिला ने सोना का पलंग बनवायाः ☐ उसमें ज़कात है ☐ उसमें ज़कात नहीं है

❖ किसी व्यक्ति के पास सौ सऊदी रियाल हैं: ☐ उसमें ज़कात है ☐ उसमें ज़कात नहीं है

❖ किसी ने गड़ा हुआ धन पाया जिस पर इस्लामी प्रतीक बना हुआ हैः ☐ उसमें ज़कात है ☐ उसमें ज़कात नहीं है

❖ किसी भी धन में उस समय तक ज़कात नहीं है जब तक उस पर साल न बीत जाये, तथा साल माना जायेगाः ☐ हिजरी साल को ☐ ईस्वी साल को ☐ दोनों में कोई अंतर नहीं है

❖ साल बीतने की शर्त से अलग हैः ☐ रिकाज़ (गड़ा हुआ धन) ☐ धरती से निकलने वाली वस्तु ☐ उपरोक्त सभी वस्तुएं

❖ सोने का निसाब हैः ☐ 85 ग्राम ☐ 595 ग्राम ☐ 95 ग्राम

❖ चाँदी का निसाब हैः ☐ 200 दिरहम ☐ 595 ग्राम ☐ दोनों

❖ साइमह कहते हैं उस पशु कोः ☐ जिसका मूल्य अधिक हो ☐ जो पूरे वर्ष अथवा वर्ष के अधिकांश महीने बाहर चरता हो

❖ जो मुबाह चरते हों, अर्थातः ☐ जो पवित्र वस्तुएं खाते हों ☐ जिस पर किसी का स्वामित्व नहीं हो

❖ फ़क़ीर को उतना दिया जायेगा, जो उसकेः ☐ साल भर के लिये पर्याप्त हो ☐ एक महीना के लिये पर्याप्त हो

❖ ज़कात वसूलने का कार्य करने वाले लोग हैं: ☐ हर वह व्यक्ति जो यह कार्य करता है ☐ केवल वह जिसे शासक नियुक्त करे

❖ करेंसी नोट के निसाब का अनुमान लगाया जायेगाः ☐ व्यापार के सामान के अनुसार ☐ सोना अथवा चाँदी के निसाब के अनुसार ☐ सोना एवं चाँदी दोनों के निसाब के अनुसार

❖ करेंसी नोट में वाजिब ज़कात की मात्रा हैः ☐ बीस प्रतिशत ☐ चालीस प्रतिशत

❖ अस्सी ग्राम सोने की ज़कात होगीः ☐ दो ग्राम ☐ चार ग्राम ☐ इसमें कोई ज़कात नहीं है

❖ किसी व्यक्ति से मैंने अपने हज़ार रूपये मांगे, फिर मैंने ज़कात की निय्यत से वह माफ कर दियाः ☐ ऐसा करना सही है ☐ ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि ज़कात में अनिवार्य रूप से लेन-देन होना चाहिये

❖ ज़कात लेने के योग्य मानते हुए सड़क ठीक करने वाले को ज़कात देना ☐ सही है ☐ गलत है

जिनमें ज़कात वाजिब है उनके सामने (√) का चिह्न लगायें:

घर पर खिलाई गई बकरी		वाणिज्यिक परिसर		मुर्गी	
खजूर का बाग		25 मिस़्क़ाल सोना		बाहर चरने वाले ऊँट	

निम्नांकित में से ज़कात की मात्रा तथा वक़्स पाये जाने की स्थिति में वक़्स की मात्रा का निर्धारण करें:		
धन	**ज़कात की मात्रा**	**वक़्स यदि पाया जाये**
100 दिरहम		
300 दीनार		
400 दिरहम		
80 ग्राम सोना		
500 ग्राम चाँदी		
30 बकरियां		
60 बकरियां		
565 बकरियां		
14 ऊँट		
17 ऊँट		
449 ऊँट		
30 गाय		
49 गाय		
77 गाय		
99 गाय		
20 मिलियन रियाल		
40 रियाल		
45679 रियाल		
255 स़ाअ गेहूँ		

किताबुस़्सियाम (रोज़ा के मसले)

सि़याम (रोज़ा) कहते हैं: (**अल्लाह की इबादत करते हुये भोर से लेकर सूर्यास्त तक खाने-पीने एवं रोज़ा तोड़ने वाली अन्य चीज़ों से परहेज़ करने को**)।

इसका प्रमाण अल्लाह का यह फ़रमान है: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ (हे ईमान वालो! तुम पर रोज़े उसी प्रकार से अनिवार्य कर दिये गये हैं, जैसे तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किये गये, ताकि तुम अल्लाह से डरो)। और रोज़ा वाजिब है, प्रत्येक:

[1] मुसलमान	[2] व्यस्क	[3] बुद्धि रखने वाले	[4] एवं रोज़ा रखने में सक्षम पर।	[5] या तो रमज़ान का चाँद देख कर, या तीस शाबान पूर्ण कर के।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**जब रमज़ान का चाँद देखो तो रोज़ा आरंभ कर दो और जब शव्वाल का चाँद देखो तो रोज़ा तोड़ दो, तथा यदि बादल हो तो हिसाब के द्वारा अनुमान से काम लो (अर्थात तीस दिन पूर्ण करो)**"। एक ह़दीस़ में यों है: "**तीस की गिनती पूरी कर लो**"। और एक ह़दीस़ में है कि: "**शाबान की तीस गिनती पूरी कर लो**"। बुख़ारी। एक आदिल (सच्चा) आदमी भी यदि रमज़ान का चाँद देखने की गवाही दे तो रोज़ा रखा जायेगा, जबकि बाकी महीनों में दो आदिल से कम की गवाही अस्वीकार्य है। फ़र्ज़ रोज़ा की नियत रात में ही करना वाजिब है, जबकि नफ़्ल रोज़ा की नियत दिन में भी करना जायज़ है।

ऐसा रोगी जिसको रोज़ा रखने के कारण हानि होने का भय हो, तथा **यात्री,** दोनों को रोज़ा रखने एवं न रखने का अधिकार है।	**माहवारी एवं प्रसवोत्तर वाली महिलाओं** का रोज़ा रखना ह़राम है, वह इसकी क़ज़ा (भरपाई) बाद में करेंगी।	**गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिलाओ** को यदि अपने बच्चे को हानि पहुँचने का भय हो तो: दोनों रोज़ा नहीं रखेंगी, उसकी क़ज़ा करेंगी, तथा हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना भी खिलायेंगी।	बुढ़ापा अथवा ऐसे रोग के कारण जिसके ठीक होने की आशा न हो, रोज़ा रखने में **अक्षम** व्यक्तिः हर दिन के बदले एक मिस्कीन को भोजन करायेगा।

यदि कोई व्यक्ति खा कर, पी कर, जानबूझकर उल्टी करके, पछना लगवा कर अथवा आलिंगन के द्वारा वीर्यस्खलित करके रोज़ा तोड़ ले, तो उस पर केवल रोज़ा की क़ज़ा है, जबकि यदि कोई व्यक्ति संभोग करने के द्वार रोज़ा तोड़ता है, तो वह:

[1] उसकी क़ज़ा करेगा और एक दास स्वतंत्र करेगा।	[2] यदि इसकी क्षमता न हो तो निरंतर दो महीने के रोज़े रखेगा।	[3] तथा यदि इसकी भी क्षमता न हो तो साठ मिस्कीनों (भिक्षुओं) को भोजन करायेगा।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः **"जिसने रोज़ा की स्थिति में भूलवश खा पी लिया तो उसे चाहिये कि वह रोज़ा पूर्ण करे"**। बुख़ारी व मुस्लिम। आप ने फ़रमायाः **"लोग जब तक इफ़्तार में जल्दी करेंगे ख़ैर व भलाई में रहेंगे"**। बुख़ारी व मुस्लिम। आपका कथन हैः **"सेहरी किया करो, क्योंकि सेहरी में बरकत होती है"**। बुख़ारी व मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः **"जब कोई इफ़्तार करे तो उसे चाहिये कि सूखे खजूर से इफ़्तार करे, यदि खजूर न मिले तो पानी से रोज़ा खोल ले, क्योंकि वह शुद्ध करने वाला है"**। इसे पाँचों (अहमद, अबू दावूद, नसई, तिर्मिज़ी एवं इब्ने माजह) ने रिवायत किया है। आप ने फ़रमायाः **"जो व्यक्ति** (रोज़ा की स्थिति में भी) **झूठी बातें करना, फ़रेब करना एवं अज्ञानता की बातें करना न छोड़े तो अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वह अपना खाना-पीना छोड़े"**। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः **"जिसके जिम्मे रोज़ा बाकी हो तथा वह मर जाये तो उसकी ओर से उसका वली रोज़ा रखेगा"**। बुख़ारी व मुस्लिम। [इससे अभिप्राय यह है कि जो रोज़ा की क़ज़ा (भरपाई) करने में सक्षम था किंतु उसने मरने से पहले क़ज़ा नहीं की, तो उसके वली के लिये ज़रूरी है कि वह उसकी ओर से रोज़ा रखे, तथा वली से अभिप्रायः वारिस है]। आप से अरफ़ा के रोज़ा के बारे में प्रश्न किया गया तो आपने फ़रमायाः **"यह पिछले एवं अगले वर्षों के गुनाहों का कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित्त) बन जाता है"**। तथा आप सल से दसवीं मुहर्रम के रोज़ा के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमायाः **"यह पिछले वर्ष के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाता है"**। और आपसे सोमवार के दिन के रोज़ा के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमायाः **"यह वह दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ, तथा उसी दिन मुझे (रसूल बना कर) भेजा गया तथा मुझ पर क़ुरआन उतारा गया"**। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः **"जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर उसके बाद शव्वाल के छह रोज़े रखे, तो मानो उसने युग भर (साल भर) का रोज़ा रखा"**। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः **"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यह आदेश दिया कि हम हर महीना के तीन दिन रोज़ा रखें: 13, 14 एवं 15 तारीख़ को"**। इसे नसई एवं तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नेः **"दो दिन रोज़ा रखने से रोका हैः ईद उल फ़ित्र के दिन एवं ईद उल अज़्हा के दिन"**। बुख़ारी व मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः **"अय्याम -ए- तश्रीक़ (11, 12 एवं 13 ज़िल हिज्जा) खाने-पीने एवं अल्लाह को याद करने के दिन हैं"**। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन हैः **"कोई व्यक्ति अकेले जुमुआ के दिन का रोज़ा न रखे, किंतु यह कि उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद भी रखे"**। बुख़ारी व मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः **"जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नियत से रखे तो उसके पिछले सभी पाप क्षमा कर दिये जायेंगे, तथा जो कोई शब -ए- क़द्र में ईमान के साथ एवं सवाब की नियत से इबादत में खड़ा हो उसके पिछले सभी पाप क्षमा कर दिये जायेंगे"**। बुख़ारी व मुस्लिम। तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमः **"रमज़ान की अंतिम दहाई में एतकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको मृत्यु दे दी, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद आपकी पत्नियों ने भी एतकाफ़ किया"**। बुख़ारी व मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः **"कजावे न बांधे जायें (अर्थात यात्रा न की जाये) परंतु केवल तीन मस्जिदों की ओरः एक मस्जिद -ए- हराम, दूसरी मस्जिद -ए- नबवी तथा तीसरी मस्जिद -ए- अक़्सा (बैतुल मक़्दिस)"**। बुख़ारी व मुस्लिम।

[संलग्न]

रोज़ा के दो प्रकार हैं:	
वाजिब: रमज़ान, कफ़्फ़ारा एवं नज़्र के रोज़े।	**नफ़्ल:** इसके सिवा रोज़े।

रोज़े के दो रुक्न (स्तंभ) हैं:		
[1] नियत (इरादा)		[2] रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बचना।
फ़र्ज़ रोज़ा की नियत फ़र्ज़ रोज़ा की नियत रात में ही -अर्थात फ़ज्र के पूर्व- करना आवश्यक है, तथा रमज़ान के आरंभ में ही सभी रोज़ों की नियत कर लेना भी काफी है, और इसका स्थान हृदय है, एवं ज़ुबान से बोल कर नियत करना बिद्अत है।	**नफ़्ल रोज़ा की नियत:** दिन के किसी भी भाग में इसकी नियत करना सही है जब तक वह रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बचा हुआ हो, किंतु जब से रोज़ा की नियत करेगा तभी से उसको पुण्य मिलेगा।	

रोज़ा वाजिब होने की छह शर्तें हैं:		
[1] इस्लाम।	[2] बुद्धि।	[3] व्यस्क होना, किंतु अव्यस्क को उसका अभिभावक उसको रोज़ा रखने को प्रेरित करे।
[4] रहवासी होना: अतः यात्री के ऊपर रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है, तथा यदि रोज़ा रखने में कठिनाई न हो तो उत्तम यह है कि रोज़ा रखे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किया है, तथा क्योंकि ऐसा करने के कारण वह जल्द से जल्द अपनी जिम्मेवारी को अदा कर लेगा, इसके अतिरिक्त उस समय रोज़ा रखना आसान भी होता है और उसे रमज़ान महीने की फ़ज़ीलत भी प्राप्त हो जाती है।	[5] स्वस्थ होना।	[6] माहवारी एवं प्रसव से शुद्ध होना।

रोज़ा रखने से संबंधित रोग एवं बीमारी के प्रकार:	
[1] ऐसा रोग जिसके ठीक होने की आशा न हो: तथा इसी के अंदर वह व्योवृद्ध व्यक्ति भी माना जायेगा जो रोज़ा रखने में अक्षम हो, अतः उन लोगों के लिये रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है, किंतु हर दिन के बदले एक मिस्कीन को भोजन कराये, या तो ये लोग दिनों के हिसाब से मिस्कीन को एकत्र कर लें तथा उन्हें दिन या रात का खाना खिलाएं, अथवा हर दिन के हिसाब से नबी के स़ाअ के अनुसार एक चौथाई स़ाअ प्रत्येक मिस्कीन को बांट दे, अर्थात जिसका वज़न उन्नत गैहूँ यदि हो तो पाँच सौ दस ग्राम होता है, और बेहतर यह है कि उसके साथ मांस या चर्बी इत्यादि भी दे ताकि वह सालन का काम दें।	[2] ऐसा रोग जिसके ठीक होने की आशा हो: किंतु उस समय रोज़ा रखना कठिन हो: तथा इसी के समान है माहवारी, प्रस्वोत्तर और दुग्धपान कराने वाली महिला एवं यात्री, अतः ये लोग सामान्य स्थिति में आ जाने के बाद रोज़ा की क़ज़ा (भरपाई) करेंगे, तथा यदि इसके पूर्व उनकी मृत्यु हो जाये तो यह उन से माफ हो जायेगा।

रमज़ान मास का आगमन कैसे प्रमाणित होगा?	
रमज़ान का चाँद देख कर।	शाबान के तीस दिन पूर्ण कर के।

रोज़े को तोडने वाली चीज़ें:

[1] जान बूझकर खाना या पीना: परंतु जो भूलवश खा पी ले, उसका रोज़ा सही है।	**[2] संभोग करना:** यदि यह रमज़ान मास के दिन में हो तथा रोज़ा रखना उस पर वाजिब हो तो उस पर मुग़ल्लज़ह कफ़्फ़ारह अनिवार्य है, जोकि: एक दास स्वतंत्र करना है, यदि इसकी क्षमता न हो तो निरंतर दो महीनों का रोज़ा रखना, यदि इसकी भी क्षमता न हो तो साठ निर्धनों को खाना खिलाना है।	**[3] वीर्यस्खलित करना:** संभोग, अथवा चुंबन या आलिंगन के द्वारा अथवा किसी और ढंग से।

[4] जो खाने-पीने के अर्थ में हो: जैसे शक्तिवर्धक सूई लेना, किंतु सूई यदि शक्तिवर्धक न हो तो आपत्ति की कोई बात नहीं है।	**[5] रक्त निकालना:** पछना (सींगी) लगवाने के कारण, किंतु जाँच इत्यादि के लिये थोड़ा सा रक्त निकालने में कोई हर्ज नहीं है।	**[6] जानबूझ कर उल्टी करना।**	**[7] माहवारी अथवा प्रसव का रक्त निकलना।**

कुछ चीज़ें जो रोज़ा रखने वाले के लिये वैध हैं:

थूक निगलना।	इत्र लगाना।	स्नान करना।	मिस्वाक करना।	आवश्यकता हो तो भोजन चखना।	ठंडक प्राप्त करना।

रोज़ा की मुस्तहब (वांछनीय) चीज़ें:

[1] सेहरी खाना।	[2] देर से सेहरी खाना।	[3] इफ़्तार में जल्दी करना।	[4] रुतब (डम्हा) खजूरों के द्वारा रोज़ा खोलना: यदि रुतब उपलब्ध न हो तो सूखी खजूरों से रोज़ा खोलना, तथा यह विषम संख्या में होनी चाहिये, यदि यह भी उपलब्ध न हो तो पानी पी कर रोज़ा खोलना, और यदि कुछ भी उपलब्ध न हो तो इफ़्तार की निय्यत कर लेना ही काफ़ी है।

[5] इफ़्तार के समय एवं रोज़ा के दौरान दुआ करना।	[6] अधिकाधिक स़दक़ा (दान) करना।	[7] अधिकाधिक रात्रि की नमाज़ें पढ़ना।	[8] क़ुरआन का पाठ करना।	[9] जो उसे बुरा भला कहे, उसे: (मैं रोज़ा से हूँ), कहना।

[10] उमरह करना।	[11] अंतिम दहाई में एतकाफ़ करना।	[12] शब -ए- क़द्र की खोज करना।

रोज़ा में मकरूह (अप्रिय) चीज़ें:	
[1] कुल्ली करने एवं नाक में पानी डालने में अतिश्योक्ति करना।	[2] अकारण भोजन चखना।

जो रोज़ेदार पर हराम (वर्जित) है:				
[1] बलग़म (mucus) निगलना: किंतु इससे रोज़ा नहीं टूटता है।	[2] चुंबन लेना: उस व्यक्ति का जो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखता हो।	[3] ज़ूर बोलना: इससे अभिप्राय प्रत्येक वर्जित चीज़ है।	[4] जह्ल: इससे अभिप्राय मूर्खता एवं अज्ञानता का प्रदर्शन करना है।	[5] विसाल: अर्थात बिना इफ़्तार किये निरंतर दो दिन का रोज़ा रखना।

क़ज़ा (भरपाई वाले) रोज़े के अह़काम:			
निरंतरता के साथ रोज़ा रखना मुस्तहब है।	ईद के बाद क़ज़ा रखने में जल्दी करनी चाहिये।	दूसरे रमज़ान तक क़ज़ा को विलंबित करना अनुचित है।	यदि बिना किसी कारण के विलंब करता है तो उसके ऊपर केवल छोड़े हुये रोज़े रखना ही अनिवार्य है अन्यथा पापी होगा।

नफ़्ली रोज़े (उपवास):			
[1] जिसने रमज़ान के रोज़े रखे हों उसका शव्वाल के छह रोज़े रखना, तथा उत्तम यह है कि दूसरे दिन से ही निरंतर रोज़ा रखे।	[2] ह़ज्ज न करने वाले लोगों का अरफ़ा का रोज़ा रखना।	[3] आशूरा (दसवीं मुहर्रम) का रोज़ा रखना तथा साथ ही 9 या 11 मुहर्रम का रोज़ा रखना।	[4] सोमवार एवं गुरुवार का रोज़ा रखना, किंतु सोमवार का रोज़ा रखना अधिक महत्व रखता है।

[5] प्रत्येक महीना में तीन दिन रोज़ा रखना, तथा उत्तम यह है कि अय्याम -ए- बीज़ (13, 14 एवं 15 तारीख) के रोज़े रखे।	[6] एक दिन रोज़ा रखना एवं एक दिन इफ़्तार करना।	[7] अल्लाह के महीने मुहर्रम का (अधिकाधिक) रोज़ा रखना।	[8] नवीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना।	[9] शाबान महीने का रोज़ा रखना, किंतु पूरे महीना का न रखे।

मकरूह (अवांछित) रोज़े:	
अकेले शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को रोज़ा के लिये विशेष करना।	किंतु यदि किसी शरई कारण से उस दिन का रोज़ा रखता है तो आपत्ति की कोई बात नहीं है, जैसे अरफ़ा का रोज़ा रखना।

ह़राम रोज़े:				
[1] रजब के महीना को रोज़ा रखने के लिये विशेष करना।	[2] ईद के दिन रोज़ा रखना।	[3] संदेह वाले दिन में रोज़ा रखना, किंतु यदि कोई पहले से रोज़ा रखता चला आ रहा है तो कोई हर्ज नहीं है।	[4] 11, 12 एवं 13 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखना, परंतु जिसके पास हदय (क़ुर्बानी का पशु) न हो, तो उसके लिये रोज़ा रखना जायज़ है।	[5] सदा रोज़ा रखना।

किताबुस्सियाम से प्रश्न

सही	गलत	प्रश्न
☐	☐	❖ यदि हमें किसी वस्तु के बारे में संदेह हो कि वह रोज़ा तोड़ने वाली है या नहीं तो असल व मूल बात यही है कि वह रोज़ा तोड़ने वाली वस्तु नहीं है
☐	☐	❖ जिसने सेहरी की उसने सुन्नत का पालन किया यद्यपि आधी रात में ही क्यों न सेहरी की हो
☐	☐	❖ सामान्यतः अरफ़ा का रोज़ा रखना मुस्तहब है
☐	☐	❖ नफ़्ल रोज़ा रखने वाले पर रोज़ा पूर्ण करना वाजिब है
☐	☐	❖ हर रोग रोज़ा रखने में बाधक है
☐	☐	❖ अध्याय का नाम रखने में उलमा विभिन्न शैली अपनाते हैं, जिनके शब्द तो भिन्न होते हैं किंतु अर्थ एक ही होता है, अतः वूज़ू भंजक चीज़ों को नवाक़िज़, स्नान अनिवार्य करने वाली चीज़ों को मूजिबात, नमाज़ तोड़ने वाली चीज़ों को मुब्तिलात, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को मुफ़्तिरात एवं एहराम के लिये महज़ूरात का शब्द प्रयोग करते हैं

❖ रोज़ा के अरकान (स्तंभों) की संख्या है: ☐ दो ☐ तीन ☐ चार

❖ रोज़ा रखना किस पर वाजिब है?

1- ....

2- ....

3- ....

4- ....

❖ सेहरी खाने का समय कौन सा है?

....

❖ किस चीज़ को सेहरी के रूप में खाना मुस्तहब है?

....

❖ सर्वप्रथम किस चीज़ से इफ़्तार करना चाहिये?

.... यदि न मिले तो ....

यदि न मिले तो .... यदि न मिले ....

रोज़ा रखने वाले के लिये निम्नांकित प्रत्येक कार्य का हुक्म बयान कीजिये:

उसका हुक्म:	चीज़:	उसका हुक्म:	चीज़:
....	❖ कुल्ली करने में अतिश्योक्ति करना:	....	❖ निफ़ास वाली महिला का रोज़ा रखना:
....	❖ चुंबन लेना:	....	❖ अक्षम का रोज़ा रखना:
....	❖ निरंतर दो दिन तक रोज़ा रखना:	....	❖ रोज़ा की स्थिति में खा लेना:
....	❖ क़ज़ा को अगले रमज़ान तक विलंबित करना:	....	❖ मिस्वाक करना:
....	❖ अरफ़ह के दिन का रोज़ा रखना:	....	❖ आँखों में आई ड्रॉप डालना:
....	❖ संदेह के दिन रोज़ा रखना:	....	❖ शामक इंजेक्शन लेना:
....	❖ ईद के दिन रोज़ा रखना:	....	❖ पछना लगवाना:
....	❖ 11, 12 एवं 13 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना:	....	❖ उल्टी करना:
....	❖ मुहर्रम महीने का रोज़ा रखना:	....	❖ थूक निगलना:
....	❖ रजब महीने का रोज़ा रखना:	....	❖ भोजन चखना:
....	❖ सदा रोज़ा रखना:	....	❖ नींद लेना:
....	❖ शुक्रवार को रोज़ा रखना:	....	❖ स्नान करना:
....	❖ शव्वाल महीने का रोज़ा रखना:	....	❖ यात्री का रोज़ा रखना:
....	❖ शक्तिवर्धक सूई लेना:	....	❖ मिस्वाक करना:
....	❖ बिना किसी नियत के रोज़ा रखना:	....	❖ बुख़ूर प्रयोग करना:
....	❖ बच्चे का रोज़ा रखना:	....	❖ तरावीह की नमाज़ पढ़ना:
		....	❖ रमज़ान में उमरह करना:

किताबुल ह़ज्ज (ह़ज्ज के मसले)

ह़ज्ज कहते हैं: अल्लाह की उपासना हेतु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताये हुये ढ़ंग अनुसार ह़ज्ज करना।
उमरह कहते हैं: अल्लाह की उपासना हेतु अल्लाह के घर का त़वाफ़ (परिक्रमा) एवं स़फ़ा मरवा की सई करना एवं सिर मुंडवाना
नुसुक असल में वधित पशु को कहते हैं, तथा ह़ज्ज एवं उमरह को नुसुक इसलिये कहा जाता है क्योंकि इसमें हदय (पशु) एवं फ़िदया (भरपाई का जानवर) क़ुर्बान किया जाता है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ह़ज्ज के तरीका के बारे में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित ह़दीस़:

इस विषय में प्रमाण अल्लाह तआला का यह फ़रमान है:﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (अल्लाह ने उन लोगों पर जो उसकी ओर राह पा सकते हों इस घर का ह़ज्ज फ़र्ज़ करार दिया है)।

ह़ज्ज के वाजिब होने की छह शर्तें हैं:

[1] इस्लाम	[2] बुद्धि	[3] व्यस्कता	[4] स्वतंत्रता	[5] सामर्थ्य	[6] महिला यदि ह़ज्ज करे तो उसके साथ मह़रम का होना।

सामर्थ्य: इसके सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से है, जिसका विवरण निम्नांकित है:

पाथेय एवं सवारी का होना, इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं के बाद [जिससे किसी भी स्थिति में छुटाकार नहीं पाया जा सकता], तथा अन्य आवश्यकताओं से अधिक धन का होना [जिससे किसी प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है]।

सामर्थ्य में यह भी शामिल है कि महिला यदि ह़ज्ज यात्रा का इरादा करे तो उसके साथ मह़रम का होना अनिवार्य है [तथा मह़रम का: मुसलमान, व्यस्क एवं पुरुष होना शर्त है]।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ह़ज्ज के बारे में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित ह़दीस़, ह़ज्ज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल है, तथा यह वही ह़दीस़ है जिसे मुस्लिम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है:

- कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नौ वर्ष तक रुके रहे, ह़ज्ज नहीं किया, इसके बाद दसवें वर्ष आपने लोगों में ऐलान करवाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ह़ज्ज करने वाले हैं, अत: लोग अधिक संख्या में मदीना आ गये, सभी इस बात के इच्छुक थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करें, और रसूल जो भी कार्य करें वो उनमें आप का अनुसरण करें [क्षमता रखने वाले पर अतिशीघ्र ह़ज्ज करना अनिवार्य है]।

❁ अतः हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ निकले यहाँ तक कि ज़ुलहुलैफ़ा पहुँच गये, (वहाँ) अस्मा बिंत उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुहम्मद बिन अबू बक्र को जन्म दिया, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास संदेश भेजा कि अब मैं क्या करूँ? आपने फ़रमायाः "स्नान करो, कपड़े का लंगोट कसो एवं हज्ज का एहराम बांध लो" [तथा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस़ में है कि जब उन्हें माहवारी आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन से कहा किः "**वही करो जो हाजी करता है, किंतु पवित्र होने के पूर्व काबा का तवाफ़ न करना**"]। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मस्जिद में नमाज़ अदा की और अपनी ऊँटनी पर सवार हो गये, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ऊँटनी आप को लेकर सीधी खड़ी हुई तो आपने तौहीद का तलबिया पुकारा (लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका, लब्बैका ला शरीका लका लब्बैका, इन्नल हम्दा वन् नेअमता लका वल् मुल्क, ला शरीका लका)। ❁ लोगों ने वही तलबिया पुकारा जो वो आज पुकारते हैं, आपने उनके तलबिया में किसी बात को नकारा नहीं। ❁ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपना वही तलबिया जो वह पुकार रहे थे, पुकारते रहे। ❁ जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः हमारी इच्छा हज्ज के सिवा कुछ न थी, (हज्ज के महीनों में) हम उमरह को जानते तक न थे। ❁ यहाँ तक कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ काबा पहुँचे तो आपने हजर -ए- असवद को छूआ। ❁ फिर तवाफ़ आरंभ किया, प्रथम तीन चक्करों में रम्ल किया, तथा शेष चार चक्करों में आम चाल चले। ❁ फिर आप मक़ाम -ए- इब्राहीम की ओर बढ़े, तथा इस आयत ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلࣰّىۖ﴾ का पाठ किया। ❁ मक़ाम -ए- इब्राहीम को अपने एवं काबा के मध्य रखते हुये दो रकअत नमाज़ अदा की, एक रिवायत में है कि, आपने प्रथम रकअत में ﴿قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَـٰفِرُونَ﴾ तथा दूसरी रकअत में ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ पढ़ा। ❁ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हजर -ए- असवद के पास आये तथा उसको छूआ। ❁ फिर (स़फ़ा) द्वार से स़फ़ा पहाड़ी की ओर निकले तथा जब स़फ़ा के समीप हुये तो यह आयत पढ़ीः ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ﴾ ❁ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस पर चढ़े यहाँ तक कि आपने काबा को देखा फिर आप क़िब्ला की ओर मुँह करके खड़े हो गये। ❁ और अल्लाह की बड़ाई एवं एकता बयान की, और कहाः (ला इलाहा इल्लल्लाहु वह़्दहु ला शरीका लहु, लहुल्मुल्कु व लहुल्ह़म्दु, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वह़्दहु, अन्जज़ा वअदहु, व नस़रा अब्दहु, व हज़मल् अह़ज़ाबा वह़्दहु), फिर आपने इसके मध्य दुआ की, और आपने ऐसा तीन बार किया। ❁ फिर आप उतरे और मरवा की ओर चले, यहाँ तक कि जब आपके पवित्र चरण वादी की तराई में पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सई किया (अर्थातः दौड़ लगाई), जब आप (मरवा की) चढ़ाई चढ़ने लगे तो आप सामान्य चाल से चलने लगे, यहाँ तक कि आप मरवा पहुँच गये, और आपने मरवा पर वैसा ही किया जैसा आपने स़फ़ा पर किया था। ❁ यहाँ तक कि जब मरवा पर अंतिम चक्कर था, तो फ़रमायाः "**यदि पहले मेरे सामने वह बात आती जो बाद में आई तो मैं क़ुर्बानी का जानवर साथ न लाता, और इस को उमरह में परिवर्तित कर देता, अतः तुम में से जिसके साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं है, वह हलाल हो जाये और इसको उमरह बना ले**"। ❁ इतने में सुराक़ा बिन मालिक बिन जुअशुम ने खड़े हो कर कहाः हे अल्लाह के रसूल! यह केवल हमारे लिये विशेष है अथवा सदैव के लिये? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उंगलियां एक दूसरे में घुसाई और फ़रमायाः "**उमरह हज्ज में दाख़िल हो गया**", -दो बार आपने ऐसा किया- और फ़रमायाः "**केवल इस वर्ष के लिये नहीं अपितु**

सदा के लिये"। ۞ अली रज़ियल्लाहु अन्हु यमन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ऊँटनियां लेकर आये, उन्होंने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा कि वह उन लोगों में से थीं जो एहराम से फ़ारिग़ हो चुके थे, उन्होंने रंगीन कपड़ा पहन लिया था और सुरमा लगा रखा था, उसे उन्हों (अली रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उनके लिये अनुचित करार दिया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि: मेरे पिता ने मुझ ऐसा करने का आदेश दिया है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा: अली रज़ियल्लाहु अन्हु इराक में कहा करते थे कि: मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास उस काम के कारण जो फ़ातिमा ने किया था, आपको फ़ितिमा के विरुद्ध भड़काने के लिये आप के पास गया, तथा उस बात के संबंध में पूछने के लिये जो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में कही थी, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को (यह भी) बताया कि मैंने उनके इस कार्य (एहराम खोलने) पर आपत्ति जताई है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**फ़ातिमा ने सच कहा है, उन्होंने बिल्कुल सच कहा है, और तुमने जब हज्ज की निय्यत की थी तो क्या कहा था**?" मैंने उत्तर दिया कि: मैंने कहा था: हे अल्लाह! मैं भी उसी उपासना के लिये तलबिया पुकारता हूँ जिसके लिये तेरे नबी ने तलबिया पुकारा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**मेरे साथ क़ुर्बानी का पशु है, अतः तुम भी उमरह से फ़ारिग़ होने के बाद एहराम मत खोलना**"। ۞ जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: फिर सभी लोगों ने एहराम खोल लिया और बाल कतरवा लिये, सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तथा जिनके संग क़ुर्बानी के जानवर थे। ۞ जब तरवियह [8 ज़िलहिज्जह] का दिन आया तो लोग मिना की ओर निकले, हज्ज (का एहराम बांध कर उस) का तलबिया पुकारा। ۞ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऊँटनी पर सवार हो गये, और आपने वहाँ (मिना में) ज़ुहृ, अस्र, मग़्रिब, इशा एव़ं फ़ज्र की नमाज़ें पढ़ी [चार रक्अत वाली नमाज़ों को क़स्र कर के दो रक्अत पढ़ते थे]। ۞ फिर आप कुछ देर ठहरे रहे, यहाँ तक कि सूर्योदय हो गया। ۞ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आदेश दिया कि बालों से बना हुआ एक शिविर आपके लिये निम्रह में लगा दिया जाये, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चल पड़े, क़ुरैश को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि आप मिशअर -ए- हराम के पास जा कर ठहर जायेंगे, जैसाकि क़ुरैश जाहिलिय्यत में किया करते थे, (किंतु) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (वहाँ से) गुज़र गये, यहाँ तक कि अरफ़ा पहुँच गये, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को निम्रा वादी में अपने लिये शिविर लगा हुआ मिला और आप वहाँ ठहर गये। ۞ जब सूरज ढ़ला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (अपनी ऊँटनी) क़ुस्वा को लाने का आदेश दिया, उस पर आपके लिये पालान कस दिया गया। ۞ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वादी के बीच में आये और लोगों को ख़ुत्बा (भाषण) दिया: "**तुम्हारे रक्त एवं धन एक-दूसरे पर (ऐसे) हराम हैं जैसे आज के दिन की हुरमत (वर्जना) इस महीने एवं इस नगर में है, तथा जाहिलिय्यत युग की हर चीज़ मेरे दोनों पैरों के नीचे रख दी गई (अर्थात: उन चीज़ों का कोई आधार न रहा) और जाहिलिय्यत का ख़ून निराधार हो गया, और पहला ख़ून जो मैं अपने ख़ूनों में से क्षमा करता हूँ वह इब्ने रबीआ का ख़ून है -कि वह बनी सअद में दूध पीता था और उसको हुज़ैल न क़त्ल कर डाला-, और इसी तरह जाहिलिय्यत का सूद सब छोड़ दिया गया, और पहला सूद जो हम अपने यहाँ के सूद में छोड़ते हैं वह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है, और तुम लोग महिलाओं के बारे में अल्लाह से डरो इसलिये कि उनको तुमने अल्लाह की अमान से लिया है तथा तुमने उनके गुप्तांगों को अल्लाह के कलेमा (शरई शिक्षा) के द्वारा हलाल किया है, और तुम्हारा अधिकार उन पर यह है कि तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे व्यक्ति को न आने दें जिसका आना तुम्हें अप्रिय हो, फिर यदि वह ऐसा करें तो उनको ऐसा मारो कि उनको अधिक चोट न लगे,**

तथा उनका तुम पर अधिकार यह है कि उनके वस्त्र एवं भोजन सामान्य परिस्थिति के अनुसार तुम्हारे जिम्मे है, और मैं तुम्हारे बीच ऐसी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ यदि तुम उसे दृढ़ता के साथ थामे रहे तो कभी गुमराह नहीं होगे (वह है) अल्लाह की किताब एवं तुमसे मेरे बारे में प्रश्न होगा तो तुम क्या उत्तर दोगे? उन सभों ने कहा कि: हम गवाही देते हैं कि निस्संदेह आपने अल्लाह का संदेश पहुँचा दिया, रिसालत का हक अदा कर दिया तथा उम्मत की ख़ैरख़्वाही मुकम्मल फ़रमा दी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उँगली आकाश की ओर उठाते थे तथा लोगों की ओर झुकाते थे और कहते थे: ऐ अल्लाह! गवाह रहना, ऐ अल्लाह! गवाह रहना, ऐ अल्लाह! गवाह रहना, तीन बार (ऐसा फ़रमाया)"। ❁ फिर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ान दी, इक़ामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़ुह्र की नमाज़ पढ़ाई, फिर उन्होंने इक़ामत कही और आपने अस्र की नमाज़ पढ़ाई [दो-दो रक्अत]। ❁ उन दोनों के मध्य कोई नमाज़ नहीं पढ़ी। ❁ फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सवार हो कर मौक़िफ़ [अरफ़ा में] आये। ❁ ऊँटनी का पेट चट्टानों की ओर कर दिया तथा पगडंडी को अपने आगे कर लिया, और क़िब्ला की ओर मुँह किया। ❁ और आप वहीं खड़े रहे यहाँ तक कि सूर्य अस्त हो गया पीलापन थोड़ा-थोड़ा कम हो गया तथा सूरज की टिकिया डूब गई। ❁ (तब सवार हुए और) उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को पीछे बैठा लिया तथा वापस (मुज़्दलिफ़ा) लौटे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ुस्वा की लगाम इस प्रकार से खींच कर रखी थी कि उसका सिर पालान के अगले भाग से लग गया था। ❁ और आप सीधे हाथ से इशारा कर रहे थे कि "**ऐ लोगो! आहिस्ता-आहिस्ता आराम से चलो**", तथा जब किसी रेत की ढ़ेर पर आ जाते (जहाँ भीड़ कम पाते) तो लगाम ढ़ीली छोड़ देते यहाँ तक कि ऊँटनी चढ़ जाती। ❁ यहाँ तक कि आप मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये, और वहाँ मग़रिब एवं इशा [दो रक्अत] एक अज़ान और दो तकबीरों से पढ़ी, तथा दोनों नमाज़ों के बीच कोई नफ़्ल नहीं पढ़ी। ❁ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लेट गये, यहाँ तक कि जब भोर हुआ और सुबह हो गई तो एक अज़ान एवं एक इक़ामत के साथ फ़ज्र पढ़ी। ❁ फिर अपनी ऊँटनी क़ुस्वा पर सवार हुये यहाँ तक कि मशअर -ए- ह़राम पहुँच गये। ❁ और वहाँ क़िब्ला की ओर मुँह किया तथा अल्लाह तआला से दुआ किया और "अल्लाहु अकबर" कहा, "ला इलाहा इल्लल्लाह" तथा उसकी "तौह़ीद" पुकारी और वहाँ ठहरे रहे यहाँ तक कि अच्छे से उजाला हो गया। ❁ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वहाँ से सूरज निकलने से पहले लौटे और फ़ज़्ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पीछे बैठा लिया... यहाँ तक कि जब मुहस्सर वादी में पहुँचे तब अपनी ऊँटनी को थोड़ा तेज़ चलाया तथा बीच का मार्ग पकड़ा जो जमरा -ए- कुब्रा पर जा कर निकलती है। ❁ यहाँ तक कि उस जमरा के पास आये जो वृक्ष के पास है (उसी को जमरा -ए- अक़्बा कहते हैं) और उसको सात कंकरियां मारी, हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते, आपने वादी के अंदर से कंकरी मारी। ❁ फिर नह़्र (क़ुर्बानी) वाले स्थान पर आये और 63 ऊँट अपने पवित्र हाथों से क़ुर्बान किया। ❁ फिर शेष ऊँट अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया जिसे उन्होंन क़ुर्बान किया, और आपने उन्हें क़ुर्बानी में शामिल किया। ❁ फिर आपने हर ऊँट से मांस का एक टुकड़ा लेने का आदेश दिया, जिसे एक हांडी में डाला और पकाया गया, और उस मांस में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाया और उसका शोरबा पिया। ❁ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सवार हुये और काबा पहुँच कर त़वाफ़ -ए- इफ़ाज़ा किया। ❁ और ज़ुह्र की नमाज़ मक्का में पढ़ी।

फिर बनू अब्दुल मुत्तलिब के पास आये जो लोगों को ज़मज़म पिला रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "पानी भरो, हे अब्दुल मुत्तलिब की संतानो! यदि मुझे यह अंदेशा न होता कि लोग भीड़ लगा कर के तुम्हें पानी न भरने देंगे तो मैं तुम्हारे साथ मिल कर पानी भरता, फिर उन लोगों ने एक डोल आप को दिया और आपने उसमें से पिया"। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ह़ज्ज कर रहे थे और लोगों से कह रहे थेः "**मुझसे अपने ह़ज्ज के ढ़ंग सीख लो**", और सबसे मुकम्मल ह़ज्ज वह होगाः जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एवं आपके स़हाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अनुसरण किया जाये।

ह़ज्ज के अरकान एवं वाजिबात

ह़ाजी यदि केवल निम्नांकित चीज़ों को ही अंजाम देः

चारों अरकान, जोकि ये हैं:	[1] एह़राम।	[2] अरफ़ा में ठहरना।
	[3] त़वाफ़।	[4] एवं सई।
और वाजिबात जोकि ये हैं:	[1] मीक़ात से एह़राम बांधना।	[2] सूर्यास्त तक अरफ़ा में ठहरना।
	[3] नह़्र वाली (दसवीं की) रात मुज़्दलिफ़ा में बिताना।	[4] अय्याम -ए- तश्रीक़ की रात मिना में बिताना।
	[5] जमरात को कंकरी मारना।	[6] सिर मुंडाना अथवा बाल छोटे करवाना।

तो केवल इतना करना भी उनके लिये पर्याप्त होगा।
तथा ह़ज्ज के रुक्न एवं ह़ज्ज के वाजिब को छोड़ने के मध्य अंतर यह है किः

रुक्न छोड़ने वाले काः ह़ज्ज सही नहीं है यहाँ तक कि उसे शरीअत के अनुसार अंजाम न दे ले।	वाजिब छोड़ने वाले काः ह़ज्ज सही है, और उसे छोड़ने के कारण वह पापी है तथा इसकी भरपाई के रूप में उसे एक पशु क़ुर्बान करना होगा।

ह़ज्ज के चार रुक्नों का वर्णनः

[1] **एह़रामः** अर्थात नुसुक में प्रवेश करने की निय्यत करना, तथा यह (ज़ुबानी) तलबिया कहने के सिवा चीज़ है, इसी प्रकार से (कार्य) चादर एवं तहमद पहनने के अतिरिक्त वस्तु है।	[2] **अरफ़ा में ठहरनाः** ज़िलह़िज्जा की नौवीं तारीख़ का सूरज ढ़लने के बाद से ईद के दिन के भोर होने तक ठहरना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**अरफ़ा ही ह़ज्ज है**"।	[3] **त़वाफ़ -ए- इफ़ाज़ाः** (इसे त़वाफ़ -ए- ज़ियारत भी कहते हैं), यह अरफ़ा में ठहरने के बाद होगा, तथा यह त़वाफ़ -ए- क़ुदूम के सिवा चीज़ है।	[4] **सईः** स़फ़ा एवं मरवा के बीचः अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ (स़फ़ा एवं मरवा अल्लाह की निशानियों में से है)।

ह़ज्ज के वाजिबात सात हैं:

[1] मीक़ात से एह़राम बांधना।

[2] अरफ़ा में सूरज डूबने तक ठहरना, जो दिन में वहां ठहरा रहा हो।

[3] मुज़्दलिफ़ा में रात बिताना।

[4] अय्याम -ए- तश्रीक़ की रातें मिना में बितानी।

[5] जमरात को कंकरी मारना।

[6] सिर मुंडवाना अथवा बाल छोटे करवाना।

[7] जो मक्का छोड़ कर जाना चाहता हो उसका त़वाफ़ -ए- वदाअ करना -माहवारी एवं प्रसव वाली महिला को छोड़ कर- यद्यपि यह ह़ज्ज के महीनों के बाद ही क्यों न हो (लेखक महोदय ने इसका उल्लेख नहीं किया है)।

ह़ज्ज एवं उमरह के मीक़ात:

[1] **स्थानिक (ह़ज्ज एवं उमरह दोनों का):**

[क] **ज़ुलहुलैफ़ा:** मदीना वासी एवं उस मार्ग से गुज़रने वालों के लिये।

[ख] **जुह़्फ़ा:** सीरिया, मिस्र एवं मोरक्को वालों के लिये।

[ग] **क़र्न -ए- मनाज़िल:** नज्द वालों के लिये।

[घ] **यलमलम:** यमन वालों के लिये।

[ङ] **ज़ात -ए- इर्क़:** इराक़ वालों के लिये।

[2] **सामयिक:**

[क] ह़ज्ज का ह़ज्ज के महीने: शव्वाल, ज़िलक़अदा, एवं ज़िल ह़िज्जा।

[क] उमरह का इसका कोई निश्चित समय एवं युग नहीं है।

ह़ज्ज के मुस्तह़ब (वांछनीय) कार्य:

[1] एह़राम के लिये स्नान करना एवं इत्र लगाना।

[2] पुरुषों का सफेद तहमद एवं चादर धारण करना।

[3] एह़राम की निय्यत करने के पूर्व: नाख़ुन काटना तथा जिन बालों को काटना अनिवार्य है उसको काटना।

[4] एह़राम बांधने से लेकर जमरा -ए- अक़बा को कंकरी मारने तक तलबिया पढ़ना।

[5] मुफ़्रिद एवं क़ारिन का त़वाफ़ -ए- क़ुदूम करना।

[6] त़वाफ़ -ए- क़ुदूम एवं ह़ज्ज -ए- तमत्तुअ करने वालों का त़वाफ़ -ए- उमरह के प्रथम तीन चक्करों में रम्ल करना। तथा रम्ल कहते हैं: तेज गति से चलने को।

[7] त़वाफ़ -ए- क़ुदूम एवं ह़ज्ज -ए- तमत्तुअ करने वालों का त़वाफ़ -ए- उमरह में इज़्तिबाअ करना, अर्थात: दाहिने कंधे को खुला रखना।

[8] मुज़्दलिफ़ा पहुँचते ही मग़्रिब एवं इशा को मग़्रिब के समय में पढ़ना।

[9] अरफ़ा की रात मिना में बितानी।

[10] ह़जर -ए- असवद को चूमना।

[11] मुज़्दलिफ़ा में फ़ज्र के बाद से सूरज निकलने के कुछ पहले तक मशअर -ए- ह़राम में ठहरना, एवं मुज़्दलिफ़ा पूरा ठहरने का स्थान है।

[हज्ज के नुसुक का पाठ]

एहराम बांधने वाले को: तमुत्तअ -जोकि सबसे उत्तम है-, क़िरान एवं इफ़्राद में से किसी भी हज्ज की नियत करने का अधिकार प्राप्त है।

[1] तमुत्तअ कहते हैं: हज्ज के महीनों में उमरह का एहराम बांधना, और उसको पूर्ण करना, फिर उसी वर्ष हज्ज की नियत करना, तथा यदि वह मस्जिद -ए-हराम के रहने वाले न हों तो उन पर दम (जानवर की क़ुर्बानी) है।

[2] इफ़्राद कहते हैं: केवल हज्ज का एहराम बांधना [तथा केवल हज्ज के ही कार्य करना]।

[3] क़िरान

दोनों (अर्थात: हज्ज एवं उमरह) की नियत एक साथ करे।

अथवा केवल उमरह की नियत करे, फिर तवाफ़ का आरंभ करने के पूर्व उसी में हज्ज की वृद्धि कर दे।

हज्ज -ए- तमत्तुअ करने वाला ऐसा करने को उस समय विवश होता है, जब:

[1] उसे यह भय हो कि यदि उमरह करने में व्यस्त हुआ तो उसका अरफ़ा में ठहरना छूट जायेगा।

[2] किसी महिला को महावारी अथवा प्रसव का रक्त आ जाये, तथा उसे पता हो कि अरफ़ा में ठहरने के समय से पूर्व वह पाक नहीं हो पायेगी।

हज्ज -ए- इफ़्राद एवं क़िरान दोनों के कार्य एक समान ही हैं, सिवाय इसके कि क़िरान करने वाले पर क़ुर्बानी है जबकि इफ़्राद करने वाले पर नहीं है।

[एहराम के महज़ूरात (वर्जनाओं) के संबंध में पाठ]

मुहरिम (एहराम बांधने वाला) अपने एहराम के समय निम्नांकित चीज़ों से बचे:

[1] बाल मूंडना।

[2] नाख़ुन काटना।

[3] यदि पुरुष हो तो सिला हुआ कपड़ा पहनना।

[4] यदि पुरुष हो तो सिर ढ़ाँपना।

[5] पुरुष एवं महिला दोनों का सुगंध लगाना।

[6] इसी प्रकार से: धरती के खाये जाने वाले पशुओं का शिकार करना, उसकी ओर इशारा करना और उसके शिकार में सहायता करना, मुहरिम के ऊपर हराम है।

[7] एहराम के महज़ूरात में सबसे संगीन: संभोग करना है, क्योंकि इसकी हुरमत मुग़ल्लज़ह (संगीन), हज्ज को भ्रष्ट करने वाला, एवं फ़िदया (भरपाई) के रूप में बदनह (ऊँट या गाय) ज़ब्ह करने को अनिवार्य करने वाला है।

एह़राम के मह़ज़ूरात (वर्जना) नौ हैं:

- जिन्होंने भूलवश, अथवा अज्ञानता या विवश किये जाने पर इसे किया, तो:
  - इस संबंध में उस पर कुछ भी (जुर्माना व पाप) नहीं है।
  - सिवाय उसके जो शिकार करे तो उस पर फ़िदया अनिवार्य है।
- जहाँ तक इन कार्यों को जानबूझ कर अंजाम देने की बात है, तो इनके चार प्रकार हैं:

[क] जिसमें कोई फ़िदया नहीं है:	[1] **विवाह कराना:** चाहे अपना हो या दूसरे का। [2] **आलिंगन इत्यादि करना:** योनि के अतिरिक्त में तथा यदि वीर्यस्खलन न हो।	तो इसमें कोई कफ़्फ़ारा नहीं है, बल्कि इसके लिये तौबा करना अनिवार्य है।
[ख] जिसका फ़िदया उसी के समान है:	[3] **धरती के जानवर का शिकार करना:** जो उसका शिकार करे उस पर सामान्य रूप से फ़िदया है, जोकि मारे गये पशु के समान हो, जिसका निर्णय दो न्यायप्रिय लोग करेंगे।	
[ग] जिसका फ़िदया मुग़ल्लज़ह (संगीन) है:	[4] **संभोग करना:**	[1] **प्रारंभिक ह़लाल होने के पूर्व:** इससे चार चीज़ें अनिवार्य होती हैं: क- उसका ह़ज्ज भ्रष्ट हो जाता है। ख- उसी भ्रष्टता की स्थिति में ही उसे पूर्ण करता है। ग- उसको दोहराना अनिवार्य है। घ- उस पर एक बदनह (ऊँट या गाय) की क़ुर्बानी वाजिब है। [2] **प्रारंभिक ह़लाल होने के पश्चात:** तथा त़वाफ़ -ए- इफ़ाज़ा से पहले, इससे भी चार चीज़ें अनिवार्य होती हैं: क- पाप। ख- उसका एह़राम भ्रष्ट हो जाता है। ग- ह़िल्ल की ओर निकलना उसके लिये अनिवार्य है ताकि फिर से एह़राम बांधे। घ- उस पर फ़िदया वाजिब है।
[घ] जिसका फ़िदया मुख़फ़्फ़ह (हल्का) है:	**[5] बाल काटना:** सिर एवं शरीर से। **[6] नाख़ुन काटना।** **[7] सिर ढ़ाँपना:** पुरुष का, सिर से मिली हुई किसी चीज़ के द्वारा। **[8] सिला हुआ कपड़ा पहनना:** पुरुषों का, इससे अभिप्राय वह कपड़ा है जो शरीर अथवा किसी अंग के अनुसार सिला गया हो। **[9] निक़ाब एवं दस्ताना पहनना:** महिलाओं का।	इसके फ़िदया में इख़्तेयार है, या तो: 1- तीन दिनों का रोज़ा रखे। 2- छह निर्धनों को भोजन कराए, प्रत्येक निर्धन को आधा स़ाअ दे। 3- या एक बकरी ज़ब्ह़ करे जो मस्जिद -ए- ह़राम के भिक्षुकों में बांटा जाये।

जहाँ तक कष्ट के कारण एहराम में वर्जित कार्य करने के कारण अनिवार्य होने वाले फ़िदया की बात है, तो यह उस समय अनिवार्य होगा, जबः

[1] अपने सिर को ढ़ाँप ले, या सिला हुआ कपड़ा पहन ले, या महिला अपने चेहरे को ढ़ाँप ले, या दस्ताना पहन ले, या इत्र लगा ले, तो उसे निम्न बातों में चयन का अधिकार दिया जायेगाः

[क] तीन दिन का रोज़ा रखना।	[ख] या छह मिस्कीनों को खाना खिलाना।	[ग] या एक बकरी ज़ब्ह करना।

[2] यदि धरती के जानवर का शिकार कर ले तो उसे निम्न कार्य करना होगाः

[क] उसी के समान जानवर ज़ब्ह करना यदि उसके पास उसी के समान पशु हो तो,	[ख] शिकार के स्थान पर उसकी क्षति का अनुमान लगा कर उसके मूल्य से भोजन खरीद कर खिलाना, हरेक मिस्कीन को एक मुद्द गेहूँ, यदि गेहूँ के सिवा कोई अन्य वस्तु हो तो आधा साअ,	[ग] या मिस्कीन को भोजन कराने के स्थान पर प्रत्येक मिस्कीन के बदले एक रोज़ा रखे।

हज्ज -ए- तमुत्तअ एवं हज्ज -ए- क़िरान की क़ुर्बानी में उसी प्रकार का जानवर वाजिब है जिस प्रकार का जानवर ईद उल अज़्हा में क़ुर्बान किया जाता है।

यदि क़ुर्बानी का जानवर न पाये तो दस दिन रोज़ा रखेः

- तीन दिन हज्ज में [इस रोज़ा का आरंभ हज्ज या उमरह का एहराम बांधने के साथ हो जाता है, तथा इसका अंतिम दिन अय्याम -ए- तश्रीक़ का अंतिम दिन है], और तश्रीक़ के दिनों में भी इस रोज़ा को रखना जायज़ है।
- तथा सात दिन घर लौटने के बाद।

[यदि हज्ज के कार्यों से फ़ारिग़ होने के बाद सब रोज़े रखता है तो भी आपत्ति की कोई बात नहीं है]।

इसी प्रकार से उसका आदेशः

[1] जिसने वाजिब को छोड़ा।	[2] या जिसके ऊपर आलिंगन इत्यादि के द्वारा वीर्यस्खलन के कारण फ़िदया वाजिब है।

हर वह जानवर ज़ब्ह करना या खाना खिलाना जिसका संबंध हरम अथवा एहराम से हैः तो वह हरम के निर्धनों का हक है, चाहे वो वहाँ के रहवासी हों अथवा प्रवासी।

नुसुक का दम (जानवर) -जैसे हज्ज -ए- तमत्तुअ या क़िरान- या हदय (क़ुर्बानी का जानवर) के मांस के संबंध में = मुस्तहब यह है किः उसमें से स्वयं भी खाये, उपहार भी दे तथा सदक़ा भी करे।

किंतु वाजिब दम (अनिवार्य बलि): किसी वर्जित कार्य को करने के कारण, या अनिवार्य को छोड़ने के कारण -जिसको दम -ए- जुबरान (भरपाई की क़ुर्बानी) कहा जाता है- उसमें से कुछ भी न खाये, बल्कि सभी को भेंट स्वरूप दे दे, क्योंकि यह कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित्त) के समान है।

[तवाफ़ एवं सई की शर्तें:]

❋ तवाफ़ की सामान्य शर्तें:

[1] नियत करना।	[2] हजर -ए- असवद से आरंभ करना। सुन्नत यह है कि उसे छूए और चूमे।	यदि यह संभव न हो तो उसकी ओर इशारा करे।	तथा उस समय यह दुआ पढ़े: (बिस्मिल्लाहि, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा ईमानम् बिका, व तस्दीक़म् बिकिताबिका, व वफ़ाअम् बिअहदिका, व इत्तिबाअन् लिसुन्नति नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)।	[3] काबा को अपने बाईं ओर रखना।	[4] सात चक्कर पूर्ण करना।	[5] हदस एवं ख़बस (अपवित्रता) को दूर करना।

सभी नुसुक (कार्य) में -तवाफ़ को छोड़ कर- तहारत (पवित्रता) सुन्नत है, वाजिब नहीं।
और हदीस में है कि: “**काबा का तवाफ़ करना नमाज़ के समान है, किंतु अल्लाह ने इसमें बात करने की अनुमति दी है**”। [इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है]।
तथा इस विषय में सुन्नत यह है कि:

[1] तवाफ़ -ए- क़ुदूम में इज़्तिबाअ करे: अर्थात चादर का बीच वाला भाग दाहिने कंधे के नीचे रखे और उसका दोनों किनारा बाएं कंधे पर।

[2] प्रथम तीन चक्करों में तेज गति से चले और शेष में सामान्य चाल से चले।

इसके सिवा किसी अन्य तवाफ़ में न तो: तेज गति से चलना (रम्ल) सुन्नत है तथा न इज़्तिबाआ करना।

❋ **सई की शर्तें निम्न हैं:**

[1] नियत करना। [2] सात चक्कर पूर्ण करना। [3] सफ़ा से इसका आरंभ करना।

तथा मशरूअ यह है कि: इंसान अपने तवाफ़, सई एवं सभी नुसुक के दौरान अल्लाह तआला का ज़िक्र करे और दुआ करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण: “**काबा के तवाफ़, सफ़ा मरवह की सई एवं जमरात को कंकर मारने को = अल्लाह तआला के ज़िक्र को जीवित करने के लिये निर्धारित किया गया है**”। [इसे सुनन वालों ने रिवायत किया है] अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि: जब अल्लाह तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मक्का विजय करवा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों के समक्ष खड़े हुये और अल्लाह की प्रशंसा करने के बाद फ़रमाया: “**अल्लाह तआला ने हाथियों की सेना को मक्का से रोक दिया था, लेकिन अपने रसूल एवं मुसलमानों को इसे विजय करा दिया, देखो! यह मक्का मुझसे पहले किसी के लिये हलाल नहीं हुआ था, और मेरे लिये भी केवल दिन के थोड़े से हिस्से में हलाल हुआ, अब मेरे बाद यह किसी के लिये हलाल नहीं होगा:**

[1] **अतः इसके शिकार न छेड़े जाएं,**	[2] **न इस के कांटे काटे जाएं,**	[3] **यहाँ गिरी हुई वस्तु का लेना केवल उसी के लिये वैध होगा जो उसका ऐलान करे,**	[4] **जिसका कोई आदमी क़त्ल किया गया हो उसे दो बातों का अधिकार है**"।	[5] अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहाः इज़्ख़िर काटने की अनुमति दें, क्योंकि हम इसका अपनी क़ब्रों एवं घरों में प्रयोग करते हैं, तो आप ने फ़रमायाः "**अच्छा इज़्ख़िर काटने की अनुमति है**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**ऐर एवं स़ौर** (नामी पहाड़) **के मध्य का मदीना ह़रम है**"। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः "**पाँच चीज़ें ऐसी दुष्ट हैं कि ह़िल्ल एवं ह़रम (दोनों में) उन्हें क़त्ल कर दिया जायेः**

[1] **कव्वा** (एक विशेष प्रकार का जिसमें काला एवं उजला दोनों रंग हो)।	[2] **चील।**	[3] **बिच्छु।**	[4] **चूहा।**	[5] **और कटखना कुत्ता** (एवं सभी दरिंदे)"। बुख़ारी व मुस्लिम।

कुत्ते के तीन प्रकार हैं:

[1] **कटखनाः** इसको क़त्ल करना अनिवार्य है।	[2] **कालाः** इसको क़त्ल करना मुबाह़ (वैध) है।	[3] **दोनों के अतिरिक्तः** इसको क़त्ल करना ह़राम है, सिवाय इसके कि यह कष्ट पहुँचाए।

हद्‌य, क़ुर्बानी एवं अक़ीक़ा का अध्याय

वाजिब हद्‌य (क़ुर्बानियों) का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, उनके सिवा जो भी हैं सभी सुन्नत हैं, इसी प्रकार सेः क़ुर्बानी एवं अक़ीक़ा भी है।

सामर्थ्यवान मुसलमान के लिये क़ुर्बानी छोड़ना अनुचित है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः "**जो सक्षम होने के बाद भी क़ुर्बानी न करे वह मेरे ईदगाह के निकट न आये**"। (इसे इब्ने माजह एवं अह़मद ने रिवायत किया है)। तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः "**जब (ज़िलहिज्जा की) अंतिम दहाई प्रवेश कर जाये और तुम में से किसी की इच्छा क़ुर्बानी करने की हो तो वह अपने केश एवं नाख़ुन न काटे यहाँ तक कि क़ुर्बानी कर ले**"। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है, तथा उन्हीं की एक रिवायत में है किः "**न अपने जिल्द में से काटे** (जिल्द से अभिप्राय नाख़ुन ही है)"।

क़ुर्बानी जायज़ नहीं है मगर [यह कि वह बहीमतुल अन्आम (अर्थातः ऊँट, गाय एवं बकरी व भेड़) में से हो और आयु के आधार पर क़ुर्बानी जायज़ नहीं है, मगर]:

[1] **स़नीय्य (दंता हुआ):**			[2] **और जज़्अहः**
[क] **ऊँटः** जिसकी आयु पाँच वर्ष हो।	[ख] **गायः** जिसकी आयु दो वर्ष हो।	[ग] **बकरीः** जिसकी आयु एक वर्ष हो।	भेड़ जिसकी आयु छह मास पूर्ण हो चुकी हो।

[उन जानवरों का ऐसे दोषों से निर्दोष होना जो उनकी अदायगी के योग्य होने में रुकावट हों], नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**चार प्रकार के जानवरों की क़ुर्बानी उचित नहीं हैः**

[1] **काना जिसका काना होना स्पष्ट हो।**	[2] **रोगी जिसका रोग स्पष्ट हो।**	[3] **लंगड़ा जिसका लंगड़ापन स्पष्ट हो।**	[4] **तथा ऐसा कमज़ोर और दुबला पतला जिसकी हड्डियों में गूदा न हो**"। ह़दीस़ स़ह़ीह़ हो, इसे पाँचों (अह़मद, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई एवं इब्ने माजह) ने रिवायत किया है।

क़ुर्बानी का पशु उत्तम एवं समस्त गुणों से परिपूर्ण होना चाहिये, तथा यह जितना अधिक उच्च गुणों वाला होगा उतना ही अल्लाह के निकट प्रिय तथा क़ुर्बानी करने वाले के लिये अधिक पुण्य का कारण होगा। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं किः "**हमने हुदैबियह के साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ ऊँट सात आदमी की ओर से तथा गाय सात आदमी की ओर से क़ुर्बान किया था**"। (मुस्लिम)।

अक़ीक़ा सुन्नत [-ए- मुअक्कदह] है, पिता के हक में [अथवा जो उसके स्थान पर हो]:

[1] लड़का की ओर से दो बकरियां।	[2] तथा लड़की की ओर से एक बकरी।

अक़ीक़ा ज़ब्ह किया जायेगाः

[1] **सातवें दिनः** अतः बच्चा यदि शनिवार के दिन पैदा हुआ हो तो शुक्रवार के दिन ज़ब्ह किया जायेगा, अर्थातः जन्म से एक दिन पहले।	[2] **और यदि सातवें दिन संभव न हो,** तो चौदहवें दिन।	[3] **यदि उस दिन भी छूट जाये,** तो इक्कीसवें दिन।

जिसके अंदर आत्मा फूँक दी गई हो उसकी ओर से अक़ीक़ा किया जायेगा, यद्यपि वह मृत ही क्यों न जन्म ले।

इसी प्रकार से सातवें दिन जो चीज़ें मशरूअ (उचित) हैं:

[1] **शिशु का नामकरण करनाः** जिसका नाम उससे पहले नहीं रखा गया हो।	[2] शिशु यदि लड़का हो तोः **सिर मूंडना।**	[3] बाल के वज़न के बराबर **चाँदी दान करना।**

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**हर बच्चा अपने अक़ीक़ा के बदले गिरवी है, अतः उसकी ओर से सातवें दिन ज़ब्ह किया जाये, उसका सिर मूंडा जाये तथा उसका नाम रखा जाये**"। यह ह़दीस़ स़ह़ीह़ है, तथा इसे पाँचों (अह़मद, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई एवं इब्ने माजह) ने रिवायत किया है।

उपरोक्त जानवरों में से खाया भी जायेगा, उपहार भी दिया जायेगा तथा दान भी किया जायेगा।

कसाई का पारिश्रमिक उसमें से नहीं दिया जायेगा, परंतु उसकोः उपहार स्वरूप अथवा दान के रूप में दिया जा सकता है।

[संलग्न]

हज्ज के दिनों के नाम:					
[1] **यौमुत्तरवियह:** यह ज़िलहिज्जा की आठवीं तारीख़ को कहते हैं।	[2] **यौम -ए- अरफ़ा अथवा वक़्फ़ा:** यह ज़िलहिज्जा की नौवीं तारीख़ को कहते हैं।	[3] **यौम उल ईद अथवा यौमुन्नह्र:** यह ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़ को कहते हैं।	[4] **यौम उल क़र्र:** यह ज़िलहिज्जा की ग्यारहवीं तारीख़ को कहते हैं।	[5] **यौम उन नफ़्र अल-अव्वल:** यह ज़िलहिज्जा की बारहवीं तारीख़ को कहते हैं।	[6] **यौम उन नफ़्र अल-स़ानी:** यह ज़िलहिज्जा की तेरहवीं तारीख़ को कहते हैं।

तथा लैलत् उल जम्अ ईद वाली रात को कहते हैं, इसका यह नाम इसलिये पड़ा कि लोग अरफ़ा में ठहरने के बाद, रात (दसवीं की रात) मुज़्दलिफ़ा में जमा होते हैं, क्योंकि जाहिलिय्यत युग में मक्का वासी अरफ़ा के लिये नहीं निकलते थे।

हज्ज के दौरान दुआ करने के स्थान पाँच हैं:				
[1] नौवीं तारीख़ को अरफ़ा में सूर्य ढ़लने के बाद से सूर्य अस्त होने तक।	[2] नौवीं तारीख़ को मुज़्दलिफ़ा में फ़ज्र के बाद से उजाला होने तक।	[3] तश्रीक़ के दिनों में जमरा -ए- सुग़रा एवं वुस्ता को कंकरी मारने के बाद।	[4] तवाफ़ के दौरान।	[5] सई करते हुए स़फ़ा एवं मरवा पहाड़ी पर एवं उनके मध्य।

मदीना की शरई ज़ियारत (तीर्थ यात्रा):				
[1] मस्जिद -ए- नबवी में नमाज़ पढ़ने की निय्यत से यात्रा करना, इस हदीस़ के कारण: **“मस्जिद -ए- ह़राम, मस्जिद -ए- नबवी एवं मस्जिद -ए- अक़्सा के सिवा किसी और की तरफ यात्रा न की जाये”**।	[2] क़ुबा में नमाज़ पढ़ना: जैसाकि हदीस़ में है: **“जो अपने घर से वुज़ु करके मस्जिद -ए- क़ुबा आए तथा उसमें नमाज़ पढ़े तो उसके लिये उमरह के समान पुण्य है”**।	[3] नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं आपके स़हाबियों की क़ब्रों की ज़ियारत करना, क्योंकि स़हाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ऐसा किया है।	[4] बक़ीअ क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किया है।	[5] उहुद के शहीदों की ज़ियारत करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किया है।

किताबुल ह़ज्ज से प्रश्न

सही	गलत	प्रश्नः
☐	☐	❁ एह़राम, ह़ज्ज के अरकान में से एक रुक्न है, जोकि मीक़ात से चादर एवं तहमद बांधना है
☐	☐	❁ त़वाफ़ -ए- इफ़ाज़ा, त़वाफ़ -ए- ज़ियारत के सिवा चीज़ है, पहला रुक्न है और दूसरा सुन्नत है
☐	☐	❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन बार ह़ज्ज किया
☐	☐	❁ ह़ज्ज के वाजिब होते ही अतिशीघ्र ह़ज्ज करना अनिवार्य है
☐	☐	❁ मदीना वासी यलमयलम से एह़राम बांधेंगे
☐	☐	❁ उमरह का सामयिक मीक़ात रमज़ान का महीना है
☐	☐	❁ मक्का वासी ह़ज्ज के लिये तन्ईम से एह़राम बांधेंगे
☐	☐	❁ एह़राम में महिला उजला वस्त्र धारण करेगी
☐	☐	❁ महिला के लिये सिला हुआ कपड़ा पहनना जायज़ नहीं है
☐	☐	❁ एह़राम वाले व्यक्ति के लिये बेल्ट बांधना जायज़ नहीं है
☐	☐	❁ मुस्तहब यह है कि तेज गति के साथ सई करे
☐	☐	❁ ह़ाजी लोग अरफ़ा से मग़्रिब के पहले निकलेंगे
☐	☐	❁ अरफ़ा में ठहरना ह़ज्ज के वाजिबात में से एक वाजिब है
☐	☐	❁ अरफ़ा में पहाड़ पर चढ़ना मशरूअ नहीं है
☐	☐	❁ ह़ज्ज -ए- तमत्तुअ एवं ह़ज्ज -ए- क़िरान करने वालों के लिये क़ुर्बानी वाजिब है जबकि ह़ज्ज -ए- इफ़्राद करने वाले वालों के लिये सुन्नत है
☐	☐	❁ ईद के दिन जमरा -ए- अक़बा को कंकरी मारने के साथ ही तलबिया बंद कर दिया जायेगा
☐	☐	❁ यदि कोई ह़ाजी पीलर (स्तंभ) को कंकरी मारे बिना ह़ौज़ में कंकरी रख दे तो उसका कंकरी मारना सही है
☐	☐	❁ दसवीं ज़िलह़िज्जा को ह़ाजी सभी जमरात को कंकरी मारेगा
☐	☐	❁ तश्रीक़ के दिनों में सूरज ढ़लने के बाद कंकरी मारना आरंभ करेगा
☐	☐	❁ जमरा -ए- अक़बा को कंकरी मारने के बाद दुआ करना मश्रूअ है
☐	☐	❁ इबादत से सिर्फ निकलने की निय्यत कर लेने से ही इबादत फ़ासिद हो जाती है, सिवाय ह़ज्ज एव उमरह के, जिसने इबादत में मह़ज़ूर (वर्जित) काम करने की निय्यत की तो जब तक उस मह़ज़ूर काम को अंजाम न दे ले इबादत फासिद नहीं होगी
☐	☐	❁ ह़ज्ज -ए- इफ़्राद एवं ह़ज्ज -ए- क़िरान करने वाले का कार्य एक समान है, सिवाय इसके कि दो नुसुक होने के कारण क़िरान करने वाले पर क़ुर्बानी लाज़िम है जबकि इफ़्राद करने वाले पर नहीं

सही	गलत	प्रश्नः
☐	☐	◈ यदि किसी चीज़ में मुबीह़ (ह़लाल) एवं ह़ाज़िर (ह़राम) एकत्रित हो जाये और मुबीह़ ह़ाज़िर से अलग न हो तो ऐसी स्थिति में ह़ाज़िर वाले पहलू को वरीयता प्राप्त होगी
☐	☐	◈ प्रत्येक वह वस्तु जिसको कष्ट एवं तकलीफ के कारण उसे दूर किया जाये तो उसकी कोई ह़ुरमत (वर्जना) नहीं
☐	☐	◈ महिला का एह़राम उसके चेहरे में है
☐	☐	◈ वाजिब वही है जिसको अल्लाह तआला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वाजिब करार दिया है, तथा मासूमों के धन को बिना प्रमाण के ह़लाल करार देना जायज़ नहीं है, किंतु प्रशिक्षण हेतु आम फ़त्वा के तौर पर जुम्हूर उलमा के मत से अलग नहीं हटना चाहिये, लेकिन जहाँ तक ज्ञान के रूप में सैद्धांतिक ज्ञान की बात है तो हक को स्पष्ट करना अनिवार्य है
☐	☐	◈ बिना प्रमाण के वाजिब करार देना बिना दलील के ह़राम करार देने के समान है
☐	☐	◈ प्रत्येक वह चीज़ जिसका सबब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में मौजूद था उसके बावजूद आपने नहीं किया तो उसको छोड़ना देना ही सुन्नत है
☐	☐	◈ जब वाजिब छूट जाये तथा उसकी भरपाई असंभव हो तो फ़िदया के रूप में एक दम (क़ुर्बानी) देना होगा, कुछ अज्ञानी यह समझते हैं कि उसे इस संबंध में चयन का अधिकार है

◈ ह़ज्ज के अरकान (स्तंभ) की संख्या हैः ☐ दो ☐ तीन ☐ चार

◈ इज़्तिबाअ सुन्नत हैः ☐ त़वाफ़ -ए- उमरह में ☐ त़वाफ़ -ए- क़ुदूम में ☐ त़वाफ़ -ए- ज़ियारत में ☐ केवल पहले एवं दूसरे में ☐ उपरोक्त सभी में

◈ अरफ़ा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मग़्रिब एवं इशा की नमाज़ कहाँ अदा की थी? ☐ अरफ़ा में ☐ मुज़्दलिफ़ा में ☐ मिना में ☐ रास्ते में

◈ ह़ज्ज फ़र्ज़ हुआ था सनः ☐ नौ हिज्री में ☐ दस हिज्री में

◈ एह़राम के मह़ज़ूरात (वर्जनाएं) हैं: ☐ नौ ☐ पाँच ☐ तीन

◈ जिसका इरादा एह़राम बांधने का हो उसके लिये मुस्तहब है कि वह सुगंध लगाए .... जबकि .... सुगंध न लगाये

◈ एह़राम वाली महिला नहीं पहनेगी .... और न ही ....

◈ ह़ज्ज एवं उमरह .... जीवन भर में .... एक बार, जिसने ह़ज्ज किया और .... और न .... वह अपने पापों से ऐसे पवित्र हो कर निकलता है जैसे उसकी माता ने उसे आज ही जन्म दिया हो, तथा स्वीकार्य ह़ज्ज का बदला नहीं है सिवाय जन्नत के ....

❖ रोज़ा किस पर वाजिब है?

1- ....

2- ....

3- ....

4- ....

5- महिला के लिये इसमें वृद्धि है: ....

❖ सई आरंभ की जायेगी .... और समाप्त की जायेगी ....

❖ हज्ज के कार्य आरंभ होते हैं .... और .... का दिन समाप्त होने तक चलते रहते हैं

❖ जो व्यक्ति तवाफ़ -ए- इफ़ाज़ा को तवाफ़ -ए- वदाअ तक के लिय स्थगित कर दे तो वह वदाअ के लिये भी काफी होगा, और तवाफ़ -ए- इफ़ाज़ा तवाफ़ -ए- उमरह के समान है, सिवाय .... और ....

❖ हज्ज -ए- क़िरान एवं हज्ज -ए- इफ़्राद करने वाले पर वाजिब है कि वो दोनों सई करें .... किंतु तमत्तुअ करने वाला सई करेगा ....

❖ हज्ज एवं उमरह में तौहीद के कुछ प्रदर्शन ये हैं: ....

....

....

....

....

....

❖ निम्नांकित कार्यों में से हरेक का हुक्म बयान करें:

बच्चे का हज्ज: ....

महिला का बिना मुहरिम के हज्ज करना: ....

जिसके ऊपर क़र्ज़ हो उसका हज्ज करना: ....

❖ ऊपरी तालिका (ज़िलहिज्ज के दिन) में से जो निचली तालिका के उपयुक्त हो, उससे जोड़ें:

आठवां दिन	नौवां दिन	दसवां दिन	ग्यारह्वां दिन	बारह्वां दिन	तेरह्वां दिन

यौम उल क़र्र	यौम उन नफ़्र अल-स़ानी	यौम उल ईद अथवा यौमुन्नह़	उस दिन वो लोग पानी मिना ले जाते थे	यौम उन नफ़्र अल-अव्वल	यौम -ए- अरफ़ा अथवा वक़्फ़ा

[किताबुल बुयूअ (क्रय-विक्रय के मसले)]

शरीअत में बैअ (क्रय-विक्रय) कहते हैं: धन -यद्यपि वह धन वाले के ज़िम्मे में ही क्यों न हो- या वैध लाभ का आदान-प्रदान, धन अथवा लाभ में से किसी एक के द्वारा सदा के लिये करना, जिसमें ब्याज एवं ऋण शामिल न हो।

[बैअ (क्रय-विक्रय) के अरकान (स्तंभ) एवं शर्तें

उक़ूद (मुआहदे, अनुबंध) के प्रकार:		
[1] **उक़ूद -ए- मुआवज़ा:** जैसे क्रय-विक्रय एवं किराया।	[2] **उक़ूद -ए- तौसीक़:** जैसे गिरवी एवं गारंटी।	[3] **उक़ूद -ए- तबर्रुअ:** जैसे क़र्ज़, उपहार, वसिय्यत एवं दान।

बैअ (क्रय-विक्रय) के अरकान (स्तंभ):			
[3] **वचन:** तथा यह दो प्रकार से होगा:		[2] **जिसका अनुबंध किया जाये:** अर्थात खरीदी एवं बेची जाने वाली वस्तु।	[1] **अनुबंध करने वाले दो पक्ष:** बेचने वाला एवं खरीदार।
[क] **मैखिक:** कथन के द्वारा कि मैंने बेचा और उसने खरीदा।	[ख] **कर्म के द्वारा:** लेने एवं देने के द्वारा।		

इसमें [अर्थात: क्रय-विक्रय में] मूल चीज़ इसका वैध होना है, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ (अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया है तथा ब्याज को हराम), अत: अचल सम्पत्ति (ज़मीन, जायदाद, मकान) तथा चल सम्पत्ति जैसे मवेशी एवं अन्य सामान इत्यादि का = यदि क्रय की शर्तें पूर्ण हो जायें तो इकरारनामा जायज़ है।

तथा क्रय की शर्तों का आधार तीन चीज़ों पर है: अन्याय, ब्याज एवं धोखा (जो अज्ञानता एवं जहालत के कारण हासिल हो)। अत: जिसने कोई ऐसी वस्तु बेची जिसका वह स्वामी नहीं है तो यह अन्याय है, तथा यदि उसने सूदी लेन-देन किया तो यह ब्याज है और यदि अज्ञात वस्तु बेची तो यह धोखा के अंतर्गत आता है।

बैअ (क्रय-विक्रय) की शर्तें:				
[1] अनुबंध करने वाले दोनों पक्षों की सहमति।	[2] मूल्य अथवा वस्तु में धोखा का न होना।	[3] अनुबंध करने वाले दोनों पक्ष, सामान के मालिक हों अथवा उसमें हेर-फेर करने की अनुमति उन्हें मिली हो।	[4] क्रय-विक्रय सूदी लेन-देन से पाक हो।	[5] मूल्य अथवा सामान ह़राम (वर्जित) वस्तु न हो।

कुछ वर्जित क्रिय:					
[1] जिस पर जुमुआ पढ़ना वाजिब है उसका दूसरी अज़ान के बाद क्रय-विक्रय करना।	[2] किसी ऐसे व्यक्ति को वस्तुएं बेचना जो उसे पाप के लिये अथवा ह़राम चीज़ों में प्रयोग करे।	[3] दो लोग आपस में क्रय-विक्रय कर रहे हों तो उनके बीच में घुस कर क्रय-विक्रय करना।	[4] ईना नामक क्रय करना।	[5] वस्तु अपने अधिकार में लेने के पूर्व ही बेच देना।	[6] फलों को पकने के पूर्व ही बेच देना।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्तों में से है:

[प्रथम शर्त:]

सहमति: अल्लाह तआला का कथन है: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (परंतु यह कि क्रय-विक्रय तुम्हारी आपसी सहमति से हो)।

यदि बेचने को विवश करना अधिकार के साथ हो (जैसे ऋणदाताओं के हित को देखते हुए न्यायाधीश द्वारा बेचने को विवश करना), तो यह सही है।

[दूसरी शर्त:]

उसमें कोई धोखा एवं अज्ञानता न हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "**धोखे वाली क्रय-विक्रय करने से रोका है**"। मुस्लिम। तथा इसी में शामिल है:

[1] भागे हुये [दास] एवं भटके हुये [पशु] को बेचना।	[2] या यों कहना: मैंने आप से दो सामानों में से एक बेच दिया।	[3] धरती के जिस भाग तक कंकरी पहुँचे वहाँ तक आपसे बेचता हूँ, या इस जैसी कोई बात कहना।	[4] अथवा जो दासी उठाये हुये है, या जो वृक्ष पर है।	[5] या जो गर्भवती के पेट में है।

और यह धोखा चाहे मूल्य में हो अथवा वस्तु में।

[तीसरी शर्त:]

अनुबंध करने वाला पक्ष: उस सामान का मालिक हो, अथवा ऐसा करने की अनुमति उसे प्राप्त हो, और वह व्यस्क एवं बुद्धिमान हो।

[चौथी शर्तः]

क्रय-विक्रय की शर्तों में से यह भी है कि यह क्रय-विक्रय ब्याज आधारित न हो।

रिबा अर्थात ब्याज के प्रकारः

[1] रिबा अल-फ़ज़्लः ऐसी वस्तुएं जो जींस (वर्ग) एवं मूल्य में बराबर हों, उनको आपस में कमी-बेशी के साथ बेचना।	**[2] रिबा अन-नसीअहः** सूदी चीज़ों को अधिकार में लेने में विलंब करना।

उबादह रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**सोने के बदले सोना, चाँदी के बदले चाँदी, गेहूँ के बदले गेहूँ, जौ के बदले जौ, खजूर के बदले खजूर और नमक के बदले नमक (का क्रय-विक्रय) एक समान एवं बराबर हो, जिसने अधिक दिया या अधिक लिया उसने सूदी लेन-देन किया**"। मुस्लिम।

सूदी वर्ग के छह प्रकार हैं:

[1] सोना।	[2] चाँदी।	[3] गेहूँ।	[4] जौ।	[5] खजूर।	[6] नमक।

[1] अतः नापने वाली वस्तु को उसी के वर्ग की नापने वाली वस्तु से उपरोक्त दो शर्तों के साथ ही बेचा जायेगा, तौली जाने वाली वस्तु को भी अपने वर्ग की वस्तु के साथ उसी तरह बेचा जायेगा।	[2] यदि नापे जाने वाले सामान को नापे जाने वाले सामान की दूसरी जींस से अथवा वज़न किये जाने वाले सामान को वज़न किये जाने वाले सामान की दूसरी जींस से बेचा जाये, तो कमी-बेशी के साथ बेचना जायज़ है, किंतु दोनों पक्षों के जुदा होने के पूर्व अधिकार में ले लेने की शर्त के साथ।	[3] यदि नापे जाने वाले सामान को वज़न किये जाने वाले सामान से बेचा जाये अथवा इसके विपरीत, तो कमी-बेशी के साथ बेचना जायज़ है, यद्यपि अलग होने के बाद ही उसे अधिकार में लिया जाये।

बराबरी की अज्ञानता अधिकता के ज्ञान के समान है [अर्थातः दोनों के एक समान नहीं होने की अज्ञानता इस बात के ज्ञान के समान है कि निश्चित ही दोनों में से एक दूसरे से अधिक है]। इसी प्रकार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुज़ाबना वाली विक्रय से रोका है, जोकिः "**गुच्छा में लगे हुये खजूर के बदले खजूर खरीदना है**"। बुख़ारी व मुस्लिम। "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (अराया वाली क्रय) में अनुमान लगा कर बेचने की अनुमति दी हैः उस व्यक्ति के लिये जिसको रुतब (डम्हा) खजूर की आवश्यकता हो तथा उसके पास उस अनुमान का मूल्य अदा करने के लिये धन न हो, किंतु यह पाँच वसक़ से कम में हो**"। मुस्लिम।

अराया वाली विक्रय के जायज़ होने की शर्तें:

[1] रुतब ख़रीदने के लिये उसके पास खजूर के सिवा कुछ न हो।	[2] यह पाँच वसक़ या उससे कम में हो।	[3] यह रुतब खजूर की मात्रा के बराबर हो।	[4] उसे रुतब खाने की वास्तव में आवश्यकता हो, उसे बचा कर फल बनाने का इरादा न हो।	[5] यह रुतब, खजूर के वृक्ष के गुच्छों में लगे हुये हों।

[पाँचवीं शर्तः]

उन्ही शर्तों में से हैः **विक्रय का अनुबंध ऐसी वस्तु की न हो जिसे शरीअत ने ह़राम करार दिया हैः**

[1] या तो स्वयं उस वस्तु को ह़राम करार दिया हो, जैसे कि **"नबी ने शराब, मृत एवं मूर्तियों को बेचने से रोका है"**। बुख़ारी व मुस्लिम।

[2] या उसके कारण मुसलमानों के मध्य शत्रुता उत्पन्न होने का भय हो, जैसाकि नबी ने रोका हैः **"किसी मुसलमान के क्रय पर क्रय करने से"**। [जैसे कोई व्यक्ति किसी से दस हज़ार में मोबाईल ख़रीद रहा हो तो तो तीसरा व्यक्ति आ कर कहेः यही मोबाईल मैं नौ हज़ार में दूँगा], **"और किसी मुसलमान की विक्रय पर विक्रय करने से"** [जैसे किसी ने नौ हज़ार में मोबाईल बेचा तो तीसरा व्यक्ति आ कर कहेः मैं इसे दस हज़ार में ख़रीदूँगा], **"और नजश से"** [अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो सामान खरीदने का इरादा नहीं रखता हो सामान का मूल्य बढ़ाए ताकि क्रेता अथवा विक्रेता या दोनों को घाटा पहुँचाये]। बुख़ारी व मुस्लिम।

[3] इसी से संबंधित नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फ़रमान हैः **"दास संबंधियों के बीच जुदाई न डालो"**।

[4] इसी में से हैः यदि खरीदने वाले के बारे में पता हो कि वह इस सामान का प्रयोग पाप के कार्यों में करेगा, जैसे अख़रोट और अंडा की ख़रीद जुआ के लिये करना, या दंगा फसाद करने वालों को अथवा डाकूओं को हथियार बेचना।

[5] व्यापारिक क़ाफ़िले को बाज़ार से पहले ख़रीद लेना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन हैः **"क़ाफ़िले वालों से आगे जा कर न मिलो, जिसने आगे जा कर माल ख़रीद लिया तो जब माल का स्वामी बाज़ार पहुँचे तो उसे** (अनुबंध तोड़ देने का) **अधिकार होगा"**।

[6] तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः **"जो हमें धोखा दे वह हम में से नहीं"**। मुस्लिम।

स्पष्ट ब्याज का उदाहरणः

[1] ईना नामी के द्वारा इसे ह़लाल करना, जैसे कोई वस्तु किसी एक निर्धारित समय के लिये सौ रूपया में बेचे, फिर वह उसी ख़रीदार से वही वस्तु नगद में कम मूल्य में ख़रीदे, अथवा इसके विपरीत।

[2] या छल करत हुये ऋण को ब्याज में परिवर्तित कर देना।

[3] या धोखा से ऋण को ब्याज के लिये प्रयोग करनाः जैसे किसी को ऋण दे और उसके धन से किसी प्रकार के लाभ की शर्त लगा दे, या उसके बदले उसे कुछ दे, क्योंकि हर वह क़र्ज़ जो [सशर्त] लाभ दिलाये वह ब्याज है।

[4] छल का एक रूप यह भी है किः चाँदी का ऐसे ज़ेवर जिसमें कोई और धातु मिली हुई हो उसे चाँदी से बेचना, अथवा एक मुद्द अजवा तथा एक दिरहम को एक दिरहम से बेचना।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रुत़ब खजूर के बदले खजूर बेचने के विषय में पूछा गया तो आपने फ़रमायाः **"क्या सूखने के बाद यह कम हो जाता है?"**। लोगों ने कहाः हाँ, तो आपने इससे

मना कर दिया। इसे पाँचों ने रिवायत किया है। [क्योंकि रुतब खजूर, पके खजूर से भारी होता है, किंतु अराया वाली विक्रय इससे अलग है, कुछ शर्तों के साथ जिनका उल्लेख अभी हाल ही में गुज़रा है]। **"(रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने) बिना मापे हुए खजूर के ढ़ेर को मापे हुए खजूर के ढ़ेर से बेचने से रोका है"**। मुस्लिम। जहाँ तक उस विक्रय की बात है जो ज़िम्मे में हो, तो:

[1] यदि यह वही हो जो उसके ज़िम्मे में है: तो जायज़ है, इस शर्त पर कि उसका मुआवज़ा अलग होने के पहले ही अदा कर दिया जाये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण: **"यदि उसी दिन के भाव से उनका तबादला (विनिमय) कर लो और क्रय-विक्रय करने वालों के एक दूसरे से जुदा होने से पहले रक़म का कोई हिस्सा बाकी न रहे, तो जायज़ है"**।

[2] यदि उसके सिवा हो: तो जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें धोखा है।

[वृक्षों एवं (उनके) फलों के क्रय-विक्रय का अध्याय

इस अध्याय में जो उदाहरण दिया जायेगा उसमें: खजूर के वृक्ष को असल (मूल) तथा उसके फल (खजूर) को फल से उद्धृत किया जायेगा।

[उसूल (मूल) का विक्रय]

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: **"जो व्यक्ति खजूर के वृक्ष को गाभा देने के बाद ख़रीदे तो उसका फल क्रेता को मिलेगा सिवाय इसके कि विक्रेता शर्त लगा दे"**। मुत्तफ़क़ अलैह।

यह हदीस़ खजूर का पेड़ बेचने से संबंधित है न कि ज़मीन बेचने से, अतः गाभा देने के पश्चात यदि खजूर का पेड़ बेचे तो:

उसका फल बेचने वाले का है।

सिवाय इसके कि ख़रीदने वाला शर्त लगा दे कि खजूर के पेड़ के साथ फल भी उसी का होगा, तथा यही उत्तम है।

इसी प्रकार दूसरे समस्त वृक्ष जिसका फल दिखाई देता हो [जैसे सेब और अंगूर, क्योंकि यह गाभा दिये गये खजूर के समान है]। तथा इसी के समान है: जिसको केवल एक बार काटा जाता हो, उस की खेती का स्पष्ट हो जाना। यदि वह बार-बार काटा जाता हो: तो उसका मूल खरीदार का तथा उसका दिखाई देने वाला भाग विक्रय के समय विक्रेता का होगा।

[फल का विक्रय]

"अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पकने के पूर्व फलों को बेचने से मना किया है, बेचने वाले को भी और ख़रीदार को भी"। तथा जब आपसे उसके पकने के विषय में पूछा गया, तो कहा: **"जब यह पता चल जाये कि अब यह फल आफ़त से बच कर रहेगा"**। एक रिवायत में यों है: **"यहाँ तक कि लाल या पीला हो जाये"**। [अर्थात: खाने योग्य हो जाये]। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने **"अनाज को ठोस हो जाने के पूर्व बेचने से रोका है"**। मुस्लिम।

यदि अनाज को चारा के लिये बेचा जाये तो इस दशा में उसके ठोस हो जाने की शर्त समाप्त हो जाती है।

तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: **"यदि तुम अपने भाई को फल बेचो तथा वह प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाये, तो तुम्हारे लिये वैध नहीं कि तुम उससे कुछ भी लो, तुम अपने भाई का धन किस आधार पर अनुचित रूप से लोगे?"**। इस हदीस़ को मुस्लिम ने रिवायत किया है।

अर्थातः बेचने वाला ख़रीदार की सारी रक़म लौटा दे। किंतु यदि ख़रीदार की ओर से सुस्ती हो तथा फल तोड़ने में वह विलंब करे, तो उसकी सुस्ती के दण्ड स्वरूप उसे कुछ नहीं मिलेगा।

लेकिन यदि धरती को बेचा जाये और उसके ऊपरः

[1] **पेड़ होः** तो वह धरती के अंतर्गत माना जायेगा, अतः वह पेड़ ख़रीदार का होगा।	[2] **ऐसी खेती हो जिसे बार-बार काटा जाता होः** तो विक्रय के समय उसकी ऊपरी उपज विक्रेता की होगी, तथा धरती क्रेता की, परंतु क्रेता यदि यह शर्त लगा दे कि ऊपरी उपज भी उसी की होगी तो उसके लिये ऐसा करना सही है।	[3] **वह खेती जिसे केवल एक बार काटा जाता होः** जैसे गेहूँ और जौ, तो कटने तक वह विक्रेता की होगी।

ख़ियार, [इक़ाला (अनुबंध तोड़ने)] इत्यादि का अध्याय

ख़ियार कहते हैं: अनुबंध बाकी रखने या तोड़ने के दो मामलों में से एक का चयन करने के अधिकार को, चाहे यह विक्रेता के लिये हो अथवा क्रेता के लिये।

जब विक्रय का अनुबंध पूर्ण हो जाये तो यह अनिवार्य हो जाता है, सिवाय इसके की शरई कारणों में से कोई कारण मौजूद हो।

अनिवार्य होने के आधार पर अनुबंध के प्रकारः

[1] **दोनों पक्षों की ओर से वैध अनुबंधः** जैसे किसी को वकील एवं नायब बनाना।	[2] **दोनों पक्षों की ओर से अनिवार्य अनुबंधः** जैसे विक्रय एवं किराया।	[3] **एक पक्ष की ओर से अनिवार्य जबकि दूसरे पक्ष की ओर से निवार्य (जायज़) अनुबंधः** जैसे गिरवी।

ख़ियार अर्थात चयन के अधिकार के आठ प्रकार हैं:

[1] ख़ियार -ए- मजलिस।	[2] ख़ियार -ए- शर्त।	[3] ख़ियार -ए- ग़बन।	[4] ख़ियार -ए- तदलीस।
[5] ख़ियार -ए- ऐब।	[6] मूल्य के बारे में अवगत करने का ख़ियार, जब बताये गये मूल्य से कम या अधिक निकले।	[7] क्रय-विक्रय करने वाले को बदलने का अधिकार।	[8] बताये गये गुणों में अंतर होने की स्थिति में अधिकार।

[पहला प्रकारः]

उन शरई कारणों में से एक कारण हैः **ख़ियार -ए- मजलिस**, अर्थात सभा में ही अनुबंध बाकी रखने अथवा

तोड़ देने का अधिकार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: "**जब दो व्यक्ति ने क्रय-विक्रय किया तो जब तक वह दोनों अलग न हो जायें, उन्हें (अनुबंध तोड़ देने का) अधिकार बाकी रहता है। यह इस स्थिति में कि दोनों एक ही स्थान पर मौजूद हों, लेकिन यदि एक ने दूसरे को पसंद करने के लिये कहा और इस शर्त पर बिक्री हुई, तथा दोनों ने बिक्री का दृढ़ निश्चय कर लिया, तो बिक्री उसी समय पूर्ण हो जायेगी। इसी तरह यदि दोनों पक्ष क्रय के बाद एक दूसरे से अलग हो गये, तथा क्रय से किसी पक्ष ने भी इन्कार नहीं किया, तो भी अनुबंध पूर्ण हो जाता है**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

[दूसरा प्रकार:]

ख़ियार -ए- शर्त: अर्थात शर्त रखने का अधिकार प्राप्त होना, जब यह शर्त लगाई गई हो कि एक निर्धारित समय तक दोनों को या किसी एक को अनुबंध तोड़ देने का अधिकार होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: "**मुसलमान अपनी शर्तों के पाबंद होते हैं, सिवाय इसके कि कोई ऐसी शर्त हो जो ह़राम को ह़लाल और ह़लाल को ह़राम करने वाली हो**"। इसे सुनन वालों ने रिवायत किया है।

[तीसरा प्रकार:]

ख़ियार -ए- ग़बन: अर्थात धोखा होने पर प्राप्त होने वाला अधिकार, यही हुक्म उसका भी है जो धोखा का शिकार हुआ हो, या तो: मूल्य बढ़ाने के कारण या क़ाफ़िला को आगे जा कर मिलने के कारण हो, अथवा इन दोनों के सिवा कुछ हो।

[चौथा प्रकार:]

ख़ियार -ए- तदलीस, वह इस प्रकार कि बेचने वाला ख़रीदार को धोखा दे कर मूल्य बढ़ा कर सामान बेचे, जैसे चौपाया पशुओं के थन में दूध रोके रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**(बेचने के लिये) ऊँटनी एवं बकरी के थनों में दूध रोक कर न रखो, यदि किसी ने (धोखा में आ कर) कोई ऐसा पशु ख़रीद लिया तो उसे दूध दूहने के बाद दोनों अधिकार है चाहे तो पशु रख ले, और यदि चाहे तो वापस कर दे, और एक स़ाअ (एक प्रकार का माप) खजूर पशु के साथ (दूध के बदले) दे दे**"। एक ह़दीस़ में यों है: "**ख़रीदार को तीन दिन का अधिकार होगा**"।

[पाँचवां प्रकार:]

यदि कोई **दोषी सामान ख़रीदे** जिसका दोष उसे पता न हो तो उसे रखने या लौटाने का उसे अधिकार प्राप्त है, यदि उसे लौटाना संभव न हो तो अर्श (भरपाई) अनिवार्य हो जायेगी [जोकि सही होने का मूल्य एवं दोषी होने का मूल्य के मध्य की क़ीमत है]।

[छठा प्रकार:]

यदि मूल्य के संबंध में मतभेद हो जाये तो दोनों क़सम खायेंगे, और दोनों में से हरेक को अनुबंध तोड़ने का अधिकार होगा।

इक़ाला कहते हैं:

अनुबंध करने वाले पक्षों के मध्य होने वाले बिक्री के अनुबंध को आपसी सहमति से ख़त्म एवं समाप्त कर देना।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**जो कोई अपने मुसलमान भाई से बिक्री का मामला समाप्त कर ले तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके गुनाह माफ़ कर देगा**"। अबू दावूद इब्ने माजह।

सलम [या सलफ़] का अध्याय

हर वह वस्तु जिसकी विशेषता निर्धारित एवं परिभाषित हो उसमें सलम वाली विक्रय जायज़ है, जबः

[1] उसका प्रत्येक वह गुण जिसके कारण मूल्य में अंतर उत्पन्न होता है, निर्धारित हो [मात्रा, जींस (वर्ग), प्रकार एवं गुण]।	[2] उसकी समय सीमा का वर्णन हो।	[3] अलग होने के पूर्व उसका [पूरा] मूल्य अदा कर दे।

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब आये तो लोग सलफ़ (नामक विक्रय) किया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**जो कोई सलफ़ करे वह निर्धारित माप में, निर्धारित तौल में तथा निश्चित समय के लिये करे**"। [बुख़ारी व मुस्लिम]।

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**जो कोई लोगों का धन ऋण के रूप में अदा करने की निय्यत से लेता है तो अल्लाह तआला भी उसकी ओर से अदा करेगा और जो कोई न देने के इरादे से ले, तो अल्लाह तआला भी उसको तबाह कर देगा**"। बुख़ारी।

सलम का उदाहरणः किसान व्यापारी के पास आ कर कहे किः मुझे अभी नगद एक हज़ार दीजिये और साल भर के बाद मैं आपको एक क्विंटल गेहूँ दूँगा, तो इस तरह किसान धन से लाभ उठाता है और व्यापारी गेहूँ से लाभ उठाता है।

[उक़ूद -ए- तौसीक़ः] गिरवी, ज़मानत एवं लालन-पालन का अध्याय

ये निश्चित और स्थायी अधिकारों के वसीक़ा (दस्तावेज़, शपथ पत्र) हैं:

[रहन (गिरवी):]

यह कहते हैं: किसी ऐसी वस्तु के द्वारा ऋण की दस्तावेज़ को जिसको अदा करना या उसके कुछ भाग को अदा करना संभव हो।

तथा यह शामिल है:

[1] राहिनः जो अपने सामान को क़र्ज़ के लिये दस्तावेज़ के तौर पर रहन रखता है।	[2] मुर्तहनः जो रहन लेता है, अर्थातः ऋणदाता।	[3] गिरवी रखी हुई वस्तुः जो क़र्ज़ की ज़मानत के रूप में गिरवी रखी जाती है।

रहन (गिरवी): के तौर पर हर उस वस्तु को रखना सही है जिसको बेचना सही है, अतः उस वस्तु को रहन के रूप में नहीं रखा जा सकता है जिसको बेचना सही नहीं है, [जैसे वक़्फ़ किया हुआ सामान एवं कुत्ता, और ऐसी चीज़ जिसका वह मालिक नहीं है], अतः गिरवी रखी गई वस्तु गिरवी रखने वाले वाले के पास अमानत के तौर पर रहती है जिसका गारंटर वह उसी स्थिति में होगा जब वह उसमें ज़्यादती अथवा ग़फ़लत करे, जैसाकि अन्य ज़मानतों का मामला है।

तथा यदि:

[1] पूर्ण अदायगी हो जाये तो रहन छूट जायेगा।	[2] यदि अदायगी न हो, और माल वाला अपने अधिकार का प्रयोग करते हुये उसे बेचने को कहे, तो:		
	उसको बेचना अनिवार्य है, और उस क़ीमत से रहन की अदायगी की जायेगी।	उसके बाद जो धन बचेगा वह सामान वाले का होगा।	यदि क़र्ज़ में से फिर भी कुछ बच जाये, तो वह बिना रहन के आम क़र्ज़ के रूप में रहेगा।

यदि कोई रहन (गिरवी) को नष्ट कर देता है तो उसे रहन के तौर पर ज़मानत (में कोई वस्तु) देनी होगी: तथा उसमें होने वाली वृद्धि उसके अधीन होगी। उसका ख़र्चा उसके मालिक के ज़िम्मे होगा, तथा गिरवी रखने वाला उससे लाभ नहीं उठा सकता, सिवाय इसके कि: दूसरा व्यक्ति इसकी अनुमति दे, या जिसकी अनुमति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दी है: "**बंधक रखे गये पशु पर उसके ख़र्च के बदले सवारी की जायेगी, इसी तरह दूध वाला जानवर जब बंधक हो तो ख़र्च के बदले उसका दूध पिया जायेगा और जो कोई सवारी करे या दूध पिये वही उसका ख़र्च वहन करेगा**"। बुख़ारी।

बंधकगृहीता जानवर के अलावा किसी भी बंधक से लाभ नहीं उठा सकता है, अतः केवल पारिश्रमिक का भुगतान करने पर ही वह घर या वाहन का उपयोग कर सकता है, किंतु यदि जानवर को खिलाने-पिलाने की लागत आती है, तो उससे लाभ उठाना सही है, जैसाकि उपरोक्त हदीस़ से प्रमाणित होता है।

रहन (बंधक) का उदाहरण: किसी व्यक्ति ने गाय को बंधक के रूप में रखा तथा बंधकगृहीता उसको दूहता है, तो हम कहेंगे कि: उतना ही दूहो जितना उसका ख़र्च है।

[1] अतः यदि सप्ताह भर में दूहे जाने वाले दूध का मूल्य सौ रूपया बनता है तथा सप्ताह भर का ख़र्च भी सौ रूपया ही है तो इस स्थिति में न उसके लिये कुछ है और न उसके ऊपर।	[2] किंतु यदि सप्ताह भर में दूहे जाने वाले दूध का मूल्य दो सौ रूपया बनता है और सप्ताह भर का ख़र्च सौ रूपया है तो इस स्थिति में वह सौ रूपया बंधक देने वाले व्यक्ति को लौटाना होगा, किंतु वह भी बंधक ही रहेगा क्योंकि यह बंधक की वृद्धि में से है।	[3] तथा मामला यदि इसके विपरीत हो कि: ख़र्चा दो सौ और दूध सौ रूपया का निकलता हो तो दूध की क़ीमत से ऊपर का ख़र्च बंधक देने वाले व्यक्ति को अदा करना होगा।

[ज़मानः] **ज़मान कहते हैं:** किसी के ज़िम्मे में मौजूद हक़ (धन इत्यादि) की ज़मानत लेना।
[कफ़ालतः] **और कफ़ालत कहते हैं:** विपक्षी को सशरीर [निर्णय की सभा में] ला खड़ा करने की ज़मानत लेना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: "**ज़मानत लेने वाला अदायगी करने का ज़िम्मेदार है**"। [इस हदीस़ को तिर्मिज़ी एवं इब्ने माजह ने रिवायत किया है]।
उनमें से हरेक (ज़मानत व कफ़ालत लेने वाला) अदायगी का ज़ामिन व ज़िम्मेदार है, सिवाय इसके कि:

[1] वह किये गये वादा को पूरा करे।	[2] या जिसका अधिकार है वह उसको माफ़ कर दे।	[3] या ऋण लेने वाला अपने ऋण को अदा कर दे। वल्लाहु आलम।

[दीवालिया होने के कारण हजर (रोक) का अध्याय

हजरः कहते हैं: किसी आदमी को उसके धन एवं अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोक देना, अथवा केवल धन में हस्तक्षेप करने से रोक देना।

अनुमानित लाभ के आधार पर हजर (रोक) के दो प्रकार हैं:

[1] **जिसके ऊपर रोक लगाई गई है उसके हित में:** बच्चा, मंदबुद्धि एवं पागल के लिये।

[2] **किसी और मसलहत की ख़ातिरः** दीवालिया होने की स्थिति में।

जिसका किसी पर हक़ होः उसके ऊपर अनिवार्य है कि वह निर्धन को मोहलत दे, तथा उचित यह है कि धनवान के संग विनम्र रवैया अपनाए।

और जिस पर किसी का हक़ होः उसके ऊपर पूर्ण अदायगी करना अनिवार्य है, मात्रा एवं विशेषता का ध्यान रखते हुये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**धनवान की ओर से टाल-मटोल किया जाना अन्याय है, यदि तुम में से किसी का ऋण किसी मली (धनवान) की ओर फेर दिया जाये, तो उसे स्वीकार करे**"। बुख़ारी व मुस्लिम। तथा इसका उद्देश्य मामला को सरल सहज बनाना है। **हदीस़ में वर्णित शब्द "मली" कहते हैं:** उस व्यक्ति को जो अदायगी करने में सक्षम हो, और वह टाल-मटोल करने वाला न हो, तथा निर्णय की सभा में उसे उपस्थित करना संभव हो।

यदि किसी व्यक्ति का ऋण उसके पास मौजूद धन से अधिक हो, और सभी ऋणदाता अथवा उनमें से कुछ शासक से यह अनुरोध करें कि उस व्यक्ति को धन में हस्तक्षेप करने से रोक दिया जाये, तो शासक उसे अपने सभी धन में हस्तक्षेप करने से रोक देगा, फिर उसके धन को एकत्र करेगा और ऋणदाताओं में उनके ऋण के आधार पर बाँट देगा। किसी को किसी पर वरीयता नहीं दी जायेगी, सिवाय इसके किः

[1] बंधक देने वाले को उसका बंधक रखा हुआ सामान लौटा दिया जायेगा।

[2] और नबी का फ़रमान हैः "**जो व्यक्ति अपना धन किसी ऐसे व्यक्ति के पास पाये जो दीवालिया हो चुका हो तो वह उस धन का अन्य की तुलना में अधिक हक़दार है**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

छोटे बच्चे, मंदबुद्धि एवं पागल के अभिभावक पर अनिवार्य है किः

[1] उनके धन में उन्हें ऐसा हस्तक्षेप करने से रोक दे जो उनके लिये हानि का कारण बनेः अल्लाह का फ़रमान हैः ﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا﴾ (मंदबुद्धियों को अपना धन न दो जिस धन को अल्लाह ने तुम्हारे गुज़ारे का कारण बनाया है)।

[2] तथा उस पर अनिवार्य है कि अनाथ के धन के निकट न जाये, परंतु ऐसे तरीके से जो उत्तम हो, जैसेः

[क] उस की सुरक्षा हेतु।

[ख] उनके लिये लाभदायक एवं फलजनक ढंग से हस्तक्षेप करने के लिये।

[ग] तथा उस धन में से जितने की उसको आवश्यकता है उतना ही ख़र्च करने की ख़ातिर।

तथा उनका वली (अभिभावक) होगाः

[1] उनका बुद्धिमान पिता।	[2] यदि पिता मौजूद न हो तोः शासक उनके संबंधियों में से उनका अभिभावक उसे बनायेगा जो सबसे अधिक उनसे स्नेह करने वाला, उनके बारे में ज्ञान रखने वाला और सर्वाधिक अमानतदार हो।

धनवानों को चाहिये कि (उनके धन से) बचते रहें। तथा जो निर्धन मोहताज हों तो रीति रिवाज के अनुसार आवश्यक ख़र्च लें, अर्थातः ऐसा कार्य करने का पारिश्रमिक एवं उसके लिये पर्याप्त धन में से जो कम हो उतना ही ले।

उदाहरण स्वरूप यदि उसके लिये एक हज़ार काफी है और उसका पारिश्रमिक पाँच सौ रूपये हो, तो हम उसे पाँच सौ रूपया देंगे, क्योंकि यह दोनों में सबसे कम है।

वल्लाहु आलम (अल्लाह अधिक जानता है)।

[सुलह़ का अध्याय]

सुलह़ कहते हैं: ऐसे अनुबंध को जिसके द्वारा दो पक्षों के मध्य मतभेद को समाप्त किया जाता है। इसके अनेक प्रकार हैं, तथा सभी का संबंध वित्तीय अधिकार इत्यादि से है।
एवं एक स्थिति में सुलह़ (मेलमिलाप) वर्जित होगा, और वह तब जब न्यायाधीश को यह ज्ञात हो जाये कि स्पष्ट रूप से हक व अधिकार दोनों पक्षों में से किसी एक के साथ है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः "**मुसलमानों के मध्य सुलह़ जायज़ है, किंतु ऐसी सुलह़ जायज़ और दुरुस्त नहीं जो ह़लाल को ह़राम अथवा ह़राम को ह़लाल कर दे**"। इस ह़दीस़ को अबू दावूद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, तथा तिर्मिज़ी ने इसे ह़सन स़ह़ीह़ एवं ह़ाकिम ने स़ह़ीह़ कहा है।

[1] यदि सामान के बदले दूसरे सामान अथवा सामान के बदले नगद पर सुलह़ करे तोः जायज़ है।	[2] यदि उस पर ऋण अदा करना अनिवार्य हो और उसके बदले सामान पर सुलह़ करे अथवा नगद के बदले, जिसे जुदा होने के पूर्व क़ब्ज़ा में ले लेः तो जायज़ है।	[3] या जायदाद के लाभ अथवा किसी ज्ञात चीज़ पर सुलह़ करे।	[4] या कुछ विलंबित ऋण के बदले मौजूदा ऋण पर सुलह़ करे।	[5] या उसका उस पर ऋण हो जिसकी मात्रा दोनों को पता न हो, तो वह कुछ दे कर सुलह़ कर ले तोः ऐसा करना सही है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में कील ठोकने से कदापि न रोके**"। इस ह़दीस़ को बुख़ारी ने रिवायत किया है।

वकालत (नायब बनाना) कहते हैं: जिस कार्य में शरई तौर पर आदमी हस्तक्षेप एवं दख़अलंदाज़ी कर सकता है उसको दूसरे के हवाले कर देना। **शिराकत (partnership) कहते हैं:** दो या उस से अधिक व्यक्तियों का किसी वस्तु में स्वामित्व या हस्तक्षेप का हकदार होना। **मुसाक़ात कहते हैं:** दो व्यक्तियों के मध्य उस अनुबंध को जिसमें फल के कुछ भाग के बदले एक व्यक्ति दूसरे को देखभाल करने के लिये कुछ वृक्ष दे दे। **मुज़ारअत कहते हैं:** दो व्यक्तियों के मध्य उस अनुबंध को जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को अनाज के बदले ज़मीन दे ताकि वह उसमें खेती करे।

[वकालत (नायब बनाने) के बारे में अध्याय]

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी विशेष ज़रूरतों एवं मुसलमानों से संबंधित ज़रूरतों के लिये दूसरों को अपना वकील (नायब, उप) बनाया करते थे, अतः दो लोगों [वकील और मुवक्किल] के बीच इस तरह का अनुबंध करना जायज़ है।

[1] यह हर उस चीज़ में होगा जिसमें नायब बनाना सही है:

[क] अल्लाह के अधिकारों मैं, जैसे: ज़कात (दान) एवं कफ़्फ़ारा इत्यादि बाँटना।

[ख] भक्तों के अधिकारों में, जैसे: अनुबंध करने एवं तोड़ने इत्यादि में।

[2] जिनमें नायब बनाना सही नहीं है ये वो मामले हैं जो इंसान के ऊपर वाजिब हैं और जिनका संबंध विशेष रूप से उसके शरीर से है, जैसे: नमाज़, पवित्रता, क़सम, पत्नियों के मध्य विभाजन एवं इन के समान चीज़ें = तो इसमें वकालत जायज़ नहीं है।

तथा वकील (नायब) को जिस चीज़ की अनुमति चाहे मौखिक अथवा आम रिवाज के अनुसार नहीं है उसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
जुअल (इनाम, पारिश्रमिक) अथवा किसी और चीज़ के बदले वकील बनाना जायज़ है।
और यह बाकी अमानतदारों के समान है, इस पर कोई ज़मानत नहीं है सिवाय इसके कि वह ज़्यादती करे या कोताही करे, और इससे इन्कार करने की स्थिति में क़सम खाने पर उसकी बात मान ली जायेगी, तथा अमानतदारों में से यदि कोई रद्द का दावा करे, तो:

[1] यदि यह जुअल के द्वारा हो तो: बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं किया जायेगा।

[2] यदि यह स्वैच्छिक हो तो: क़सम खाने पर उसकी बात स्वीकार कर ली जायेगी।

[शिराकत के संबंध में अध्याय]

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: "**अल्लाह तआला फ़रमाता है: मैं दो साझीदारों का तीसरा हूँ जब तक कि उन दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ धोखा न करे, और जब कोई अपने साथी के साथ धोखा करता है तो मैं उनके बीच से हट जाता हूँ**"। इसे अबू दावूद ने रिवायत किया है। अतः शिराकत (partnership) के सभी प्रकार वैध हैं। तथा इसमें स्वामित्व एवं लाभ उसी आधार पर होगा जिस पर उन दोनों ने सहमति जताई हो, बशर्ते कि: यह एक निर्धारित एवं ज्ञात भाग के आधार पर हो, [जैसे यह सहमति हो कि दोनों में से हरेक को लाभ का आधा-आधा हिस्सा मिलेगा]।

इसी में शामिल है:

[1] **शिराकत -ए- इनान:** अर्थात दोनों मिल कर धन भी लगाएं और परिश्रम भी करें।	[2] **शिराकत -ए- मुज़ारबत:** अर्थात दोनों में से एक का धन हो और दूसरे का परिश्रम हो।	[3] **शिराकत -ए- वुजूह:** अर्थात दोनों अपने संबंधों के आधार पर लोगों से उधार ख़रीद कर बेचें।	[4] **शिराकत -ए- अबदान:** अर्थात दो लोग अपने शरीरों का उपयोग करते हुये वैध वस्तुएं जैसे घास अथवा उस जैसी वस्तु जिसमें साथ मिल कर काम करना संभव हो, के द्वारा कमाई करें।	[5] **शिराकत -ए- मुफ़ावज़ह:** यह उन सभों को सम्मिलित है।

ये सभी वैध हैं।

परंतु जब इसमें किसी एक पक्ष की ओर से अन्याय या धोखा शामिल हो जाये तो भ्रष्ट हो जाता है, जैसे दोनों में से हरेक के लिये एक-एक निश्चित समय का लाभ आरक्षित हो, या किसी एक सामान का या किसी एक यात्रा का लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिये आरक्षित हो, या इसके समान कोई मामला हो।

[मुसाक़ात एवं मुज़ारअह के संबंध में अध्याय]

यह कृत्य मुसाक़ात एवं मुज़ारअह को भी भ्रष्ट कर देता है [यदि यह अज्ञात वस्तु में हो, जैसे कोई कहे: मैं इस पेड़ के फल या सौ कीलो के बदले इसकी सिंचाई करूँगा, तो ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि यह अज्ञात है]।

राफ़ेअ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: “लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में नहरों के किनारों पर तथा नालियों के सिरों पर की उपज पर ज़मीन किराया पर चलाते थे तो कभी एक चीज़ नष्ट हो जाती और दूसरी बच जाती तथा कभी यह नष्ट हो जाती और वह बच जाती, तो लोगों को कुछ किराया नहीं मिलता परंतु वही जो बच रहता, इसलिये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इससे रोक दिया। किंतु यदि किराया के बदले कोई [ज्ञात] निश्चित चीज़ हो जिसकी ज़मानत ली जा सके तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है”। इस हदीस़ को मुस्लिम ने रिवायत किया है।

और “**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ैबर वालों से यह अनुबंध किया था कि फल या अनाज में से जो उपज हो उसमें आधा हमारा और आधा तुम्हारा**”। बुख़ारी व मुस्लिम।

[1] **मुसाक़ात (सिंचाई) यह है कि:** निश्चित एवं निर्धारित फल के बदले वृक्ष किसी काम करने वाले व्यक्ति को दे दे जो उसकी देखभाल करे।	[2] **और मुज़ारअह यह है कि:** किसी खेती करने वाले व्यक्ति को निश्चित एवं निर्धारित अनाज के बदले खेती के लिये दे।

और उनमें से एक हरेक को: आम रिवाज के अनुसार एवं उस शर्त पर दिया जायेगा जिसमें कोई अज्ञानता न हो।

यदि कोई अपना पशु किसी दूसरे व्यक्ति को काम के लिये दे, और उससे होने वाले लाभ को दोनों बाँट लें: तो जायज़ है।

[मवात (बंजर धरती) को इह्या (आबाद) करने का अध्याय]

मवात का अर्थ है: ऐसी धरती जो किसी के स्वामित्व में न हो (जैसे बहते हुये पानी के रास्ते या चरागाहों वाले इलाके) अथवा जिसके रक्त को सुरक्षित किया गया है (मुस्लिम, ज़िम्मी, मुआहद या मुस्तामन) के स्वामित्व में न हो।
इह्या (आबाद करना): हर वह चीज़ जिसको लोग आबाद करना समझते हों वह आबाद करना है, तथा जो इसके विपरीत हो वह इसके विपरीत ही मानी जायेगी।

यह हर उस बंजर धरती को कहते हैं जिसका कोई ज्ञात स्वामी न हो, अतः जिसने उस को आबाद किया: दीवार घेर कर, या कुँआ खोद कर, या वहाँ तक पानी ले जा कर या ऐसी चीज़ से रोक कर जिसके साथ उसकी खेती नहीं होती तो वह उस सब का स्वामी होगा, सिवाय प्रकट खनिज पदार्थों (कान) के, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इस ह़दीस़ के कारण: "**जिसने कोई ऐसी धरती आबाद की, जिस पर किसी का अधिकार नहीं था तो उस धरती वही हकदार है**"। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है। तथा यदि बंजर धरती को पत्थर से घेर दे, जैसे: उसके आस पास पत्थर रख दे, या कोई धरती खोदे लेकिन पानी की तह तक नहीं पहुँचे, या ज़मीन काट ली जाये तो वह उसका अधिक हकदार है [क्योंकि उसने आबाद करना आरंभ तो किया यद्यपि उसे पूर्ण न कर सका], परंतु वह उस समय तक उसका स्वामी नहीं होगा जब तक उपरोक्त विशेषताओं के अनुसार उसको आबाद न करे [किंतु यदि वह आबाद करने में विलंब करे और कोई दूसरा व्यक्ति उसे आबाद करने की इच्छा प्रकट करे तो उसे मोहलत दी जायेगी]।

जआलह एवं इजारह का अध्याय

जआलह (पारिश्रमिक, पुरस्कार): यह है कि कोई आदमी अपने लिये काम करने वाले व्यक्ति के लिये कोई निर्धारित पारिश्रमिक एवं पुरस्कार निश्चित कर दे, चाहे वह काम ज्ञात हो अथवा अज्ञात, उसका समय निश्चित हो अथवा अनिश्चित।
इजारह (मज़दूरी): यह है कि ज्ञात लाभ या ज्ञात कार्य पर किसी से कोई अनुबंध करे।

और यह दोनों, अर्थात: जआलह यह है कि अपने लिये कोई ज्ञात या अज्ञात कार्य करने वाले व्यक्ति के लिये पुरस्कार व पारिश्रमिक निर्धारित करना, जबकि इजारह में यह कार्य ज्ञात होना चाहिये, या उस लाभ पर जो ज़िम्मे में हो।

ज्ञात, निम्नांकित तरीकों से होगा:

[1] निर्धारणः अर्थातः संख्या एवं गुण स्पष्ट हो।

[2] मुशाअः अर्थातः भाग एवं प्रतिशत स्पष्ट हो।

जिसने वह कार्य किया जिसके बदले इनाम रखा गया था: तो वह उस बदला का हकदार है, अन्यथा नहीं।
सिवाय इसके कि इजारह में यदि कोई कार्य करना कठिन हो जाये तो अंजाम दिये गये कार्य के आधार पर उसको बदला दिया जायेगा।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है किः "**अल्लाह तआला का कथन है किः तीन प्रकार के लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिसका मुद्दई मैं बनूँगा, एक वह व्यक्ति जिसने अनुबंध किया और तोड़ दिया, दूसरा वह व्यक्ति जिसने किसी स्वतंत्र आदमी को बेच कर उसका पैसा खाया और तीसरा वह व्यक्ति जिसने कोई मज़दूर मेहनताना पर रखा, और उससे पूरी तरह काम लिया, लेकिन उसकी मज़दूरी नहीं दी**"। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

[1] यह अल्लाह के निकटता वाले कार्यों में भी जायज़ है।

[2] यह ज्ञात एवं अज्ञात दोनों प्रकार के कार्यों में जायज़ है।

[3] यह जायज़ अनुबंध है, इजारह के विपरीत [क्योंकि इजारह वाजिब अनुबंध है]।

किराये की चीज़ किसी ऐसे व्यक्ति को किराये पर देना जायज़ है जो उसका स्थान ले ले, किंतु हानि पहुँचाने हेतु उससे अधिका नहीं। उन दोनों में कोई गारंटी नहीं, यदि ज़्यादती नहीं हो तो [अर्थातः ऐसा कार्य जो नाजायज़ हो], और न ही कोताही [अर्थातः अनिवार्य कार्य को छोड़ दे]। और ह़दीस़ में है किः "**मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसका पारिश्रमिक दे दो**"। इब्ने माजह।

जिसने किसी के लिये बिना किसी अनुबंध के कार्य किया तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय तीन स्थितियों केः

[1] मासूम के धन को नष्ट होने से बचाना।

[2] आबिक़ अर्थात स्वामी से भागे हुये दास को वापस लौटाना।

[3] जब कोई व्यक्ति अपने नफ़्स (जान) को काम के लिये तैयार कर ले।

लुक़्ता एवं लक़ीत़ का अध्याय

[लुक़्ता के बारे में अध्यायः]

लुक़्ता कहते हैंः ऐसे धन को या ऐसी विशेष वस्तु को जो स्वामी से गुम हो जाये और आम लोगों के निकट जिसका महत्व हो।

तथा इसके तीन प्रकार हैंः

[1] **प्रथमः** जिसका मूल्य कम हो, जैसेः कोड़ा एवं रोटी या इस जैसी कोई वस्तु = तो बिना पहचनवाये वह उसका स्वामी होगा [इसी तरह वह चीज़ें जिसे लोग फालतू समझ कर फेंक देते हैं, जैसेः टूटी हुई कुर्सी या बर्तन इत्यादि]।

[2] **द्वितीयः** वह आवारा एवं भटके हुये जानवर जो छोटे दरिंदों से स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं, जैसेः ऊँट [और बड़े बैल या घोड़े, तो उसका पकड़ना ह़राम है, सिवाय इसके कि उसे दृढ़ विश्वास हो कि उसका मालिक उसको नहीं पा सकेगा] = तो केवल पकड़ने की वजह से वह उसका मालिक नहीं हो जायेगा।

[3] **तृतीयः** जो इसके सिवा हो [लोगों के निकट जिसका मूल्य अधिक होता है, जैसेः धन या ऐसे पशु जो दरिंदों से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते] = तो उसको उठाना एवं पकड़ना जायज़ है, और साल भर ऐलान करने के बाद वह उसका स्वामी हो जायेगा, [यदि यह भय हो कि इस मुद्दत में पशु के मूल्य से भी अधिक उस पर ख़र्च हो जायेगा तो उसके गुणों को सुरक्षित रख के उसे बेच दे और उसके मूल्य को उसके मालिक के रख दे]।

ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि एक व्यक्ति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और लुक़्ता के संबंध में प्रश्न किया, तो आपने फ़रमायाः **"उसकी थैली एवं बंधन को पहचान रखो फिर साल भर तक लोगों से पूछते रहो, यदि उसका मालिक आ जाये तो ठीक अन्यथा जो चाहो करो"**। उसने पूछाः लापता बकरी के बारे में क्या हुक्म है? आपने फ़रमायाः **"वह तुम्हारे भाई की है या फिर भेड़िये की"**, उसने गुमशुदा ऊँट के बारे में पूछा, तो आपने फ़रमायाः **"तुम्हें उससे क्या लेना देना? उसका पानी एवं उसके जूते उसके पास हैं, घाट पर आ कर पानी पी लेगा और वृक्षों के पत्ते खा लेगा यहाँ तक कि उसका स्वामी आ कर उसे ले ले"**। इस हदीस़ को बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

क्या लुक़्ता उठाना उत्तम है? इससे बचना उत्तम है, अतः उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिये, सिवाय इसके कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे अपनी क्षमता एवं शक्ति पर भरोसा हो कि वह इसका ऐलान करेगा।

मक्का के लुक़्ता का क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः **"उसकी गिरी हुई वस्तु न उठाई जाये, परंतु वह व्यक्ति उठाये जो बताता फिरे और जिसकी हो उसे देदे"**, अर्थात अनंत काल तक उसका ऐलान करता रहे अथवा उसे शासक के हवाले कर दे।

[लक़ीत़ के विषय में अध्याय]

लक़ीत़ कहते हैं: ऐसे फेंके हुए बच्चे को जिसका नसब (वंश) या दासता ज्ञात न हो, अर्थात उसके घर वाले उसे पालना नहीं चाहते हों, न कि वह बच्चा जो अपने घर वालों से भटक गया हो।

लक़ीत़ को उठाना एवं उसकी परवरिश करनाः फ़र्ज़ -ए- किफ़ाया है, यदि बैतुल माल विवश हो जाये तो फिर उसकी स्थिति जानने वालों पर निर्भर है।

मुसाबक़ा एवं मुग़ालबा (प्रतियोगिता एवं प्रभुत्व) का अध्याय

इसके तीन प्रकार हैं:

[1] वह प्रकार जो बदला या बिना बदला के, दोनों तरह से जायज़ है, जोकिः घोड़े, ऊँट एवं तीरअंदाज़ी की प्रतियोगिता है।

[2] वह प्रकार जो बिना बदले के तो जायज़ है परंतु बदले के साथ नाजायज़ है, और येः वो सभी प्रतियोगिताएं हैं जो पिछले तीनों प्रकार के अलावा हों।

[3] नरद, शतरंज एवं इस प्रकार की सभी चीज़ें सामान्य रूप से हराम हैं [इसलिये कि दिल इसी में लगा रहता है और यह आदमी को ग़ाफ़िल कर देता है], और यह तीसरा प्रकार है।

प्रमाणः हदीस़ में है किः **"ऊँट दौड़, घुड़ दौड़ और तीरअंदाज़ी के सिवा किसी अन्य मुक़ाबले में शर्त लगाना सही नहीं है"**। इस हदीस़ को अहमद, अबू दावूद, तिर्मिज़ी एवं नसई ने रिवायत किया है। इसके सिवा जो भी हैः जुआ में शामिल है।

यह पता होना अनिवार्य है कि वैध में जब हानि शामिल हो जाये तो वह अवैध हो जाता है:

अतः घोड़ा, ऊँट एवं तीरअंदाज़ी की प्रतियोगिता यदि नमाज़ के समय में किया जाये तो यह हराम होगा।

तथा यदि यह शत्रुता, घृणा, जुनून एवं पूर्वाग्रह की ओर ले जाये तो भी हराम होगा।

पशु प्रतियोगिता:

स्वयं पशु प्रतियोगिताओं के लिए एक शर्त यह है कि इससे उन्हें कोई हानि न पहुँचती हो, और इस प्रतियोगिता से यदि उन्हें कोई हानि होती हो तो वह ह़राम होगा, जैसेः मुर्ग़बाज़ी, मेंढ़े एवं बैलों की आपसी लड़ाई करवाना।

मुक्के बाज़ी (बॉक्सिंग) का हुक्मः

जायज़ नहीं है, क्योंकिः इसमें विशेष रूप से मुँह पर मारा जाता है, जिससे मना किया गया है। यह खतरनाक है।	किंतु यदि कोई इंसान केवल कसरत करने के लिये इसकी प्रैक्टिस करता है, चेहरे पर न मारने का ध्यान रखते हुये, तो जायज़ है।

ग़स़्ब (अवैध क़ब्ज़ा) का अध्याय

ग़स़्ब कहते हैं: दूसरे के धन पर अवैध क़ब्ज़ा करने को।

इसका प्रमाण यह ह़दीस़ हैः "**जिस किसी ने ज़मीन की एक बालिश्त (भी) अन्याय करते हुये काट ली, क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे सात ज़मीनों से उसका हार (बना कर) पहनायेगा**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

तथा उसके ऊपर अनिवार्य हैः

[1] उसे उसके मालिक को वापस कर देना, चाहे जुर्माना कई गुणा क्यों न हो।	[2] उस नुक़सान की भरपाई करना।	[3] उसके हाथ में रहने की मुद्दत तक किराया देना।	[4] तथा यदि यह पूर्णतः नष्ट हो चुका हो तो उसका बदला देना।

और उसमें हुई वृद्धि धन वाले व्यक्ति की होगी।

यदि वह वस्तु ज़मीन हो और उसने उस पर पेड़ लगाया हो या भवन निर्माण किया हो, तो वह भवन ज़मीन वाले की होगी, जैसाकि ह़दीस़ में हैः "**किसी अत्याचारी की रग (अर्थात दूसरे की ज़मीन पर लगाये वृक्ष इत्यादि की जड़ें) का कोई अधिकान नहीं**"। इस ह़दीस़ को अबू दावूद ने रिवायत किया है।

और जिसके पास क़ब्ज़ा करने वाले का धन स्थानांतरित हो कर आया हो और उसे उसकी सूचना हो तो उसका हुक्म भी क़ब्ज़ा करने वाले के समान होगा।

आरियत एवं वदीअत का अध्याय

[आरियत (किराया)]

आरियत कहते हैं: लाभ उठाने देने को, [तथा आवश्यक है कि यह लाभ वैध हो, जैसे किताब को किराये पर लेना]।

और यह मुस्तहब है, उपकार एवं भलाई में दाख़िल होने की वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**हर भलाई सदक़ा है**"। [बुख़ारी व मुस्लिम]।

[1] तथा यदिः		[2] अन्यथा [कोई ज़मानत] नहीं।
[क] ज़मानत की शर्त लगा दी जायेः तो वह गारंटर होगा।	[ख] या ज़्यादती अथवा कोताही करेः तो ज़ामिन (गारंटर) होगा।	

[वदीअत]

[वदीअत कहते हैं: किसी ऐसे व्यक्ति के पास धन रखने को जो उसकी सुरक्षा करे]।

जो किसी के पास वदीअत रखेः तो उसी प्रकार से उसकी सुरक्षा करना उस पर अनिवार्य है, और धन वाले की अनुमति के बिना वह उससे लाभ न उठाये [इससे यह स्पष्ट होता है कि बैंक में रखा हुआ पैसा वदीअत नहीं है, बल्कि वह क़र्ज़ है]।

जिसे कोई वस्तु उधार दी गई हो तो उस पर उस उधार को लौटाना कब अनिवार्य है?

[1] जब मुद्दत समाप्त हो जाये।	[2] जब उसका मालिक मांगे।	[3] जब उसकी चोरी का भय हो।	[4] जब उधार लेने वाला यात्रा करने वाला हो।	[5] जब लाभ पूर्ण हो जाये।

शुफ़अह का अध्याय

शुफ़अह कहते हैं: किसी साझीदार का, दूसरे साझीदार से बेचने इत्यादि के द्वारा स्थानांतरित होने वाले भाग को, लेने की इच्छा करने को।

और यह अधिकार केवल उस अचल संपत्ति के साथ विशेष होता है जिसका विभाजन नहीं हुआ हो, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस़ वर्णित है: "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हर उस चीज़ में शुफ़अह का अधिकार दिया था जो अभी विभाजित नहीं हुई हो, किंतु जब सीमा निर्धारण हो जाये और मार्ग बदल दिया जाये तो फिर शुफ़अह का अधिकार नहीं रहता**"।

शुफ़अह को समाप्त करने के लिये छल प्रपंच करना अवैध है। यदि छल प्रपंच किया गया हो तो यह अधिकार समाप्त नहीं होगा, जैसाकि हदीस़ में है: "**कर्मों का आधार निय्यतों पर है**"।

पड़ोसी को उस स्थिति में शुफ़अह का अधिकार प्राप्त होगा जब दोनों का मार्ग एक हो, या किसी ऐसी चीज़ में जिसमें दोनों भागीदार हों, अन्यथा उसको शुफ़अह का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

शुफ़अह का उदाहरण: दो आदमी एक ज़मीन में भागीदार हों, उन दोनों में से एक, तीसरे व्यक्ति से अपना हिस्सा बेचता है, तो ऐसी स्थिति में वह भागीदार जिसने अपना हिस्सा नहीं बेचा है उसको यह अधिकार प्राप्त है कि उस हिस्सा को बलपूर्वक क्रेता से उसी मूल्य पर ले ले, और उसे अपने स्वामित्व में शामिल कर ले, और इस तरह समस्त ज़मीन उस पहले भागीदार की हो जायेगी जिसने अपना हिस्सा नहीं बेचा है।

वक़्फ़ का अध्याय

वक़्फ़ कहते हैं: मूल चीज़ रोक कर उससे प्राप्त होने वाले लाभ को कल्याण मार्ग में ख़र्च करने को।
यह अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करने के सर्वोत्तम मार्गों में से एक है, यदि यह नेकी के रूप में हो तथा अन्याय पर आधारित न हो तो, हदीस़ में है: "**जब बंदा मर जाता है तो उसके समस्त कर्मों का सिलसिला समाप्त हो जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के: अनवरत जारी रहने वाला दान, या ऐसा ज्ञान जिसका लाभ उठाया जाये, अथवा नेक संतान जो उसके लिये प्रार्थना करे**"। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।
इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि: ख़ैबर की कुछ ज़मीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ग़नीमत के रूप में मिली तो वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में परामर्श हेतु उपस्थित हुये और कहा: हे अल्लाह के रसूल! मैंने ख़ैबर में अपने हिस्से की ऐसी ज़मीन पाई है कि इससे उत्तम धन मुझे कभी नहीं मिला, और अब मुझे आदेश दीजिये कि मैं इसके बारे में क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**यदि तुम यही चाहते हो तो असल ज़मीन को वक़्फ़ कर दो और उससे जो उपज हो उसे दान स्वरूप बाँट दो**", तो उस ज़मीन को उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस शर्त के साथ वक़्फ़ कर दिया कि मूल ज़मीन को न तो बेचा जाये और न उपहार स्वरूप दिया जाये तथा न उसे किसी की विरासत करार दी जाये, और उसकी उपज को दान स्वरूप इस प्रकार से ख़र्च किया जाये कि उससे निर्धनों, संबंधियों को लाभांवित किया जाये और दासों की सहायता की जाये, अल्लाह के मार्ग में एवं यात्रियों पर ख़र्च किया जाये, और अतिथियों का सत्कार किया जाये और उस ज़मीन का संरक्षक भी उचित ढ़ंग से उसमें से खाये, अपने मित्रों को खिलाये, बशर्ते कि धन संचित करने का इरादा न हो"। बुख़ारी व मुस्लिम। और यह ऐसे कथन [एवं कर्म] के द्वारा लागू होगा जो वक़्फ़ करने को दर्शाये।
वक़्फ़ के ख़र्चों एवं शर्तों में वक़्फ़ करने वाले की उन शर्तों का ध्यान रखा जायेगा जो शरीअत के अनुसार हों। और उसे बेचा नहीं जायेगा सिवाय इसके कि उसका लाभ बंद हो जाये, तो उसे बेच दिया जायेगा, और उसी के समान अथवा उससे कम ख़रीद कर वक़्फ़ कर दिया जायेगा।

वक़्फ़ के प्रकार:	
[1] **किसी समूह के लिये:** आवश्यक है कि यह नेकी के आधार पर हो।	[1] **किसी निश्चित चीज़ के लिये:** इसके लिये शर्त है कि इसमें कोई पाप न हो।

वक़्फ़ एवं वस़ीयत के मध्य अंतर:	
वक़्फ़:	**वस़ीयत:**
❖ यह अतिशीघ्र लागू होने वाला अनुबंध है।	❖ यह मृत्यु से संबंधित अनुबंध है।
❖ यह सभी धन में हो सकता है।	❖ यह एक तिहाई या उससे भी कम में होगा।
❖ यह वारिस एवं ग़ैर वारिस सभी के लिये हो सकता है।	❖ यह वारिस के लिये नहीं होगा।

[उक़ूद -ए- तबर्रुअ]: हिबह (उपहार), अतिय्यह (दान) एवं वसीयत का अध्याय

यह उक़ूद (अनुबंध) तबर्रुआत (उपहार के प्रकार) में से है:

[1] **हिबह (उपहार) कहते हैं:** जीवन एवं स्वस्थ होने की स्थिति में धन का दान करना।

[2] **अतिय्यह कहते हैं:** भयंकर रोग की स्थिति में धन दान करना।

[3] **वसीयत कहते हैं:** मृत्यु के बाद धन दान करना।

रोग एवं बीमारी के प्रकार:

[1] **भयंकर:** जिसमें स्वास्थय से अधिक मृत्यु का भय हो।

[2] **सामान्य:** जिसमें मृत्यु से अधिक स्वास्थय की संभावना हो।

ये सभी उपकार एवं भलाई में शामिल हैं।

[1] **हिबह (उपहार):** यह मूल धन में से होता है।

[2] **अतिय्यह एवं वसीयत:**

[क] एक तिहाई या उससे कम में ग़ैर वारिसों के लिये।

[ख] जो एक तिहाई से अधिक हो या ग़ैर वारिस के लिये हो: तो यह बुद्धिमान वारिसों (उत्तराधिकारियों) की अनुमति पर निर्भर है।

उन सभों में समस्त संतान के मध्य न्याय करना अनिवार्य है, जैसाकि हदीस में है: "**अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के मध्य न्याय से काम लो**"। इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।
हिबह को स्वीकार कर लेने एवं क़ब्ज़ा में ले लेने के बाद उसको फिर वापस लेना हलाल नहीं है, इस हदीस के कारण: "**अपने हिबह को वापस लेने वाला उस कुत्ते के समान है जो उल्टी करता है और फिर उसी उल्टी को खा लेता है**"। बुख़ारी व मुस्लिम। एक दूसरी हदीस में है: "**किसी व्यक्ति के लिये वैध नहीं है कि किसी को कोई अतिय्यह (उपहार) दे और फिर उसे वापस लौटा ले, सिवाय पिता के कि वह बेटे को देकर उससे ले सकता है**"। इसे सुनन वालों ने रिवायत किया है।
और "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हदिय्यह (उपहार) स्वीकार किया करते थे तथा उसका बदला भी दिया करते थे**"। और [स्वतंत्र मुस्लिम] पिता को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने पुत्र के धन में से जो चाहे ले ले, जब तक वह: [1] हानि न पहुँचाये, [2- या उसे उसकी आवश्यकता हो], [3] या ले कर किसी दूसरे बेटे को दे दे, [4] या यह दोनों में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में हो, इस हदीस के कारण: "**तुम एवं तुम्हारा धन दोनों तुम्हारे पिता का है**"। [इब्ने माजह]। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरफ़ूअन वर्णित है कि: "**किसी मुसलमान के लिये जिसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें उसे वसीयत करनी ज़रूरी हो, तो उचित नहीं कि वह दो रातें ऐसी बिताए जिनमें उसके पास उसकी लिखी हुई वसीयत मौजूद न हो**"। बुख़ारी व मुस्लिम।
तथा हदीस में है कि: "**अल्लाह तआला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है, अत: किसी वारिस के लिये कोई वसीयत नहीं**"। इस हदीस को सुनन वालों ने रिवायत किया है।

तथा एक ह़दीस़ में यह शब्द है: "**सिवाय इसके कि वारिस लोग चाहें**"।
जिसके पास कोई ऐसी चीज़ न हो जो उसके वारिसों (उत्तराधिकारियों) को धनवान बनाने योग्य हो तो वह वस़ीयत न करे, बल्कि विरासत को सभी वारिसों के लिये छोड़ दे। जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: "**तुम अपने वारिसों को अपने पीछे धनवान छोड़ जाओ तो यह इससे उत्तम होगा कि उन्हें इस तरह निर्धन बना कर जाओ कि वे लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें**"। इस ह़दीस़ को बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।
तथा सभी मामलों में कल्याण व भलाई वांछित है।

जिन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है, वो चार हैं:

[1] **वकील:**	[2] **वस़ी:**	[3] **नाज़िर:**	[4] **वली:**
जिसे जीवित स्थिति में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई हो।	जिसे मृत्यु के बाद हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया हो।	जिसे वक़्फ़ में हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया हो।	जिसे अल्लाह व रसूल ने हस्तक्षेप का अधिकार दिया है, जैसे अनाथ का अभिभावक।

वस़ीयत का नमूना:

इसकी वस़ीयत की है: .... (अपने नाम का उल्लेख करे: अमुक पुत्र अमुक) ने जो गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं वह अकेला है उसका कोई साझीदार नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके बंदा और रसूल हैं।
मैं अपनी संतान, अपने परिवार वालों एवं संबंधियों को सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का तक़वा एवं भय अपनाने की वस़ीयत करता हूँ।
मेरे ऊपर जो क़र्ज़ है उसे अदा करने की वस़ीयत करता हूँ, जिसकी मात्रा है: ....
और मैं वस़ीयत करता हूँ (यदि उसने धन छोड़ा हो तो) इतना धन: .... (मात्रा का उल्लेख करे जो एक तिहाई से कम हो) अमुक के लिये: .... (उत्तराधिकारियों को छोड़ कर उस व्यक्ति का उल्लेख करे जिसके लिये वस़ीयत करनी हो)।
और मैं अपने स्नान, कफ़न-दफ़न एवं ताज़ियत (सांत्वना) में सुन्नत का अनुसरण करने की वस़ीयत करता हूँ।
(फिर वस़ीयत पर हस्ताक्षर करे, तारीख़ लिखे और उस पर गवाह बना ले)।

किताबुल बुयूअ से प्रश्न

असत्य	सत्य	प्रश्न
☐	☐	❖ बिक्री की शर्तों एवं बिक्री के अंदर शर्तों में अंतर है, वही अंतर दूसरे अनुबंध जैसे विवाह में भी होंगे
☐	☐	❖ किसी अनुबंध की समस्त शर्तें उसके मुतलक़ (व्यापक) होने के विपरीत होते हैं, क्योंकि उसके मुतलक़ होने का अर्थ है कि उसमें कोई शर्त न हो
☐	☐	❖ मामलों में असल हलाल होना है सिवाय इसके कि कोई ऐसा प्रमाण आ जाये जो उसे हराम करार दे
☐	☐	❖ मामलों के अध्याय में इमाम मालिक का मत अहले सुन्नत के मत के सर्वाधिक निकट है
☐	☐	❖ आप मामलों के अध्याय में इमाम मालिक का कोई भी मत देख लें लगभग इमाम अहमद से वैसी ही रिवायत मिलेगी जो इमाम मालिक के मत के अनुसार होगी
☐	☐	❖ अनुबंध का उल्लंघन करने वाली कोई भी शर्त निराधार है
☐	☐	❖ समस्त अनुबंध वैसे ही किये जायेंगे जो आम रिवाज के अनुसार हो
☐	☐	❖ यदि स्थिति अज्ञात हो तो क्रेता को अधिकार प्राप्त होगा
☐	☐	❖ शरीअत ने हर उस द्वार को बंद कर दिया है जिसके द्वारा ब्याज तक पहुँचा जा सकता है
☐	☐	❖ कुफ़्र को छोड़ कर ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका दण्ड ब्याज की तरह संगीन हो
☐	☐	❖ दोनों पक्षों की ओर से अनिवार्य अनुबंध को दोनों पक्षों की सहमति अथवा शरई कारण के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है
☐	☐	❖ जिसकी सहमति लेना शर्त नहीं है उसका मामला से परिचित होना भी शर्त नहीं है
☐	☐	❖ क्रय-विक्रय करने वाले दोनों को या दोनों में से एक को मज्लिस वाले अधिकार को समाप्त करने का अधिकार है
☐	☐	❖ ख़रीद बिक्री करने वालों में से एक यदि ईमानदारी एवं स्पष्टता का उल्लंघन करता है तो शरीअत दूसरे के अधिकार को सुरक्षित रखती है
☐	☐	❖ व्यक्ति कभी-कभी कोई सामान बिना सोचे समझे ख़रीदता-बेचता है, तो शरीअत ने उसका अधिकार सुरक्षित रखा है
☐	☐	❖ दुविधा के समय मुसलमान पर वाजिब है कि वह जिस पर भरोसा करता है और अमानतदार समझता है उससे परामर्श ले
☐	☐	❖ बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिये शासक की अनुमति लेना शर्त है
☐	☐	❖ लुक़्ता को लोगों की भीड़ वाले स्थान पर साल भर तक ऐलान करना अनिवार्य है
☐	☐	❖ वक़्फ़ एक वैध अनुबंध है जिसे रद्द किया जा सकता है
☐	☐	❖ हिबह (उपहार) में संतान के मध्य न्याय करना अनिवार्य है

असत्य	सत्य	प्रश्न
☐	☐	❖ एक तिहाई माल से अधिक की वसीयत करना जायज़ नहीं है
☐	☐	❖ वारिस के लिये वसीयत करना जायज़ है
☐	☐	❖ वसीयत को क़र्ज़ पर वरीयता प्राप्त है, जैसाकि अल्लाह तआला के स्पष्ट फ़रमान की माँग है: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ﴾ (उस वसीयत के बाद जो तुम कर गये हो और क़र्ज़ की अदायगी के बाद)
☐	☐	❖ मृत्यु से पूर्व ही वसीयत पर स्वामित्व प्रमाणित होगा?
☐	☐	❖ जिसने माल छोड़ा हो उसके लिये वसीयत करना सुन्नत है

❖ विक्रय में शर्त मानी जायेगी: ☐ इख़्तेयार के ज़माने में ☐ केवल इस स्थिति में जब पहले से सहमति हो ☐ जब अनुबंध हो जाये ☐ उपरोक्त सभी

❖ यदि ऐसी शर्त का उल्लंघन किया जाये जो अनुबंध का तक़ाज़ा है तो अनुबंध ☐ सही होगा ☐ सही नहीं होगा

❖ ब्याज एक विकल्प है (☐ जिसका नाम लिया जाये ☐ जिसका नाम न लिया जाये) उस बिक्री का

❖ लोगों के मध्य प्रचलित कथन एक कर्म का आधार माना जायेगा: ☐ रिति रिवाज को ☐ शरीअत को ☐ भाषा को

❖ मुरदार को बेचना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है

❖ एक आदमी का सामान चोरी हो गया और उसने मिलने के पूर्व ही उसे बेच दिया तो ऐसा करना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है

❖ लेन-देन एवं अनुबंध के नये तरीके जो वर्तमान युग में पाये जाते हैं: ☐ सभी निराधार हैं, क्योंकि उन पर शरीअत का कोई प्रमाण नहीं है ☐ सभी सही हैं, क्योंकि शरीअत ने उन्हें हराम नहीं क़रार दिया है ☐ अस़ल व मूल बात यह है कि ये सही हैं सिवाय उनके जिनमें कोई ऐसी चीज़ पाई जाये जो उनके निराधार होने को अनिवार्य कर दे

❖ ज़ैद ने मुहम्मद से मक्का में एक गाड़ी बेची और यह शर्त लगा दी कि वह उस गाड़ी से क़सीम तक वापस जायेगा: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है

❖ ज़ैद ने मुहम्मद से एक घर बेचा और यह शर्त लगा दी कि उसमें पाये जाने वाले किसी दोष का वह ज़िम्मेवार नहीं होगा, फिर मुहम्मद को पता चला कि घर में दोष है, तो: ☐ उसे (अनुबंध तोड़ने का) अधिकार है ☐ उसे अधिकार नहीं है

❖ अनुबंध करने वालों पर अनिवार्य है: ☐ सच्चाई एवं स्पष्टता ☐ आंतरिक दोषों को छिपाना

❖ ज़ैद ने ख़ालिद से एक गाड़ी ख़रीदी इस आधार पर कि यह वातानुकूलित है, फिर स्पष्ट हुआ कि ऐसा नहीं है, तो यह बिक्री: ☐ सही है ☐ सही नहीं है ☐ यदि ज़ैद सहमत हो जाये तो सही है

❖ शरई अहकाम (☐ वरीय हैं ☐ वरीय नहीं हैं) उन चीज़ों पर जिन पर लोग आपसी अनुबंध में सहमत होते हैं

❋ मुह़म्मद का उमर पर दस हज़ार क़र्ज़ है और उमर इससे इन्कार करता है तो मुह़म्मद उससे कहता है किः क़र्ज़ का इकरार कर लो तो मैं तुझे उसमें से तीन हज़ार दूँगा तो उमर ने क़र्ज़ का इकरार कर लिया, तो ऐसा करनाः □ सही है □ सही नहीं है

❋ टकराव के समयः (□ आम हित □ सामान्य हित), को वरीयता दी जायेगी

❋ मुह़म्मद ने अह़मद को अपनी ओर से दो दिन का रोज़ा रखने का वकील (नायब, उप) बनाया, ऐसा करनाः (□ जायज़ है □ जायज़ नहीं) है

❋ शिराकत -ए- अनान में: □ दोनों साझीदार धन भी लगाते हैं और मेहनत भी करते हैं □ एक धन लगाता है दूसरा मेहनत करता है □ दोनों साझीदार मिल कर धन लगाते हैं, और एक काम करता है तथा दूसरा उसकी सहायता करता है

❋ शिराकत -ए- मुफ़ावज़ह का लाभः □ धन के अनुपात में होगा □ जिसकी दोनों साझीदारों ने शर्त रखी हो □ समान लाभ

❋ मुह़म्मद एवं अली ने मिल कर दूध की फैक्टरी लगाई और दोनों ने आपसी सहमति से यह शर्त रखी कि दही का लाभ मुह़म्मद को मिलेगा और अन्य उत्पाद का लाभ दोनों आपस में आधा आधा बाँट लेंगे, तो ऐसा करनाः (□ सही है □ सही नहीं) है

❋ उस व्यक्ति को अंगूर बेचना जिसके बारे में पता हो कि वह इसकी शराब बनायेगाः (□ सही है □ सही नहीं) है

❋ अज्ञात वस्तु पर जआलह (पारिश्रमिक) रखनाः (□ जायज़ है □ जायज़ नहीं) है

❋ कहीं गिरे हुये चार डॉलर उठानाः (□ जायज़ है □ जायज़ नहीं है), और यदि उठा लिया तोः (□ बिना ऐलान किये वह उसका मालिक हो जायेगा □ उसके लिये लोगों के बीच साल भर ऐलान करना अनिवार्य है)

❋ अपने स्वामी से भटके हुये ऊँट को पकड़नाः □ जायज़ है □ जायज़ नहीं है

❋ अपने मालिक से भटके हुये भेड़ को पकड़नाः □ जायज़ है □ जायज़ नहीं है

❋ कुछ विशेषज्ञ धनुर्धरों से तीरअंदाज़ी की प्रतियोगिता करनाः □ सही है □ सही नहीं है

❋ युवकों के एक समूह ने इस शर्त पर फुटबॉल खेलने पर सहमति जताई कि हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को डिनर करायेगी, तो उनका ऐसा करनाः □ जायज़ है □ जायज़ नहीं है

❋ किसी व्यक्ति ने ज़मीन पर क़ब्ज़ा करके उस पर पेड़ पौधा लगा लिया, अब जब ज़मीन का मालिक उसे उखाड़ने के लिये कहे तो उसे उखाड़नाः □ वाजिब है □ ह़राम है □ जायज़ है

❋ शुफ़अह का अधिकार समाप्त करने के लिये छल प्रपंच करनाः □ वाजिब है □ ह़राम है □ जायज़ है

❋ वक़्फ़ का शरई हुक्मः □ मुस्तहब है □ जायज़ है □ वाजिब है

❋ कैंसर से पीड़ित व्यक्ति ने अपनी पत्नी को धरती का एक टुकड़ा दिया, तो यहः (□ हिबह □ वसीयत □ अतियह) माना जायेगा, और क्या इसको लागू करना जायज़ होगा? (□ हाँ जायज़ होगा □ नहीं जायज़ नहीं होगा)

❋ बेटा बाप के मरणासन्न होते ही उसके धन का मालिक बना दिया जायेगाः □ सही □ सही नहीं

किताबुल मवारीस़ (विरासत के मसले)

इससे अभिप्राय है: लाभार्थियों के बीच धन के उचित वितरण का ज्ञान।
तथा इसका प्रमाण है अल्लाह तआला का यह फ़रमान:

[1] सूरह निसा में अल्लाह का कथन: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ ﴾ (अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी संतान के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है) से लेकर: ﴿ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ ﴾ (यह सीमाएं अल्लाह द्वारा निर्धारित हैं) तक।

[2] अल्लाह तआला का कथन है: ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ ﴾ (आप से फ़त्वा पूछते हैं, आप कह दीजिये कि अल्लाह तआला (स्वयं) तुम्हें कलालह के बारे में फ़त्वा देता है)।

[3] इब्ने अब्बास से मरफ़ूअन वर्णित है: **"फ़र्ज़ वालों को उनके निर्धारित हिस्से अदा कर दो, फिर जो बच जाये वह निकटतम पुरुष (अस़्बह) का हिस्सा है"**। बुख़ारी व मुस्लिम।

उपरोक्त आयतें मय इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ह़दीस़ के, विरासत के अधिकतम मसलों को शामिल हैं और उनकी शर्तों का सविस्तार वर्णन करती हैं।
अल्लाह तआला ने पुरुष, महिला, सगी संतान, बेटे की संतान, सगे भाईयों एवं सौतेले भाईयों के बारे में यह निर्धारित किया है कि = जब वो एकत्र होंगे तो धन को बाँटेंगे।
और फ़र्ज़ वालों को निर्धारित हिस्सा देने के बाद जो धन बच जायेगा: "पुरुषों को महिलाओं का दुगना" के नियमानुसार विभाजन किया जायेगा।
तथा उपरोक्त पुरुषों में से: या तो अपना निर्धारित हिस्सा लेंगे या फिर जो विरासत बाकी बचेगी वह।

[अस़्हाब उल फ़ुरूज़ (निर्धारित हिस्सा पाने वाले)]

[बेटी:]	बेटी यदि अकेली हो तो: उसे आधा मिलेगा।	और दो या दो से अधिक हो तो: दो तिहाई।
[पोती:]	यदि बेटी और पोती हो तो: बेटी को आधा मिलेगा और पोती को छठा हिस्सा मिलेगा दो तिहाई पूर्ण करने हेतु।	

<table>
<tr><td>[बहनः]</td><td colspan="2">तथा यही मामला सगी बहनों एवं पिता की ओर से होने वाली सौतेली बहनों के साथ “कलालह” की स्थिति में होगा। अर्थातः मृतक का कोई उपउत्तराधिकारी पुत्र, पुत्री एवं पुरुष मूल उत्तराधिकारी नहीं हो।</td></tr>
<tr><td colspan="3">यदि बेटियां दो तिहाई पूर्णरूपेण ले लें तोः उनके नीचे वाली अर्थात पोतियां, यदि कोई पुरुष उसको “अस़बह” बनाने वाला न हो तो, उनका हिस्सा समाप्त हो जायेगा। और उनसे नीचे वालों का भी यही पद इसी प्रकार बना रहेगा। इसी तरह से सगी बहनें, पिता की ओर से बनने वाली सौतेली बहनों के हिस्सा को, समाप्त कर देंगी यदि उसका भाई उसको “अस़बह” न बनाता हो तो।</td></tr>
<tr><td>[माता की ओर से सौतेले भाई बहनः]</td><td colspan="2">माँ की ओर से सौतेले भाई बहन में सेः हरेक को छठा हिस्सा मिलेगा, और यदि ये दो अथवा दो से अधिक हों तो उन्हें एक तिहाई मिलेगा, उनमें महिला एवं पुरुष दोनों बराबर होंगे। नीचे के अर्थात उपउत्तराधिकारी के रहते ये लोग किसी भी रूप में वारिस नहीं हो सकते, और उस़ूल (मूल उत्तराधिकारियों) के रहते हुये भी।</td></tr>
<tr><td>[पतिः]</td><td>यदि पत्नी को कोई संतान न हो तो पति को आधा मिलेगा।</td><td>संतान के रहते हुये एक चौथाई हिस्सा मिलेगा।</td></tr>
<tr><td>[पत्नीः]</td><td>यदि पति को कोई संतान न हो तो पत्नी को चौथाई मिलेगा।</td><td>संतान के रहते हुये आठवां हिस्सा मिलेगा।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">[माँः]</td><td colspan="2">माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, जबः कोई संतान न हो, अथवा दो या दो से अधिक भाईयों या बहनों के रहते हुये भी।</td></tr>
<tr><td>उनकी अनुपस्थिति में एक तिहाई मिलेगा।</td><td>जबकि पति एवं माता-पिता या पत्नी एवं माता-पिता होने की स्थिति में उनको शेष धन का एक तिहाई हिस्सा मिलेगा।</td></tr>
<tr><td>[दादी, नानीः]</td><td colspan="2">“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नानी के लिये छठा हिस्सा निर्धारित किया है यदि माँ उसके बीच रुकावट न हो तो” (अर्थात यदि मृतक की माँ जीवित हो तो वह नानी को हिस्से से वंचित कर देगी)। अबू दावूद एवं नसई।</td></tr>
<tr><td>[पिताः]</td><td>पिता को छठा हिस्सा मिलेगा, और नर संतान के होते हुये उसे इससे अधिक नहीं मिलेगा।</td><td>महिला वारिस के होते हुये उसे छठा हिस्सा मिलेगा, और बाँटने के बाद जो बचेगा वह भी उसे तअस़ीबन (मृतक के निकटवर्ती होने के आधार पर) मिलेगा।</td></tr>
<tr><td>[दादाः]</td><td colspan="2">यही हुक्म दादा का है (अर्थातः पिता के समान)।</td></tr>
<tr><td colspan="3">यदि सिरे से कोई संतान ही न हो तो ये दोनों तअस़ीब (निकटवर्ती होने) के आधार पर वारिस होंगे।</td></tr>
</table>

[तअसीब के मसले]

सभी पुरुष -पति एवं माँ की ओर से सौतेले भाई को छोड़ कर- असबह बनेंगे जोकि निम्नांकित हैं:

[1] सगे भाई, पिता की ओर से सौतेले भाई एवं उनके बेटे।	[2] सगे चाचा या पिता की ओर से चाचा एवं उनके पुत्र, मृतक के चाचा, उसके पिता या दादा, चाहे जितने ऊपर के हों।	[3] यही मामला पुत्र एवं उनके पुत्रों का है।

आसिब (असबह बनाने वाले) का हुक्मः

[1] जब ये अकेले होंगे तो सारा धन इनका होगा।	[2] यदि इनके साथ कोई फ़र्ज़ वाला हो उसके लेने के बाद शेष धन असबह का होगा।	[3] यदि फ़र्ज़ वालों के मध्य ही सारा धन विभाजित हो गया तो असबह को कुछ नहीं मिलेगा। सगे बेटे एवं बाप की ओर से सौतेले बेटे के रहते हुये उन लोगों का सारे धन का मालिक बन जाना संभव नहीं है।

यदि दो या दो से अधिक आसिब एकत्र हों तो उनके मध्य वरीयता निम्नांकित ढ़ंग से होगीः

[1] बेटे।	[2] बाप।	[3] भाई एवं उनके बेटे।	[4] चाचा एवं उनके बेटे।	[5] स्वतंत्र करने वाला एवं उनके वो असबह जो स्वयं असबह बनते हों।

तथा उनमें वरीयता दी जायेगीः

[1] सबसे निकटवर्ती संबंधी को।	[2] संबंधी होने के आधार पर यदि सब बराबर हों तो उन्हें वरीयता दी जायेगी जो सामीप्य एवं स्थान के आधार पर सबसे निकट हों।	[3] यदि इस आधार पर भी सभी बराबर हों: तो उनमें जो सबसे अधिक समीप का हो उसको वरीयता दी जायेगी, जैसे पिता की ओर से सौतेले भाई पर पिता एवं माता की ओर से बनने वाले सगे भाई को वरीयता दी जायेगी।

बेटा और भाई को छोड़ कर किसी भी असबह के साथ मिल कर उसकी बहन वारिस नहीं बनेगी।

[औल के मसले]

जब इतने फ़र्ज़ वाले (हिस्सेदार) इकट्ठे हो जायें जो मसला से भी बढ़ जायें कि वो एक दूसरे का हिस्सा ही समाप्त करने लग जायें तो उनके फ़र्ज़ के अनुपात में उन पर औल होगा।

[उदाहरण:]

[1]	जब पत्नी, माँ एवं माँ की ओर से न हो कर किसी और दिशा से होने वाली बहन हो तो: असल मसलह छह (6) से होगा लेकिन आठ (8) पर औल कर जायेगा।
[2]	यदि उनके संग माँ की ओर से सौतेला भाई हो तो भी इसी तरह होगा।
[3]	यदि वो दो हों तो: नौ (9) पर औल कर जायेगा।
[4]	यदि सगी अथवा पिता की ओर से सौतेली बहनें दो हों: तो मसला दस (10) पर औल कर जायेगा।
[5]	यदि दो बेटियां, माता एवं पति हो: तो मसला बारह (12) से तेरह (13) पर औल कर जायेगा।
[6]	यदि उनके साथ पिता भी हो: तो मसला पंद्रह (15) पर औल कर जायेगा।
[7]	यदि दो पत्नियां, दो सगी या पिता की ओर से बहनें और माता हो: तो मसला सत्रह (17) पर औल कर जायेगा।
[8]	यदि माता, पिता, दो बेटियां एवं एक पत्नी हो: तो मसला चौबीस (24) से सत्ताईस (27) पर औल कर जायेगा:

8	6	उदाहरण (1)	
3	3	$\frac{1}{2}$	पति
3	3	$\frac{1}{2}$	माता के सिवा किसी दूसरी ओर से भाई
1	1	$\frac{1}{6}$	माता
1	1	1	माता की ओर

8	6	उदाहरण (2)	
3	3	$\frac{1}{2}$	पति
3	3	$\frac{1}{2}$	माता के सिवा किसी दूसरी ओर से भाई
2	2	$\frac{1}{3}$	माता

		6	से भाई

10	6	उदाहरण (3)	
3	3	$\frac{1}{2}$	पति
4	4	$\frac{2}{3}$	माता के सिवा किसी दूसरी ओर से दो भाई
1	1	$\frac{1}{6}$	माता
2	2	$\frac{1}{3}$	माता की ओर से दो भाई

9	6	उदाहरण (4)	
3	3	$\frac{1}{2}$	पति
3	3	$\frac{1}{2}$	माता के सिवा किसी दूसरी ओर से एक बहन
1	1	$\frac{1}{6}$	माता
2	2	$\frac{1}{3}$	माता की ओर से दो बहन

15	12	उदाहरण (5)	
3	3	$\frac{1}{4}$	पति
2	2	$\frac{1}{6}$	माता
8	8	$\frac{2}{3}$	दो बेटी
2	2	$\frac{1}{6}$	पिता

13	12	उदाहरण (6)	
3	3	$\frac{1}{4}$	पति
2	2	$\frac{1}{6}$	माता
8	8	$\frac{2}{3}$	दो बेटी

27	24	उदाहरण (7)	
3	3	$\frac{1}{8}$	पत्नी
4	4	$\frac{1}{6}$	माता
16	16	$\frac{2}{3}$	दो बेटी
4	4	$\frac{1}{6}$	पिता

17	12	उदाहरण (8)	
3	3	$\frac{1}{4}$	दो पत्नियां
4	4	$\frac{1}{3}$	माता की ओर से दो बहन
8	8	$\frac{2}{3}$	माता के सिवा किसी दूसरी ओर से दो बहन
2	2	$\frac{1}{6}$	माता

[अन्य अह़काम]

फ़ुरूज़ (निर्धारित हिस्से) यदि मसला से कम हों एवं उनके साथ कोई अस़बह भी न हो तो, शेष धन हर निर्धारित हिस्से वाले पर उनके हिस्सा के अनुपात में बाँट दिया जायेगा।
यदि फ़र्ज़ वाले एवं अस़बह न हों: तो संबंधी उसके वारिस होंगे, जोकि उपरोक्त लोगों के अतिरिक्त हैं, और जिनके माध्यम से वह मृतक तक पहुँच रहे हैं उनके स्थान पर माने जायेंगे।
तथा जिसका कोई वारिस न हो उसका धन बैतुल माल के क़ब्ज़ा में जायेगा, जो आम एवं विशिष्ट हितों में ख़र्च किया जायेगा।
जब इंसान मर जाता है तो उसके तर्का (छोड़े हुये धन) में चार अधिकार लागू होते हैं:

[जो (तदवम) में एकत्र हो जाते हैं:]	[त]	सर्वप्रथमः **तजहीज़ (कफ़न)** का सामान।
	[द]	फिर **दैन** अर्थात क़र्ज़ जिसे मूल धन से अदा किया जायेगा।
	[व]	फिर यदि **वस़ीयत** हो तो अजनबी के लिये एक तिहाई धन में उसको लागू किया जायेगा।
	[म]	[मीरास़] फिर शेष धन उत्तराधिकारियों के मध्य विभाजित किया जायेगा। वल्लाहु आलम (अल्लाह सर्वाधिक जानने वाला है)।

वारिस बनने के माध्यम तीन हैं:

[1] नसब (वंश)।	[2] सही विवाह।	[3] वला (स्वतंत्र किये गये दास की मृत्यु के बाद मिलने वाली विरासत)।

वारिस बनने से वंचित करने वाले कारण तीन हैं:

[1] क़त्ल।	[2] दासता।	[3] धार्मिक अंतर।

यदि कुछ वारिस गर्भ में हों अथवा लापता हों या इन जैसी कोई और स्थिति हो तोः सावधानी बरतते हुये धन का विभाजन रोक कर रखा जायेगा। और यदि उपस्थित वारिस लोग धन के विभाजन की मांग करें तो सावधानी बरतते हुये इस प्रकार से संपत्ति का बंटवारा किया जायेगा जिस प्रकार से फ़ुक़हा रह़िमहुल्लाह ने तय किया है।

इत्क़ (आज़ादी) का अध्याय

रिक़्क़ (ग़ुलामी, दासता) में प्रवेश दो प्रकार से होता है:	
[1] जंग में क़ैद किया जाना।	[2] दासी का अपने स्वामी के सिवा किसी और का बच्चा पैदा करना।

रिक़्क़ (ग़ुलामी) के प्रकार:

[1] क़िन्न (पूर्ण दासता)।	[2] मुकातबः जो अपने आपको किस्तों में ख़रीदता है।	[3] मुबअअज़ः जिसका कुछ भाग स्वतंत्र हो।	[4] मुदब्बरः जिसकी आज़ादी उसके आक़ा की मृत्यु पर आधारित हो।	[5] जिसकी आज़ादी किसी विशेष गुण के ऊपर आश्रित हो।	[6] जिसकी आज़ादी की वसीयत की गई हो।	[7] उम्म उल वलद (दासी जो स्वामी के बच्चे की माँ हो)।

(इत्क़ कहते हैं:) गर्दन आज़ाद करने एवं उसे ग़ुलामी से मुक्ति दिलाने को। यह उत्तम उपासनाओं में से एक है, जैसाकि ह़दीस़ में है: "**जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान व्यक्ति को आज़ाद किया, अल्लाह तआला उसके हर अंग को उसके हर अंग के बदले में जहन्नम की आग से आज़ाद करेगा**"। बुख़ारी व मुस्लिम। तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा गयाः कौन सा ग़ुलाम आज़ाद करना सबसे उत्तम है? तो आपने फ़रमायाः "**जो मूल्य के आधार पर महंगा हो एवं स्वामियों की दृष्टि में उत्तम हो**"। बुख़ारी व मुस्लिम। और इत्क़ (आज़ादी) प्राप्त होगी:

[1] कथन के द्वाराः तथा यह "इत्क़ (आज़ाद)" या इसके समानार्थी शब्द का प्रयोग करना है।	[2] स्वामित्व के द्वाराः यदि कोई व्यक्ति किसी वंश वाले संबंधी का स्वामी बनता है तो वह आज़ाद हो जायेगा [अर्थात ऐसे संबंधी का स्वामी बने कि दोनों में से एक को यदि महिला मान लिया जाये तो उससे संभोग करना ह़राम हो]।	[3] ग़ुलाम का मुस़्ला करने के द्वारा, अर्थात उसके किसी अंग को काट दे या जला दे।	[4] सिरायह के द्वारा, जैसाकि ह़दीस़ में है: "**जिसने किसी साझा दास में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया और उसके पास इतना धन है कि ग़ुलाम की पूरी क़ीमत अदा हो सके तो उसकी क़ीमत इंसाफ़ के साथ लगाई जायेगी और बाकी साझीदारों को उनके हिस्से की क़ीमत (आज़ाद करने वाले के धन से) दे कर ग़ुलाम को उसी की ओर से आज़ाद कर दिया जायेगा, अन्यथा ग़ुलाम का जो भाग आज़ाद हो चुका वह हो चुका**"। एक ह़दीस़ में यों है: "**वर्ना उसकी क़ीमत लगाई जायेगी और उसे आज़ाद करने के लिये उसको कठिनाई में डाले बिना उससे काम करवाया जायेगा**"।

यदि उसकी आज़ादी स्वामी की मृत्यु से संबंधित हो तो वह मुदब्बर है, यदि वह एक तिहाई (क्योंकि वसीयत एक तिहाई की ही जायज़ है, अतः यदि वह उसकी वैध सीमा) से बाहर हो तो वह स्वामी की मृत्यु के बाद ही स्वतंत्र हो जायेगा।

जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है किः "एक अंसारी स़ह़ाबी ने किसी ग़ुलाम को मुदब्बर बनाया और उनके पास उसके सिवा कोई और माल नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब इसकी सूचना मिली तो फ़रमायाः **"इसे मुझसे कौन ख़रीदेगा?"** तो नुऐम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे आठ सौ दिरहम में ख़रीद लिया, और उस (अंसारी) के ऊपर जो क़र्ज़ था, उसे यह क़ीमत देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः **"अपना क़र्ज़ अदा करो"**"। बुख़ारी व मुस्लिम। और **किताबत** कहते हैं किः ग़ुलाम स्वयं अपने आपको अपने मालिक से दो या दो से अधिक मुद्दत रख कर उधार पर ख़रीद ले। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (तो तुम उनको लिख दो, यदि तुम उन में कुछ भलाई जानो), अर्थातः यदि उनको दीनदार एवं काम करने वाला देखो तो। यदि उसको आज़ाद करने या किताबत में ख़राबी का भय हो, या उसके पास कमाई का कोई साधन न हो = तो उसे आज़ाद करना या किताबत करना मशरूअ (उचित) नहीं है। और मुकातब जब तक तय रक़म न अदा कर दे तब तक वह आज़ाद नहीं होगा, जैसाकि ह़दीस़ में हैः **"मुकातब पर जब तक किताबत का एक दिरहम भी बाक़ी है तब तक वह ग़ुलाम ही है"**। इसे अबू दावूद ने रिवायत किया है। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरफ़ूअन जबकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मौक़ूफ़न वर्णित है किः **"जिस दासी ने अपने स्वामी के वीर्य से बच्चा जना तो वह स्वामी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र है"**। इसे इब्ने माजह ने रिवायत किया है, और सही बात यह है कि यह ह़दीस़ नही वरन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन है। वल्लाहु आलम (अल्लाह अधिक जानता है)।

टिप्पणीः जो व्यक्ति शरई आदेशों एवं उनके प्रमाणों पर नज़र रखता है उसके सामने शरीअत की ओर से स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, इसके लिये प्रेरणा एवं इस पर मिलने वाला महान पुण्य स्पष्ट हो जायेगा, तथा इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं:

[1] अल्लाह तआला ने मालिक को उस दास की "किताबत" करने का आदेश दिया है जिसके अंदर वह दीनदारी, कमाने की क्षमता एवं ज़िम्मेवारी उठाने की शक्ति देखे।	[2] नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः **"जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान व्यक्ति को आज़ाद किया, तो अल्लाह तआला उसके प्रत्येक अंग के बदले में उसके प्रत्येक अंग को जहन्नम की आग से आज़ाद करेगा"**।	[3] यदि स्वामी दास का कोई अंग काट कर या उसे जला कर उसका "मुस़्लह" करे तो वह दास स्वतंत्र हो जायेगा।	[4] दास का स्वामी यदि कोई वंश वाला संबंधी हो तो उसके स्वामी बनते ही वह दास मुक्त हो जायेगा।	[5] बहुतेरे कफ़्फ़ारों में दास स्वतंत्र करने को कहना, चाहे यह ऐच्छिक हो अथवा अनिवार्य रूप से।	[6] किसी दास के यदि अनेक स्वामी हों और उन में से एक भागीदार उसको स्वतंत्र कर दे, तो उसको पूर्णरूपेण इस तरह मुक्त किया जायेगा कि यदि उसके पास धन हो तो कहा जायेगा कि हरेक भागीदार को उसका हिस्सा देकर दास की आज़ादी मुकम्मल करो।

किताबुल मवारीस़ से प्रश्न

असत्य	सत्य	प्रश्न
☐	☐	❖ फ़रायज़ विद्या सरल एवं स्पष्ट है, केवल इसे कंठस्थ करने की आवश्यकता है
☐	☐	❖ फ़रायज़ विद्या सीखने के लिये मात्र सिद्धांत ही पर्याप्त है, मसला हल करने के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है
☐	☐	❖ फ़रायज़ विद्या में गणित है, तथा गणित सीखने के लिये व्यावहारिक अभ्यास एवं मसला हल करने की ज़रूरत होती है
☐	☐	❖ कभी-कभार ऐसा होता है कि वारिस बनने का कारण पाये जाने के बावजूद वारिस नहीं बन पाता है
☐	☐	❖ मुत़ल्लक़ह रज्ईयह जब तक इद्दत में रहेगी तब तक वारिस बनने की हकदार है
☐	☐	❖ इद्दत समाप्त न होने के बावजूद मुत़ल्लक़ह बाइनह से विवाह (जोकि वारिस बनने के कारणों में से है) समाप्त हो जाता है
☐	☐	❖ उस़ूल -ए- मसायल (मूल मसले), अल्लाह की किताब में निर्धारित फ़ुरूज़ (हिस्से) से लिये गये हैं, जोकि ये हैं: आधा, चौथाई, आठवां, एक तिहाई, दो तिहाई एवं छठा
☐	☐	❖ आधा हिस्सा पाने वाली एक महिला का आधा हिस्सा पाने वाली दूसरी महिला के संग इस प्रकार से एकत्र होना कि उसे भी आधा ही मिले, असंभव है
☐	☐	❖ वारिसों का आधा पाने के लिये शर्त यह है कि उसके साथ कोई और न हो
☐	☐	❖ चौथाई पाने वाले को "ग़ुर्फ़ा ज़ौजियह" के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोनों का इकट्ठा होना असंभव है
☐	☐	❖ पत्नी यदि एक हो तो आठवां हिस्सा मिलेगा और यदि एक से अधिक हो तो सभी को चौथाई मिलेगा
☐	☐	❖ एक तिहाई पाने वाले लोगों में से माँ या नानी है
☐	☐	❖ एक या एक से अधिक माँ की ओर से सौतेली बहन उसी स्थिति में एक तिहाई पायेगी जब उसके साथ एक या एक से अधिक उसका भाई हो
☐	☐	❖ यदि मीरास पाने वाले सभी लोग अस़बह हों और मसला में कोई भी मूल हिस्सेदार न हो तो अस़्ल मसला उनकी संख्या के आधार पर बनेगा
☐	☐	❖ सगे भाई का बेटा सगे भाई की बेटी को अस़बह बनायेगा
☐	☐	❖ वारिस में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो "ह़जब -ए- ह़िरमान" अर्थात पूर्णतः वंचित होने वाला मह़जूब कभी नहीं होते

असत्य	सत्य	प्रश्न
☐	☐	❖ उसूल -ए- मसायल सात, इसमें सभी औल ही होते हैं
☐	☐	❖ "रद्द" कहते हैं हिस्से का मूल मसला से कम होना
☐	☐	❖ जब "रद्द" वाले मसला में केवल एक ही वर्ग हो तो मसला उनकी संख्या के आधार पर बनेगा
☐	☐	❖ जब "रद्द" वाले मसला में एक से अधिक वर्ग हो तो हिस्सों को एकत्र किया जायेगा और मूल मसला सभी हिस्सों की ओर लौटाया जायेगा
☐	☐	❖ चार निसब (तुलना) यह हैं: मुमासलह, मुदाख़लह, मुवाफ़क़ह एवं मुबायनह
☐	☐	❖ मुबायनह की स्थिति में: एक को दूसरे से गुणा देंगे, उदाहरणस्वरूप मसला में दो संख्या हों 2 और 3 तो दोनों के बीच मुबायनह है, और दोनों को एक दूसरे से गुणा करने के बाद हल 6 निकलेगा
☐	☐	❖ जो व्यक्ति शरई आदेशों एवं उनके प्रमाणों पर नज़र रखता है उसके सामने शरीअत की ओर से स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, इसके लिये प्रेरणा एवं इस पर मिलने वाला महान पुण्य स्पष्ट हो जायेगा
☐	☐	❖ जब मसला में "औल" या "रद्द" हो तो मूल मसला को सभी हिस्से की ओर पलटाया जायेगा
☐	☐	❖ ग़ुलाम आज़ाद करना एवं ग़ुलाम को ग़ुलामी से मुक्ति दिलाना सबसे उत्तम उपासनाओं में से है

❖ हम फ़रायज़ क्यों सीखें? ☐ ताकि हर वारिस को उसका हिस्सा दिया जा सके ☐ क्योंकि फ़रायज़ की विद्या प्राप्त करने पर पुण्य मिलता है ☐ क्योंकि यह आधा ज्ञान है ☐ उपरोक्त सभी

❖ मीरास के माध्यम कितने हैं? ☐ दो ☐ तीन ☐ चार

❖ किसी महिला ने अपने पीछे दास पति छोड़ा, तो वहः ☐ वारिस होगा ☐ वारिस नहीं होगा

❖ तर्का से संबंधित अधिकारों का मज्मूअह इस वाक्य में एकत्र हो जाता हैः ☐ त द व म ☐ र न ह़ त़ ☐ अ श ल क र ज़ क़

❖ फरायज़ विद्या सीखने का हुक्मः ☐ वाजिब है ☐ मुस्तहब है ☐ फ़र्ज़ -ए- किफ़ायह है ☐ फ़र्ज़ -ए- ऐन है

❖ वारिस बनने वाले पुरुषों की संख्या हैः ☐ दस ☐ पंद्रह ☐ संक्षिप्त रूप से दस एवं विस्तारित पंद्रह

❖ वारिस बनने वाले पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या हैः ☐ पच्चीस ☐ अठारह

❖ अल्लाह तआला की किताब में फ़ुरूज़ -ए- मुक़द्दरह की संख्या हैः ☐ छह ☐ सात ☐ आठ

❖ सर्वसम्मत नियमः ☐ निश्चित एवं निर्धारित हैं ☐ अनिश्चित एवं अनिर्धारित हैं

❖ पति को चौथाई का वारिस बनने के लिये पत्नी की तरफ से फ़र -ए- वारिस अर्थात उप उत्तराधिकारी का होना ज़रूरी है, लेकिन यह उप उत्तराधिकारीः ☐ उसी पति से हो ☐ उसी पति से हो या किसी ओर पति से

❁ आधा पाने वालों की संख्या है: □ चार □ पाँच □ तीन

❁ बेटी को आधा पाने के लिये शर्त है: □ अस़बह बनाने वाले का न होना □ बेटी के समान किसी और बेटी का न होना □ फ़र -ए- वारिस का न होना □ उपरोक्त सभी

❁ दो तिहाई पाने वाले लोग हैं: □ आधा पाने वाले लोग □ आधा पाने वाले लोग सिवाय पति के

❁ दो तिहाई पाने की शर्त है: □ आधा पाने की शर्त □ आधा पाने की शर्त सिवाय मुमास़िल न होने के जो मुमास़िल होने की स्थिति में बदल जायेगा

❁ फ़रायज़ के विद्यानों के निकट "जमा" कहते हैं: □ दो को □ दो या दो से अधिक को □ तीन या तीन से अधिक को

❁ माँ उस समय एक तिहाई पायेगी जब: □ फ़र -ए- वारिस न हो □ एक से अधिक भाई न हो □ उपरोक्त सभी

❁ माँ की ओर से सौतेले भाई उस समय एक तिहाई पायेंगे जब □ फ़र -ए- वारिस न हो □ अस़ल -ए- वारिस न हो □ उपरोक्त सभी

❁ किसी मसला को "मसला -ए- उमरियह" उस समय कहा जाता है जब पति-पत्नी में से किसी एक के साथ: □ माता-पिता हों □ फ़र -ए- वारिस हों □ माँ की ओर से सौतेले भाई हों

❁ माँ की ओर से सौतेले भाईयों के मध्य बाँटा जायेगा: □ "पुरुषों को महिलाओं का दुगना मिलेगा" नियम के अंतर्गत □ उनमें महिला पुरुष सभी बराबर हैं

❁ छठा हिस्सा पाने वाले वारिसों की संख्या है: □ तीन □ छह □ सात □ पाँच

❁ कितनी स्थितियों में महिला "अस़बह बिन्नफ़्स" अर्थात ख़ुद से अस़बह बन सकती है: □ किसी भी स्थिति में नहीं □ एक स्थिति में □ दो स्थितियों में

❁ असबह़ के किस्मों की संख्या है: □ दो □ तीन □ चार

❁ "अस़बह बिन्नफ़्स (जो स्वयं अस़बह बनते हैं)" की संख्या है: □ दस □ चौदह □ अठारह

❁ "अस़बह बिल ग़ैर (जो किसी माध्यम से अस़बह बनते हैं)" की किस्मों की संख्या है: □ दो □ तीन □ चार

❁ पति, पत्नी एवं माँ मिलकर जो ह़जब (वंचित) करते हैं, उसे कहा जाता है, ह़जब -ए-: □ ह़िरमान □ नुक़्सान □ वस़्फ

❁ जिसके पास ह़जब (अर्थात मीरास से वंचित होना अथवा करना) का ज्ञान नहीं हो उसका फ़रायज़ में फ़त्वा देना: □ जायज़ है □ जायज़ नहीं है

❁ जिसमें "औल" दाख़िल होता है उसके उस़ूल का नियम यह है: □ जिसमें सुदुस सही हो □ जिसमें सुदुस सही नहीं हो

❁ "रद्द" की शर्त है कि: □ निर्धारित हिस्से वालों को हिस्सा देने के बाद कुछ धन शेष रह जाये □

❁ पति पत्नी के सिवा किसी और पर रद्द हो □ कोई अस़बह बनाने वाला न हो □ उपरोक्त सभी

❁ "रद्द" में इंकिसार की तसह़ीह़ होगी: □ समस्त हिस्सों को रद्द करने के पूर्व □ इसके बाद

❁ हिस्से वारिसों के मध्य बराबर बंट जाने की स्थिति में: □ मसला को तस़ह़ीह़ की आवश्यकता होगी □ मसला को तस़ह़ीह़ की आवश्यकता नहीं होगी

- मसलों की तसहीह करनाः □ आवश्यक है □ कभी होगा और कभी नहीं होगा
- मुमासलह कहते हैं किः □ दोनों संख्या बराबर हों □ बड़ी संख्या छोटी संख्या से बराबर विभाजित हो जाये
- मुदाख़लह कहते हैं किः □ दोनों संख्या बराबर हों □ बड़ी संख्या छोटी संख्या से बराबर विभाजित हो जाये
- जब दो संख्या को बिना कस्र के एक दूसरे से विभाजित करना एक (1) को छोड़ करः (□ संभव हो □ असंभव हो) तो उसे मुवाफ़क़ह कहते हैं
- जब दो संख्या को बिना कस्र के एक दूसरे से विभाजित करना एक (1) को छोड़ करः (□ संभव हो □ असंभव हो) तो उसे मुबायनह कहते हैं
- जब दो संख्या एक दूसरे से विभाजित हो जायें तो इस निस्बत को कहते हैं: □ मुमासलह □ मुदाख़लह
- विफ़्क़ से अभिप्राय हैः □ आधा □ वह संख्या जो दो संख्याओं के समान हो
- जब दो संख्या एक दूसरे से विभाजित न हों तो उस निस्बत को कहते हैं: □ मुमासलह या मुदाख़लह □ मुवाफ़क़ह □ मुबायनह
- चारों निसब (तुलना) में सबसे कठिन हैः □ मुमासलह □ मुवाफ़क़ह □ मुबायनह
- यदि दास की स्वंतत्रता स्वामी की मृत्यु पर आधारित हो तो वहः (□ मुदब्बर है □ जिसकी स्वतंत्रता की वसीयत की गई हो) और वह स्वामी की मृत्यु के बाद उसी स्थिति में स्वतंत्र होगा जब वहः (□ एक तिहाई □ आधा □ चौथाई) से कम में हो
- आज़ादी प्राप्त होगीः □ कथन □ कर्म □ सिरायह □ वंश वाले संबंधी के स्वामी बनते ही □ उपरोक्त सभी, के द्वारा
- दासता में प्रवेश होता हैः (□ दो तरीकों से □ एक ही तरीका से □ अनेक तरीकों से) तथा दासता से स्वतंत्रता मिलेगी (□ दो तरीकों से □ एक ही तरीका से □ अनेक तरीकों से)

निम्नांकित में से वारिस बनने के कारणों में से हर कारण के लिये जो उपयुक्त हो उससे जोड़ें:

निकाह	इस तरह से असबह बनना जिसका कारण आज़ाद करने वाले का आज़ाद करने के द्वारा ग़ुलाम पर उपकार करना है, और उसका वारिस आज़ाद करने वाले एवं उसके असबह स्वयं असबह बनेंगे (किसी के माध्यम से नहीं)
वला	सही विवाह, जब पत्नी मर जाये तो पति वारिस होगा और जब पति मर जाये तो एक या एक से अधिक पत्नी होने पर वह उसकी वारिस होंगी
नसब	संबंध, और इसके द्वारा उप, मूल एवं नीचे के सभी लोग वारिस होंगे

तर्का (मीरास) से संबंधित पाँचों हक को क्रमवार उल्लेख करें:

[1] .... [2] ....

[3] .... [4] ....

[5] ....

उस कारण का वर्णन करें जिसके द्वारा निम्न वारिसों में से हरेक को विरासत मिलती है:

पिता	....	सगा भाई	....
पति	....	आजाद करने वाली	....
बेटी	....	नानी	....
माता की ओर से बहन	....	पड़पोता	....
माँ की ओर से चचा	....	सगा चचा	....

पुरुष वारिसों को क्रमवार उल्लेख करें

[1] .... [2] .... [3] .... [4] ....

[5] .... [6] .... [7] .... [8] ....

[9] .... [10] .... [11] .... [12] ....

[13] .... [14] .... [15] ....

महिला वारिसों को क्रमवार उल्लेख करें

[1] .... [2] .... [3] .... [4] ....

[5] .... [6] .... [7] .... [8] ....

[9] .... [10] ....

निम्नांकित लोगों में से ग़ैर वारिस के सामने (0) और वारिस के सामने (1) लगायें:

	सगी चचेरी बहन		सगी फूफी		सगे चचा का पोता
	सगा चचेरा भाई		पड़नानी		माँ की ओर से चचा
	सौतेली पोती		नतिनी		लकड़ पोती

उसूल -ए- मुक़द्दरह को उसी प्रकार से तरतीब दें जिस प्रकार से लेखक ने इसे तरतीब दिया है:

[1] .... [2] .... [3] .... [4] ....

[5] .... [6] ....

उसूल -ए- मसायल को तरतीब दें:

[1] .... [2] .... [3] .... [4] ....

[5] .... [6] .... [7] ....

निम्नांकित में मसला की असल का वर्णन करें:

आधा 1/2, एक चौथाई 1/4, आठवां 1/8, दो तिहाई 2/3, एक तिहाई 1/3, छठा 1/6

मसला की असल = ...

आधा पाने वालों को क्रमवार बयान करें:

[1] .... [2] ....

[3] .... [4] ....

[5] ....

रिक्त स्थान को भरें:

पति को आधा मिलेगा जबः ....

फ़र -ए- वारिस कहते हैं: ....

पिता को छठा मिलेगा इस स्थिति में किः ....

पिता को छठा एवं शेष धन का छठा मिलेगा जबः ....

माँ को छठा हिस्सा मिलेगा जबः ....

दादा वारिस होगा जबः .... दादी-नानी को छठा हिस्सा मिलेगा जबः ....

किसी मसला में पिता, माता, दादा एवं नानी हों तो उन में से किसे विरासत मिलेगीः ....

माँ की संतान शामिल हैः ....

एक या एक से अधिक पोती होने की स्थिति में उसे छठा हिस्से तब मिलेगा जबः ....

मौजूद हो औरः .... मौजूद न हो

एक या एक से अधिक पिता की ओर से सौतेली बहन छठा हिस्सा तब पायेगी जबः .... मौजूद हो औरः .... मौजूद न हो

वलद अल-उम्म छठा हिस्सा पायेगी जबः .... मौजूद न हो और .... मौजूद न हो

अस़बह बिन्नफ़्स हैं: .... सिवायः .... और .... और महिलाओं में सेः ....

अस़बह बिल ग़ैर हैं: .... याः .... याः .... मयः .... याः ....

ह़जब के दो प्रकरा हैं जोकिः [1] ह़जबः .... [2] ह़जबः ....

वह उस़ूल (मूल) जिनमें औल दाखिल नहीं होता है ये हैं: .... और .... और .... और ....

वह उस़ूल (मूल) जिनमें औल दाखिल होता है ये हैं: .... और .... और .... और ....

अस़्ल छह (6) औल होता हैः .... बार, और अस़्ल बारह (12) औल होता हैः .... बार

और अस़्ल चौबीस (24) औल होता हैः ....

मुनासख़ात शब्दकोष में नसख़ से व्युत्पन्न है जो कहते हैं: .... तथा परिभाषित रूप में कहते हैं: ....

वारिस बनने से रोकने वाले निम्नांकित कारणों में से प्रत्येक कारण को उपयुक्त शब्द से जोड़ें:

ग़ुलामी	काफ़िर मुसलमान का वारिस नहीं होगा
धार्मिक अंतर	क्योंकि उसके पास धन नहीं होता, वह स्वयं अपने स्वामी का दास होता है, यदि हम उसे वारिस बनायेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हम उसके स्वामी को वारिस बना रहे हैं, जबकि स्वामी होना वारिस बनने के कारणों में से नहीं है
क़त्ल	जो व्यक्ति किसी चीज़ को समय से पहले पाने के लिये जल्दबाज़ी करेगा उसे उससे वंचित करने का दण्ड दिया जायेगा

रिक़्क़ (ग़ुलामी) के प्रत्येक प्रकार को उसके उपयुक्त अर्थ से मिलायें:

अल-क़ुन्न	जिसका कुछ भाग आज़ाद हो और कुछ भाग ग़ुलाम
अल-मुकातब	जिसका पूरा शरीर ग़ुलाम हो
अल-मुदब्बर	जिसकी आज़ादी उसके मालिक की मृत्यु पर आश्रित हो
अल-मुबअअज़	जो अपने आपकों किस्तों में ख़रीदता है

किताबुन्निकाह़ (निकाह़ के मसले)

निकाह़ कहते हैं: किसी महिला से आनंद लेने, संतान प्राप्ति एवं अन्य लाभ उठाने हेतु विवाह करने को।

यह रसूलों की सुन्नत है। और ह़दीस़ में है कि: "**हे युवकों के समूह! तुम में से जिसके अंदर भी विवाह करने की शक्ति हो उसे विवाह कर लेना चाहिये क्योंकि यह निगाह को नीची रखने वाला एवं गुप्तांग की सुरक्षा करने वाला है, और जो कोई विवाह करने की शक्ति न रखता हो उसे चाहिये कि वह रोज़ा रखे क्योंकि रोज़ा उसकी कामवासना को कम करेगा**"। बुख़ारी व मुस्लिम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**महिला से विवाह चार आधार पर किया जाता है: उसके धन के कारण, उसके ख़ानदानी शराफ़त के कारण, उसकी सुंदरता के कारण एवं उसके धर्म के कारण, और तुम धर्मपरायण महिलओं से विवाह करके सफल हो जाओ, तथा इसमें कदापि कोताही न करो**"। धार्मिक, कुलीन, प्रेम करने वाली, बच्चा जनने वाली एवं शरीफ़ महिला से विवाह करने को वरीयता देनी चाहिये। यदि किसी लड़की को विवाह का संदेश देने की इच्छा हो तो उसे चाहिये कि उसे पक्का करने के लिये उसे जायज़ तरीके से देख ले।

विवाह के लिये महिला को देखने के वैध होने की छह शर्तें हैं:

[1] यह एकांत में न हो।	[2] यह बिना कामवासना के हो।	[3] उत्तर हाँ होने का विश्वास हो।	[4] जो सामान्यत: खुला होता है उसे देखे।	[5] विवाह का संदेश देने का पक्का इरादा हो।	[6] महिला बेपर्दा हो कर या सुगंध लगा कर न आए (तथा सुर्मा या अन्य साज सज्जा की चीज़ें)।

किसी मुसलमान के लिये जायज़ नहीं कि वह अपने भाई के संदेश पर संदेश भेजे, यहाँ तक कि वह उसकी अनुमति दे या छोड़ दे [या उसे मना कर दे]। इद्दत (सोग) वाली महिला को स्पष्ट रूप से विवाह का संदेश देना पूर्णतः नाजायज़ है, किंतु पति की मृत्यु या किसी और कारण से मुतल्लक़ह बाइनह को इशारा में विवाह का संदेश देना जायज़ है, जैसाकि अल्लाह तआला का कथन है: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ﴾ (तुम पर इसमें कोई पाप नहीं कि तुम इशारा में उन महिलाओं से विवाह की बात कहो), इशारा में विवाह के संदेश का एक रूप यह है कि यों कहे: मुझे तुम जैसी महिला की इच्छा है, या मुझे अपने आप से दूर मत करना इत्यादि।

नियम: हर वह महिला जिस से विवाह करना ह़राम है उसको स्पष्ट रूप से विवाह का संदेश देना भी ह़राम है, किंतु इशारा में विवाह का संदेश देने में तफ़्सील है।

विवाह के समय इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित ख़ुत्बा पढ़ना सुन्नत है, वह कहते हैं कि: "**अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें ह़ाजत (ज़रूरत) का तशह्हुद सिखाया (जोकि यह है):** "इन्नल ह़म्दा लिल्लाहि, नह़मदुहु, व नस्तईनुहु, व नस्तग़फ़िरुहु, व

नऊज़ुबिल्लाहि मिन शुरुरि अन्फ़ुसिना, व मिन सय्यिआति आमालिना, मन् यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ला लहु, व मन् युज़्लिल फ़ला हादिया लहु, व अश्हदु अन् ला इलाहा इल्लल्लाहु, वह़्दहु ला शरीका लहु, व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, **और तीन आयतें पढ़ते**"। इसे सुनन वालों ने रिवायत किया है। कुछ लोगों ने इन तीन आयतों की तफ़्सीर करते हुये कहा है कि इससे अभिप्राय निम्नांकित आयतें हैं:

[1] अल्लाह तआला का यह कथन: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾

[2] सूरह निसा की पहली आयत: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾

[3] और अल्लाह तआला का यह कथन: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا﴾ दोनों आयतें।

निकाह़ में दो चीज़ें अनिवार्य हैं:

[1] **ईजाब:** यह वली की ओर से निकलने वाला शब्द है, जैसे वह कहे: मैंने तुम से निकाह़ कर दिया, या मैंने तुम से शादी कर दी।

[2] और **क़बूल:** यह पति अथवा उसके नायब (वकील) की ओर से निकलने वाला शब्द है, जैसे वह कहे: मैंने इस निकाह़ को स्वीकार किया, या मैंने क़बूल किया, या इसी के समान कोई शब्द कहे।

निकाह़ की शर्तों का अध्याय

इसमें पति-पत्नी की सहमति आवश्यक है, सिवाय इसके कि लड़की:

[1] **छोटी हो:** तो उसका पिता उसे विवश करेगा।

[2] **दासी हो:** तो स्वामी उसको विवश करेगा।

निकाह़ में वली का होना ज़रूरी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: "**वली के बिना निकाह़ नहीं**"। यह ह़दीस़ स़हीह है, इसे अह़मद, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई एवं इब्ने माजह ने रिवायत किया है। और आज़ाद महिला का विवाह कराने का सर्वाधिक हकदार है, उसका:

[1] पिता (उसकी अनुपस्थिति में) दादा, परदादा।

[2] फिर उसका बेटा, पोता।

[3] फिर उसके अस़बह में से निकटतम व्यक्ति, फिर जो उससे दूर का हो।

बुख़ारी व मुस्लिम की ह़दीस़ में है कि: "**विधवा महिला का विवाह उस समय तक न किया जाये जब तक उससे परामर्श न किया जाये और कुँवारी का विवाह उस समय तक न किया जाये जब तक उसकी अनुमति न मिल जाये**", स़हाबा ने कहा: हे अल्लाह के रसूल! कुँवारी लड़की की अनुमति कैसे होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**इसका रूप यह है कि वह चुप रह जाये**"। तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**विवाह का ऐलान करो**"। इसे अह़मद ने रिवायत किया है। और उसके ऐलान का रूप यह है:

[1] दो न्यायप्रिय लोगों की गवाही।

[2] उसका ऐलान एवं प्रचार करना।

[3] उसके लिये डफली बजाना।

[4] या इस जैसी कोई और चीज़।

महिला का वली (अभिभावक) उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कर सकता जो उसके लिये उचित न हो, अतः दुषचरित्र व्यक्ति किसी पवित्र महिला के लिये अनुचित है, और अरब के लोग एक दूसरे के बराबर हैं। यदि वली अनुपस्थित हो, या लम्बे समय से गायब हो, या बराबरी का व्यक्ति मिलने के बावजूद विवाह से इन्कार कर रहा हो = तो शासक उसका विवाह करवायेगा, जैसाकि ह़दीस़ में है: "**शासक उसका वली है जिसका कोई वली न हो**"। इसे नसई को छोड़ कर सभी सुनन वालों ने रिवायत किया है। जिससे विवाह होगा उसका निर्धारण आवश्यक है, अतः इस प्रकार से कहना कि: (मैंने अपनी बेटी का विवाह तुझसे किया) जबकि उसके पास अनेक बेटियां हों, सही नहीं है, जब तक उसका नाम लेकर या गुण बता कर [या इशारा के द्वारा] उसका निर्धारण न कर दे। इसी तरह पति-पत्नी का उन निषेधों से पवित्र होना आवश्यक है जिनका उल्लेख मुह़र्रमात -ए- निकाह़ में आ रहा है।

निकाह के मुह़र्रमात का अध्याय

मुह़र्रमात (जिनसे विवाह करना वर्जित है) के दो प्रकार हैं: जो सदा के लिये ह़राम हैं, तथा जो एक निश्चित समय तक के लिये ह़राम हैं:

[1] जो सदा के लिये ह़राम हैं:

सात वंश के आधार पर जोकि ये हैं:

- [1] माँ, यद्यपि ऊपर की ही क्यों न हों।
- [2] बेटियां, चाहे नीचे की ही क्यों न हों, या चाहे नतिनी ही क्यों न हो।
- [3] बहनें, सामान्य रूप से सभी।
- [4] भांजियां।
- [5] भतीजियां।
- [6,7] उसकी या उसके बाप दादा में से किसी की बुआ या मौसी।

तथा सात दूध में साझीदार होने के कारण, जोकि उपर्युक्त के ही समान हैं:

और चार ससुराल के रिश्ते हैं:

- [1] पत्नियों की माताएं (सास), यद्यपि ऊपर की ही क्यों न हों।
- [2] पत्नियों की बेटियां, यद्यपि नीचे की ही क्यों न हों, यदि उसकी माता के संग संभोग कर चुका हो तो।
- [3] पिता की पत्नियां, यद्यपि ऊपर की ही क्यों न हों।
- [4] बेटों की पत्नियां (बहुएं) यद्यपि नीचे की ही क्यों न हों, चाहे बेटे पोते वंश वाले हों या दूध के आधार पर।

तथा इस विषय में मूल और असल है:

- अल्लाह का यह फ़रमान: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾ (ह़राम की गईं तुम पर तुम्हारी माताएं) आयत के अंत तक।
- और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फ़रमान: "**दुग्धपान में साझीदार होने से भी वह रिश्ते ह़राम हो जाते हैं जो रिश्ते वंश या जन्म के आधार पर ह़राम होते हैं**"। इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

[2] जो निश्चित समय तक के लिये हराम हैं:

उन्ही में से वह महिलाएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फ़रमान में शामिल हैं: **“महिला एवं उसकी मौसी को तथा महिला एवं उसकी बुआ को एक साथ जमा नहीं किया जायेगा”**। इस ह़दीस़ को बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

अल्लाह तआला का कथन है: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ﴾ (और तुम्हारा दो बहनों को एकत्र करना)।

आज़ाद पुरुष के लिये एक समय में चार से अधिक जबकि ग़ुलाम के लिये दो से अधिक निकाह़ में रखना जायज़ नहीं है। जहाँ तक दासियों की बात है: तो जितनी चाहे उतनी रख सकता है। जब काफिर इस्लाम स्वीकार करे तथा उसके विवाह में दो बहनें एक साथ हों: तो वह दोनों में से एक का चयन करेगा, या उसके विवाह में चार से अधिक पत्नियां हों: तो उनमें से चार का चयन कर के बाकी पत्नियों को त़लाक़ दे देगा।

तथा ह़राम (वर्जित) है:

[1] एह़राम की स्थिति में विवाह, यहाँ तक कि वह ह़लाल हो जाये।	[2] किसी दूसरे की पत्नी, यहाँ तक कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाये।	[3] व्यभिचारी पुरुष के लिये व्यभिचारी महिला, यहाँ तक कि वह तौबा कर ले।	[4] वह महिला जिसको उसके पति ने तीन त़लाक़ दे दिया हो, यहाँ तक कि वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह करे, फिर वह उससे संभोग करे तत्पश्चात वह अपनी इच्छा से उसे त़लाक़ दे, और इसके बाद उसकी इद्दत पूर्ण हो जाये।

दो बहनों को दासिता में एकत्र करना जायज़ है, किंतु यदि उनमें से एक से संभोग कर ले तो दूसरी उस समय तक ह़लाल नहीं होगी जब तक जिससे संभोग किया गया है उसको: दासिता से निकाल कर या गर्भ की शुद्धता जाँच के पश्चात विवाह करके, उसे ह़राम न कर ले। दुग्धापान जिससे वर्जना प्रमाणित होगी, वह है: जो दूध छुड़ाने से पहले हो, और पाँच घोंट या उससे अधिक पिया हो। इसके कारण दुग्धपान करने वाला बच्चा एवं उसकी संतान: दुग्धपान कराने वाली महिला और उसके पति की संतान बन जाते हैं। दुग्धपान कराने वाली महिला एवं उसके पति की ओर से वर्जना वैसे ही फैलती है जैसे वंश से फैलती है।

निकाह़ में शर्तों का अध्याय

निकाह़ एवं बिक्री इत्यादी में शर्तों के दो प्रकार हैं:

[1] वह शर्त जो विवाह की मांग है: उसको पूरा करना वाजिब है, यद्यपि विवाह वाली सभा में उसका उल्लेख न हुआ हो, जैसे अच्छा आचरण करना।

[2] इसके ऊपर शर्त: तथा इसके दो प्रकार हैं:

- [क] उचित: इसको पूरा करना वाजिब है।
- [ख] अनुचित: इसको पूरा करना ह़राम है।

ये शर्तें वही हैं जो पति-पत्नी एक दूसरे पर शर्त के रूप में रखते हैं, तथा इसके दो प्रकार हैं:

[1] **जो उचित हो:** जैसे यह शर्त रखना कि उसके रहते दूसरी महिला से विवाह नहीं करेगा, या दासी नहीं बनायेगा, या उसे घर से अथवा देश से बाहर निकलने पर विवश नहीं करेगा, या अधिक महर अथवा खर्चा मांगे, या इसी के समान कोई और चीज़। ये शर्तें या इन के समान अन्य शर्तें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फ़रमान में शामिल हैं: "**सभी शर्तों में वो शर्तें सर्वाधिक पूरी किये जाने के योग्य हैं जिनके द्वारा तुमने गुप्तांगों को ह़लाल किया है**"।

[2] **जो अनुचित हो:** जैसे मुत्आ, ह़लाला या शिग़ार जैसे विवाहों की शर्त रखना।

आरंभ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुत्आ विवाह की अनुमति दी थी फिर बाद में आपने इसे ह़राम करार दे दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ह़लाला करने वाले एवं ह़लाला करवाने वाले पर लानत भेजी है। तथा शिग़ार विवाह से रोका है, अर्थातः कोई व्यक्ति अपनी विलायत (अभिभाविकता) में रहने वाली लड़की की शादी किसी व्यक्ति से इस शर्त पर करे कि वह अपनी विलायत में रहने वाली लड़की से उसका विवाह करायेगा, और दोनों के बीच कोई महर न हो। तथा ये सभी ह़दीसें स़ह़ीह़ हैं।

विवाह से संबंधित दोषों का अध्याय

पति-पत्नी में से जब कोई दूसरे में दोष पाये [ऐसा विकार, जो विवाह की शर्तों का उल्लंघन हो] जो विवाह के पहले पता न था:

[1] जैसेः पागलपन, कोढ़, सफेद दाग़ या उस जैसी कोई अन्य चीज़ = तो ऐसी स्थिति में उसको विवाह तोड़ने का अधिकार प्राप्त है।

[2] पति यदि नामर्द हो तो उसे एक साल की मोहलत दी जायेगी, और साल गुज़रने के बाद भी यदि वही स्थिति हो तो उसे विवाह तोड़ने का अधिकार होगा।

दासी यदि पूर्णरूपेण आज़ाद हो जाये और उसका पति दास ही हो तो उस महिला को दो बातों में से एक के चयन का अधिकार दिया जायेगाः

[1] उसके साथ रहे।

[2] या उससे जुदा हो जाये।

बरीरह रज़ियल्लाहु अन्हा के क़िस्सा वाली आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की लम्बी ह़दीस़ का एक टुकड़ा है किः "**आज़ाद होने के बाद बरीरह रज़ियल्लाहु अन्हा को पति के बारे में अधिकार दिया गया था**"। बुख़ारी व मुस्लिम। तथा यदि विवाह तोड़ा गया होः

[1] प्रवेश के पूर्वः तो उसमें कोई महर नहीं है।

[2] प्रवेश के पश्चातः तो उसमें महर है, और पति उसके पास जायेगा जिसने उसे धोखा दिया हो।

किताबुस्सदाक़ (महर के मसले)

सदाक़ (महर) कहते हैं: विवाह अथवा उससे संबंधित किसी चीज़ (जैसे भ्रम के कारण संभोग) के वाजिब मुआवज़ा को।

[सदाक़ (महर) के बारे में पाठ]

इसको कम रखना चाहिये [पूर्णरुपेण समाप्त नहीं करना चाहिये, और यह केवल अकेले पत्नी का हक है]। आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया किः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नियों का महर कितना था? तो उन्होंने उत्तर दियाः "**आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बारह ऊक़ियह (चालीस दिरहम) एवं नश्श महर दिया था, आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहाः तुमको पता है कि नश्श क्या होता है? मैंने कहाः नहीं, तो उन्होंने उत्तर दियाः आधा ऊक़ियह, इस तरह कुल महर पाँच सो दिरहम हुआ**"। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सफ़िय्यह रज़ियल्लाहु अन्हा को आज़ाद किया था और उनकी आज़ादी ही को उनकी महर करार दिया**"। बुख़ारी व मुस्लिम। तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति से कहाः "**लोहे की अंगूठी ही सही लेकिन लेकर आओ**"। बुख़ारी व मुस्लिम। हर वह चीज़ जिसको क़ीमत के रूप में देना सही है -यद्यपि वह कम ही क्यों न हो- उसको महर के रूप में देना भी सही है।
यदि महर तय किये बिना विवाह कर लिया तो, ऐसी स्थिति में महर -ए- मिस़्ल दिया जायेगा। यदि संभोग के पूर्व तलाक़ दे देः तो उसको मुत्अह (लाभ) मिलेगा, समृद्धि एवं निर्धनता का ध्यान रखते हुयेः ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ (और तुम महिलाओं को बिना हाथ लगाये और बिना महर तय किये तलाक़ दे दो तो भी तुम पर कोई पाप नहीं, हाँ उन्हें कुछ ना कुछ लाभ दो, समृद्ध अपने आधार पर तथा निर्धन अपनी क्षमता के आधार पर, रिवाज के अनुसार अच्छा लाभ दे, भलाई करने वालों पर यह लाज़िम है)।
तथा महर निर्धारित होगाः

[1] **पूर्णः**		[2] **आधाः** हर उस अलगाव में जो प्रवेश के पूर्व पति की ओर से हो, जैसे तलाक़ देना।	[3] **तथा समाप्त हो जायेगाः**	
[क] मृत्यु के द्वारा।	[ख] प्रवेश के द्वारा।		[क] उस अलगाव में जो पत्नी की ओर से हो।	[ख] या महिला में दोष पाये जाने पर विवाह तोड़ने की स्थिति में।

जो अपनी पत्नी को तालक़ दे उसे चाहिये कि उसको कुछ दे भी दे ताकि उसको सांत्वना मिले, अल्लाह तआला के इस कथन के कारणः﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ (तलाक़ वालियों को अच्छे ढ़ंग से लाभ देना परहेज़गारों पर लाज़िम है)।

पति-पत्नी का एक-दूजे के संग अच्छा संबंध रखना

पति-पत्नी में से हरेक पर अनिवार्य है कि वह एक-दूजे के संग अच्छा व्यवहार करें [शरीअत एवं रिवाज के अनुसार] जैसे अच्छा आचरण, हानि न पहुँचाना एवं एक-दूसरे का हक अदा करने में सुस्ती से काम न लेना।

पति पर अनिवार्य है:		तथा पत्नी पर अनिवार्य है:		
[क] पत्नी का ख़र्च उठाना।	[ख] तथा उचित ढ़ंग से उसको पहनावा देना।	[क] आनंद लेने देने में पति की आज्ञा मानना।	[ख] पति की अनुमति के बिना बाहर न निकलना एवं यात्रा न करना।	[ग] रोटी पकाने, आटा गूंथने, भोजन बनाने इत्यादि जैसी ज़िम्मेवारियां अदा करना।

जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ (उनके साथ अच्छे ढ़ंग से रहन सहन रखो), और ह़दीस़ में है: "**महिलाओं के संग अच्छे व्यवहार की नसीहत स्वीकार करो**"। तथा एक ह़दीस़ में है: "**तुम में सबसे उत्तम वह है जो अपने घर वालों के संग सबसे उत्तम है**"। एक अन्य ह़दीस़ में है: "**पति यदि अपनी पत्नी को बिस्तर पर बुलाये और वह आने से इन्कार कर दे तो भोर होने तक फ़रिश्ते उस पर धिक्कार भेजते रहते हैं**"। बुख़ारी व मुस्लिम। तथा पति के लिये अनिवार्य है कि: दिन बाँटने, ख़र्चा देने एवं जिन चीज़ों में वह न्याय कर सकता है उनमें न्याय का ध्यान रखे। ह़दीस़ में है कि: "**जिसकी दो पत्नियां हों फिर वह बिल्कुल ही एक की ओर झुक जाये तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस तरह आयेगा कि उसका आधा शरीर झुका हुआ होगा**"। बुख़ारी व मुस्लिम। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि: "**सुन्नत तरीका यह है कि यदि कोई व्यक्ति विवाहित महिला की उपस्थिति में कुँवारी से विवाह करे तो उस (नई दुल्हन) के पास सात दिन रहे, फिर बारी बांटे, और जब कुँवारी की उपस्थिति में विवाहित महिला से शादी करे तो उसके पास तीन दिन ठहरे फिर बारी बांटे**"। बुख़ारी व मुस्लिम। आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं: "**रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब यात्रा करने का इरादा करते तो अपनी पत्नियों के मध्य क़ुरआ निकालते और जिनके नाम क़ुरआ निकलता वह आप के साथ यात्रा पर जातीं**"। बुख़ारी व मुस्लिम। महिला यदि अपने खर्च या दिन के बंटवारे में से अपना कोई अधिकार पति की इच्छा से कम कर दे = तो ऐसा करना जायज़ है। "**सौदह बिंत ज़मअह रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना दिन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया था, अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दो दिन देते एक दिन उनका और एक दिन सौदह रज़ियल्लाहु अन्हा का**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

पति यदि अपनी पत्नी के नुशूज़ [अर्थातः पत्नी पर पति के जो अनिवार्य अधिकार हैं उनमें पत्नी की अवज्ञा] करना का भय खाये, और उसकी अवज्ञा के लक्षण दिखाई दें, तो:

[1] पत्नी को नसीहत करे।	[2] यदि निरंतर अवज्ञा करती रहे तोः बिस्तर अलग कर ले।	[3] यदि फिर भी न माने तो उसको हल्की मार मारे, [और ह़दीस़ में है किः "**रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, न तो पत्नी को और न ही ग़ुलाम को**", और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन हैः "**तुम में से कोई अपनी पत्नी को दास की तरह न मारे, फिर दिन के अंतिम भाग में उससे संभोग करे**"। मुत्तफ़क़ अलैह]।

[4] यदि दोनों के बीच मतभेद का भय हो तोः शासक एक न्यायप्रिय व्यक्ति पति की ओर से तथा एक न्यायप्रिय व्यक्ति पत्नी की ओर से निर्धारित करे, जो मामलों से अवगत हों और इसका उन्हें अनुभव भी हो, फिर यदि दोनों उचित समझें तो किसी चीज़ के बदले या बिना बदले के उन्हें एकत्र रहने दें, या फिर दोनों को अलग कर दें, दोनों निर्णय करने वाले व्यक्ति के लिये वैध है कि जो उचित समझें वह फैसला करें। वल्लाहु आलम।	[5] यदि फिर भी न माने तोः उसको एक त़लाक़ दे दे।

टिप्पणीः अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ﴾ (फिर यदि वह आज्ञापालन करे), और सही मार्ग की ओर लौट आएं ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ (तो उन के विरुद्ध कोई मार्ग न खोजो), अर्थातः भूतकाल में जो कुछ हो चुका उसका लांछन न दो और यों न कहोः (तू ने ऐसा-ऐसा किया था और मैंने ऐसा-ऐसा कहा था...) जो भूतकाल की बातें याद दिलाए, बल्कि जो हो चुका सो हो चुका, उसे छोड़ दो।

प्रश्नः पत्नी को यदि पति की ओर से अवज्ञा एवं बुरे स्वभाव का भय हो तो उसका क्या हुक्म है?
उत्तरः ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ (दोनों आपस में जो सुलह कर लें उसमें किसी पर कोई पाप नहीं), अर्थात दोनों आपस में मेल-मिलाप कर लें।

दोनों फैसला करने वाले जो मुनासिब समझें फैसला करें, चाहें तो दोनों को इकट्ठा रखें या चाहें तो अलग कर दें, पति-पत्नी के मध्य निर्णायक बनने की शर्तें निम्नांकित हैं, दोनों काः

[1] मर्द होना।	[2] संबंधी होना।	[3] शरीअत का ज्ञान एवं वास्तविक स्थिति से अवगत होना।	[4] सुधार का अभिलाषी होना।

ख़ुलअ का अध्याय

यह पत्नी की ओर से [बुरे व्यवहार के कारण] किसी चीज़ के बदले या बिना बदले के, अलगाव चाहना है। तथा इस सिलसिले में मूल प्रमाण अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैः ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ﴾ (यदि तुम्हें भय हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम नहीं रख पायेंगे तो महिला रिहाई पाने के लिये कुछ दे डाले, उसमें दोनों पर कोई पाप नहीं)। यदि कोई [समझदार] महिला अपने पति को किसी शारीरिक या नैतिक दोष के कारण नापसंद करती है, और उसे डर हो कि वह अपने पति के अनिवार्य अधिकारों को पूरा करने में कोताही करेगी = तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं कि वह कुछ देकर अपने पति से अलग हो जाये। जिसका त़लाक़ देना सही है उससे कम या अधिक किसी भी क़ीमत पर ख़ुलअ लेना सही है। यदि अल्लाह द्वारा निर्धारित सीमा की उपेक्षा का भय न हो तो इसके बावजूद ख़ुलअ लेने वाली महिला के बारे में ह़दीस़ में वर्णित है किः "**जो महिला अकारण अपने पति से त़लाक़ मांगे तो उस पर जन्नत की सुगंध ह़राम है**", [अतः उचित परिस्थिति होने पर एवं बिना किसी ठोस कारण के पति का विरोध करने से पत्नी को रोका जायेगा]।

किताबुत्तलाक़ (तलाक़ के मसले)

तलाक़ कहते हैं: निकाह के बंधन को पूर्ण रूप से (तलाक़ -ए- बाइन के द्वारा) या आंशिक रूप से (तलाक़ -ए- रजई के द्वारा) खोल देने को।

तलाक़ के प्रकार:			
[1] तलाक़ -ए- सुन्नी:		[2] तलाक़ -ए- बिद्ई:	
घटित होने के आधार पर: ऐसी पाकी (पवित्रता) में तलाक़ देना जिसमें संभोग न किया हो।	**तलाक़ की संख्या के आधार पर:** केवल एक तलाक़ देना।	**घटित होने के आधार पर:** माहवारी की स्थिति में या ऐसी पवित्रता में तलाक़ देना जिसमें संभोग किया हो।	**तलाक़ की संख्या के आधार पर:** एक समय में एक से अधिक तलाक़ देना।

टिप्पणी: तलाक़ के संबंध में फ़त्वा लेने के लिये मुफ़्तियों एवं शरई अदालतों का रुख़ किया जायेगा।

क्रोध की स्थिति में तलाक़ देने वालों की तीन श्रेणियां हैं:		
[1] **जिसमें मतभेद है:**	**जिस पर सभी एकमत हैं:**	
जहाँ मामला दोनों के बीच का हो, अर्थात उसे पता हो कि क्या बोल रहा है किंतु क्रोध उस पर हावी हो।	[2] **तलाक़ घटित होगी:** क्रोध के आरंभ में ऐसा हुआ हो, जहाँ वह अपनी कही बातों को समझता है, और वह स्वयं को रोक सकता है।	[3] **तलाक़ घटित नहीं होगी:** जब क्रोध अपने चरम को पहुँचा हुआ हो जहाँ उसे पता ही नहीं चलता कि वह क्या बोल रहा है।

और इस विषय में मूल प्रमाण अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (हे नबी! (अपनी उम्मत से कहो कि) जब तुम अपनी पत्नियों को तलाक़ देना चाहो तो उनकी इद्दत (के दिनों के आरंभ) में उन्हें तलाक़ दो)। महिलाओं को उनकी इद्दत के दिनों में तलाक़ देने का विवरण इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस़ में वर्णित है जिसमें है कि उन्होंने अपनी पत्नी को माहवारी की स्थिति में तलाक़ दिया था, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उसके बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**उनसे कहो कि अपनी पत्नी को लौटा ले और फिर अपने विवाह में बाकी रखे, जब माहवारी बंद हो जाये, फिर माहवारी आए और फिर बंद हो, तब यदि चाहे तो अपनी पत्नी को अपने विवाह में बाकी रखे और यदि चाहे तो तलाक़ दे दे (किंतु तलाक़ पवित्रता की स्थिति में) उनके साथ संभोग से पहले होनी चाहिये। यही (तलाक़ की) वह मुद्दत है जिसमें अल्लाह तआला ने महिलाओं को तलाक़ देने का आदेश दिया है**"। और एक रिवायत में है कि: "**उन्हें कहो कि अपनी पत्नी को लौटा लें फिर पवित्रता या गर्भ की स्थिति में पत्नी को तलाक़ दें**"।

[﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾] (न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और न वह (स्वयं) निकलें, हाँ यह और बात है कि वह खुली बुराई कर बैठें)।

उपरोक्त ह़दीस़ इस बात का प्रमाण है कि महिला को माहवारी की स्थिति में या ऐसी पवित्रता में त़लाक़ देना जिसमें उससे संभोग किया गया हो ह़लाल नहीं है, सिवाय इसके कि उसका गर्भ स्पष्ट हो जाये। और त़लाक़ घटित होगी [ऐसे पति की ओर से जोः व्यस्क, समझदार, स्वतंत्र एवं विवेकी हो =] हर उस शब्द के द्वारा जो उसको प्रमाणित करे, जैसेः

[1] **स्पष्ट रूप सेः** अर्थात ऐसा शब्द जिससे केवल त़लाक़ का अर्थ ही समझ में आता हो, जैसे "त़लाक़" या इससे व्युत्पन्न शब्द, या जो उसके समान हो।	[2] **या इशारा में होः** जब उस शब्द से त़लाक़ अभिप्राय हो, या कोई प्रमाण हो जो त़लाक़ के अर्थ को प्रमाणित करे।

और त़लाक़ घटित होगीः

[1] **पूर्ण।**	[2] **या सशर्त होः** जैसे कहेः जब अमुक समय आ जाये तो तुमको त़लाक़ है, तो जब वह समय पाया जायेगा जिस के ऊपर त़लाक़ आश्रित है तो त़लाक़ हो जायेगी।

त़लाक़ को शर्त पर आधारित करने की कुछ स्थितियां हैं:

[1] **विशुद्ध शर्तः** इससे हर हाल में त़लाक़ घट जाती है, जैसे कहेः (यदि सूर्य डूब जाये तो तुम्हें त़लाक़ हो गई) तो सूर्यास्त के बाद त़लाक़ हो जायेगी।	[2] **विशुद्ध क़सम:** इससे त़लाक़ नहीं होती, और इसमें क़सम का कफ़्फ़ारा है, जैसे कहेः (यदि मैं ज़ैद से बात करूँ तो मेरी पत्नी को त़लाक़ हो गई), और उद्देश्य यह हो कि वह इससे रुक जाये, तो यह विशुद्ध क़सम है, क्योंकि ज़ैद से बात करने एवं उसकी पत्नी की त़लाक़ के बीच कोई संबंध नहीं है।	[3] **जिसमें दोनों की संभावना होः** ऐसी स्थिति में त़लाक़ देने वाले के इरादे का एतबार किया जायेगा।

[त़लाक़ -ए- बाइन एवं त़लाक़ -ए- रजई के बारे में] अध्याय

आज़ाद पुरुष को तीन त़लाक़ देने का अधिकार प्राप्त है। जब यह संख्या पूर्ण हो जाये तो अब वह महिला उसके लिये ह़लाल नहीं होगी यहाँ तक किः वह सही ढ़ंग से निकाह़ के द्वारा दूसरे पुरुष से विवाह करे, और वह पुरुष उससे संभोग करे, अल्लाह के इस कथन के कारणः ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ (ये त़लाक़ दो बार हैं), इस कथन तकः ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ (फिर यदि उसको (तीसरी बार) त़लाक़ दे दे तो अब उसके लिये ह़लाल नहीं जब तक वह महिला उसके सिवा दूसरे से निकाह़ न करे)। चार स्थितियों में दी गई त़लाक़, त़लाक़ -ए- बाइन होगीः

[1] यह एक स्थिति है जिसका उल्लेख उपरोक्त आयत में हुआ है।	[2] जब प्रवेश से पहले त़लाक़ दे दे, अल्लाह के इस फ़रमान के कारणः ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ﴾ (हे मोमिनों! जब तुम मोमिन महिलाओं से विवाह करो फिर हाथ लगाने से पहले (ही) त़लाक़ दे दो तो उन पर तुम्हारा कोई अधिकार इद्दत का नहीं जिसे तुम गिनो)।	[3] जब यह अनुचित विवाह में हो।	[4] और जब यह किसी चीज़ के बदले हो।

मुतल्लक़ह रज्इय्यह का हुक्म आम पत्नियों के समान है, सिवाय क़सम के अनिवार्य होने की स्थिति को छोड़ कर। तथा मशरूअ (उचित) है ऐलान करना: निकाह़, त़लाक़ और रज्अत का तथा उस पर गवाह रखना, अल्लाह के इस कथन के कारण: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ (और आपस में दो न्यायप्रिय व्यक्तियों को गवाह रख लो)। और ह़दीस़ में है कि: "**तीन चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें गंभीरता से करना भी गंभीर है, और मजाक में करना भी गंभीर है: शादी, तलाक और रज्अत**"। नसई को छोड़ कर इसे चारों ने रिवायत किया है। [अत: स्पष्ट रूप से दी गई त़लाक़ घट जाती है चाहे वह गंभीरता से दी गई हो या मजाक में या योंही केवल कहा गया हो]। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मरफ़ूअ ह़दीस़ में है कि: "**अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत की गलती, भूल-चूक एवं जिस पर उसे विवश किया गया हो, को क्षमा कर दिया है**"। इसे इब्ने माजह ने रिवायत किया है। [अत: विवश किये गये व्यक्ति का एवं अत्यंत क्रोधित व्यक्ति जिसे वह क्या बोल रहा है उसकी भी समझ न हो, की दी गई त़लाक़, मान्य नहीं होगी]।

ईला, ज़िहार एवं लिआन का अध्याय

[ईला: इस्लाम में ह़राम है]

ईला यह है कि: [अल्लाह की] क़सम खाये कि वह अपनी पत्नी से कभी भी, या चार माह से अधिक समय तक संभोग नहीं करेगा। पत्नी यदि संभोग करने का अपना अधिकार मांगे तो पति को इसका आदेश दिया जायेगा, और इसके लिये चार माह की समय-सीमा निर्धारित की जायेगी।

[1] यदि [ईला की मुद्दत के अंदर] संभोग कर ले तो उसे क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करना होगा।

[2] और यदि संभोग से इन्कार करे तो त़लाक़ देने पर विवश किया जायेगा।

अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾ (तथा जो लोग अपनी पत्नियों से संभोग न करने की शपथ लेते हों, वह चार महीने प्रतीक्षा करें, फिर यदि अपनी शपथ से इस (बीच) फिर जायें तो अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। और यदि उन्होंने त़लाक़ का संकल्प ले लिया हो तो निस्संदेह अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है)

[ज़िहार]

ज़िहार यह है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से कहे: तू मेरे लिये मेरी माँ की पीठ (ज़ह्र) के समान है, या इस जैसा कोई शब्द प्रयोग करे जिससे स्पष्ट रूप से ह़ुरमत (वर्जना) प्रमाणित हो जाये। यह बुरा एवं गुनाह का काम है, यह त़लाक़ नहीं है, [बल्कि एक क़सम है जिसका कफ़्फ़ारा अदा किया जाता है]। इसके कारण पत्नी ह़राम नहीं होती है, लेकिन उस समय तक पत्नी को छूना उसके लिये ह़राम है जब तक वह उस काम को अंजाम न दे ले जिसका आदेश अल्लाह ने इस फ़रमान में दिया है: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾ (जो लोग अपनी पत्नियों से ज़िहार करें फिर अपनी कही हुई बात से फिर जायें) आयत के अंत तक।

[1] वह एक मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करे, जो काम करने में रुकावट बनने वाले दोषों से दोष रहित हो।

[2] यदि यह न पाये तो: निरंतर दो महीना तक रोज़ा रखे।

[3] यदि इसकी भी शक्ति न हो तो साठ मिस्कीन (भिक्षुओं) को भोजन कराये।

ज़िहार चाहे व्यापक हो या किसी समय के साथ निश्चित, जैसे रमज़ान इत्यादि। जहाँ तकः धन, भोजन, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं को अपने ऊपर ह़राम कर लेने का मामला है = तो उसमें क़सम का कफ़्फ़ारा है, अल्लाह के इस फ़रमान के कारणः ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ﴾ (हे ईमान वालो! अल्लाह तआला ने जो पवित्र वस्तुएं तुम्हारे लिये ह़लाल की हैं उन्हों ह़राम मत करो) यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उन मामलों में क़सम के कफ़्फ़ारा का उल्लेख किया है।

[लिआन]

जहाँ तक लिआन का संबंध है तो पति यदि पत्नी पर व्यभिचार का लांछन लगाए तो उस पर ह़द -ए- क़ज़फ़ (लांछन का दण्ड) अस्सी कोड़े हैं, सिवाय इसके किः

[1] वह प्रमाण ले आयेः अर्थात चार न्यायप्रिय लोगों की गवाही ले आये, तो ऐसी स्थिति में पत्नी पर दण्ड लागू किया जायेगा।

[2] या फिर लिआन करे, तो ऐसी स्थिति में पति से ह़द -ए- क़ज़फ़ माफ हो जायेगा।

और लिआन का तरीका वही है जिसका उल्लेख अल्लाह ने सूरह नूर में किया हैः ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ﴾ आयत के अंत तक।

[1] चार बार वह अल्लाह की क़सम खा कर कहेगा कि उसकी पत्नी व्यभिचारी है, और पाँचवीं बार में कहेगाः (وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) (उस पर अल्लाह की लानत हो यदि वह झूठों में से हो)।

[2] फिर महिला चार बार अल्लाह की क़सम खा कर कहेगी कि उसका पति झूठा है, और पाँचवीं बार में कहेगीः (وَإِنَّ غَضِبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (उस पर अल्लाह का ग़ज़ब हो यदि उसका पति सच्चों में से हो)।

लिआन पूर्ण हो जाने के बादः

[1] पति से ह़द माफ़ हो जायेगा।

[2] महिला से भी ह़द माफ़ हो जायेगा।

[3] दोनों के मध्य अलगाव हो जायेगा, और यह अलगाव सदा के लिये होगा।

[4] और यदि लिआन में बच्चे का उल्लेख हो तो उसका इन्कार हो जायेगा

महत्वपूर्ण अह़काम:

🟔 अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞ﴾ (हे ईमान वालो! अत्याधिक बदगुमानियों से बचो, निस्संदेह कुछ बदगुमानियां पाप हैं)। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

🟔 सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन हैः ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ (हे लोगो जो ईमान लाये हो! हंसी न उड़ाये कोई जाति किसी अन्य जाति की, हो सकता है वह उन से अच्छी हो, और न नारी अन्य नारियों की, हो सकता है कि वह उनसे अच्छी हों, तथा आक्षेप न लगाओ एक-दूसरे को और न किसी को बुरी उपाधि दो, बुरा नाम है अपशब्द ईमान के पश्चात, और जो क्षमा न माँगे तो वही लोग अत्याचारी हैं)। तथा अल्लाह का फ़रमान हैः ﴿وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ﴾ (विनाश हो उस व्यक्ति का जो कचोके लगाता रहता है और चोंटे करता रहता है)।

🟔 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**किसी व्यक्ति के बुरा होने के लिये यही काफी है कि वह अपने मुसलमान भाई को तुच्छ समझे**"। मुस्लिम।

किताबुल इदद वलइस्तिबरा (इद्दतों एवं इस्तिबरा के मसले)

इद्दत कहते हैं: ऐसी महिला का प्रतीक्षा में बैठना जिसका पति मृत्यु या तलाक़ के कारण उससे अलग हो गया हो।

इद्दत को वाजिब करने वाली जुदाई के प्रकार:

[1] मृत्यु के कारण जुदाई।

[2] जीवित रहते हुये तलाक़ के कारण जुदाई, और ऐसी महिला के दो प्रकार हैं:

- [क] उसके साथ संभोग हो चुका हो।
- [ख] या उसके साथ संभोग नहीं हुआ हो।

[1] मृत्यु के कारण जुदाई।

यदि पति की मृत्यु हुई हो तो महिला हर हाल में इद्दत गुज़ारेगी:

[क] यदि वह गर्भवती हो तो उसकी इद्दत बच्चे का जन्म होने तक है, अल्लाह का कथन है: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ (गर्भवती महिलाओं की इद्दत बच्चे के जन्म तक है)।
और यह हुक्म आम है, चाहे यह जुदाई मृत्यु के कारण हुई हो या जीवित रहते हुये (तलाक़ के कारण)।

[ख] और महिला यदि गर्भवती न हो तो उसकी इद्दत चार महीना दस दिन है।

इद्दत के दौरान महिलाओं पर अनिवार्य है कि वह सोग मनाये:

[क] इन्हें छोड़ कर:

श्रंगार न करे।	सुगंध न लगाये।
ज़ेवर न पहने।	और मेंहदी इत्यादि का भी प्रयोग न करे।

[ख] जिस घर में रहते हुये पति की मृत्यु हुई हो उसी घर में रहना महिलाओं के लिये अनिवार्य है, अतः दिन में अकारण उस घर से बाहर न निकले, जैसाकि अल्लाह का कथन है: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ (तुम में से जो लोग मर जायें और पत्नियां छोड़ जायें वह महिलाएं अपने आप को चार महीने और दस (दिन) इद्दत में रखें)।

...

[क] यदि संभोग करने के पूर्व महिला को तलाक़ दे दे तो उस पर कोई इद्दत नहीं है, अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ﴾ (हे मोमिनों! जब तुम मोमिन महिलाओं से विवाह करो फिर हाथ लगाने से पहले (ही) तलाक़ दे दो तो उन पर तुम्हारा कोई अधिकार इद्दत का नहीं जिसे तुम गिनो)।

[2] किंतु जुदाई यदि जीवित हालत में (तलाक़ के कारण) हुई हो:

[ख] और यदि पति प्रवेश कर चुका हो या उसके संग तन्हाई में रह चुका हो:

[1] तथा यदि वह महिला गर्भवती हो तो उसकी मुद्दत बच्चे के जन्म तक है, चाहे यह अवधि छोटी हो या लम्बी।

और महिला यदि गर्भवती न हो:

[2] तथा यदि उसे माहवारी आती हो तो उसकी इद्दत तीन माहवारी है, अल्लाह के इस फ़रमान के कारण: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ (तलाक़ वाली महिलाएं अपने आपको तीन माहवारी तक रोके रखें)।

[3] और यदि उसे माहवारी नहीं आती हो -छोटी उम्र होने के कारण या उसे सिरे से माहवारी आती ही नहीं हो या माहवारी आनी बंद हो चुकी हो- तो उसकी इद्दत तीन महीना है, अल्लाह के इस फ़रमान के कारण: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾ (तुम्हारी महिलाओं में से जो माहवारी से नाउम्मीद हो गई हों, यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी इद्दत तीन महीने है और उनकी भी जिन्हें माहवारी आना आरंभ ही न हुआ हो)।

[4] यदि उसे माहवारी आ रही थी और दुग्धपान इत्यादि के कारण माहवारी आनी बंद हो गई तो: वह माहवारी आने की प्रतीक्षा करेगी और उसी हिसाब से इद्दत गुज़ारेगी।

[5] यदि माहवारी बंद हो चुकी हो किंतु उसके बंद होने का कारण पता न हो तो: सावधानी अपनाते हुये नौ (9) महीना तक गर्भ की प्रतीक्षा करेगी, फिर तीन महीना इद्दत गुज़ारेगी।

[6] इद्दत गुज़ार लेने के बाद यदि गर्भ का संदेह हो तो संदेह समाप्त होने तक दूसरा विवाह नहीं करेगी।

जिस महिला का पति गुम हो तो वह शासक के इज्तिहाद के अनुसार उसकी मृत्यु का विश्वास होने तक प्रतीक्षा करेगी, फिर इद्दत गुज़ारेगी। और ख़र्चा-पानी देना अनिवार्य नहीं है, सिवाय:

[1] रज्ई इद्दत गुज़ारने वाली महिला के लिये।

[2] या उसके पति ने अपने जीवन में गर्भ की स्थिति में उसे तलाक़ दी हो, अल्लाह के इस फ़रमान के कारण: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ (यदि गर्भवती हों तो जब तक बच्चा न जन्म ले ले उन्हें ख़र्च देते रहा करो)।

इस्तिबरा कहते हैं: उन दासियों के गर्भवती होने या न होने की स्थिति के स्पष्ट होने की प्रतीक्षा करने को जिनके स्वामी उनसे संभोग करते रहे हों।

अतः उस दासी से उसका पति या (नया) स्वामी उस समय तक संभोग न करे जब तक:

[1] उसे एक माहवारी न आ जाये।

[2] यदि उसे माहवारी नहीं आती हो तो: वह एक महीना तक प्रतीक्षा करेगी।

[3] यदि गर्भवती हो तो बच्चे के जन्म तक प्रतीक्षा करेगी।

पत्नियों, संबंधियों, ग़ुलामों एवं लालन-पालन में रहने वालों के ख़र्चे का अध्याय

ख़र्चे (कफ़ालत) के वाजिब होने की शर्तों:

[1] ख़र्च करने वाले का धनवान होना।	[2] जिस पर ख़र्च किया जा रहा है उसको उसकी ज़रूरत होना।	[3] समान धर्म का होना, सिवाय इसके कि वह वाली (अभिभावक) हो।	[4] ख़र्च करने वाला जिस पर ख़र्च कर रहा है उसका वारिस हो, चाहे फ़र्ज़न, या तअसीबन या निकटवर्ती होने के नाते।

आदमी पर वाजिब है: पत्नी का ख़र्चा उठाना, उसके पोशाक एवं रहन-सहन का पति की आर्थिक स्थिति के अनुसार उचित ढ़ंग से व्यवस्था करना, जैसाकि अल्लाह का फ़रमान है: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ﴾ (चाहिये कि सम्पन्न (सुखी) ख़र्च दे अपनी कमाई के अनुसार और तंग हो जिस पर उस की जीविका तो चाहिये कि ख़र्च दे उस में से जो दिया है उसको अल्लाह ने, अल्लाह भार नहीं रखता किसी प्राणी पर परंतु उतना ही जो उसे दिया है)। पत्नी द्वारा मांग करने पर पति को उसमें से अनिवार्य मात्रा का पाबंद किया जायेगा। और मुस्लिम की रिवायत जो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है उसमें है कि: **“उनका ख़र्चा-पानी और उनकी पोशाक रिवाज के अनुसार उपलब्ध कराना उनकी ओर से तुम पर अनिवार्य है”**। और मनुष्य पर लाज़िम है:

[1] धनवान होने की स्थिति में अपने संबंधियों पर ख़र्च करना।	[2] इसी तरह से जिसका वह फ़र्ज़न या तअसीबन वारिस होगा उस पर ख़र्च करना।

और हदीस़ में है: **“भोजन एवं लिबास ग़ुलाम का अधिकार है और उस पर काम का इतना बोझ न डाला जाये जो उसके बस से बाहर हो”**। और यदि वह उससे विवाह कराने के लिये कहे तो अनिवार्य रूप से उसका विवाह कराये। और आदमी पर वाजिब है कि:

[1] अपने जानवरों को खिलाये-पिलाये।	[2] और उन पर उतना बोझ न डाले जो उनको हानि पहुँचाए।

हदीस़ में है: **“आदमी के लिये इतना पाप ही काफी है कि वह जिसके भोजन का ज़िम्मेदार है वह उसे न दे”**। और हिज़ानह (परवरिश, पालन-पोषण) का अर्थ है: बच्चे को हानिकारक वस्तुओं से बचाना और उनके हित का ध्यान रखना, और यह वाजिब है उस व्यक्ति पर जिस पर उन का ख़र्चा-पानी उठाने की ज़िम्मेवारी है, किंतु:

[1] माता अपने बच्चे की अधिक हकदार है यदि वह सात वर्ष से कम आयु का हो चाहे वह लड़का हो या लड़की।

[2] बच्चा जब सात वर्ष की आयु को पहुँच जाये तो:

[क] यदि वह लड़का हो तो उसे माता-पिता में से एक को चुनने का अधिकार दिया जायेगा और वह जिसका चयन करेगा उसके साथ रहेगा।	[ख] और यदि वह लड़की हो तो उसके साथ रहेगी जो उसके हितों का अधिक ध्यान रखे, चाहे बाप हो या माँ।

और गोद वाले बच्चे को ऐसे आदमी के साथ नहीं छोड़ा जायेगा जो उसकी सुरक्षा एवं हितों का ध्यान न रखे।

पारीवारिक मामलों से संबंधित प्रश्न

गलत	सही	प्रश्न
☐	☐	निकाह़ करना रसूलों की सुन्नत है
☐	☐	निकाह़ नैतिक शुद्धता व पवित्रता का प्रतीक है
☐	☐	यदि किसी के दिल में किसी महिला को निकाह़ का संदेश देने की इच्छा हो तो उसके लिये उतना देखना जायज़ है जो उससे निकाह़ के लिये प्रेरणा का कारण बने
☐	☐	एक मुसलमान भाई के संदेश पर दूसरे मुसलमान भाई का संदेश भेजना ह़लाल है
☐	☐	इस युग में युवकों का विवाह करना नफ़्ल ह़ज्ज से भी उत्तम है
☐	☐	गर्भ निरोधक का प्रयोग समाज की प्रगतिशीलता का प्रतीक है
☐	☐	यदि महिला समझदार एवं बुद्धिमान हो तो वह अपना विवाह स्वयं कर सकती है
☐	☐	इस्लाम विजयी होने के लिये आया है परास्त होने के लिये नहीं
☐	☐	गर्भ ऐसी स्थिति है जिसमें त़लाक़ देना ह़राम है
☐	☐	पति यदि प्रवेश के पूर्व अपनी पत्नी को त़लाक़ दे दे तो वह बिना इद्दत गुज़ारे बाइनह (जुदा) हो जायेगी
☐	☐	पति यदि पत्नी से गुम हो जाये फिर पत्नी को उसकी मृत्यु का पता चले तो वह उस समय से इद्दत गुज़ारेगी जब से पति गायब हुआ है
☐	☐	ख़र्च करने वाले के लिये शर्त है कि वह जिस पर ख़र्च कर रहा है उसका फ़र्ज़न या तअस़ीबन संबंधी होने के द्वारा वारिस बनता हो
☐	☐	परवरिश के मामले में माता को पिता पर वरीयता दी जायेगी
☐	☐	निकाह़ -ए- तह़लील के लिये केवल विवाह भर ही पर्याप्त है
☐	☐	मासिक धर्म की स्थिति में त़लाक़ देना ह़राम है
☐	☐	त़लाक़ के संबंध में मूल बात यह है कि वह रज्ई हो
☐	☐	रजूअत के सही होने के लिये शर्त है कि वह इद्दत के दौरान हो
☐	☐	शरई ईला की मुद्दत दो महीना है
☐	☐	ज़िहार का हुक्म यह है कि यह ह़राम है
☐	☐	त़लाक़ -ए- बाइन बैनूना -ए- सुग़रा का एक रूप है: प्रवेश के पूर्व त़लाक़ देना

- निगाहें नीची रखने एवं गुप्तांग की सुरक्षा के लिये सर्वोत्तम तरीका है: ☐ निकाह़ ☐ ह़ज्ज ☐ रोज़ा

🟓 उचित यह है कि ऐसी महिला का चयन करे जो हो: ☐ धार्मिक ☐ कुलीन ☐ प्रेम करने वाली ☐ अधिक बच्चे को जन्म देने वाली ☐ सभी 🟓 मुत़ल्लक़ह बाइनह को इशारा में विवाह का संदेश देना: ☐ जायज़ है ☐ जायज़ नहीं है 🟓 ईजाब: ☐ वली ☐ पति, या उसके नायब की ओर से, कहे गये कथन को कहते हैं 🟓 इद्दत वाली महिला को स्पष्ट रूप से विवाह का संदेश देना: ☐ ह़राम है ☐ मकरूह है ☐ जायज़ है 🟓 विवाह पर गवाह रखना: ☐ मुस्तहब है ☐ वाजिब है ☐ जायज़ है 🟓 एक समझदार कुँवारी लड़की का ऐसा पति बनाना जो उसे स्वीकार नही: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है ☐ वाजिब है 🟓 निर्लज्जता की ओर ले जाने वाले माध्यमों को रोकने में शरीअत का ध्यान देना: ☐ स्पष्ट है ☐ छिप्त है 🟓 इस्लाम ने महिलाओं के अधिकारों की: ☐ सुरक्षा की है ☐ सुरक्षा नहीं की है 🟓 छल-प्रपंच, ह़राम को वैध: ☐ बना देता है ☐ नहीं बनाता है 🟓 किसी व्यक्ति ने किसी महिला से तीस हज़ार में विवाह किया और महिला ने चालीस हज़ार देकर ख़ुलअ ले लिया तो ऐसा करना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है 🟓 वह त़लाक़ जिसके घटित होने के लिये निय्यत शर्त है: ☐ वह त़लाक़ है जो स्पष्ट रूप से हो ☐ जो इशारा में हो 🟓 उस त़लाक़ का उदाहरण जो बिना निय्यत के घटित नहीं होती है, यह कहना है: ☐ अपने घर वालों के पास चली जाओ ☐ तुझे त़लाक़ है 🟓 किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा: (तुम्हें त़लाक़ है) और उद्देश्य उसे डराना हो, तो: ☐ त़लाक़ हो जायेगी ☐ त़लाक़ नहीं होगी 🟓 माहवारी वाली को त़लाक़ देना: ☐ जायज़ है ☐ नाजायज़ है 🟓 ज़िहार का कफ़्फ़ारा है: ☐ क्रमवार ☐ उसे चयन का अधिकार है 🟓 जब अपनी पत्नी से कहे: (तू मेरे ऊपर ह़राम है), तो यह: ☐ ज़िहार है ☐ त़लाक़ -ए- रज्ई है ☐ त़लाक़ -ए- बाइन है 🟓 जिसने ज़िहार का कफ़्फ़ारा अदा करने के पूर्व संभोग कर लिया वह: ☐ पापी है ☐ पापी नहीं है क्योंकि उसे हर हाल में कफ़्फ़ारा अदा करना ही है 🟓 सुन्नत के अनुसार एवं सुन्नत के विरुद्ध होने के आधार पर त़लाक़ के प्रकार हैं: ☐ सुन्नी ☐ बिद्ई ☐ दोनों 🟓 क्रोधित व्यक्ति की त़लाक़ जो अपने कहने एवं करने को पूरी तरह समझ रहा हो: ☐ हो जाती है ☐ नहीं होती है 🟓 आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हुये जिसमें शर्तों एवं अरकान का ध्यान रखा गया हो और वह हेरा-फेरी से सुरक्षित हो तो ऐसा विवाह करना: ☐ सही है ☐ सही नहीं है 🟓 धन हासिल करने के इरादे से अभिभावक का महिला को विवाह करने से रोकना: ☐ महा पाप है ☐ जायज़ है ☐ मकरूह है

🟓 इनकी हुर्मत (वर्जना) को स्पष्ट करें: ☐ दो बहनों के बीच जमा करना ☐ चार से अधिक महिलाओं को एक साथ निकाह़ में रखना ☐ इद्दत वाली महिला से विवाह करना ☐ इस्तिबरा की स्थिति वाली महिला से विवाह करना ☐ जिसको उसने तीन त़लाक़ दे दिया हो उससे विवाह करना ☐ ह़ज्ज या उमरह का एह़राम बांधी हुई महिला से विवाह करना ☐ काफ़िर का मुसलमान से विवाह करना ☐ मुसलमान का काफ़िर से विवाह करना ☐ उपरोक्त सभी

🟓 विवाह से संबंधित शर्तों के प्रकार हैं: ☐ सही ☐ फ़ासिद ☐ दोनों

🟓 इनमें से फ़ासिद शर्तों को स्पष्ट करें: ☐ निकाह़ -ए- शिग़ार ☐ निकाह़ -ए- तह़लील ☐ भविष्य की किसी शर्त पर निकाह़ करना ☐ कुछ समय के लिये निकाह़ ☐ निकाह़ -ए- मुत्अह ☐ त़लाक़ की निय्यत से निकाह़ करना 🟓 पति-पत्नी के अधिकार हैं: ☐ मिश्रित अधिकार ☐ पति के अधिकार ☐ पत्नी के अधिकार ☐ सभी

किताबुल अत्इमह (खाने के मसले)

भोजन से संबंधित आम नियमः

[1] भोजन के विषय में मूल बात यह है कि सभी वैध हैं। [2] हर वह पवित्र वस्तु जो हानिकारक न हो वह वैध है। [3] धरती की प्रत्येक वस्तु हमारे लिये हलाल हैः खाने, पीने, पहनने एवं लाभ उठाने हेतु। [4] खाने के संबंध में मूल बात यह है कि यह मोमिनों के लिये हलाल है, अन्य के लिये नहीं। [5] प्रत्येक अशुद्ध हराम है, जबकि प्रत्येक हराम अशुद्ध नहीं है। [6] सभी प्रकार के समुद्री जीव हलाल हैं।

[7] प्रत्येक वह वस्तु जिसको क़त्ल करने का शरीअत ने आदेश दिया है या जिसको क़त्ल करने से शरीअत ने रोका है, वह हराम है।

खाने के आदाबः

- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “**हे लड़के! बिस्मिल्लाह कहो, दाहिने हाथ से खाओ और अपने निकट से खाओ**”। इस हदीस़ को बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।
- दस्तरख़्वान उठा लेने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ पढ़तेः “अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कस़ीरन तैयिबन् मुबारकन फ़ीहि, ग़ैरा मकफ़िय्यिन्, व ला मुवद्दइन, व ला मुस्तग़नन अन्हु रब्बना”। इस हदीस़ को बुख़ारी ने रिवायत किया है।
- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “**मैं टेक लगा कर नहीं खाता**”। बुख़ारी।
- अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है किः “**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी किसी खाने में दोष नहीं निकाला, यदि इच्छा होती तो खा लेते अन्यथा छोड़ देते**”। इस हदीस़ को बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।
- कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है किः “**रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तीन उंगलियों से खाना खाते और हाथ पोछने से पहले उसको चाटते**”। मुस्लिम।
- जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उंगली और प्लेट चाटने का आदेश दिया और फ़रमायाः “**तुम नहीं जानते कि बरकत किस में है**”। मुस्लिम।

और इसके [-अर्थातः भोजन के-] दो प्रकार हैं: हैवान और ग़ैर हैवानः

[1] ग़ैर हैवान हैं:

[क] अनाज और फल इत्यादिः ये सब जायज़ हैं, सिवाय उनके जो हानिकारक हों, जैसे विष इत्यादि।

[ख] सभी प्रकार के पेय वैध हैं, सिवाय उसके जो नशीली हो, अतः नशीली चीज़ की मात्रा चाहे कम हो या अधिक, हराम है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः “**हर नशीली चीज़ हराम है, और जिस चीज़ का एक फ़रक़ (बड़ी मात्रा) नशा उत्पन्न करे तो उसकी मुट्ठी भर मात्रा भी हराम है**”। इस हदीस़ को अबू दावूद ने रिवायत किया है।
और शराब यदि सिरका में बदल जाये तो हलाल है।

[2] तथा हैवान के दो प्रकार हैं:

[क] **समुद्री:** समुद्र में रहने वाला प्रत्येक जानवर चाहे वह जीवित हो अथवा मृत हलाल है, अल्लाह का फ़रमान है: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ﴾ (तुम्हारे लिये दरिया का शिकार पकड़ना और उसका खाना हलाल किया गया है), [सिवाय उसके जिसमें ज़हर हो या मेंडक के समान गंदा हो]।

[ख] **जहाँ तक धरती के जावरों की बात है:** तो इसमें भी मूल बात उसका हलाल होना ही है [मवेशी, घोड़ा, गोह, जंगली गधा (ज़ेबरा), ख़रगोश, हिरन, शुतर मुर्ग़, मुर्ग़ी एवं टिड्डा इत्यादि], सिवाय उसके जिससे शरीअत ने रोका है:

[1] जो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस़ में है कि: "**दरिंदों में से हर कुचली वाले जानवर का ख़ाना हराम है**"। [जैसे: हाथी, कुत्ता, सुअर, बंदर, बिल्ली एवं भालू]।

[2] "**हर वह पक्षी जो नाख़ुनों एवं पंजों से शिकार करता है, वर्जित है**"। इस हदीस़ को मुस्लिम ने रिवायत किया है। [अर्थात: जो पंजे से शिकार करे, जैसे: बाज़, चील एवं उल्लू]।

[3] "**और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पालतु गधे का मांस खाने से रोका है**"। इस हदीस़ को बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

[4] "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चार जानवरों को मारने से रोका है: चींटी, मधुमक्खी, हुदहुद और सुरद (गौरैया)**"। अहमद एवं अबू दावूद। [और नियम यह है कि: हर वह चीज़ जिसे क़ुरआन एवं हदीस़ में क़त्ल करने का आदेश दिया गया है या उससे रोका गया है, उसका खाना हराम है]।

[5] और हर ख़बीस़ (गंदी) चीज़ हराम है, [जैसे: कीड़े-मकोड़े इत्यादि और जो मुरदार खाता है, जैसे: लकलक (सारस) और कौवा]।

[6] "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जल्लालह (गंदगी खाने वाले जानवर) के मांस एवं दूध से रोका है, यहाँ तक कि उसे बांध कर रखा जाये और तीन (दिन) तक उसे शुद्ध चीज़ खिलाई जाये"। [जल्लालह उस जानवर को कहते हैं जो अधिकांशत: गंदगी ही खाता है]।

[7] और जो खाये जाने वाले पशु एवं न खाये जाने वाले पशु के मिलाप से पैदा हो, वह भी हराम है, जैसे: ख़च्चर।

[दवा एवं उपचार से संबंधित बातें]

दवा एवं उपचार के संबंध में वर्णित कुछ हदीस़ों का उल्लेख:

❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**आरोग्य तीन चीज़ों में है: सींगी लगवाने में, शहद पीने में और आग से दाग़ने में, परंतु मैं अपनी उम्मत को आग से दाग़ने से रोकता हूँ**"। बुख़ारी। ❁ और आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कहते हुये सुना: "**इस कलौंजी में हर रोग का उपचार है, सिवाय साम के**", वह कहती हैं कि मैंने पूछा: साम क्या है? तो आपने फ़रमाया:

"**मृत्यु**"। बुख़ारी। ❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**तलबीना रोगी के हृदय को शांति पहुँचाता है और चिंता को दूर करता है**"। तलबीना एक भोज्य पदार्थ है जो सूप (दलिया) की तरह होता है, जो आटे और उसकी भूसी से बनाया जाता है, कभी-कभी इसमें मधु मिलाया जाता है, इसे "तलबीना" इसलिये कहते हैं कि इसका रंग "लबन" अर्थात दूध जैसा सफेद होता है। बुख़ारी व मुस्लिम। ❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**तुम यह ऊद -ए- हिंदी अपने लिये अनिवार्य कर लो, इसलिये कि इसमें सात रोगों का उपचार है, यदि हलक में सूजन हो तो इसको नाक में टपकाया जाये, और यदि निमोनिया हो तो इसे मुँह से पिलाया जाये**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**सर्वोत्तम इलाज जो तुम करते हो वह सींगी लगवाना है और सबसे उत्तम दवा क़ुस्त -ए- बहरी (ऊद -ए- हिंदी) का प्रयोग करना है**"। बुख़ारी व मुस्लिम। ❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**खुम्भी (मशरूम) उस "मन्न" में से है जिसको अल्लाह तआला ने उतारा था और उसका पानी आँख का उपचार है**"। बुख़ारी व मुस्लिम। ❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**बुख़ार जहन्नम की गर्मी से होता है, अतः इसे पानी से ठंडा करो**"। बुख़ारी व मुस्लिम। ❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**जब तुम सुन लो कि किसी स्थान पर प्लेग फैल रहा है तो वहाँ मत जाओ, किंतु जब किसी स्थान पर यह महामारी फैल जाये और तुम वहीं मौजूद हो तो उस स्थान से बाहर निकलो भी मत**"। बुख़ारी व मुस्लिम। ❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**जिसने प्रतिदिन सुबह के समय सात अज्वा खजूरें खाई, उसे उस दिन रात तक न विष हानि पहुँचा सकेगा और न जादू**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

रुक़्यह (झाड़-फूँक) के बारे में वर्णित कुछ हदीसों का वर्णनः

❁ अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक क़बीला के सरदार को बिच्छु के डंक से बचाया था, वह सूरह फ़ातिहा पढ़ने लगे और उस पर दम करते हुये मुँह का थूक भी उस जगह पर डालने लगे, तो वह व्यक्ति ठीक हो गया, क़बीला वालों ने कुछ बकरियां मेहनताना के रूप में दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**तुम्हें कैसे पता चला कि सूरह फ़ातिहा पढ़ कर दम भी किया जा सकता है, उन बकरियों को ले लो और उसमें मेरा भी हिस्सा लगाओ**"। बुख़ारी व मुस्लिम। ❁ आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है किः "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने मृत्यु रोग में अपने ऊपर मुअव्वज़ात से दम किया करते थे, फिर जब आपके लिये यह कठिन हो गया तो मैं उनका दम आप पर किया करती थी और बरकत के लिये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक हाथ आपके मुबारक शरीर पर फेरती थी**"। बुख़ारी व मुस्लिम। ❁ आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है किः "**अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम करने के लिये लेटते तो अपनी दोनों हथेलियों पर, क़ुल हुवल्लाहु अहद, क़ुल अउज़ु बि रब्बिल फ़लक़ औ क़ुल अऊज़ु बि रब्बिन्नास, पढ़ कर दम करते फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पर और शरीर के जिस भाग तक हाथ पहुँच पाता फेरते**"। बुख़ारी।

❁ आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नेः "**बुरी नज़र लग जाने पर दम करने का आदेश दिया है**"। बुख़ारी व मुस्लिम। ❁ आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नेः "**हर विषैले जानवर के काटने में झाड़-फूँक करने की अनुमति दी है**"। बुख़ारी व मुस्लिम। ❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ पढ़ कर दम किया करते थेः "**अल्लाहुम्मा रब्बन् नासि, मुज़्हिबल बासि, इश्फ़ि अन्तश् शाफ़ी, ला शाफ़िया इल्ला अन्ता, शिफ़ाअन् ला युग़ादिरु सक़मन**"। बुख़ारी व मुस्लिम। ❁ उसी दुआ में से हैः "**इम्सहिल बासा रब्बन् नासि, बियदिकश् शिफ़ाउ, ला काशिफ़ा लहु इल्ला अन्ता**"। बुख़ारी व मुस्लिम। ❁ और उन्हीं में से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपना थूक शहादत (तर्जनी) की ऊँगली पर लगाते, फिर उसे मिट्टी पर रखते और कुछ मिट्टी उसमें लगाते, उसके बाद उससे घाव या बीमारी वाले स्थान पर लगाते और यह दुआ पढ़तेः "**बिस्मिल्लाहि, तुर्बतु अर्ज़िना, बिरीक़ति बअज़िना, युश्फ़ी सक़ीमुना, बिइज़्नि रब्बिना**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

ज़बीहा (बलि) एवं शिकार का अध्याय

ज़कात (ज़ब्ह करना) कहते हैं: मवेशी के रक्त बहाने को, (अर्थातः ऐसी वस्तु के द्वारा) जो प्रवेश कर जाये उसकीः

[1] **अक़्र (ज़ख़्मी) करने के द्वाराः** असमर्थ होने की स्थिति में शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश करके।

[2] **गर्दन में:** समर्थ होने की स्थिति में, या तोः

[क] ज़ब्ह के द्वारा।

[ख] या नह़ के द्वारा।

जायज़ पशुओं को बिना ज़ब्ह किये खाना नाजायज़ है, सिवायः मछली एवं टिड्डी के।
ज़कात अर्थातः ज़ब्ह के लिये शर्त है किः

[1] ज़ब्ह करने वाला मुस्लिम हो या यहूदी अथवा ईसाई हो [जो बुद्धिमान हो एवं भले बुरे में अंतर कर सकता हो]।	[2] किसी धारदार वस्तु के द्वारा हो।	[3] रक्त बहे।	[4] और गला [श्वास मार्ग] और ग्रासनली [भोजन मार्ग] काटे।	[5] ज़ब्ह करते समय अल्लाह का नाम ले।

शिकार की शर्तें भी यही हैं, सिवाय इसके कि यह शरीर में किसी भी स्थान पर घाव पहुँचाने के द्वारा ह़लाल हो जाता है।

शिकार के प्रकारः

[1] **जायज़ः** खाने एवं अन्य ज़रूरत की ख़ातिर शिकार करना।

[2] **ह़रामः** मनोरंजन एवं बेकार में शिकार करना।

शिकार की शर्तें भी यही हैं, सिवाय इसके कि यह शरीर में किसी भी स्थान पर घाव पहुँचाने के द्वारा ह़लाल हो जाता है।
और शिकार के ही समान समझा जायेगा वह जानवर जो भाग जाये और जिसका ज़ब्ह करना कठिन हो। राफ़ेअ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है किः "**जो वस्तु जानवर का रक्त बहाये और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाये उसको खाओ, सिवाय दाँत एवं नाख़ुन के, और मैं तुझ से कहूँगा इसका कारण यह है कि दांत हड्डी है और नाख़ुन ह़ब्शियों की छुरियां हैं**"। बुख़ारी व मुस्लिम।
सधाए हुए कुत्ते का शिकार इस दशा में ह़लाल है कि उसेः

[1] जब भेजा जाये तो जाये।

[2] जब रोका जाये तो रुक जाये।

[3] और जब शिकार पकड़ ले तो उसमें से न खाए।

उसका मालिक जब उसको भेजने लगे तो अल्लाह का नाम लेः
अदी बिन ह़ातिम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**जब तुम अपने सधाए हुए कुत्ते को छोड़ो तो अल्लाह का नाम लोः**

[1] यदि उस कुत्ते ने तुम्हारे लिये शिकार को पकड़ लिया और शिकार तुम्हें जीवित मिले तो उसको ज़ब्ह कर लो।	[2] और यदि तुमने शिकार को इस स्थिति में पाया है कि कुत्ते ने उसे मार डाला है किंतु उसमें से कुछ खाया नहीं है तो उसे खाओ।	[3] यदि तुम अपने कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता पाओ और शिकार को मार डाला गया है तो उस शिकार को मत खाओ क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि दोनों में से किस कुत्ते ने इसे मारा है।	[4] जब तुम अपना तीर चलाओ तो उस पर अल्लाह का नाम लो।	[5] यदि शिकार तुमसे एक दिन तक ओझल रहा, फिर उस पर अपने तीर के सिवा कोई निशान न देखो तो चाहो तो उसमें से खाओ।	[6] यदि वह शिकार पानी में डूबा हुआ मिले तो तुम उसको न खाओ"। बुख़ारी व मुस्लिम।

और हदीस़ में है कि: "**अल्लाह तआला ने हर चीज़ में एहसान (अच्छे बर्ताव) को फ़र्ज़ किया है, अत: जब तमु क़त्ल करो तो अच्छे ढ़ंग से करो, और जब ज़ब्ह करो तो अच्छे ढ़ंग से करो, और अपनी छुरियां तेज़ कर लो ताकि तुम अपने पशु को आराम पहुँचा सको**"। मुस्लिम।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: "**जानवर के पेट के बच्चे का ज़ब्ह, गर्भवती जानवर के ज़ब्ह करने से हो जाता है**"। मुस्नद अहमद।

ऐमान (क़स्मों)एवं नज़्रों (मन्नत) का अध्याय

[ऐमान (क़सम):]

यमीन (क़सम) कहते हैं: किसी सम्मानित वस्तु (जैसे: अल्लाह, या उसके नामों या गुणों में से किसी नाम या गुण) का उल्लेख कर के किसी बात को दृढ़ करने को, विशिष्ट वचनों के साथ।
इसके वचन हैं: क़सम के अक्षरों में से कोई अक्षर, जैसे: वाव, बा, ता, हा ममदूह एवं हमज़ह ममदूह।
नियम: क़सम में निय्यत का एतबार किया जायेगा, फिर उसके सबब का फिर निर्धारण का और फिर अक्षर का।

क़सम घटित नहीं होगी, परंतु: अल्लाह के द्वारा या उसके नामों या गुणों में से किसी नाम या गुण के उल्लेख के द्वारा।

क़सम के प्रकार:

[1] अल्लाह की क़सम खाना।

[क] भूत काल पर।

[ख] भविष्य काल पर।

[2] और ग़ैरुल्लाह की क़सम खाना शिर्क है, उसके द्वारा क़सम घटित नहीं होती है।

वह क़सम जो कफ़्फ़ारा को वाजिब करती है उसका निम्नांकित चीज़ों पर आधारित होना अनिवार्य है:

[1] भविष्य के किसी मामले के लिये हो।

[2] अल्लाह की क़सम खाये।

[3] और निय्यत क़सम खाने की हो।

क़सम यदि भूतकाल की किसी बात पर होः

[1] और वह जान बूझ कर झूठ बोल रहा हो [जिसके द्वारा किसी मुसलमान का माल प्राप्त करना उद्देश्य हो]: तो यह यमीन -ए- ग़मूस है।	[2] यदि वह अपने आप को सच्चा समझ रहा हो तो यह यमीन -ए- लग़व है [जो बिना इरादे के उसकी ज़बान पर जारी होती है] जैसे वह अपनी बात के दौरान कहेः (ला वल्लाहि, नहीं अल्लाह की क़सम) और (बला वल्लाहि, क्यों नहीं अल्लाह की क़सम)।

जो अपनी क़सम तोड़ दे [जान बूझ कर या अपनी इच्छा से] -इस प्रकार से किः जिस चीज़ को छोड़ने की उसने क़सम खाई थी उसे अंजाम दे ले, या जिसको करने की क़सम खाई थी उसे छोड़ दे-: तो उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब हैः

[1] अपनी इच्छा सेः			[2] फिर क्रमवारः
[क] एक ग़ुलाम आज़ाद करना।	[ख] या दस मिस्कीनों को खाना खिलाना।	[ग] या उन्हें लिबास पहनाना	यदि उपरोक्त चीज़ें न पाये तो तीन दिन [लगातार] रोज़ा रखे।

अब्दुर्रहमान बिन समुरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “**जब तुम किसी काम पर क़सम खाओ फिर दूसरे काम को उससे बेहतर समझो तो अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दो और जिसे तुम बेहतर समझते हो उसे ही करो**”। बुख़ारी व मुस्लिम। और हदीस़ में है किः “**जिसने किसी मामला पर क़सम खाई और साथ ही इन शा अल्लाह कहा, तो उस क़सम को तोड़ने का कफ़्फ़ारा नहीं है**”। इस हदीस़ को अहमद, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसई एवं इब्ने माजह ने रिवायत किया है।

खाना खिलाने और खाना खाने वाले की तीन स्थितियां हैं:

[1] **जिसमें प्राप्तकर्ता का उल्लेख किये बिना भुगतान की जाने वाली वस्तु का निर्धारण किया गया है,** जैसे ज़कात -ए- फ़ित्र।	[2] **जिसमें भुगतान की जाने वाली वस्तु एवं प्राप्तकर्ता दोनों का निर्धारण किया गया है,** जैसे अज़ा का (एहराम की स्थिति में किसी पीड़ा के कारण एहराम के विरुद्ध कार्य कर लेने पर अनिवार्य) फ़िदया।	[3] **जिसमें भुगतान की जाने वाली वस्तु को छोड़ कर प्राप्तकर्ता का निर्धारण किया गया है,** जैसे क़सम का कफ़्फ़ारा।

ऐमान (क़स्मों) में एतबार किया जायेगाः

[1] **मुक़द्दिमा न होने की स्थिति में:**			[2] **मुक़द्दिमा की स्थिति में:**
[क] क़सम खाने वाले की नियत का।	[ख] फिर उस कारण का जिसने क़सम खाने पर उभारा।	[ग] फिर उस शब्द का जो नियत और इरादा को दर्शाए।	सिवाय दावा की स्थिति में, क्योंकि हदीस़ में हैः “**क़सम का मतलब क़सम देने वाले की नियत के अनुसार होगा**”। मुस्लिम।

[नुज़ूर (मन्नत):]

नज़्रः शब्दकोष के अनुसारः दृढ़ संकल्प एवं अनिवार्य करने को कहते हैं। और शरीअत के अनुसारः मुकल्लफ़ (बाध्य व्यक्ति) का अपने ऊपर ऐसी चीज़ को अनिवार्य कर लेना जो उस पर वाजिब नहीं थी।

नज़्र के प्रकार:

[1] **ग़ैरुल्लाह के लिये नज़्र मानना:** यह शिर्क -ए- अकबर है, जैसे केवल शब्द से ग़ैरुल्लाह की क़सम खाना, यह नज़्र घटित नहीं होती है, अर्थातः न तो इस को पूर्ण करना है और न ही इसका कोई कफ़्फ़ारा है, ऐसी नज़्र मानने वाला अल्लाह के समक्ष तौबा करे।

[2] **अल्लाह तआला की ख़ातिर**, और यह घटित होती है, **तथा इसके दो प्रकार हैं:**

[क] **आम नज़्रः** इसमें प्रत्येक मुसलमान दाख़िल है ﴿يُوفُونَ بِالنَّذۡرِ﴾(जो नज़्र पूरी करते हैं), क्योंकि हर मुसलमान ने अल्लाह के लिये नज़्र मानी है कि वह उसके आदेशों का पालन करेगा और उसकी वर्जनाओं से बचेगा।

[ख] **विशिष्ट नज़्र**, जैसे किसी चीज़ के निर्धारण के साथ नज़्र माने, **और इसका आदेश यह है कि:**

नज़्र का शब्द बोलने के पूर्वः इसका हुक्म यह है कि यह हराम है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा करने से रोका है, और यदि इसमें किसी प्रकार की कोई भलाई होती तो आप ऐसा अवश्य करते, और जब आपने ऐसा नहीं किया तथा ऐसा करने से रोका भी, तो यह इसके नाजायज़ होने की दलील है।

नज़्र का शब्द बोलने के बादः इसको पूरी करना ज़रूरी है या फिर क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करे, **और इसका आदेश इसके प्रकार के आधार पर भिन्न होता है:**

[1] **आज्ञापालन की नज़्रः** इसको पूरी करना अनिवार्य है, और नज़्र यदि तोड़ता है तो कफ़्फ़ारा लाज़िम है, उदाहरणः किसी ने वर्जित समय को छोड कर नफ़्ल नमाज़ पढने की मन्नत मानी।

[2] **अवज्ञा की नज़्रः** इसको पूरी करना हराम है, तथा क़सम तोड़ना और उसका कफ़्फ़ारा देना अनिवार्य है, उदाहरणः किसी ने हराम कार्य जैसे ग़ीबत करने की नज़्र मानी।

[3] **मुबाह़ (अनुमेय) नज़्रः** इसको पूरी करने -जोकि सर्वोत्तम है- और क़सम तोड़ कर कफ़्फ़ारा अदा करने के मध्य, चयन का अधिकार है, उदाहरणः किसी ने विशिष्ट परंतु मुबाह़ कपड़ा पहनने की नज़्र मानी।

[4] **क्रोध व गुस्सा वाली नज़्रः** यह मुबाह़ के समान है, और इससे अभिप्राय क़सम का अर्थ है, उदाहरणः किसी ने नगर छोड़ने की नज़्र मानी।

[5] **मकरूह (अप्रिय) नज़्रः** इसको पूरी करना मकरूह है, और क़सम तोड़ कर कफ़्फ़ारा अदा करना मुस्तहब है, उदाहरणः किसी ने नमाज़ में इधर-उधर देखनी की नज़्र मानी।

[6] **मुतलक़ (आम) नज़्रः** अर्थात क़सम खाने वाला किसी चीज़ का निर्धारण न करे, इसमें कफ़्फ़ारा है, उदाहरणः कोई कहेः (मेरे ऊपर अल्लाह के लिये नज़्र है) और चुप हो जाये।

नज़्र मानना मकरूह है [या ह़राम है]। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नज़्र मानने से रोका है, और फ़रमाया है: "**यह कुछ भी भलाई (कल्याण) लेकर नहीं आती, इसके द्वारा तो केवल कंजूस से कुछ निकलवाया जाता है**"। बुख़ारी व मुस्लिम। यदि नेकी करने की मन्नत मानी हो तो: उसको पूरी करना उस पर वाजिब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फ़रमान के कारण: "**जिसने अल्लाह के आज्ञापालन की नज़्र मानी वह आज्ञापालन करे और जिसने अल्लाह की अवज्ञा की मन्नत मानी वह अल्लाह की अवज्ञा न करे**"। मुत्तफ़क़ अलैह। नज़्र यदि मुबाह़ हो या क़सम के दौरान हो -जैसे अप्रसन्नता एवं क्रोध की नज़्र- या यदि अवज्ञा की नज़्र हो तो:

[1] उसको पूरी करना वाजिब नहीं है।	[2] और नज़्र पूरी न करने की स्थिति में क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करेगा।	[3] तथा अवज्ञा की नज़्र को पूरी करना ह़राम है।

आज्ञापालन की नज़्र, अवज्ञा की नज़्र एवं ग़ैरुल्लाह के लिये नज़्र मानने के मध्य अंतर:

[1] **अल्लाह के आज्ञापालन की नज़्र:**	[2] **अल्लाह की अवज्ञा की नज़्र:**	[3] **ग़ैरुल्लाह के नज़्र:**
यह घटित होगी, अर्थात: या तो इसे पूरी करे या कफ़्फ़ारा अदा करे। इसको पूरी करना वाजिब है।	यह घटित होगी, किंतु इसका कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा और नज़्र छोड़ना अनिवार्य होगा।	यह घटित नहीं होगी। न तो इसको पूरी करे और न ही इसमें कफ़्फ़ारा है, बल्कि अल्लाह के समक्ष तौबा करे। यह शिर्क -ए- अकबर है।

ह़िफ़्ज़ -ए- यमीन (क़सम की रक्षा) की श्रेणी:

[1] **आरंभ में इसकी रक्षा करना:**	[2] **बीच में इसकी रक्षा करना:**	[3] **अंत में उसकी रक्षा करना:**	[4] **ग़ैरुल्लाह की क़सम न खाये।**
अत्याधिक क़सम न खा कर।	क़सम पूरी कर के, सिवाय उसके जो इससे अलग हो।	क़सम तोड़ने पर उसका कफ़्फ़ारा अदा कर के।	

झूठ बोलने की वर्जना में वर्णित कुछ नुसूस़ (आयत एवं ह़दीस़) का वर्णन:

अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾ (जिस बात की तुझे ख़बर ही न हो उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि कान और आँख और दिल उनमें से हरेक से पूछताछ की जाने वाली है)। अल्लाह का कथन है: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (-आदमी- मुँह से कोई शब्द नहीं निकाल पाता है परंतु उसके पास निगहबान तैयार है)। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: "**सच नेकी का मार्ग दिखाता है और नेकी जन्नती की ओर ले जाती है, और आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के निकट सच्चा लिख लिया जाता है, और झूठ बुराई का मार्ग दिखाता है और बुराई जहन्नम की ओर ले जाती है और आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के निकट झूठा लिख लिया जाता है**"। इस ह़दीस़ को बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

खाने-पीने से संबंधित प्रश्न

गलत	सही	प्रश्न
☐	☐	❁ मुसलमान के लिये ऐसा खाना जायज़ नहीं है जिसका वैध होना शरीअत से प्रमाणित न हो
☐	☐	❁ समुद्री जीव वैध है यद्यपि वह मुर्दा ही क्यों न हो जब तक उसमें परिवर्तन न आ जाये
☐	☐	❁ मगरमच्छ खाना ह़लाल है क्योंकि यह समुद्री जीव है
☐	☐	❁ सुरक्षित समुद्री जीव उस समय तक वैध हैं जब तक वह ख़राब न हों, जैसे सूखे केकड़े
☐	☐	❁ नशीली चीज़ों में से केवल वह ह़राम है जिसे शराब (ख़म्र) कहा जाता है
☐	☐	❁ यदि किसी पेय या भोज्य की अधिका मात्रा ही नशा उत्पन्न करती हो तो उसकी कम मात्रा जायज़ है
☐	☐	❁ जो समुद्र में जीवनयापन करता है उसके ह़लाल होने के लिये ज़ब्ह़ करना शर्त नहीं है
☐	☐	❁ जिसको नह़्र किया जाता है उसको ज़ब्ह़ करना और जिसको ज़ब्ह़ किया जाता है उसको नह़्र करना सही नहीं है
☐	☐	❁ पशु को अक़्र (ज़ख़्मी) करना केवल उसी स्थिति में वैध है जब उसको ज़ब्ह़ इत्यादि करना कठिन हो
☐	☐	❁ पशु के ह़लाल होने के लिये उसको ज़ब्ह़ करना शर्त नहीं है, बल्कि ऐसा करना मुस्तहब है
☐	☐	❁ छोटा बच्चा जिसके अंदर भले बुरे में अंतर करने की क्षमता न हो उसका ज़ब्ह़ करना जायज़ है
☐	☐	❁ किसी व्यक्ति का शिकार को बेच कर उसकी क़ीमत से लाभ उठाने के लिये शिकार करना जायज़ है
☐	☐	❁ एह़राम बांधे हुये व्यक्ति के ऊपर मछली का शिकार करना ह़राम है
☐	☐	❁ पालतु जानवर का शिकार करना जायज़ है
☐	☐	❁ मक्का में एह़राम न बांधे हुये व्यक्ति के लिये भी धरती के जानवरों का शिकार करना ह़राम है
☐	☐	❁ खाने की वस्तुओं में मूल बात यह है कि वे ह़लाल हैं, अतः उनमें से किसी भी वस्तु को हम उस समय तक ह़राम नहीं कहेंगे जब तक क़ुरआन एवं ह़दीस़ से उसका कोई प्रमाण न मिल जाये
☐	☐	❁ जिसने जानवरों या पौधों जैसे खाद्य पदार्थों को ह़राम घोषित किया, उसके ऊपर प्रमाण देना लाज़िम है, क्योंकि इन चीजों में असल और मूल बात यह है कि वे हलाल हैं।

❁ किसी कसाई की बकरी भाग गई तो उसने बिस्मिल्लाह कह कर उसके पेट में गोली मारी जिससे बकरी मर गई तो यह बकरी: □ मुरदार है □ हलाल है ❁ एक आदमी अपनी बंदूक़ साफ कर रहा था कि उससे गोली निकली और शिकार को लगी तो यह शिकार: □ मुरदार है □ हलाल है ❁ किसी मुस्लिम ने ज़ब्ह करते समय जानबूझ कर बिस्मिल्लाह छोड़ दिया तो यह ज़बीहा: □ मुरदार है □ हलाल है ❁ वह क़सम जिस पर कफ़्फ़ारा नहीं है, ऐसी क़सम है जो: □ भूतकाल की किसी बात पर हो □ विश्वास पर हो □ दोनों ❁ दोनों में से किस की हुरमत (वर्जना) अधिक गंभीर है: □ ग़ैरुल्लाह की सच्ची क़सम खाना □ अल्लाह की झूठी क़सम खाना ❁ हर पाक एवं पवित्र खाद्य पदार्थ जिसमें कोई हानि न हो: □ मुबाह है □ उसके हलाल होने के लिये प्रमाण ज़रूरी है ❁ पंजा वाला परिंदा: □ हलाल है □ हराम है □ इसमें विस्तार है: यदि वह पंजा के द्वारा शिकार करता हो तो हराम है अन्यथा हलाल है ❁ ऊँचे स्थान से गिरे हुये जानवर के अंदर यदि जीवन शेष हो और उसे ज़ब्ह कर दिया जाये तो, यह: □ हलाल है □ हलाल नहीं है ❁ जानवर को बांध कर रखना और उसे अपने निशाना का लक्ष्य बनाना: □ निशानाबाज़ी सीखने की हद तक ठीक है □ किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है ❁ यदि कोई पाक व पवित्र वस्तु किसी आदमी के लिये हानिकारक बन जाये तो वह उसके लिये हो जाती है: □ हलाल □ हराम ❁ ज़बीहा उस समय तक (□ हलाल है □ हलाल नहीं है) जब तक उस पर अल्लाह का नाम न लिया जाये ❁ आदमी को अत्याधिक क़सम (□ खानी चाहिये □ नहीं खानी चाहिये) और उसे किसी महत्वपूर्ण चीज़ पर ही क़सम (□ खानी चाहिये □ नहीं खानी चाहिये) ❁ (□ उचित है □ अनुचित है) कि आदमी जब कोई अच्छी चीज़ देखे तो क़सम तोड़ दे

❁ नज़्र में जब किसी चीज़ का निर्धारण न हो तो उसमें □ क़सम का कफ़्फ़ारा है □ उसमें कोई कफ़्फ़ारा नही है

❁ अवज्ञा की नज़्र (□ घटित होती है □ घटित नहीं होती है) किंतु उसको पूरी करना (□ जायज़ है □ नाजायज़ है) बल्कि इसमें वह क़सम का कफ़्फ़ारा (□ अदा करेगा □ अदा नहीं करेगा)

❁ जिसने कोई ऐसी नज़्र मानी जिसकी विशिष्टता को करने में वह सक्षम नहीं है तो असल को अंजाम दे और विशिष्टता का कफ़्फ़ारा अदा करे: □ सही □ गलत

हलाल	हराम	वस्तु
□	□	❁ जंगली गधा (ज़ेबरा)
□	□	❁ विषैले जंतु जैसे: सांप, बिच्छु और छिपकली
□	□	❁ जो खाये जाने वाले एवं न खाए जाने वाले जानवर के मिलाप से उत्पन्न हो, जैसे ख़च्चर (घोड़ा एवं पालतु गधा के मिलाप का परिणाम है)
□	□	❁ जिस जानवर का खाना हलाल है उसको न खाने के लिये ज़ब्ह करना
□	□	❁ किसी मुसलमान ने बिना सधाये हुये कुत्ता से ख़रगोश का शिकार किया
□	□	❁ किसी मुसलमान ने सधाए हुए कुत्ते से हिरन का शिकार किया लेकिन कुत्ते ने उसमें से खा लिया

किताबुल जिनायात (जुर्म एवं अपराध के मसले)

जिनायत: शरीर पर अत्याचार करने को कहते हैं, जो क़िसास या धन या कफ़्फ़ारा को अनिवार्य करता है, और इसके प्रकार हैं:

[1] नफ़्स (जान) पर जिनायत (जुर्म) करना।

[2] नफ़्स के अलावा पर जुर्म करना:

- [क] घाव देकर:
  - मुख एवं सिर पर घाव लगाना
  - समस्त शरीर को घाव देना
- [ख] किसी अंग को काट कर।
- [ग] किसी अंग के लाभ को नष्ट कर के।

नाहक (अन्यायपूर्णर रूप से) क़त्ल करने के तीन प्रकार हैं:

प्रथम: अमदन अर्थात जानबूझ कर आक्रामकता करना, अर्थात: ऐसी आक्रामकता करना, जिसका परिणाम आम तौर पर हत्या होता है, जिसमें वली (अभिभावक) के पास दो विकल्प होते हैं:

- [क] क़त्ल।
- [ख] दियत (माल)।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: "**जिसका कोई प्रिय क़त्ल कर दिया जाये तो उसके पास दो विकल्प हैं, या उसे उस का ख़ून बहा दिया जाये या क़िसास दिया जाये**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

द्वितीय: शिब्ह -ए-अमद, अर्थात ऐसी आक्रामकता करना जो सामान्यत: क़त्ल का कारण नहीं बनती है।

तृतीय: ख़ता, बिना इरादे के जिनायत घटित हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से, सारांश यह है कि उसमें क़िसास नहीं है, बल्कि:

- [क] क़ातिल के माल में कफ़्फ़ारा है [एक मोमिन ग़ुलाम आज़ाद करना, यदि यह संभव न हो तो निरंतर दो महीने रोज़ा रखना]।
- [ख] उनके आक़िल पर दियत है, आक़िल से अभिप्राय: उनके सभी अस़बह (पुरुष संबंधी) हैं चाहे वो निकट के हों अथवा दूर के, उसे उनकी स्थिति के अनुसार उनके मध्य विभाजित किया जायेगा और तीन वर्ष की मोहलत दी जायेगी, वे लोग प्रत्येक वर्ष उसकी एक तिहाई अदा करेंगे।

नफ़्स (जान से मार देने पर उस) की क़िसास की शर्तें:

[1] क़ातिल का मुकल्लफ़ होना।

[2] मक़तूल का मासूम होना।

[3] क़ातिल एवं मक़तूल के मध्य बराबरी का पाया जाना, अर्थात: आज़ादी एवं धर्म में बराबर होना।

[4] जन्म संबंध का न पाया जाना, अत: माता-पिता एवं उनके ऊपर के दादा परदादा के द्वारा संतान के मार देने पर उनको क़त्ल नहीं किया जायेगा, चाहे बेटा-बेटी हो या पोता-पोती।

इस्तीफ़ा -ए- क़िसास़ (क़िसास़ को मुकम्मल लेने) की शर्तें:		
[1] जिनायत करने वाला मुकल्लफ़ एवं उसके योग्य हो।	[2] समस्त वारिसों का मुकम्मल क़िसास़ लेने पर सहमत होना।	[3] इस बात का विश्वास होना कि क़िसास़ लेने से मुजरिम के सिवा कोई और प्रभावित नहीं होगा।

क़त्ल के तीनों प्रकार एवं उनके अह़काम:		
[1] क़त्ल -ए- ख़ता।	[2] क़त्ल -ए- शिब्हे अमद।	[3] क़त्ल -ए- अमद।
इन दोनों में क़िसास़ नहीं है।		इसमें क़िसास़ है।
इन दोनों में आक़िलह (वारिसों) पर दियत है।		इसमें क़ातिल पर दियत है।
यह बिना इरादा के होता है।	यह दोनों क़ातिल की ओर से जान बूझ कर होता है।	
इसमें दियत -ए- मुख़फ़्फ़ह है।	इन दोनों में दियत -ए- मुग़ल्लज़ह है।	
इसमें पाप है।	इसमें पाप है।	इसमें महा पाप है।
इन दोनों में कफ़्फ़ारा है।		इसमें कफ़्फ़ारा नहीं है।

दियत (ख़ून के बदला) से संबंधित दो नियम:

- प्रत्येक अंग जो निष्क्रिय हुआ हो उसमें दियत नहीं है, बल्कि उसमें हुकूमत है, सिवाय दो अंग के: कान एवं नाक।
- जिसने किसी अंग पर अत्याचार किया और उसे निष्क्रिय कर दिया तो उस पर उस अंग की दियत [वह धन जो किसी अन्य व्यक्ति को मार डालने या अंग-भंग करने के बदले में दिया जाए] है, सिवाय नाक और कान के, क्योंकि निष्क्रिय होने के बाद भी इन दोनों की सुंदरता बाकी रहती है।

नफ़्स (जाने से मारने) इत्यादि की दियत अम्र बिन ह़ज़्म की ह़दीस़ में विस्तार के साथ वर्णित है कि: **“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यमन वालों को पत्र लिखा...”** और उसमें था: **“कि जो व्यक्ति किसी मोमिन को बेगुनाह क़त्ल कर दे और गवाह मौजूद हों तो उसको क़िसास़ के रूप में क़त्ल किया जायेगा सिवाय इसके कि मक़तूल के वारिस सहमत हो जायें, और:**

नफ़्स:	**नफ़्स अर्थात मानव जान की दियत: सौ ऊँट है।**		
नाक:	**नाक यदि पूरी काट दी जाये तो उसमें: मुकम्मल दियत है।**	**ज़ुबान:**	**ज़ुबान में:** (मुकम्मल) **दियत है।**
होंठ:	**दोनों होंठ काट देने में: दियत है।**	**लिंग:**	**लिंग काट देने में: दियत है।**

अंडकोष:	**दोनों अंडकोष में: दियत है।**	**रीढ़:**	**रीढ़ में: दियत है।**
आँख:	**दोनों आँखों में: दियत है।**	**पाँव:**	**एक पाँव की: आधी दियत होगी।**
मामूह:	**मामूह में: एक तिहाई दियत होगी।**	**जाइफ़ह:**	**जाइफ़ह में: एक तिहाई दियत होगी।**
मुनक़्क़िलह:	**मुनक़्क़िलह में: दियत पंद्रह ऊँट होगी।**		
उँगली:	**हाथ और पाँव की उँगलियों में से हरेक उँगली की दियत: दस ऊँट होगी।**		
दांत:	**दांत की दियत: पाँच ऊँट होगी** [इसमें दांत और दाढ़ में कोई अंतर नहीं है]।		
मुवज़्ज़िहह:	**मुवज़्ज़िहह की दियत: पाँच ऊँट होगी।**		

और प्रत्येक इंद्रिय की दियत पूर्ण होगी, जैसे: सुनने, देखने एवं सूंघने की शक्ति।

तथा पुरुष के बदले महिला को क़त्ल किया जायेगा, और सोने के रूप में दियत: एक हज़ार दीनार होगी। इस हदीस़ को अबू दावूद ने रिवायत किया है।

घाव के कुछ प्रकार:

[1] मामूमह: दिमाग के ऊपर की झिल्ली तक पहुँच जाने वाले घाव को कहते हैं।	[2] जाइफ़ह: पेट के अंदर तक पहुँच जाने वाले घाव को कहते हैं।	[3] मुनक़्क़िलह: हड्डी को तोड़ देने एवं दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर देने वाले घाव को कहते हैं।	[4] मुवज़्ज़िहह: हड्डी को नंगा एवं स्पष्ट करने वाले घाव को कहते हैं।

मानव शरीर को निम्नांकित भागों में विभाजित किया जाता है:

[1] **एक:** **उदाहरण:** ज़ुबान। **हुक्म:** इसमें दियत है।	[2] **दो:** **उदाहरण:** आँखा। **हुक्म:** इन दोनों में मुकम्मल दियत है, जब्कि एक आँख में आधी दियत है।	[3] **तीन:** **उदाहरण:** नाक, क्योंकि इसमें दो नथुने और एक बांसा है। **हुक्म:** तीनों में मुकम्मल दियत है, जब्कि एक में एक तिहाई दियत है।	[4] **चार:** **उदाहरण:** दोनों आँखों पर पलकें। **हुक्म:** चारें में पूर्ण दियत है, जब्कि एक में चौथाई दियत है।	[5] **दस:** **उदाहरण:** हाथों की उँगलियां। **हुक्म:** दस उँगलियों की मुकम्मल दियत है, जबकि एक उँगली में दसवां भाग है।

क़िसास़ वाजिब होने के लिये शर्त है:

[1] क़ातिल का मुकल्लफ़ होना।	[2] मक़तूल का निर्दोष होना, और अत्याचार करने वाले के बराबर होना: इस्लाम में, ग़ुलामी में और आज़ादी में, अतः मुस्लिम को काफ़िर के बदले और आज़ाद को ग़ुलाम के बदले क़त्ल नहीं किया जायेगा।	[3] क़ातिल का मक़तूल का पिता न होना, अतः माता-पिता को संतान के बदले क़त्ल नहीं किया जायेगा।	[4] मक़तूल के सभी वारिसों का सहमत होना।	[5] इस बात का विश्वास होना कि मुकम्मल क़िसास़ लेने से मुजरिम के सिवा कोई और जान प्रभावित नहीं होगी।

एक के बदले समूह को क़त्ल किया जा सकता है, यदि ज़्यादती किये बिना संभव हो तो प्रत्येक अंग का उसी के समान क़िसास़ लिया जायेगा, अल्लाह के इस फ़रमान के कारण: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ (हमने यहूदियों के बारे में तौरात में यह बात निर्धारित कर दी थी कि जान के बदले जान), आयत के अंत तक।
और महिला की दियत है:

[1] पुरुष की दियत की आधी।	[2] परंतु एक तिहाई से कम दियत में दोनों बराबर हैं।

आत्महत्या के संबंध में वर्णित कुछ नुसूस़ (क़ुरआन एवं ह़दीस़)

अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (और अपने आपको क़त्ल न करो निस्संदेह अल्लाह तआला तुम पर बहुत दयालु है)। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: "**जिसने संसार में किसी वस्तु से आत्महत्या कर ली तो उसे उसी वस्तु के द्वारा परलोक में दण्ड दिया जायेगा**"। बुख़ारी व मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**तुम से पहले के समुदाय में एक व्यक्ति था जिसे कोई घाव हो गया था जिससे उसे बड़ी पीड़ा होती थी, अंततः उसने छुरी से अपना हाथ काट लिया जिसके कारण रक्त बहने लगा और वह मर गया, तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया: मेरे बंदे ने स्वयं मेरे पास आने में जल्दबाज़ी की इसलिये मैंने भी जन्नत को उस पर ह़राम कर दिया**"। बुख़ारी।

आत्महत्या सर्वाधिक निराशा एवं हताशा की स्थिति में होती है, जब्कि अल्लाह तआला फ़रमाता है: ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ﴾ (अपने रब की कृपा से तो केवल गुमराह एवं भटके हुये लोग ही निराश होते हैं)।

निर्दोष काफ़िर (ज़िम्मी, मुस्तामन और मुआहद) को क़त्ल करने के बारे में वर्णाति कुछ नुसूस़:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "**जिसने किसी मुआहद को क़त्ल किया वह जन्नत की सुगंध भी नहीं पा सकेगा**"। और फ़रमाया: "**जिसने ज़िम्मियों में से किसी को क़त्ल किया वह जन्नत की ख़ुश्बु भी नहीं पा सकेगा**"। इसके अतिरिक्त आपका फ़रमान है: "**जिसने किसी को अपने ख़ून का अमानतदार बनाया और उसने उसे क़त्ल कर दिया तो मैं उससे बरी हूँ, चाहे मक़तूल काफ़िर ही क्यों न हो**"। इब्ने ह़िब्बान।

काफ़िरों के साथ अनुबंध के प्रकार:

[1] अनुबंध जिस पर वो लोग टिके रहें: तो हम भी उनके अनुबंध को पूरा करेंगे,	**[2] अनुबंध जिसको उन लोगों ने तोड़ दिया हो:** तो हम भी अनुबंध पूरा नहीं करेंगे,	**[3] अनुबंध जिसे उनकी ओर से तोड़े जाने का हमें भय हो:** ऐसा अनुबंध हम उन्हें लौटा देंगे,

अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿فَمَا ٱسْتَقَٰمُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾	अल्लाह का कथन है: ﴿وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمْ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴾	अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ﴾

किताबुल हुदूद (शरई दण्डों के मसले)

ह़द्द कहते हैं: शरीअत द्वारा निर्धारित दण्ड को।
ह़द्द नहीं है परंतु जिसके अंदर निम्नांकित चीज़ें पाई जायें:

[1] मुकल्लफ़ हो।	[2] शरई हुक्म का पाबंद हो।	[3] उस चीज़ की हुरमत (वर्जना) उसे पता हो।

और उसको लागू करेगा, केवल:

[1] अपने समय का शासक या उसका नायब (उप)।	[2] हाँ, स्वामी विशेष रूप से अपने दास पर ह़द्द लागू कर सकता है।

कोड़े मारे जाने का दण्ड ग़ुलाम के लिये आज़ाद से आधी है।

[ज़िना की ह़द्द (व्यभिचार का दण्ड)]

ज़िना की ह़द्द और दण्ड -जोकि योनि अथवा गूदा द्वार में कुकृत्य करना है-:

[1] यदि विवाहित हो तो: यदि किसी ने विवाहित होने के बावजूद किसी महिला के संग व्यभिचार किया और दोनों आज़ाद और मुकल्लफ़ हों तो मर जाने तक दोनों को पत्थर से मारा जायेगा [चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला]।	[2] तथा यदि कुँवारा हो तो: सौ कोड़ा लगाया जायेगा तथा एक वर्ष के लिये तड़ीपार किया जायेगा [महिला को महरम (अति निकटवर्ती संबंधी) के संग ही तड़ीपार किया जायेगा]।

किंतु इसके लिये शर्त यह है कि:

[1] चार बार इसका इकरार करे।	[2] या चार आदिल (न्यायप्रिय) व्यक्ति [पुरुष] स्पष्ट रूप से उसके विरुद्ध (व्यभिचार) की गवाही दें।
[3] या ऐसी महिला जिसका पति या स्वामी न हो और वह गर्भवती हो जाये।	[4] या पति लिआन करे और पत्नी अपना बचाव न करे।

अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾(व्यभिचारी महिला व पुरुष में से हरेक को सौ कोड़े लगाओ)। और उबादा बिन स़ामित रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन वर्णित है कि: **"मुझ से सीख लो, मुझ से सीख लो, अल्लाह ने उनके लिये राह निकाली है, कुँवारा कुँवारी (से व्यभिचार करे तो) सौ कोड़े और एक वर्ष के लिये देश निकाला देना है, और विवाहित पुरुष यदि विवाहित महिला से व्यभिचार करे तो (हरेक के लिये) सौ कोड़े और रज्म (पत्थर मारना) है"**। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तथा आपका अंतिम निर्णय विवाहित लोगों को केवल पत्थर मार कर रज्म करने का रहा, जैसाकि माइज़ एवं ग़ामदिय्यह वाली घटना में है।

व्यभिचार के जुर्म में पड़ने से -अल्लाह की अनुमति से- बचाव के उपाय:

[1] अल्लाह का तक़्वा अपनाना और दुआ करना: ﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾ (यदि तू ने उनका छल मुझसे दूर न किया तो मैं उनकी ओर झुक जाऊँगा)। और नबी का फ़रमान है: **"जो अल्लाह के लिये कोई चीज़ छोड़ता है तो अल्लाह उसको उससे उत्तम चीज़ बदला के रूप में देता है"**। मुस्नद अहमद।	[2] विवाह करने में जल्दी करना, और यदि इसकी क्षमता न हो तो रोज़ा रखना।	[3] निगाहें नीची रखना और ऐसे स्थानों पर जाने से बचना जहाँ महिलाओं की भीड़ रहती हो, जैसे: बाज़ार।	[4] महिलाओं को पर्दा का आदेश देना, उनके साथ नम्र एवं लचकदार आवाज़ में बात न करना, या एकांत में न बैठना और न महिलाओं से हाथ मिलाना।	[5] सूरह यूसुफ़ तथा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्सा का पाठ करना। [6] नेक लोगों के संग रहना। [7] जैसा करोगे वैसा भरोगे और ध्यान रहे कि व्यभिचार एक क़र्ज़ है।

[क़ज़्फ़ (तोहमत, लांछन) का दण्ड]

[यह महा पाप है] और जिसने किसी पवित्र महिला पर व्यभिचार की तोहमत लगाई, या उसके विरुद्ध गवाही दी और गवाही पूर्ण न हुई तो उसे:

[1] अस्सी कोड़े लगाये जायेंगे।	[2] कभी भी उसकी गवाही स्वीकार नहीं की जायेगी।	[3] उस पर फ़िस्क़ (पाखण्ड) का हुक्म लगाया जायेगा।

और ग़ैर मुह़्स़न (अपवित्र) पर व्यभिचार का लांछन लगाने पर ताज़ीर है।
तथा मुह़्स़न कहते हैं: आज़ाद, व्यस्क, मुस्लिम, समझदार एवं पवित्र को (जो संभोग करने में सक्षम हो)।

[ताज़ीर (दण्ड, जुर्माना)]

ताज़ीर हर उस जुर्म पर है जिसमें कोई निर्धारित दण्ड या कफ़्फ़ारा नहीं है [जिसने कोई ह़राम काम किया या वाजिब को छोड़ दिया तो ऐसी स्थिति में इमाम या उसका नायब क़ाज़ी अपने विवेक से ताज़ीर लागू करेगा]।

[चोरी की ह़द्द (दण्ड)]

जिसने किसी सुरक्षित स्थान [अर्थातः ऐसे स्थान से जहाँ सामान्यतः धन को सुरक्षित रखा जाता है] से चौथाई दीनार सोना या उसके समान कोई वस्तु चोरी की तोः

[1] हथेली के जोड़ से उसका दाहिना हाथ काटा जायेगा, और आग से दाग़ दिया जायेगा।	[2] यदि दोबारा चोरी करे तो टख़ने के जोड़ से उसका बायां पाँव काटा जायेगा [ऐड़ी नहीं] और दाग़ दिया जायेगा।	[3] यदि फिर चोरी करे तो क़ैद कर दिया जायेगा, परंतु एक हाथ और एक पाँव से अधिक नहीं काटा जायेगा।

अल्लाह का फ़रमान हैः ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا﴾ (चोरी करने वाले पुरुष एवं महिला के हाथ काट दिया करो)। और आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरफ़ूअन वर्णित है किः "**चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे अधिक चोरी करने पर काटा जायेगा**"। बुख़ारी व मुस्लिम।
तथा ह़दीस़ में हैः "फल एवं कस़र [खजूर का कोंपल या बीच वाला भाग] (की चोरी) में हाथ नहीं कटेगा"। इस ह़दीस़ को सुनन वालों ने रिवायत किया है।

[मुस्किर अर्थात नशीली चीज़ें पीने का दण्ड]

मुस्किर कहते हैं: हर उस चीज़ को जो आनंद, उत्साह, उत्तेजना और नशा पैदा करके बुद्धि को ढ़ाँप ले, चाहे वह शराब की तरह तरल (द्रव) हो या ड्रग्स की तरह ठोस।
और ख़म्र (शराब, मदिरा) कहते हैं: जो बुद्धि को ढ़ाँप ले, चाहे वह अंगूर से हो, खजूर से हो, जौ से हो या गेहूँ इत्यादि से बनाई गई हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः "**जिस द्रव में नशा हो वह ह़राम है**"। तथा फ़रमायाः "**जिसकी अधिक मात्रा नशा उत्पन्न करे उसकी थोड़ी मात्रा भी ह़राम है**"। इसकी ह़ुरमत (वर्जना) में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि इसे आनंद के लिये पिये, या प्यास के कारण या दवा के रूप में पिये। शराब समस्त बुराईयों की जड़ है, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ (निस्संदेह मदिरा, जुआ तथा देवस्थान और पाँसे शैतानी मलिन कार्य हैं, अतः इनसे दूर रहो ताकि तुम सफल हो जाओ)। यह ड्रग्स से अधिक खतरनाक है, और अनके ह़िकमतों (तत्वदर्शिता) का ध्यान रखते हुये इसे ह़राम (निषेध) किया गया है, जिनमें से कुछ निम्न हैं:

[1] गंदी बातें एवं शैतानी कार्य है।	[2] लोगों के मध्य ईर्ष्या एवं कलह उत्पन्न करती है।	[3] अल्लाह के ज़िक्र एवं नमाज़ से रोकती है।	[4] शराबी अपना विवेक खो देता है और उसे बुराई का भान तक नहीं रहता।

नशीली चीज़ें पीने वालों का ह़ुक्मः शासक उसे चालीस कोड़ों से कम का दण्ड न दे, और शासक यदि उचित समझे तो इस दण्ड में वृद्धि भी कर सकता है, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शराबी को अस्सी कोड़े लगाये थे।

[हि़राबह (लूट मार तथा डकैती इत्यादि) का दण्ड]

मुहारिबीन (लूट मार करने वालों) के बारे में अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ (जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध करते हों, तथा धरती में उपद्रव करते फिर रहे हों, उन का दण्ड यह है कि उनकी हत्या की जाये, तथा उन्हें फांसी दी जाये, अथवा उनके हाथ पाँव विपरीत दिशाओं से काट दिये जायें अथवा उन्हें देश निकाला दे दिया जाये), आयत के अंत तक।
यो वो लोग हैं जो लोगों के विरुद्ध विद्रोह करके लूटपाट या हत्या करके उनका रास्ता रोकते हैं:

[1] जिसने किसी को क़त्ल कर के उसका धन ले लिया, तो उसे क़त्ल किया जायेगा और सूली पर लटकाया जायेगा।	[2] और जिसने क़त्ल किया [किंतु माल नहीं छीना]: तो उसे क़त्ल किया जायेगा [और सूली पर नहीं चढ़ाया जायेगा]।	[3] जिसने धन छीना और क़त्ल नहीं किया: [उसका दाहिना हाथ और बायां पाँव काटा जायेगा]।	[4] जिसने लोगों को डराया [परंतु न तो क़त्ल किया और न धन छीना]: उसे देश निकाला दिया जायेगा।

[बुग़ात (बाग़ियों, विद्रोहियों) का दण्ड]

बुग़ात (ख़्वारिज) ऐसे समुदाय को कहते हैं जिसके पास शक्ति एवं सामर्थ्य हो और जो वैध तर्क (कि यदि उसका उत्तर न दिया जाये तो लोग धोखा खा जायें) के साथ इमाम (शासक) के विरुद्ध विद्रोह करते हैं।

जो इमाम के विरुद्ध विद्रोह करे और उसे पद से हटाना चाहे तो वह विद्रोही है, और इमाम पर अनिवार्य है:

[1] विद्रोहियों से पत्राचार करना।	[2] जिन अवैध चीज़ों का वो आरोप लगाते हैं उन्हें दूर करना।	[3] उनके संदेह को दूर करना।

यदि वो:

[1] रुक जाएं, तो उनसे रुक जाया जायेगा।	[2] अन्यथा उनसे [अनिवार्य रूप से] लड़ाई की जायेगी जब वह लड़ाई करें।

और उसकी जनता पर अनिवार्य है कि: उनसे लड़ाई में वो अपने शासक की सहायता करें। यदि उसे क़त्ल करना या उसका धन नष्ट करना मजबूरी बन जाये तो करे, और रक्षा करने वालों पर कुछ नहीं।
रक्षा करने वाला यदि मारा जाये तो वह शहीद होगा।
उनका पीछा नहीं किया जायेगा, उनके घायलों को मारने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी, उनकी संपत्ति नहीं लूटी जाएगी और उनके बच्चों को बंदी नहीं बनाया जाएगा।
दोनों पक्षों में से युद्ध के दौरान जान माल की जो हानि हुई हो उसकी कोई ज़मानत नहीं।

मुर्तद (धर्मत्यागी) के हुक्म से संबंधित अध्याय

मुर्तद वह है: जो इस्लाम धर्म त्याग कर कुफ़्र वाला धर्म अपना ले, कथन, कर्म या संदेह के द्वारा।
विद्वानों ने उन बातों का विस्तार से उल्लेख किया है जो किसी व्यक्ति को इस्लाम के दायरे से बाहर करने का कारण बनती हैं, और उन सभी का मूल बिंदु अल्लाह के दूत द्वारा लाई गई शरीअत को पूरी तरह से नकारना या शरीअत के कुछ हिस्सों को बिना स्पष्टीकरण दिये नकारना है। जो मुर्तद हो जाये: [उसे अतिशीघ्र क़त्ल किया जायेगा, किंतु यदि शासक को उसे मोहलत देने में कोई मसलहत दिखाई दे रही हो], तो तीन दिन तक उससे तौबा करवाया जायेगा, यदि तौबा कर ले तो ठीक अन्यथा उसे तलवार से क़त्ल कर दिया जायेगा।

वो चीज़ें जिनसे रिद्दत (इस्लाम से विमुख हो जाना) प्रमाणित होती है:

[1]कथन: जैसे अल्लाह को, या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को या इस्लाम धर्म को गाली देना।	[2] कर्म: जैसे मूर्तियों के समक्ष शीश नवाना।	[3]आस्था: जैसे यह आस्था रखना कि अल्लाह का कोई साझीदार है।	[4] संदेह: जैसे यहूदी एवं ईसाई के कुफ़्र में संदेह करना।

जिन चीज़ों के द्वारा मुर्तद की तौबा प्रमाणित होगी:

[1] दो गवाहों को लेकर आना।	[2] जिसका उसने इन्कार किया हो उसका इकरार करना।	[3] अपने कुफ़्र से पलट आना।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली चीज़ों में से महत्वपूर्ण दस चीज़ें निम्न हैं:

[1] अल्लाह की इबादत में शिर्क करना, अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (यदि तूने शिर्क किया तो निश्चय ही तेरे कर्म अकारत हो जायेंगे)। ग़ैरुल्लाह के लिये ज़ब्ह करना इसी में शामिल है।	[2] जिसने अपने और अल्लाह के बीच किसी अन्य को माध्यम, वसीला और सिफ़रिशी बनाया और उस पर भरोसा किया।	[3] जो मुश्रिकों (बहुदेववादियों) को काफ़िर न समझे या उनके कुफ़्र में संदेह करे या उनके धर्म को सही करार दे।	[4] जो यह आस्था रखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मार्ग से अन्य का मार्ग अधिक उत्तम है।	[5] जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई शरीअत से घृणा करे यद्यपि उसका पालन ही क्यों न कर रहा हो।
[6] जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अवतरित धर्म या अल्लाह के अज़ाब व दण्ड का उपहास करे।	[7] जादू करना, या उससे सहमत होना, और उसी में स़र्फ़ (दिलों को फेरना) तथा अत़्फ़ (प्रेम) का कार्य करना है।	[8] मुसलमानों के विरुद्ध मुश्रिकों की सहायता एवं उनसे मित्रता करना।	[9] जो यह आस्था रखे कि कुछ लोगों के लिये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत की पाबंदी ज़रूरी नहीं है।	[10] अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट करना, न उसका ज्ञान अर्जित करना और न ही उसके अनुसार कर्म करना।

किताबुल क़ज़ा वद्दआई वल-बय्यिनात व अनवाइश्शहादात
(निर्णय, दावा, प्रमाण एवं गवाही के प्रकारों के मसले)

नियमः प्रत्येक विलायत (ज़िम्मेवारी) के लिये दो स्तंभ का पाया जाना आवश्यक हैः [1] समय [2] एवं अमानत।

लोगों के मध्य फैसला करने के लिये क़ाज़ी का होना आवश्यक है, और यह फ़र्ज़ -ए- किफ़ायह है [यदि कुछ लोग इसे अंजाम दें तो बाकी लोगों से माफ़ हो जायेगा, यदि कोई भी नेक आदमी इस कार्य को अंजाम देने के लिये तैयार न हो तो सभी पापी होंगे, अतः]

[1] इमाम पर वाजिब है कि क़ज़ा का ज्ञान रखने वाले लोगों को नियुक्त करे, जो शरई हुक्मों से परिचित हों और लोगों के मध्य प्रचलित घटनाओं पर उनको लागू

[2] क़ाज़ी के लिये विश्वसनीय गुणों वाले सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दे [अर्थातः मुस्लिम, मुकल्लफ़, पुरुष और विद्वान होना]।

[3] उसको नियुक्त करे जो इसके योग्य हो, तथा इसके लिये उससे उत्तम व्यक्ति और कोई न हो, और उसे ऐसी चीज़ में व्यस्त न करे जो उससे भी महत्वपूर्ण हो।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**मुद्दई के लिये दलील है और झुठलाने वाले पर क़सम खाना है**"। [दारक़ुत्नी] और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "**मैं जो सुनता हूँ उसी के आधार पर निर्णय करता हूँ**"। [बुख़ारी व मुस्लिम]। अतः जो किसी वस्तु का दावा करे उस पर उसका प्रमाण देना अनिवार्य हैः

[1] या तो दो आदिल (न्यायप्रिय व्यक्ति) की गवाही।

[2] या एक पुरुष और दो महिला।

[3] या एक पुरुष की गवाही और मुद्दई की क़सम।

अल्लाह तआला का कथन हैः ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ (तथा अपने में से दो पुरुषों को साक्षी (गवाह) बना लो, यदि दो पुरुष न हों तो एक पुरुष तथा दो स्त्रियों को उन गवाहों में से जिनको गवाह बनाना पसन्द करो)। और "**नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़सम के साथ एक गवाह के द्वारा निर्णय किया है**"। यह हदीस़ स़हीह है। [इसे सुनन वालों ने रिवायत किया है]। यदि उसके पास दलील नहीं हो तोः

[1] मुद्दालय (मामले में आरोपी) क़सम खायेगा और बरी हो जायेगा।

[2] यदि वह क़सम खाने से इन्कार करे तोः

[क] उस पर नुकूल (क़सम से इन्कार करने) का फैसला किया जायेगा।

[ख] या यमीन (क़सम) को मुद्दई की ओर फेर दिया जायेगा, अतः यदि वह मुद्दालय के नुकूल (इन्कार) पर क़सम खा ले तो जिस चीज़ का उसने दावा किया है वह उसकी हो जायेगी।

आदमी की तरफ़ चीज़ों की निसबत (संबंध) के आधार पर उसके तीन प्रकार हैं:		
[1] दावाः दूसरे के विरुद्ध किसी चीज़ की निसबत अपनी ओर करे।	[2] इकाररः किसी दूसरे की चीज़ की निसबत अपने विरुद्ध करे।	[3] गवाहीः किसी दूसरे की चीज़ की निसबत किसी तीसरे व्यक्ति की ओर करे।

बय्यिनह (गवाही) में सेः वह सबूत है जो दो दावेदारों में से एक की सच्चाई को दर्शाए, जैसेः

[1] जिस चीज़ का दावा किया जा रहा हो, वह दोनों में से किसी एक के पास हो तो, क़सम खा लेने पर वह उसी का हो जायेगा।	[2] और जैसेः दो आदमी उस संपत्ति पर दावा करें जो दोनों में से किसी एक के लिये ही उचित हो, जैसे कि बढ़ई के व्यापार से संबंधित सामान के बारे में किसी व्यक्ति का बढ़ई से विवाद करना, या लोहार के व्यापार से संबंधित सामान के बारे में किसी आदमी का लोहार के साथ झगड़ा करना, या इसी प्रकार की चीज़ें।

शहादत (गवाही) के दो प्रकार हैं:	
[1] तहम्मुल (उठाना)।	[2] अदा करना।

गवाही को उठाने एवं अदा करने का हुक्मः	
[1] मनुष्यों के अधिकारों से संबंधित गवाही उठानाः फ़र्ज़ -ए- किफ़ायह है।	[2] और उसे अदा करना फ़र्ज़ -ए- ऐन है।

शाहिद (गवाह) के लिये अनिवार्य है कि वह बाहर और अंदर से आदिल (न्यायप्रिय) और निष्पक्ष हो। **तथा आदिल उस व्यक्ति को कहते हैं:** जिससे लोग प्रसन्न हों, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान प्रमाणित करता हैः ﴿مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ (जिनको गवाह बनाना पसन्द करो), तथा उसके लिये जायज़ नहीं कि वह गवाही दे मगर उसी चीज़ की जिसे वह जानता होः

[1] देखने की वजह से।	[2] या वहाँ उपस्थित लोगों से सुनने की वजह से।	[3] या जिन चीज़ों में प्रसिद्धि ही पर्याप्त हो, जैसे वंश इत्यादि तो उसमें प्रसिद्धि के कारण।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक व्यक्ति से कहाः "**क्या तुमने सूरज देखा है?**" उसने कहाः हाँ, तो आपने फ़रमायाः "**या तो उसकी गवाही दे या उसे छोड़ दे**"। इसे इब्ने अदी ने रिवायत किया है। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः [﴿وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ﴾ (झूठी बात से परहेज़ करो)]।
और गवाही को निषेध करने वाली चीज़ों में से हैः तोहमत का संदेह होना [यदि यह दूर हो जाये तो गवाही स्वीकार की जायेगी], जैसे (अर्थात तोहमत के संदेह में से है):

[1] माता-पिता की गवाही अपनी संतान के लिये।	[2] या इसके विपरीत।	[3] पति-पत्नी की एक दूसरे के लिये गवाही। देना।	[4] शत्रु का अपने शत्रु के विरुद्ध गवाही देना।

जैसाकि ह़दीस़ में है: "**धोखा देने वाले पुरुष एवं धोखा देने वाली महिला की गवाही ठीक नहीं है, और न अपने भाई से शत्रुता रखने वाले की गवाही स्वीकार्य है और न उस व्यक्ति की गवाही जो किसी के भरण-पोषण में हो उस परिवार के लिये सही है जो उसका भरण-पोषण करता हो**"। और ह़दीस़ में है कि: "**जो व्यक्ति कोई ऐसी झूठी क़सम खाये जिसके द्वारा वह किसी मुसलमान के धन पर नाहक क़ब्ज़ा कर ले तो वह अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह तआला उस पर अत्याधिक क्रोधित होगा**"। बुख़ारी व मुस्लिम।

क़िस्मह (विभाजन) का अध्याय

इसके दो प्रकार हैं:

[1] उस वस्तु में अनिवार्य विभाजन जिसमें हानि न हो और न किसी मुआवज़ा के बदले हो, जैसे: एक समान वस्तु, बड़े घर एवं बड़ी जायदाद।

[2] आपसी सहमति से विभाजन करना, अर्थात ऐसी चीज़ में जिसमें किसी एक साझीदार को हानि हो रही हो, या जिसमें मुआवज़ा की वापसी हो, तो ऐसी स्थिति में सभी साझीदारों की आपसी सहमति अनिवार्य है:

[क] यदि उनमें से एक बेचना चाहता हो तो उसकी बात मानना वाजिब है।

[ख] तथा यदि उसे किराया पर दें तो: स्वामित्व के अनुसार उनके मध्य किराया विभाजित किया जायेगा। वल्लाहु आलम (अल्लाह सर्वाधिक जानने वाला है)।

इकरार का अध्याय

यह आदमी का अपने ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को स्वीकार करना है, हर उस शब्द के द्वारा जो इकरार को प्रमाणित करे, बशर्ते कि इकरार करने वाला मुकल्लफ़ हो। यह सबसे उत्तम गवाही में से है, तथा इसमें विद्या के सभी द्वार सम्मिलित हैं, जैसे: उपासना, व्यवहार, विवाह एवं जिनायात (जुर्म) इत्यादि। तथा ह़दीस़ में है कि: "**जिसने इकरार कर लिया उसका उज़्र अस्वीकार्य है**"। [इब्ने ह़जर आदि ने उल्लेख किया है कि यह ह़दीस़ निराधार है, किंतु लेखक महोदय ने इसको अपनी पुस्तक "अल-उस़ूल अल़-जामिअह" में इसे एक फ़िक़्ही क़ायदा की तरह बयान किया है]। तथा व्यक्ति पर वाजिब है कि दूसरे आदमियों के उस पर जो अधिकार हैं उन को स्वीकार कर ले ताकि उसको अदा कर के या माफ करवा कर उनसे बबरी हो जाये। वल्लाहु आलम (अल्लाह सर्वाधिक जानने वाला है)।

प्रशंसा व अधिकाधिक शांति का अवतरण हो हमारे सरदार व नबी मुह़म्मद पर, उनके परिवार वालों पर एवं साथियों पर।

इस पर टिप्पणी की है, अल्लाह की दया का भिखारी तथा उससे इस बात का अभिलाषी की वह उसके लोक परलोक को सुधार दे: **अब्दुर्रह़मान बिन नास़िर बिन सअदी** ने, अल्लाह उनके, उनके माता-पिता एवं समस्त मुसलमानों के पापों को क्षमा कर दे, मैंने इसको मूल प्रति से नक़ल किया है, तथा 3 ज़िलह़िज्जा 1359 हिजरी को नक़ल सम्पन्न हुआ।

तथा समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिये है जिसके अनुग्रह से सद्कार्य सम्पन्न होते हैं।

जिनायात (अपराध) और इससे संबंधित मुद्दों पर प्रश्न

गलत	सही	प्रश्न
☐	☐	❁ महिला के बदले पुरुष को क़त्ल नहीं किया जायेगा
☐	☐	❁ वली (अभिभावक) को क़िसास़, दियत एवं माफी के मध्य चयन का अधिकार दिया जायेगा
☐	☐	❁ एक के बदले समूह को क़त्ल नहीं किया जायेगा
☐	☐	❁ क़ज़ा (न्याय) का दायित्व सबसे उत्तम दायित्वों में से है जिसके द्वारा अधिकार वालों को उसका अधिकार प्राप्त होता है, रक्त की सुरक्षा होती है और उपद्रवियों को दण्ड मिलता है, तथा इन जैसे अन्य लाभ प्राप्त होते हैं
☐	☐	❁ प्रत्येक दावा पर दलील लाना अनिवार्य है
☐	☐	❁ यह शरीअत अहले किताब के बीच माध्यमिक शरीअत है जिसने ह़ज़्म एवं फ़ज़्ल को एकत्र किया है
☐	☐	❁ नास्तिक एवं अधर्मी यह समझता है कि क़िसास़ क़त्ल में वृद्धि करना है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति ने किसी को क़त्ल कर दिया तो बदले में उसे क़त्ल करने से हमारे बीच से एक आदमी और कम हो गया, तो हम उनसे कहेंगे किः अल्लाह तआला ने तुम्हें अंधा कर दिया है, क्योंकि सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लह फ़रमाता हैः﴿ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ ﴾ (क़िसास़ में तुम्हारे लिये जीवन है), क्योंकि क़ातिल को जब यह विश्वास होगा कि बदले में उसे भी क़त्ल किया जायेगा तो वह क़त्ल करने का दुस्साहस नहीं करेगा, अतः यदि हमने अम्र को क़त्ल करने के कारण ज़ैद को क़िसास़ के रूप में क़त्ल कर दिया तो ख़ालिद अब बक्र को क़त्ल करने का दुस्साहस नहीं करेगा, परंतु यदि हमने उसे यों ही छोड़ दिया तो क़त्ल की वारदात में वृद्धि होगी।
☐	☐	❁ घावों में क़िसास़ हर उस घाव में प्रमाणित है जिसमें मुमास़लह संभव हो
☐	☐	❁ क़ातिल के बारे में यदि पता हो कि यह उपद्रव फैलाता है तो उससे क़िसास़ लेना उत्तम है
☐	☐	❁ जिससे किसी की जान के बदले क़िसास़ नहीं लिया जाता उससे घावों एवं अंगों के बदले भी क़िसास़ नहीं लिया जायेगा, क्योंकि घावों एवं अंगों में क़िसास़ लेना जान में क़िसास़ लेने की ही एक शाखा है
☐	☐	❁ हुदूद अर्थातः दण्ड को लागू करने में अनगिनत लाभ हैं, उदाहरणस्वरूप उनमें बुराई की रोकथाम, आत्मा की शुद्धि एवं अल्लाह के निकट जुर्म से माफ़ी है

❁ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली देने वाला मुर्तद हैः □ उसे हर हाल में क़त्ल किया जायेगा □ उसे तौबा कराया जायेगा

❁ न्याय का पद संभालने का हुक्म, यह फ़र्ज़ -ए-: □ ऐन है □ किफ़ायह है

❁ गवाही को छुपानाः □ मकरूह है □ ह़राम है

❁ अनुपस्थित व्यक्ति के लिये फ़त्वा देना (□ सही है □ सही नहीं है) और अनुपस्थित व्यक्ति के लिये निर्णय करना (□ सही है □ सही नहीं है)

❁ क़ज़ा (न्याय) फ़र्ज़ -ए-: (□ ऐन है □ किफ़ायह है) और जब एक ही व्यक्ति पाया जाये जो क़ज़ा का पद संभालने योग्य हो तो यह उसके हक में फ़र्ज़ -ए-: (□ ऐन हो जाता है □ किफ़ायह है) क्योंकि लोगों के बीच फैसला करने वाले का पाया जाना आवश्यक है

❁ झूठी गवाही देनाः □ कबीरा गुनाहों में भी □ सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है □ स़ग़ीरा गुनाह है

विषय सूची

- व्याख्याता का प्राक्कथन 3
- लेखक की प्रस्तावना 4

शहादतैन का पाठ 7

- किताबुत्तहारत (पवित्रता के मसले) 8

[तहारत (पवित्रता) के प्रकार] से संबंधित पाठ 10

बरतन का अध्याय 11

मल-मूत्र त्याग के शिष्टाचार का अध्याय 12

गंदगी एवं गंदी चीज़ों को दूर करने के विषय में पाठ 14

वुज़ू के ढ़ंग का अध्याय 15

मोज़ों एवं पट्टियों पर मस्ह़ करने का पाठ 17

वुज़ू भंजक चीज़ों का अध्याय 18

जिन चीज़ों से स्नान अनिवार्य होता है तथा स्नान के ढ़ंग का अध्याय 18

तयम्मुम का अध्याय 19

ह़ैज़ (माहवारी) का अध्याय 21

त़हारत (पवित्रता) के अध्याय से प्रश्न 22

- किताबुस़्सलात (नमाज़ के मसले) 25

नमाज़ की शर्तें 25

नमाज़ के ढ़ंग का अध्याय 28

सज्दा -ए- सह्व, सज्दा -ए- तिलावत एवं सजदा -ए- शुक्र का अध्याय 34

नमाज़ के मुफ़्सिदात एवं मकरूहात का अध्याय 35

नफ़्ल नमाज़ों का अध्याय 37

जमाअत एवं इमामत के साथ नमाज़ पढ़ने का अध्याय 40

उज़्र (विवशता) वालों की नमाज़ का अध्याय 41

जुमुआ की नमाज़ का अध्याय 42
ईद उल फ़ित्र एवं ईद उल अज़्हा की नमाज़ का अध्याय 43
किताबुस्सलात से संबंधित प्रश्न 44
❖ किताबुल जनायज़ (जनाज़ा के मसले) 47
किताबुल जनायज़ से प्रश्न 50
❖ किताबुज़्ज़कात (ज़कात के मसले) 51
धन के ज़कात से संबंधित पाठ 52
ज़कातुल फ़ित्र का अध्याय 54
ज़कात देने एवं लेने वाले का अध्याय 55
[संलग्न] 57
किताबुज़्ज़कात से प्रश्न 60
❖ किताबुस्सियाम (रोज़ा के मसले) 63
[संलग्न 65
किताबुस्सियाम से प्रश्न 68
❖ किताबुल हज्ज (हज्ज के मसले) 70
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हज्ज के तरीका के बारे में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित हदीसः 70
हज्ज के अरकान एवं वाजिबात 74
हज्ज के नुसुक का पाठ 76
एहराम के महज़ूरात (वर्जनाओं) के संबंध में पाठ 76
तवाफ़ एवं सई की शर्तें 79
हद्,य, क़ुर्बानी एवं अक़ीक़ा का अध्याय 80
[संलग्न] 82
किताबुल हज्ज से प्रश्न 83
❖ किताबुल बुयूअ (क्रय-विक्रय के मसले) 86

बैअ (क्रय-विक्रय) के अरकान (स्तंभ) एवं शर्तें 86
वृक्षों एवं (उनके) फलों के क्रय-विक्रय का अध्याय 90
ख़ियार इत्यादि का अध्याय 91
सलम का अध्याय 93
गिरवी, ज़मानत एवं लालन-पालन का अध्याय 93
दीवालिया होने के कारण हजर (रोक) का अध्याय 95
सुलह का अध्याय 96
वकालत, शिराकत, मुसाक़ात एवं मुज़ारअत का अध्याय 97
मवात (बंजर धरती) को इह्या (आबाद) करने का अध्याय 99
जआलह एवं इजारह का अध्याय 99
लुक़्ता एवं लक़ीत़ का अध्याय 100
मुसाबक़ा एवं मुग़ालबा (प्रतियोगिता एवं प्रभुत्व) का अध्याय 101
ग़स्ब (अवैध क़ब्ज़ा) का अध्याय 102
आरियत एवं वदीअत का अध्याय 103
शुफ़अह का अध्याय 103
वक़्फ़ का अध्याय 104
हिबह (उपहार), अतिय्यह (दान) एवं वसीयत का अध्याय 105
किताबुल बुयूअ से प्रश्न 107
किताबुल मवारीस़ (विरासत के मसले) 110
अस्हाब उल फ़ुरूज़ (निर्धारित हिस्सा पाने वाले) 110
तअसीब के मसले 112
औल के मसले 113
अन्य अहकाम 115
इत्क़ (आज़ादी) का अध्याय 116
किताबुल मवारीस़ से प्रश्न 118

- किताबुन्निकाह़ (निकाह़ के मसले) 125
  - निकाह़ की शर्तों का अध्याय 126
  - निकाह के मुह़र्रमात का अध्याय 127
  - निकाह़ की शर्तों का अध्याय 128
  - विवाह से संबंधित दोषों का अध्याय 129
- किताबुस़्स़दाक़ (महर के मसले) 130
  - स़दाक़ (महर) के बारे में पाठ 130
  - पति-पत्नी का एक-दूजे के संग अच्छा संबंध रखना 131
  - ख़ुलअ का अध्याय 132
- किताबुलत़्त़लाक़ (त़लाक़ के मसले) 133
  - त़लाक़ -ए- बाइन एवं त़लाक़ -ए- रजई के बारे में अध्याय 134
  - ईला, ज़िहार एवं लिआन का अध्याय 135
- किताबुल इदद वलइस्तिबरा (इद्दतों एवं इस्तिबरा के मसले) 137
  - पत्नियों, संबंधियों, ग़ुलामों एवं लालन-पालन में रहने वालों के ख़र्चे का अध्याय ... 139
  - पारीवारिक मामलों से संबंधित प्रश्न 140
- किताबुल अत़्इमह (खाने-पीने के मसले) 142
  - दवा एवं उपचार से संबंधित बातें 143
  - ज़बीह़ा (बलि) एवं शिकार का अध्याय 145
  - ऐमान (क़स्मों)एवं नज़्रों (मन्नत) का अध्याय 146
  - खाने-पीने से संबंधित प्रश्न 150
- किताबुल जिनायात (जुर्म एवं अपराध के मसले) 152
- किताबुल ह़ुदूद (शरई दण्डों के मसले) 156
  - ज़िना का दण्ड 156
  - क़ज़्फ़ (तोहमत, लांछन) का दण्ड 157
  - ताज़ीर (दण्ड, जुर्माना) 157

चोरी की ह़द्द (दण्ड) 158
मुस्किर अर्थात नशीली चीज़ें पीने का दण्ड 158
ह़िराबह (लूट मार तथा डकैती इत्यादि) का दण्ड 159
बुग़ात (बाग़ियों, विद्रोहियों) का दण्ड 159
मुर्तद (धर्मत्यागी) के हुक्म से संबंधित अध्याय 160
किताबुल क़ज़ा वद्दआई वल-बय्यिनात व अनवाइश्शहादात (निर्णय, दावा, प्रमाण एवं गवाही के प्रकारों के मसले) 161
क़िस्मह (विभाजन) का अध्याय 163
इकरार का अध्याय 163
जिनायात (अपराध) और इससे संबंधित मुद्दों पर प्रश्न 164
विषय सूची 166